नवम माला, खंड 6, अंक 50

सोमवार, 28 मई, 199

7 ज्येष्ठ, 1912 (शक

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 6 में अंक 41 से 50 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

नवम माला, खंड 6, दूसरा सत्र, 1990/1911-12 (शक)

अंक 50, बुधवार, 28 मई, 1990/7 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्र	1—9
राज्य सभा से सन्देश	9—10
संसद की दोनों सभाओं के महासचिवों के वेतनमान तथा उससे सम्बन्धित लम्बित विषयों संबंधी संसदीय समिति	10
प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	10—27
पहली से छठी बैठकों के कार्यवाही सारांश—सभा पटल पर रखे गए	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	27—29
पहला प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
जूट विनिर्मित विकास परिषद (संशोधन) विधेयक	29—30
पुर:स्थापित	
संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) विधेयक	30
पुर:स्थापित	
नियम 377 के अधीन मामले	30—33
(एक) केरल उच्च न्यायालय की खण्डपीठ और प्रशासकीय अधिकरण त्रिवेन्द्रम में स्थापित किए जाने की मांग	
श्री ए० चार्ल्स	30
(दो) बिहार में कोसी नदी पर एक बहुद्देशीय बांध का निर्माण किए जाने की मांग	
श्री रमेन्द्र कुमार रवि यादव	31
(तीन) बिहार में दूरसंचार नेटवर्क पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाने की मांग	
श्री संजय लाल	31

विषय	पृष्ठ
(चार) रानाघाट और बोन्गांव सेक्शन के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण किए जाने की मांग	31
डा० असीम बाला	
(पांच) बिहार के जहानाबाद और गया जिलों में पेयजल की समस्या दूर करने हेतु नलकूप लगाने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग	
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	32
(छह) मध्य प्रदेश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गैस पर आधारित परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की मांग	
श्री माधवराव सिंधिया	32
(सात) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जनपद में मझखाली में रंगीन फोटो फिल्म परियोजना स्थापित किए जाने की मांग	
श्री हरीश रावत	33
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक	33—72
राज्य सभा द्वारा यथापारित विचार के लिए प्रस्ताव	
श्री राम विलास पासवान	33
श्री के० एस० राव	35
प्रो० राम गणेश कापसे	37
श्री चांद राम	39
श्री एडुआर्डो फलीरो	41
श्री कालका दास	44
कुमारी मायावती	47
श्री जी० एम० बनातवाला	48
श्री जगपाल सिंह	56
श्री प्रेम प्रदीप	59
श्री एम० सेल्वारासू	62
श्री हुकमदेव नारायण यादव	63
श्री गोपी नाथ गजपति	67
श्री एस० बेंजामिन	68
संविधान (अड़सठवां संशोधन) विधेयक	73—94
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री राम विलास पासवान	73
प्रो० एन० जी० रंगा	80

श्री संतोष भारतीय	83
श्री रेशम लाल जांगड़े	86
श्री मतिलाल हंसदा	89
श्री राम सजीवन	93
नियम 193 के अधीन चर्चा	95—129
बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान से उत्पन्न स्थिति तथा केन्द्रीय सरकार और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की सरकारों द्वारा किए गए राहत कार्य	
श्री के० एस० राव	
श्री यू० विजय कुमार राजू	98
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति	100
श्री जर्नादन यादव	103
श्री लोकनाथ चौधरी	104
प्रो० एन० जी० रंगा	105
श्री ए० एन० सिंह देव	107
श्री गोपी नाथ गजपति	108
श्री ए० विजयराघवन	110
श्री जे० चोक्का राव	112
श्री ए० वेंकट रेड्डी	113
श्री बाल गोपाल मिश्र	114
श्री बासवपुन्नय्या सिंगम	115
श्री पी० नरसा रेड्डी	117
डा० विश्वनाथम	119
श्री एस० बेंजामिन	120
श्री वसई चौधरी	120
श्री सैयद मसूदल हुसैन	121
श्री नीतीश कुमार	121

लोक सभा

सोमवार, 28 मई, 1990/7 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे।

[हिन्दी]

श्री वसन्त साठे (वर्धा) : अध्यक्ष जी...

अध्यक्ष महोदय : ये आज मूड में हैं।

[अनुवाद]

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : हमें दूसरे सदन में जाना है। दूसरे सदन में विधेयक लम्बित पड़े हुए हैं। पत्रों को सभा पटल पर रखने की अनुमति दे दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे, पत्र रखे जाने के पश्चात् मैं आपको बुलाऊंगा। अब पत्र रखे जाएंगे।

प्रो० मधु दण्डवते।

11.01 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (कर्मचारियों को उपदान का संदाय) विनियम, 1968, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का वर्ष 1988-89 वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 43 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (कर्मचारियों को उपदान का संदाय) विनियम, 1968, जो 5 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1/88-122 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1003/20]

(2) (एक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 18 की उपधारा (5) और धारा 23 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा सामान्य निधि और विकास सहायता निधि के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1004/90]

अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण कीसमीक्षा

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1005/90]

(2) (एक) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1006/90]

गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री मेनका गांधी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1007/90]

संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1008/90]

भौतिक और जीव विज्ञान संबंधी संस्थान के बारे में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 8472 के 14 मई, 1990 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : मैं भौतिक और जीव विज्ञान संबंधी संस्थान के बारे में श्री बासवपुन्नय्या सिंगम, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 8472 के 14 मई, 1990 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1009/90]

व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : मैं, श्री भागेय गोवर्धन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) व्यावहारिक जनशक्ति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1010/90]

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचना इण्डिया टी एण्ड रेस्टोरेन्ट्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण; टी बोर्ड, कलकत्ता का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान (संशोधन) नियम, 1990, जो 25 फरवरी, 1990, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 518 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निर्यात निरीक्षण परिषद मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान (संशोधन) नियम, 1990, जो 25 फरवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 519 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1011/90]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) इण्डिया टी एण्ड रेस्टोरेन्ट्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डिया टी एण्ड रेस्टोरेन्ट्स लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1012/90]

(4) (एक) टी बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) टी बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) टी बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 1013/90]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 आय-कर अधिनियम, 1961, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, भारतीय रिजर्व बैंक साधारण विनियम 1949, के विनियम 22 में संशोधन; सरकारी क्षेत्र में बैंकों के 1 जनवरी, 1988 से 31 मार्च 1989 की अवधि के कार्यकरण के संबंध में समेकित प्रतिवेदन के अधीन अधिसूचनाएं, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन दिल्ली नगर निगम

[हिन्दी]

वित्त मन्त्री (प्रो॰ मधु दण्डवते) : मैं श्री अनिल शास्त्री की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा॰ का॰ नि॰ 797(अ), जो 31 अगस्त, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो साइकिल/साइकिल रिक्शा टायरों के विनिर्माण में प्रयुक्त किये गये स्टील बीड वायर रिंगों पर उत्पाद-शुल्क के संदाय के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰ का॰ नि॰ 950(अ), जो 1 नवम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो स्थल पर पूर्ण स्टेशनरी बैटरियों के निर्माण/असेम्बली के लिए स्टेशनरी बैटरी के हिस्सों पर वह उत्पाद-शुल्क लगाने के बारे में है जो 8 मई, 1984 से पहले नहीं लगाया जा रहा था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 1018(अ), जो 20 नवम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उस भवन निर्माण सामग्री जिसका विनिर्माण संनिर्माण स्थल पर भवन निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है, पर उत्पाद-शुल्क लगाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 418(अ), जो 30 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 162/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि उसके परन्तुक में क्रमांक 17क अन्त स्थापित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 433(अ), जो 2 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 155/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि विनिर्दिष्ट वस्तुओं की निकासी के लिए उक्त अधिसूचना में उल्लिखित शुल्क की रियायती दर पर 55 लाख रुपये की अधिकतम सीमा विनिर्दिष्ट की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1990, जो 9 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 440(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1990, जो 9 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 441(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सा० का० नि० 393(अ), जो 23 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वायु-गनों, वायु-रायफलों और वायु-पिस्तोलों को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० का० नि० 394(अ), जो 23 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 47/90-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि किसी अन्तिम प्रयोग की शर्त के बिना 750 डेनियर से अधिक नायलान फिलामेंट सूत पर 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मूल उत्पाद-शुल्क की रियायती दर निर्धारित की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1014/90]

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आय-कर (आठवां संशोधन) नियम, 1990, जो 29 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 269(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 1990, जो 11 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 319(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 1990, जो 12 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 325(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आय-कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1990, जो 26 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 354(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 1015/90]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 246(अ) से सा० का० नि० 386(अ), जो 20 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 19 मार्च, 1990 को लोक सभा में वित्त मन्त्री द्वारा घोषित अप्रत्यक्ष-करों से सम्बन्धित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सीमा-शुल्क में परिवर्तन तथा छूटों के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 388(अ), जो 21 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 144/90- सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि अनावश्यक प्रविष्टि को हटाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 396(अ), जो 26 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 49/90-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि पोलिसल्फोन के अलावा सभी मदों पर 100 प्रतिशत के हिसाब से मूल सीमा-शुल्क निर्धारित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 400(अ), जो 27 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 137/80-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि रियायत लेने वाले यात्रियों के लिये मूल्यानुसार 25 प्रतिशत की रियायती दर पर दो और विनिर्दिष्ट मदों की अनुमति दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) यात्री सामान (संशोधन) नियम, 1990, जो 27 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 401(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छ:) आवास अन्तरण (संशोधन) नियम, 1990, जो 27 मार्च, 1990 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 402(अ) में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) का॰ आ॰ 260(अ), जो 27 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा॰ का॰ नि॰ 405(अ) तथा 406(अ) जो 28 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रदर्शनियों, मेलों, बैठकों तथा ऐसे ही अवसरों के लिए प्रदर्शन अथवा प्रयोग के लिए एटीए कारनेट के अंतर्गत अस्थायी रूप से आयात किये गये माल को सम्पूर्ण मूल तथा अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा॰ का॰ नि॰ 419(अ) और सा॰ का॰ नि॰ 420(अ), जो 30 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अपरिष्कृत सामग्री और संघटकों को, जब उनका आयात शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रमों या मुक्त-व्यापार क्षेत्रों को सप्लाई किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है, सम्पूर्ण मूल, अतिरिक्त और उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा॰ का॰ नि॰ 421(अ), जो 30 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 137/90-सी॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा॰ का॰ नि॰ 422(अ), जो 30 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो अग्रिम अनुज्ञप्ति पर भारत में आयात किये जाने वाले माल को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल तथा अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा॰ का॰ नि॰ 423(अ), जो 30 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ब्लैंकिट एडवान्स लाइसेंस पर भारत में आयात किये गये माल को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल तथा अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा॰ का॰ नि॰ 424(अ), जो 30 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 140/90-सी॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गयीं । देखिए संख्या एल॰ टी॰ 1016/90]

(4) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1943 की धारा 58 की उपधारा (4) के अन्तर्गत

भारतीय रिजर्व बैंक साधारण विनियम, 1949 के विनियम 22 में संशोधन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 22 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1017/90]

(5) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 1 जनवरी, 1988 से 31 मार्च, 1989 तक की अवधि के कार्यकरण के सम्बन्ध में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1018/90]

(6) (एक) औद्योगिक वित्त निगम, 1948 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा निगम की आस्तियों और देयताओं तथा लाभ और हानि लेखाओं को दर्शाने वाला विवरण।

(दो) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1019/60]

(7) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (1990 का संख्या 4) दिल्ली नगर निगर की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1020/90]

11.03 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :—

मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने सोमवार, 14 मई, 1990 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

"कि यह सभा लोक सभा द्वारा 23 मार्च, 1990 को हुई अपनी बैठक में दोनों सदनों की संयुक्त समिति को लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति कहे जाने के बारे में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई सिफारिश से सहमत है और प्रस्ताव करती है कि यह सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा एकल हस्तांतरण मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार सभा के सदस्यों में से पांच सदस्यों को उक्त समिति के लिए निर्वाचित करे।"

2. मुझे लोकसभा को यह भी सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसार उक्त समिति के लिए निर्वाचित किये गये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम सूचित किये गए हैं :—

(1) सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा

(2) श्री आनन्द प्रकाश गौतम

(3) श्री तलारी मनोहर

(4) श्री माखन लाल फोतेदार

(5) श्री संतोष कुमार साहु

————

11.04 म० प०

संसद की दोनों सभाओं के महासचिवों के वेतनमान तथा उससे सम्बन्धित लम्बित विषयों सम्बन्धी संसदीय समिति

प्रतिवेदन

महासचिव : मैं राज्य सभा और लोक सभा के महासचिवों के वेतनमान तथा उससे संबंधित लम्बित विषयों सम्बन्धी संसदीय समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

श्री निर्मल कान्त चटर्जी (दमदम) : अध्यक्ष महोदय, अब मद सं० 10 के अंतर्गत समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया है। यह बात अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सम्बन्ध में बहुत से दलों तथा ग्रुपों से साथ विचार-विमर्श नहीं किया गया महासचिव की कुल परिलब्धियों सम्बन्धी विषय समग्र संसद के लिए महत्व रखता है। इसमें देश की अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में संसद की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। हमें तथा सभा के बहुत से ग्रुपों को इसकी जानकारी नहीं है। हम यह चाहते हैं कि प्रतिवेदन की सिफारिशों को लागू करने से पहले विभिन्न दलों/ग्रुपों के सभी सदस्यों को इसकी जानकारी दी जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में सचिवालय के सम्बन्ध में चर्चा नहीं की जा सकती।

(व्यवधान)

————

11.4½ म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

श्री शिवराज वी० पाटिल (लातूर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई पहली से छठी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

————

अध्यक्ष महोदय : श्री वसनराव डाकने।

श्री ए० चार्ल्स।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय के वक्तव्य के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा।

श्री वसन्त साठे (वर्धा) : मैं आपकी अनुमति से पंजाब की स्थिति बिगड़ने संबंधी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। अभी एक दिन पहले हमने सुना कि एक बार फिर स्वर्ण मन्दिर में लोग हथियार लेकर गए। आपको याद होगा कि पंजाब में सारी तबाही और बरबादी गुरुद्वारों को किलों के रूप में बदलने से ही शुरू हुई। हथियारबंद लोग उनमें आकर तथाकथित किलेबंदी करते हैं और फिर वहां से बाहर के लोगों पर हमला किया जाता है तथा आधुनिकतम हथियार एकत्र किये जाते हैं।

मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है। क्या वे समस्त प्रक्रिया को बदलना चाहते है? क्या आत्मसमर्पण इतना हो गया है कि सशस्त्र खालिस्तान समर्थक नेता खुलेआम चल फिर सकते हैं—जैसाकि हम फोटो में भी देख सकते हैं—तथा पुलिस केवल मूकदर्शक बनकर खड़ी रहती है? मैं इस सम्बन्ध में सरकार से जानकारी मांगना चाहता हूं क्योंकि अब इससे सारा देश चिंतित है। यदि आपकी नाक के नीचे यह सब हो रहा है तो आपसे किस प्रकार की प्रगति अथवा विकास अथवा स्थिति से सामान्यीकरण की आशा की जाती है? आप केवल यह कह रहे हैं कि आप पंजाब में चुनाव कराने के संबंध में कार्यवाही करने जा रहे हैं।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण क्या है? क्या वे देश को सुरक्षित रखेंगे तथा यह वादा करेंगे कि वे गुरुद्वारों को हथियारों से भरे किले के रूप में नहीं बदलने देंगे तथा क्या आप यह देखेंगे कि वहां हथियारबंद लोग न हों? परम्परागत कृपाण, जिसे ले जाने की अनुमति है, के अलावा कोई अन्य हथियार ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। गुरुद्वारों तथा मन्दिरों में हथियार नहीं ले जाने दिए जाने चाहिए। मैं सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहता हूं।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज दो महत्वपूर्ण मामलों को उठाना चाहता हूं। पहला मामला पाकिस्तान में सिंध के हालात के बारे में है। जैसाकि आपने आज के समाचारपत्रों में देखा होगा वहां हुई गोलीबारी में 82 लोग मारे गये जिनमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं थीं जो अपने सिर पर कुरानशरीफ लिए हुए प्रदर्शन कर रही थीं। इस घटना में 300 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। हम पाकिस्तान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये लेकिन, यह मामला हमारे लिए इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि यह सब हमारे दरवाजे पर हुआ। ये वे लोग हैं जिन्हें शुरू में ही जब पाकिस्तान बना था तो दो राष्ट्र सिद्धान्त को विश्वास दिलाते हुए गुमराह किया गया था और जो लोग दो राष्ट्र सिद्धान्तों के कारण उत्पन्न हुए आशाओं के कारण वहां गये थे और वहां जाने के बाद अब वे ऐसी स्थिति में हैं कि उन्हें वहां रहने देने और अच्छा जीवन जीने की सुविधा देने की बजाए, उन पर गोली चलाई जा रही है और मारा जा रहा है। हमें इस बात की चिंता है कि जब तक पाकिस्तान इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कुछ नहीं करता तब तक

हमारे सामने शरणार्थियों के आने तथा ऐसी बहुत सी अन्य समस्याएं आती रहेंगी। इसलिए पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किए बिना हम इस सभा के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहेंगे कि इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढा जाना चाहिए।

दूसरा मामला जो मैं उठाना चाहता हूं वह इस सभा जिसके सत्र की अवधि अब बढ़ाई गई है के कार्यचालन के बारे में है। हमने ऐसा रवैया अपनाया है और प्रारम्भ में ही विपक्ष के नेता ने सभा में यह बता दिया था कि इस सभा के कार्यचालन में हम सरकार को रचनात्मक सहयोग देना चाहते हैं और आपने यह देखा भी है कि सहयोग देने का हमारा प्रयास रहा है और इसके फलस्वरूप इस सभा में तथा राज्य सभा में हमारे पूर्ण सहयोग से काफी संख्या में विधेयक पारित किए गए हैं।

श्री निर्मल कान्त चटर्जी (दमदम) : यहां तक कि वित्त विधेयक जैसा महत्वपूर्ण विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया था। (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : जी हां, एक ओर तो हालत यह है कि सरकार इस सभा के कार्य में हमारा सहयोग मांगती है, दूसरी ओर सरकार हर बार हमसे सच्चाई छुपाने का प्रयास करती है। यदि आपको याद हो तो प्रारम्भ में इस सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही हम सरकार से कुछ पत्र सभा पटल पर रखे जाने के लिए कहते आए हैं। ये पत्र सरकार के पास हैं। इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में कोई अड़चन नहीं है। इन पत्रों के रखे जाने के बाद ही देश तथा विश्व को पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। यदि इन पत्रों में हमारा नाम है या हमारे विरुद्ध आरोप हैं या कोई अन्य बात है तो हम चाहेंगे कि सरकार न्यायिक कानूनी कार्यवाही या किसी प्रकार की अन्य कार्यवाही जो वह करना चाहती है, शीघ्र शुरू करे। यदि उसमें हमारा नाम नहीं है और यदि सत्ता पक्ष के लोगों का नाम उसमें है तो भी हम यही चाहेंगे कि सरकार जो कार्यवाही करना चाहती है, शीघ्र करे। परन्तु परोक्ष रूप में इस तरह की बातें करना न तो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अच्छी बात है और न ही सरकार तथा प्रतिपक्ष के सम्बन्धों के लिए यह अच्छी बात है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते आए हैं कि चाहे ये बोफोर्स से सम्बद्ध पत्र है, चाहे एयरबस सम्बन्धी हैं, चाहे मेहम जांच सम्बन्धी विचारार्थ विषय के बारे में हो, इन पत्रों को इस सभा के पटल पर रखा जाए। यदि इन पत्रों को सभा पटल पर नहीं रखा जाता तो सरकार उन विधेयकों को पारित कराने में हमसे सहयोग की आशा नहीं कर सकती जो वह सभा में पेश करना चाहती है। इसलिए, मैं यह बात साफ कहना चाहूंगा कि यदि दोनों पक्ष सहयोग करते हैं तभी आपस में सहयोग होगा। मांगों तथा अन्य पक्ष के अनुरोधों पर विचार किए बिना किसी पक्ष से सहयोग की आशा नहीं की जा सकती। अतः यदि सरकार यह चाहती है कि हम इस सत्र जिसकी अवधि बढ़ायी गयी है, में भाग लें और विधेयकों के पारित करवाने में उसकी सहायता करें, तो इन पत्रों को तत्काल सभापटल पर रखा जाए। हम सरकार को पहले ही चार दिन का नोटिस दे चुके हैं। इन पत्रों को एकत्र करने में कोई कठिनाई नहीं है। परन्तु यदि उन पत्रों को नहीं रखा जाता तो मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि सरकार इन विधेयकों को पारित कराने हेतु उससे सहयोग करने के लिए हमें बाध्य नहीं कर सकती। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन में शायद अकेला मैं ही सिंधी-भाषी हूं और इसलिए दिनेश सिंह जी ने जो बात कही है, मैं उसकी पुष्टि करूंगा कि सिंध की घटनाएं बहुत गम्भीर हैं।

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी, एर्थ शेड्यूल में सिंधी भाषा को स्थान दिया गया है, इस तरह से सभी सिंधी भाषा से संबंधित हुए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं जानता हूं, उसमें हम लोगों ने भी योगदान किया था कि सिंधी भाषा को आठवें शेड्यूल में सम्मिलित किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में भारत सरकार या भारत हस्तक्षेप कभी नहीं करना चाहेगा, लेकिन हमको पता है कि बंगलादेश में जो घटनाएं हुईं, उनका प्रभाव हमारे देश पर पड़ा और इसीलिए हमको बहुत सक्रिय उसमें रुचि लेनी पड़ी। सिंध की घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि पाकिस्तान जिस प्रकार का रवैया कश्मीर में या पंजाब में अपना रहा है, उसका मूल कारण उसकी आंतरिक समस्याएं हैं। आज विस्फोट इतना हो गया कि एक दिन के अन्दर सिंध में 120 लोग मारे गये, सिंध छोटा-सा प्रांत है। वहां पर इस तरह की स्थिति आई कि 120 लोग मर गये, इसलिए स्थिति बहुत गम्भीर है। इस स्थिति का प्रभाव हमारे समीपवर्ती, लगे हुए राजस्थान और कच्छ के क्षेत्रों में और पूरे देश में हो सकता है। हमको बड़ी सावधानी से उसकी ओर ध्यान देना चाहिए और साथ-साथ अभी तक जिस प्रकार से भारत सरकार राजनयिक प्रभाव द्वारा पाकिस्तान को इस बात के लिए मजबूर करने की कोशिश करती रही है कि कश्मीर में और पंजाब वह हस्तक्षेप न करे, वह कोशिश जारी रहनी चाहिए। और उनको यह भी इशारा मिलना चाहिए, संकेत मिलना चाहिए कि आप अपनी समस्याओं के कारण इस चीज को अन्तर्राष्ट्रीय मामला न बनाएं, ऐडवेंचरिज्म में इंडल्ज न करें। यह सावधान करने की जरूरत है।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। वह यह है कि अब समय आया है कि सरकार, विगत 6 महीनों में पंजाब में जैसी स्थिति बनी है, उसके बारे में संसद को अवगत करवाए। 1984 में एक श्वेत-पत्र पंजाब के बारे में दिया गया था। 1984 के बाद बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और मुझे इस बात का खेद है कि स्थिति के बिगड़ने का एक लक्षण माईग्रेशन है। माईग्रेशन अब पंजाब से भी शुरू हुआ है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इसके बारे में तथ्य हमको बताए। मेरी मान्यता है कि हत्याओं के कारण और हिंसा के कारण जितनी बेचैनी प्रदेश में पैदा होती है उससे कहीं अधिक बेचैनी पिछले दिनों में जो अपहरण के प्रकरण हुए हैं, काण्ड हुए हैं और फिरौती के कांड हुए हैं, किडनैपिंग और रैंसम के कारण अशांति ज्यादा फैली है।

मैं पिछले सप्ताह स्वयं अबोहर गया था। अबोहर के पास एक छोटी-सी तहसील है—जीरा। वहां के लोग मुझे मिलने आए। उन्होंने कहा कि इस तहसील में पिछले महीने भर में डेढ़-दो करोड़ के रैंसम दिए गए हैं लोगों को छुड़वाने के लिए। ये गम्भीर परिस्थितियां हैं, जिनके बारे में सरकार अगर संसद को विश्वास में रखकर एक द्वितीय श्वेत-पत्र के माध्यम से, जिसमें वे भी चीजें होनी चाहिएं जो पहले श्वेत-पत्र में नहीं थीं, कि पाकिस्तान इस मामले में क्या-क्या रुचि ले रहा है, पाकिस्तान किस प्रकार से हस्तक्षेप कर रहा है, इसकी भी जानकारी दे दें तो अच्छा रहेगा।

श्री बलाई चौधरी (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता श्री विनेश सिंह जी और आडवाणी जी ने जो सिंध के बारे में कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि हम लोग और हमारा राष्ट्र हमेशा जनतन्त्र का प्रबल समर्थक रहा है और दुनिया के किसी भी देश में जहां जनतंत्र की लड़ाई लड़ी गयी हो, या जनतंत्र के लिए आंदोलन चलाया गया हो, हम लोग उसका समर्थन करते आए हैं। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के सिंध में पिछले कई महीनों में जनतन्त्र की बहाली के लिये लड़ाई लड़ी जा रही है और वहां के जो संयुक्त विरोधी दल के नेता है गुलाम मुस्तफा

बताई उनके नेतृत्व में मुहाजी कौमी मूवमेंट के नेतृत्व में आन्दोलन चल रहा है और पाकिस्तान सरकार जानबूझकर उस आन्दोलन को कुचलने करने पर लगी है। अभी हमारे नेता ने बतलाया कि हैदराबाद और कराची में पिछले 13 दिनों से बिजली की लाईन और पानी बन्द कर दिया गया था और उसके विरोध में वहां के जो मौलवी हैं उन्होंने माईक से ऐलान किया कि इसके प्रोटैस्ट में हम लोग सड़क पर उतरे हैं। जब सड़क पर विरोध करने के लिए जनता उतरी तो वहां के सैनिकों ने उसको कुचल डाला और अपने हथियारों से करीब 135 लोगों की हत्या की और 300 लोग घायल हुए।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जो जनतंत्र की बहाली का आंदोलन चलाया जा रहा है उसका समर्थन करना हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है और वहां की सरकार आंदोलन को कुचलना चाहती है, हम उसकी निन्दा और भर्त्सना करते हैं।

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय माननीय सदस्य श्री दिनेश सिंह ने बहुत से मामले उठाए हैं। पहली बात तो यह है कि हमने उनके सहयोग अथवा इस सभा में कार्यचालन के बारे में परोक्ष रूप से कुछ भी इंगित नहीं किया है। जिस तरह का भी सहयोग —कभी रचनात्मक, कभी नकारात्मक—वे दे रहे हैं, हम उनके आभारी हैं।

श्री जुल्फिकार अली खां (रामपुर) : फिर वही बात परोक्ष रूप से कह रहे हैं।

श्री पी० उपेन्द्र : यह सच्चाई है। महोदय, हमने गत सप्ताह सभी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक की थी। उस बैठक में हमने इस सप्ताह लिए जाने वाले कार्य के बारे में निर्णय लिया। इस बैठक में कांग्रेस (आई) के नेताओं ने कुछ दस्तावेजों को सभा-पटल पर रखने की अपनी पिछली मांग दोहराई। तब हमने वादा किया कि जो भी पत्र रखे जाने हैं अथवा जिन्हें हम रख सकते हैं, सरकार इस सत्र के अन्त तक, यानि इस सप्ताह के अन्त होने से पहले ही रख देगी। खासकर उन्होंने बोफोर्स सौदे, एयरबस सौदे और मेहम काण्ड की जांच के विचारार्थ विषयों से संबंधित दस्तावेजों का उल्लेख किया। इन तीनों की ओर सरकार का निरन्तर ध्यान है। आजकल में ही मन्त्रिमंडल सरकार के वादे के मुताबिक इस पर निर्णय लेने वाला है और हम इस सत्रान्त से पूर्व जो भी दस्तावेज रखे जा सकते हैं, उन्हें रखने का प्रयास करेंगे।

श्री दिनेश सिंह : महोदय, इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिया गया अस्पष्ट वक्तव्य ही चिंताजनक है। वह कहते हैं "जो भी पत्र रखे जाने हैं और जो भी रखे जा सकते हैं।" इसका यह अर्थ हुआ कि "वह रखे जाने योग्य पत्रों को ही छांटेंगे।" हमें इसी बात पर आपत्ति है। हम चाहते हैं कि सभी पत्र रखे जायें ताकि वे हमें बहका न सकें। (व्यवधान) कुछ पत्रों को इस प्रकार छिपाने से सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती है। (व्यवधान)

तत्पश्चात् मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को यह सुझाव देता हूं कि यदि वह हमारा सहयोग चाहते हैं, तो वह स्वयं निर्णय लेने तक इन विधेयकों पर मतदान स्थगित कर दें। यदि वह हमारा सहयोग न चाहें, तो और बात है। किन्तु तब विधेयकों को पारित करने न करने की जिम्मेदारी उनकी होगी न कि हमारी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, जहां तक आज की कार्यसूची में मद संख्या 16 और 17 का संबंध है, एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को सांविधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन करने के संबंध में है और दूसरा भूमि सुधारों के बारे में।

मैं श्री दिनेश सिंह से यह जानना चाहूंगा कि क्या उनका दल पत्रों को रखे अथवा न रखे जाने पर इन विधेयकों का समर्थन करेगा अथवा विरोध। चलो हम उन्हें यह तय कर लेने दें कि क्या वह इन विधेयकों का विरोध करेंगे। हमारा आग्रह है कि इन विधेयकों पर सभा विचार करे। ये दो महत्वपूर्ण विधेयक हैं। ये तो निर्विवाद विधेयक हैं। ये जैसा को तैसा किस्म के मामले नहीं हैं। इन विधेयकों का सौदा नहीं किया जा सकता। तथाकथित रचनात्मक विपक्ष के नाम से वे देश को बन्धक बना कर नहीं रख सकते। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : सभा पटल पर बोफोर्स संबंधी पत्रों को रखने की मांग की सराहना करने के साथ ही मेरी कांग्रेस दल से अपील है कि वह इन विधेयकों को पारित करने के लिए कोई शर्त न रखें। (व्यवधान) ये ऐसे संविधान (संशोधन) विधेयक हैं जिनके प्रति वे भी वचनबद्ध हैं। मैं अपील करता हूं कि इन दोनों विधेयकों को आवश्यक बहुमत से पारित कर दिया जाये। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इससे कांग्रेस (आई) दल की मंशा और इरादे का पता चलता है (व्यवधान) वे दो महत्वपूर्ण संविधान (संशोधन) विधेयकों को पारित करने के लिए पूर्व शर्तें रख रहे हैं। भूमि सुधारों को नौवीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी विधेयक भी महत्वपूर्ण है। यह विधेयक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को सांविधिक शक्तियां भी प्रदान करता है। जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री ने बताया है सरकार सभी पत्रों को रखेगी···(व्यवधान)···हम जानते हैं कि वह सभी संगत पत्रों को सभा पटल पर रखेगी···(व्यवधान)···किन्तु आपको इस मुद्दे को इन दो विधेयकों को, जिनमें से एक भूमि सुधारों से संबंधित है, पारित करने के बीच में नहीं लाना चाहिए। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप भूमि सुधारों संबंधी विधेयक को पारित नहीं होने देना चाहते या आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को सांविधिक शक्तियां नहीं देना चाहते? कृपया इस बारे में सभा को बतायें।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह तो वही बात हुई कि किसी के गले पर तलवार रखकर उससे पूछा जाए कि उसका जवाब क्या है। ये वही विधेयक है जिन्हें हम स्वयं पारित करने को उत्सुक थे, किन्तु वे आ अब रहे हैं। क्या वे हमें बंधक बनाना चाहते हैं? ये वे पत्र हैं जिनके बारे में हम तीन वर्षों से चिंतित हैं, परेशान हैं और दुखी हैं। मैं केवल अपनी बात नहीं कह रहा हूं। मैं भी औरों से अधिक समूचे सत्य को जानने को उत्सुक था···(व्यवधान)···अध्यक्ष महोदय, मैं विषय से हट गया — मुझे सभा को विश्वास में लेने दीजिये—हमारे दल, हमारी सरकार के सर्वोच्च व्यक्ति से बताने के लिए कि वह मुझे इस बात से आश्वस्त करेंगे कि हमारी ओर से कोई गलती नहीं हुई है और मुझे यही आश्वासन दिया गया था जिसे मैंने स्वीकार किया था। किन्तु वे हर बार यही कह रहे हैं कि 'कुछ गड़बड़ तो है' और मेरी आत्मा को बहुत पीड़ा हुई है। अब हम चाहते हैं कि सभी पत्र सभा पटल पर रखे जायें। वे इन्हें क्यों रखना चाहते हैं? अभी भी देश की जनता को यह हैरानी हो रही है कि क्या कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमारी समर्थक जनता को यह लग रहा है कि हमने कोई भयंकर गलती कर दी है। क्या अभी सत्य, समूचे सत्य, केवल सत्य का सामना करने का समय नहीं आया है? क्या हमारा ऐसा कहना गलत है? और हम पूरा सहयोग दे रहे हैं। उन्हें लोकतंत्र के अधिकार और उसके प्रति

हमारी प्रतिबद्धता के अलावा कोई और अधिकार नहीं है। अन्यथा क्या अल्पमत की यह सरकार बन सकती थी? हम लोकतन्त्र को समर्पित हैं, इसीलिए उनका समर्थन भी कर रहे हैं। और वे उसे इस तरह से, हमें बंधक बनाकर, करना चाहते हैं? लोकतंत्र के लिए इस नये जोश में मेरे मित्रों को ऐसा नहीं कहना चाहिए था।...(व्यवधान)...यहां मेरे एक मित्र का पुत्र है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पुरानी यादें अच्छी हैं मगर आज के किसी काम की नहीं। (व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं सच्चाई, पूरी सच्चाई जानना चाहता हूं। कागजात सभा पटल पर रखे जाने चाहिए। क्या उस बारे में कहना हमारी गलती है? क्या उन्हें, इस सभा के वयोवृद्ध लोकतंत्रवादी के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए? हम सभी कागजातों की मांग कर रहे हैं। आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं...(व्यवधान)। हमारी मांगें पूरी करना उनका प्रारम्भिक कर्त्तव्य है। हम कई वर्षों से प्रतीक्षा करते आ रहे हैं और हम उनके साथ सहयोग करते आ रहे हैं। संसद का सत्र समाप्त होने जा रहा है और हम उस तारीख को भी पार करने जा रहे हैं जो उन्होंने इस सत्र के लिए खुद निश्चित की है। हम उनसे कागजातों की मांग कर रहे हैं। कृपया भगवान के लिए, हमें लोगों को यह स्पष्ट कर देना चाहिए और कागजातों को सभा पटल पर रख देना चाहिए। क्या उन्हें हमारे साथ सहयोग नहीं करना चाहिए? क्या हम उनके सहयोगियों, उनके सम्बद्ध दलों तथा उनसे इस न्यूनतम से न्यूनतम सहयोग की भी आशा नहीं कर सकते हैं? मुझे केवल इतना ही कहना है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं श्री दिनेश सिंह और हमारे महान नेता प्रो० रंगा द्वारा सच्चाई, पूरी सच्चाई जानने के लिए व्यक्त की गई चिन्ता की काफी सराहना करता हूं। जी, हां, पूर्व के वर्षों में हम सच्चाई जानने की मांग किया करते थे।

हमने इस बारे में सरकार की स्थिति पर ध्यान दिया है। सरकार सभा के समक्ष संगत प्रलेख रखना चाहती है...(व्यवधान)। परन्तु, महोदय, मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि अब कांग्रेस नेताओं ने इन दो विधेयकों को पारित करने के लिए सरकार के साथ सहयोग करने के लिए सहमत न होकर देश के समस्त कृषि मजदूरों तथा छोटे किसानों के हितों को दांव पर लगा दिया है। हमारे देश में कृषि कामगारों की संख्या लगभग दस करोड़ है। वे यह आशा करते हैं कि भूमि सुधारों को लागू किया जाना चाहिए तथा यथासम्भव तेजी से लागू किया जाना चाहिए। मेरे लिए यह उचित समय नहीं है कि भूमि सुधारों के महत्व पर बल दूं। वे इस संबंध में पिछले चार दशकों से बुरी तरह असफल रहे हैं और अब जब हमारे देश की जनता, विशेष रूप से छोटे किसान और कृषि कामगार यह चाहते हैं कि भूमि सुधारों को तेजी से लागू किया जाना चाहिए, वे समस्त कृषि कामगारों तथा छोटे किसानों के साथ विश्वासघात करना चाहते हैं। देश यह जानना चाहेगा कि इस बारे में उनकी क्या स्थिति है।

जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, उन्हें अपनी शिकायतें दूर कराने का कानूनी अधिकार प्राप्त है और सरकार इन दो महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करना चाहती है जो उन्होंने इस सभा के समक्ष रखे हैं। मैं इस देश की जनता के नाम पर, लाखों कृषि कामगारों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के नाम पर उनसे यह अपील करूंगा कि उन्हें कम से कम इन दो संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों को पारित करने के लिए सहमत हो जाना चाहिए। साथ ही, उन्हें सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए और सच्चाई का पता लगाने के मामले में हम भी उनका साथ देंगे। हम भी यह चाहते हैं कि ऊंचे

पदों पर भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और इसे बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए और इसे प्रकाश में लाया जाना चाहिए।

अतएव, मेरा अपने मित्रों से अनुरोध है कि वे सहयोग करें ताकि ये दो विधेयक पारित हो सकें···(व्यवधान)

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : सभी दलों के नेताओं की बैठक में—मुझे भी उस बैठक में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था – सर्वश्री सिंह, साठे और कुमारमंगलम भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के नेता भी वहां मौजूद थे और उसमें एक बात पर सहमति हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि कागजात सभा पटल पर रख दिए जायेंगे। यह व्यावहारिक ज्ञान की बात है कि सभी कागजात नहीं रखे जायेंगे—वे कागजात जिनसे रक्षा संबंधी प्रश्नों, देश की सुरक्षा का उल्लंघन होने की सम्भावना है, उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। वे कागजात रखा जाना पर्याप्त होगा जिनसे भ्रष्टाचार तथा भ्रष्ट कार्यों के बारे में सच्चाई का पता चलता हो—वही कागजात संगत हैं उन्हें सभा पटल पर रखा जा सकता है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : संगत क्या है? आप कृपया संगतता की परिभाषा बताइए क्योंकि पिछली बार उन्होंने यह कहा था कि संगतता की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

श्री नानी भट्टाचार्य : इसलिए यह सहमति हुई थी कि सभी संगत कागजात सभा पटल पर रख दिए जायेंगे चाहे वे सत्र के प्रथम दिन या अन्तिम दिन रखे जायें। अब, यह आश्चर्य की बात है कि ये भद्रपुरुष अपनी सहमति और अपने आश्वासन के खिलाफ जा रहे हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : हम किसी आश्वासन के खिलाफ नहीं जा रहे हैं।

श्री नानी भट्टाचार्य : महोदय, यह आश्चर्य की बात है कि उन्होंने संविधान (संशोधन) विधेयकों को अपना समर्थन देने के लिए पूर्व-शर्त रखी है। हम भद्रपुरुषों को इस देश की जनता को यह बताने दीजिए कि वे उस संविधान संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा करने के लिए है। इसी प्रकार उन्हें जनता को यह भी बताने दीजिए कि वे भूमि संबंधी कानूनों को संवैधानिक प्राधिकार देकर गरीब छोटे किसानों के हितों की सुरक्षा नहीं चाहते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं एक समझौता फार्मूला सुझा सकता हूं।

श्री नानी भट्टाचार्य : संविधान (संशोधन) विधेयक के द्वारा राज्य सरकारों के लिए संगत खण्डों के उपबन्धों को लागू करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए श्री साठे, श्री सिंह तथा अन्यों से मेरा अनुरोध है कि वे इन बातों का अवलोकन करें और इन मामलों की गहराई में जायें।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : जी, हां, हम मामलों की गहराई में जाना चाहते हैं।

श्री नानी भट्टाचार्य : ऐसे कागजात मौजूद हैं जिनसे ऊंचे पदों पर भ्रष्ट प्रथाओं का पता चलता है। सहमति इस बात पर हुई थी कि उन्हें सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, माननीय श्री विनेश सिंह ने, जिनका मैं काफी सम्मान करता हूं, किसी प्रकार का व्यंग्य करने की गुंजाइश को समाप्त कर दिया। उन्होंने इसे इतना स्पष्ट ढंग से बात कही है, परन्तु···

श्री सोमनाथ चटर्जी : परन्तु गम्भीरता से। यह उनकी योग्यता है।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, यदि कागजात विधेयकों से संबंधित हैं तो मैं विपक्ष की विधेयकों को पारित करने पर आपत्ति करने की बात को समझ सकता हूं। उन्हें विचाराधीन विधेयकों से कोई लेना-देना नहीं है। वे कागजात विधेयकों से संबंधित न होकर एकदम भिन्न हैं मैं नहीं जानता कि वे कागजातों को सभा पटल पर रखने को इन विधेयकों के साथ क्यों जोड़ रहे हैं जो काफी महत्वपूर्ण विधेयक हैं और जिनका हम काफी लम्बे समय से इन्तजार करते आ रहे हैं। इस देश की जनता, विशेष रूप से अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां और भूमिहीन कामगार इन विधेयकों का इन्तजार कर रहे हैं। उन्होंने मेरी कार्यविधि पर आपत्ति की है। महोदय वे दशाब्दियों से सरकार में रहते आ रहे हैं और उन्होंने राष्ट्र की बहुमूल्य सेवा की है। उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि कौन-से कागजात सभा पटल पर रखे जाने हैं; किस बात को प्रकट किया जा सकता है और किस बात को प्रकट नहीं किया जा सकता है तथा व्यावहारिक कठिनाइयों को भी समझना चाहिए। मैं दो उदाहरण दे सकता हूं। उदाहरणार्थ, उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के विचारार्थ विषय। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी न्यायाधीश को नामित करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति लेनी जरूरी होती है। उनकी स्वीकृति के लिए मामला पेश किया जा चुका है। हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही हमें यह प्राप्त हो जाएगा इसको सभा पटल पर रखा जाएगा तथा विचारार्थ विषय की भी साथ-साथ घोषणा कर दी जायेगी।

जहां तक बोफोर्स के दस्तावेजों का सवाल है, हमें बिना छपी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसको सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने से पहले हमें स्वीडन सरकार से स्वीकृति लेना आवश्यक है। स्वीडन सरकार से भी इसको सार्वजनिक करने के लिए अनुमति मांगी गई है। मैंने इसको सभा पटल पर रखने में हो रही कठिनाइयों के बारे में दो उदाहरण दिए हैं। हम इसे तेज कर रहे हैं। हम अपने वायदे पर अडिग हैं। हमने उन्हें बता दिया है कि यह सत्र समाप्त होने से पहले जो भी दस्तावेज रखे जा सकते हैं हम उन्हें रखेंगे। यह मैंने कहा है और मैं इस पर वचनबद्ध हूं। (व्यवधान)

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा (पाटण) : अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे कुछ कहने की अनुमति दीजिए। हमारी चिन्ता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में है। मद संख्या 15, 16 और 17 ये तीनों मदें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं। कृपया मुझे कुछ कहने की अनुमति दीजिये। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : चावड़ा साहब, बैठिये।

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने मुझसे एक बात पूछी थी। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी का अत्यधिक सम्मान करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं।

श्री दिनेश सिंह : दोनों मिलाकर है, सब मिला दिया।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं कहता हूं कि यह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वह वहां पर ठीक नहीं हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने उनका कार्य तब देखा था जब वे इस पक्ष में बैठते थे। परन्तु जब यह परिवर्तन हुआ तो उनमें काफी बदलाव आ गया है। मुझे खेद है कि दस्तावेज पटल पर रखने की हमारी मांग को वह किन्हीं विशेष कारणों से अन्य विषयों से गडमड्ड कर रहे हैं ताकि यह धारणा बने कि हम लोग इन मामलों में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। मुझे खेद है कि सोमनाथ जी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का मामला उठाया है। वह अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी पार्टी के अस्तित्व में आने से काफी पहले कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के लिए लड़ती आई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

[हिन्दी]

बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : अब, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बहुत से तथाकथित समर्थक हैं। परन्तु मुझे वह दिन भी याद है कि जब आप अनुसूचित जातियों के साथ बैठकर खाते थे तो आपको आपके समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाता था। कांग्रेस तब से संघर्ष कर रही है। आजकल यह बहुत आसान हो गया है कि आप अनुसूचित जातियों के साथ किसी भी रेस्तरां में जा सकते हैं। (व्यवधान) मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारा इरादा यह नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : वह कांग्रेस मर गई। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह यह है कि हम भी यह देखना चाहते हैं कि यह विधेयक पारित हो। इसीलिए हम संसदीय कार्य मंत्री को यह सलाह देते हैं कि वह इन विधेयकों को पारित कराना सुनिश्चित करें। यह बात नहीं है कि हम इन दस्तावेजों की मांग आज या कल से कर रहे हों बल्कि इन दस्तावेजों की मांग तो हम पिछले तीन महीने से कर रहे हैं। क्या सरकार को इन दस्तावेजों को जुटाने में तीन महीने लगते हैं? वे इन दस्तावेजों से अलग नहीं होना चाहते हैं या उसे सभा पटल पर नहीं रखना चाहते हैं। यह हमारे दिमाग में चिंता पैदा कर रहा है। वह जानबूझ कर देश में ऐसा गलत माहौल पैदा कर रहे हैं कि उनके पास कुछ दस्तावेज हैं, और वह इनको सभा को नहीं दिखाना चाहते हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि उनके पास कुछ नहीं है तथा वह इस आरोप को जारी रखना चाहते हैं ताकि उन्हें राजनीतिक लाभ मिल सके और हमारा इरादा यह है कि उनको राजनीतिक लाभ न उठाने दिया जाए। मैं श्री उपेन्द्र का बहुत अधिक सम्मान करता हूं परन्तु मैं यह देख रहा हूं कि वे अपने नेता की भांति कार्य करने लगे हैं जो एक ही फिल्म में अनेक भूमिकायें अदा करते हैं। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : कृष्ण, दुर्योधन और कर्ण सब एक में ही। (व्यवधान)

श्री विनेश सिंह : महोदय, सभा में भी वह यही कर रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह श्री उपेन्द्र ही बने रहें तथा अनेक भूमिकायें अदा न करें, जोकि दुर्भाग्यवश उनसे करने को कही गई है। मैं केवल यह आश्वासन ही दे सकता हूं कि हमारा इरादा इस सभा को यह विधेयक पारित करने में सहायता देना है। परन्तु इसमें हमारी भी सीमायें तथा मुश्किलें हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको कहा है कि आप बैठ जायें। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राईब्स के बारे में सबकी राय एक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चावड़ा जी आप बैठ जायें आप जिसके बारे में कह रहे हैं उसके बारे में ही काम हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : माननीय मंत्री श्री उपेन्द्र ने जो कहा है उसमें मुझे एक सुझाव देना है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने स्वीडन की सरकार को कही है कि वह आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट जो कि छपी नहीं है कि विषय-वस्तु को बतायें। मैं स्वीडन की सरकार से उनके अनुरोध पर उनको सफलता की कामना करता हूं यदि वे असफल होते हैं तो बिना इस बात की परवाह किये कि स्वीडन की सरकार क्या कह रही है वह खुलकर तथ्यों को सामने लायें।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्वाइंट आफ आर्डर है सोज साहब आप बैठ जायें। इन्होंने व्यवस्था का सवाल उठाया है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि अभी माननीय विद्वान सदस्य श्री विनेश सिंह जी ने कहा है कि हमारी पार्टी शुरू से ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए लड़ रही है। उनका कहना यह है कि उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म ही नहीं हुआ था। माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू की लिखी पुस्तक "विश्व इतिहास की झलक" में लिखा है कि 1917 की क्रांति जो लेनिन के नेतृत्व में हुई है वह दुनिया के गरीबों और दलितों को एक रास्ता दिखाती है और भारत में चल रही स्वतंत्रता की लड़ाई में एक बहुत मदद सिद्ध हो रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, गृह मंत्री यहां नहीं हैं और मेरे विशेषाधिकार का प्रश्न है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रिवलेज का सवाल नहीं है आपने कुछ कहना है कहें।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने कह दिया है और यह रिकार्ड कर लिया गया है कि कश्मीर के संबंध में प्रधानमंत्री की भावनायें बहुत ही सच्ची हैं क्योंकि मुझे उनसे कई बार बात करने का मौका मिला है। परन्तु गृह मंत्री के 22 तारीख को सभा में दिए गए वक्तव्य ने सभा को गुमराह किया है तथा प्रधानमंत्री को भी गुमराह किया है, उन्होंने न केवल मृत लोगों की गलत गिनती दी है जो कि अर्द्धसैनिक बलों की गोली से मारे गये हैं जोकि अर्द्धसैनिक बलों ने शोकाकुल लोगों पर 21 तारीख को चलाई थी। और जब मैंने सही गिनती बताई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं गलत हूं और उन्होंने मेरी बताई हुई गिनती का खण्डन किया है। तथा कहा कि यह तनगढ़न्त है, गलत है तथा सही नहीं है और उन्होंने कहा है कि यह आंकड़े मुझे उग्रवादियों से मिले हैं।

अब मेरी सूची पूरी है। मैंने सभा के समक्ष यह सवाल उठाया है और क्या आप यह जानना नहीं चाहेंगे कि क्या हुआ? मैं गृह मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि वह सभा को सूचित करें कि कितने लोग मौके पर मारे गये थे, तथा कितने लोग उस दिन शाम तक अस्पताल में मारे गये थे। उस दिन 50 से कम नहीं हो सकते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कितने अधिकारी थे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। खड़े होने की क्या जरूरत है?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कश्मीर में यहां दिए गए गृह मंत्री के वक्तव्य पर लोगों में असन्तोष पैदा हो रहा है। उन्होंने मेरा विरोध किया है। अब 137 अधिकारियों ने विश्व के नागरिकों से अपील की है। यह बात 'इण्डियन एक्सप्रेस' तथा अन्य समाचार पत्रों में छपी है। (व्यवधान) मैंने इसे पूरा नहीं किया है। उन्हें मुझसे माफी मांगने की बजाय स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपको मेरी बात सुननी चाहिए क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण बात है। (व्यवधान)

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : इस पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा होनी है। मैं नहीं जानता कि आपने उन्हें यह मुद्दा उठाने की इजाजत कैसे दे दी। (व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : इस मुद्दे पर चर्चा नियम 193 के अन्तर्गत चर्चाओं की आज की सूची में शामिल है।

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : डिस्कशन को गोली मारो।

[अनुवाद]

उन्हें यह शब्द वापस लेने चाहिए कि मेरी जानकारी उग्रवादियों से प्राप्त जानकारी पर

आधारित है। यदि वे ये शब्द कि मेरी जानकारी उग्रवादियों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है वापस ले लेते हैं तो मैं अपने विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए दबाव नहीं डालूंगा। उन्हें ये शब्द वापस लेने चाहिए। (व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : आप इसे अब क्यों उठा रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना। (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : प्रधानमंत्री को कश्मीर मामलों संबंधी मंत्रालय को समाप्त नहीं करना चाहिए। (व्यवधान) कश्मीर के मामलों संबंधी मंत्रालय को समाप्त नहीं किया जा सकता है। उन्हें राजनैतिक दलों के नेताओं से परामर्श करना चाहिए। (व्यवधान) गृह मंत्री को ये शब्द वापस लेने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रिवलेज को मैंने नहीं माना है।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है, साहब।

अध्यक्ष महोदय : सोज साहब, आप बैठ जायें।

श्री मदन लाल खुराना : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है, आपने कहा कि प्रिवलेज मोशन मैंने नहीं माना और हमारे होम मिनिस्टर साहब का यह कहना है और लिस्ट में भी है कि 193 में आलरेडी जम्मू कश्मीर का मामला लगा हुआ है। मेरा निवेदन यह है कि अगर जम्मू कश्मीर पर बहस जारी है तो हम भी कुछ कहना चाहते हैं। हम सारे कागजात लाये हैं, जिस तरह से इनका नाम आतंकवादियों में है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है, आप बैठ जायें, मैंने पाइण्ट आफ आर्डर सुन लिया।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : मेरा निवेदन यह है कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं कि क्या बहस में केवल एक इश्यू को लेकर ही यह ऐसा करते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कोई पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है, आप बैठ जायें। आपका पाइण्ट आफ आर्डर हो गया न, आप बैठ जायें।

मि० राम नाईक, आप हड़ताल के बारे में उठाइये।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उन्हें ये शब्द कि मेरी जानकारी उग्रवादियों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है वापस लेने चाहिए। (व्यवधान) मेरी जानकारी उग्रवादियों से प्राप्त जानकारी पर आधारित नहीं थी। मेरा उनसे कोई लेन-देन नहीं है। उनका उनसे कोई लेन-देन हो सकता है। (व्यवधान) बेहतर यही होगा कि मैं सभा से बाहर चला जाऊं। (व्यवधान) उन्हें ये शब्द वापस लेने चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अब तक यह विदड्रा नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : उन्हें ये शब्द कि मेरी जानकारी उग्रवादियों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है वापस लेने चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : माननीय अध्यक्ष जी, देश-भर में जो टेली कम्युनिकेशन की व्यवस्था है, वह सारे देश में व्यवस्था गए 4 दिन से अस्त-व्यस्त हो गई है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कहां खड़े हैं, मैं सबको बुलाऊंगा।

श्री राम नाईक : टेली कम्युनिकेशन के जो आफिसर हैं, वह देश के अन्दर आंदोलन पर हैं और···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा (पाटण) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जी बोलिए।

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री राम नाईक बोल रहे हैं। फिर प्रो॰ सोज भी बोल रहे हैं (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या रूल वायलेट हुआ है। चावड़ा साहब, आप बैठिए। कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का क्या सवाल है ? किस नियम के तहत है ?

श्री राम लाल राही : मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात सुन लें। अध्यक्ष महोदय, अभी इस सदन में आपके सामने बीजेपी के एक माननीय सदस्य ने प्रो॰ सोज पर यह आरोप लगाया··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है। आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : उन्हें अपने शब्द वापस लेने होंगे। उन्होंने सभा को गुमराह किया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री राम लाल राही : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप सम्मानीय सदस्यों के स्वाभिमान की रक्षा करें।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। आप आर्डर के खिलाफ बोल रहे हैं।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, देश भर में काम्यूनिकेशन की सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है और परिणामतः काम्यूनिकेशन सिस्टम में टोटल-क्योस और कार्लेप्स है। न देश में एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं और न विदेशों के साथ कोई संचार व्यवस्था हो रही है। इसका दूसरा परिणाम यह हुआ है कि जहां कम्पयूटर काम करते हैं, चाहे इंडियन एयरलाइन्स रिजर्वेशन की व्यवस्था हो, रेलवे रिजर्वेशन की व्यवस्था हो, फैक्स की व्यवस्था हो या आयल कम्पनीज की टैलेक्स की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थायें टूट रही हैं। टेलीप्रिन्टर्स के जरिए जो बातें अखबारों के जरिए आनी चाहिए, वे नहीं आ रही हैं, जिसके कारण सारे देश को जानकारी नहीं मिल रही है। ऐसी गम्भीर परिस्थिति का निर्माण हुआ है। यह बताया जा रहा है कि वहां के जो कर्मचारी है—टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर सर्विस एसोसिएशन और जूनियर टेलीकम्यूनिकेशन आफिसर्स एसोसिएशन—वे वर्क-टू-रूल के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। गए नवम्बर, 1989 में सरकार ने टेलीकाम्यूनिकेशन कमिशनर की बातें मान ली थीं, लेकिन अभी की सरकार उन बातों से बाजू में जा रही है, इस कारण यह आंदोलन शुरू हुआ है। यह बताया जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसमें कुछ अड़ंगा ला रही है। केवल अकेले मुम्बई शहर में महानगर टेलीफोन निगम में प्रतिदिन एक करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर और टेलीकम्यूनिकेशन मिनिस्टर को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में सभागृह को विश्वास में लेना चाहिए और उन्हें आज ही बयान देना चाहिए। ऐसी मेरी मांग है।...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, सत्र को विशेष रूप से लम्बित पड़े अविलम्बनीय सरकारी कार्य को निपटाने के लिए बढ़ाया गया है और कार्य मंत्रणा समिति तथा नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया था कि जब तक ये विधेयक पारित नहीं हो जाते हैं तब तक अन्य मामले नहीं उठाए जायेंगे। पुनः, हम इन मामलों पर काफी समय खर्च कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सभा के विधायी कार्य को शुरू करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, संचार मंत्रालय में ऐसी दुर्व्यवस्था आज तक देखने को नहीं आई है। मैं नागपुर से आया हूं, वैसे तो अव्यवस्था पूरे देश में है, लेकिन नागपुर के विदर्भ के नौ जिलों में संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप्प हो गई है। वहां के अखबारों को टेलीप्रिंटर्स, यू० टी० आई०, पी० टी० आई० और फैक्स की सर्विसेज पूरी बन्द हो गई है। इण्डस्ट्रीज

और व्यापार पूरी तरह से ठप्प हो गया है, क्योंकि वहां से देश के दूसरी जगहों पर टेलीफोन से बात नहीं हो सकती है। यहां तक कि लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए दिल्ली और बम्बई मैसेज पहुंचाने का भी कोई साधन नहीं है। फेक्स सर्टिसिज भी खराब हो गई है। अध्यक्ष जी, इस सरकार के जमाने में इतनी बुरी व्यवस्था हो गई है कि उसको ठीक करने का कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है। कर्मचारियों की जो मांगें हैं उन पर कोई बात नहीं हो रही है। उनसे बात कर इस व्यवस्था को सुधारा जाए। आज यह स्थिति नागपुर शहर में है। (व्यवधान)

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि टेलीफोन की हालत बहुत खराब है और दूरसंचार प्रणाली तो छिन्न-भिन्न हो गई है। कल रात हम स्थानीय कालें भी नहीं कर पाए···(व्यवधान)

महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बोलने के लिए मेरा नाम पुकारे जाने पर, मैं देख रहा हूं कि मंत्री महोदय बोलने के लिए उठ रहे हैं और वे अपनी मर्जी से वक्तव्य देने का प्रयास कर रहे हैं। इसका भी एक निश्चित तरीका है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : अध्यक्ष जी, यह जो कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। मैंने कुमारमंगलम को बुलाया है।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, यह मामला पहले भी उठा है। इस मामले को जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन, टेलीकम आफिसर्ज एसोसिएशन के साथ बातचीत करके बहुत सोहार्दपूर्ण ढंग से हल किया गया था। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है। संचार व्यवस्था ठप्प होती जा रही है। कल हम स्थानीय कालें भी नहीं कर सके और इसका कारण यह है कि सरकार इस मामले को गम्भीरता से नहीं ले रही है। यदि वह एसोसिएशन को बुलाकर उससे बातचीत करती तो वह इस मामले को मिनटों में हल कर सकती थी। दुर्भाग्य से यह सरकार किसी भी मामले को गम्भीरता से नहीं ले रही लगती है और समस्त दूरसंचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे कुछेक मामलों पर एसोसिएशन के साथ तत्काल बातचीत करें। निश्चित रूप से यह बहुत कठिन काम नहीं है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, देश में समस्त दूरसंचार प्रणाली अस्त-व्यस्त हो गई है।···(व्यवधान) सरकार को आज यह वक्तव्य देना चाहिए कि सरकार का इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु।

श्री चित्त बसु (बारसात) : महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने देश में दूरसंचार प्रणाली के पूरी तरह छिन्न-भिन्न होने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है; माननीय मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम भी इसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : जूनियर टेलीकम्यूनिकेशन सिस्टम आफिसर्ज और एसिसटेंट इंजीनियर्स इस मामले पर काफी लम्बे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं। उन्होंने गत अक्तूबर में समयबद्ध पदोन्नति संबंधी एक मांग भेजी थी। उनकी यह मांग थी कि बारह वर्ष की सतत सेवा के बाद कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति होनी चाहिए और सहायक अभियंताओं के मामले में, उन्हें दस साल के बाद पदोन्नति का अवसर मिलना चाहिए। हमारे दूरसंचार अधिकारियों के एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग की यह काफी लम्बे समय से चली आ रही मांग है। इस मामले पर कुछ बातचीत हुई है। मुझे आशा है कि बातचीत के वांछित परिणाम होंगे। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय खुद बातचीत शुरू करें और इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकालें ताकि लोगों को दूरसंचार व्यवस्था संबंधी इस समस्या से छुटकारा मिल सके।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : टेलीकम्यूनिकेशन के बारे में मेरा निवेदन यह है कि उनको स्टेटमेंट देने के लिए कहिए क्योंकि टेलीफोन की व्यवस्था वहां अस्त-व्यस्त हो गई है। चार दिन से मेरा टेलीफोन खराब है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सम्पूर्ण सभा की ओर से आप मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिए कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं वक्तव्य देने में बाधा नहीं बन रहा। मंत्री महोदय यहां हैं और वक्तव्य दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : हाऊस के वातावरण को देखकर आप आदेश दीजिए। आप उनसे कहिये कि इस बारे में अपना स्टेटमेंट दें। (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह (दौसा) : मेरा निवेदन है कि केवल इन्जीनियर्स की हड़ताल से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसकी पूरी व्यवस्था के ऊपर सरकार वक्तव्य दे। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : मैं सदन की भावनायें सम्बन्धित मन्त्री महोदय के पास पहुंचा दूंगा और उनसे कहूंगा कि इस पर वह अपना बयान दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत से लोगों ने सवाल उठाने के लिए अपने नाम दिये हैं। इसलिए मैं आप लोगों से पहले यह कहना चाहता हूं कि जिस बिल के लिये यह हाऊस बढ़ाया गया है उस बिल को पहले लिया जाये।

———

12.05 म० प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री बबनराव ढाकणे (बीड) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

12.09 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री बाल गोपाल मिश्र (बोलंगीर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है शून्य काल सदस्यों के लिए विशेषाधिकार रहा है जिसमें सदस्य देश के बारे में विभिन्न मामलों को उठा सकते ... (व्यवधान)

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस सत्र में एक यह नियम बनाया गया है कि शून्य काल में कोई प्रश्न उठाने के लिये 10 से 10.30 पूर्वाह्न तक अध्यक्ष के कार्यालय को एक लिखित सूचना देनी होगी। मैंने वैसा ही किया है और आज ठीक 10 बजे राष्ट्रीय टी० वी० नेटवर्क के दुरुपयोग और न० ता० रामाराव की 'दानवीर सूर कर्ण' फिल्म को गैर कानूनी प्रसारण के बारे में सूचना दी थी। इस फिल्म को न तो कोई राष्ट्रीय, नहीं कोई अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और न ही इसे किसी फिल्मोत्सव के लिए चुना गया था। कोई भी फिल्म जो इन शर्तों को पूरा नहीं करती, राष्ट्रीय नेटवर्क अथवा रविवार को नहीं दिखाई जा सकती। दूसरे हालांकि इसको दिखाने का नियत समय था 11.30 पूर्वाह्न किन्तु 10.30 पूर्वाह्न पर ही इसका प्रसारण शुरू कर दिया गया और यह ऐसी फिल्मों के लिए निर्धारित समय से अधिक चली जिसका नतीजा यह हुआ कि उस समय के लिए पहले से तय अन्य फिल्में अन्तत: एकतरफा तौर पर रद्द कर दी गई जिससे सामान्य जन, याने सम्बन्धित निर्माताओं को हानि हुई। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। दिसम्बर, 1989 में और जनवरी, 1990 में भी सरकार ने ऐसे ही कदाचार किए थे। अत: दूरदर्शन तो सूचना मन्त्री श्री पी० उपेन्द्र नामक एक मन्दबुद्धि शिशु के हाथ का खिलौना बन गया है। मैं मांग करता हूं कि मन्त्री को इस बारे अवश्य ही एक वक्तव्य देना चाहिए और गैर-कानूनन प्रदर्शित इस फिल्म के लिए न०ता० रामाराव अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति को व्यावसायिक प्रभार और शुल्क नहीं दिये जाने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (मन्जेरी) : मैं यह कहने को बाध्य हूं कि श्री सोज द्वारा उठाया गया मामला 193 के अन्तर्गत चर्चा की विषय वस्तु से पूर्णत: भिन्न है। गृह मन्त्री ने सभा को गुमराह

किया है। मीर वाहज की मृत्यु पर मातम मनाने आए लोगों पर हुई गोलीबाजी से मरे लोगों की गलत संख्या बताई है और उन्हें अपनी गलती को ठीक करना ही होगा। मन्त्री को सही आंकड़े देने चाहिए। उन्होंने सभा को गुमराह किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि सोज साहब को आतंकवादियों से सूचना मिली है। ये बेहद संगीन बात है। यह नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा से भिन्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर सुलेमान सेट, अपनी बात कह चुके, अब बैठ जाइये।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने सभा से बहिर्गमन का निश्चय कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोज ने जो भी कहा है, उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाये।

(व्यवधान)*

[इस समय श्री सैफुद्दीन सोज और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए]

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : महोदय, कश्मीर के मामलों के मंत्री से एक समाचार-पत्र की एक खबर के मुताबिक कश्मीर का कार्यभार छीन लिया गया है। मंत्रालय को विघटित कर दिया गया है। प्रधानमन्त्री ने सभा में एक अत्यन्त भ्रमक अस्पष्ट उत्तर दिया है और सभा को मंत्रालय के दर्जे के बारे में नहीं बताया। मेरे विचार से हमें यह जानने का हक है कि मन्त्रालय है भी या नहीं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, बाछावत वेज बोर्ड के बारे में मैंने एक नोटिस लिखकर दिया था और इस विषय को सदन में उठाने का मौका देने का वादा स्पीकर साहब ने दिया था। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, बाछावत वेज बोर्ड के बारे में मैं दो चीजें यहां पर कहना चाहता हूं। एक तो बाछावत वेज बोर्ड को लागू करने के गवर्नमेंट नोटीफिकेशन के बारे में है और दूसरा पत्रकारों की पेंशन के लिए एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट को लागू करने के बारे में है।

बाछावत वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के बारे में क्या सरकार ने कोई सर्वे करवाया है, कितने अखबार मालिकों ने इन सिफारिशों को लागू किया है। मेरी जानकारी के अनुसार 10 परसेंट अखबारों के मालिकों ने इसको लागू किया है और 90 परसेंट ने नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अखबार मालिकों की बातों को नहीं माना, लेकिन जो कानून हैं वे पुराने और घिसे-पिटे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार अपनी पोजीशन इस विषय में क्लीयर करे और जिन अखबार मालिकों ने अवार्ड को लागू नहीं किया है, उनसे लागू करवाए।

इसी तरह से पत्रकारों की पेंशन से सम्बन्धित एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट भी कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई है, उसको भी सरकार लागू करवाए। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में सबमिशन देने की जो प्रक्रिया है, उसका पालन माननीय सदस्यों द्वारा किया जा रहा है और बहुत इंपोर्टेंट सवाल इसके

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तहत उठाए जा रहे हैं। जैसे बाछावत वेज बोर्ड की बात कही गई, इसकी सिफारिशों को लागू न करने की बात कही गई, इन सिफारिशों को लागू करने के बारे में अखबार मालिकों द्वारा जिस तरीके से कोताही बरती जा रही है, सरकार के बार-बार आश्वासन देने के बाद भी इन पर अमल नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार कोई सख्ती उन अखबार मालिकों के खिलाफ नहीं कर रही है। कई मालिक कोर्ट में चले गये हैं। हमारे लोगों ने और मैंने भी इस सम्बन्ध में नोटिस दिया था कि एन० टी० आर० की फिल्म को जिस तरीके से सारे नार्म्स को तोड़ कर दूरदर्शन पर दिखाया गया है, उससे लगता है कि श्री उपेन्द्र के नेतृत्व में रेडियो और टेलीविजन केवल नेशनल फ्रन्ट के भिन्न लोगों का माउथपीस बनकर रह गया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ये व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब आप बहुत कुछ कह चुके हैं···

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय मैं नियम भी उद्धृत कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : रावत जी कृपया बैठ जाइये···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पुर:स्थापित किया जाये। श्री शरद यादव···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री शरद यादव की बात कार्यवाही वृत्तांत में दर्ज की जायेगी···

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : लोढा जी, यह कार्यवाही वृत्तांत में दर्ज नहीं होगा···

(व्यवधान)*

———

12.15. म० प०

जूट विनिर्मिति विकास परिषद (संशोधन) विधेयक**

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जूट विनिर्मित विकास परिषद अधिनियम, 1983 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

** दिनांक 28-5-1990 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2 में प्रकाशित।

"जूट विनिर्मिति विकास परिषद अधिनियम, 1983 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

12.17 म० प०

संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

12.18 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केरल उच्च न्यायालय की खण्डपीठ और प्रशासकीय अधिकरण त्रिवेन्द्रम में स्थापित किए जाने की मांग

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने का मामला पिछले बीस वर्ष से भी अधिक समय से लम्बित है। 1971 में केरल विधानमण्डल ने त्रिवेन्द्रम में एक खण्डपीठ स्थापित किए जाने संबंधी एक संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। चूंकि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए 1985 में केरल सरकार ने यह स्पष्ट किया कि त्रिवेन्द्रम में एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने संबंधी निर्णय के साथ इसकी पुनरीक्षा की जाएगी। किन्तु बाद में प्रशासकीय न्यायाधिकरण को भी कोचीन में स्थापित कर दिया गया। फलस्वरूप, केरल की राजधानी में उच्च न्यायालय की खंडपीठ नहीं है तथा वहां प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी नहीं है। इसके कारण बड़ी प्रशासनिक परेशानी होती है। इसलिए, अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की खंडपीठ तथा प्रशासकीय न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाये।

* दिनांक 28-5-1990 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

(दो) बिहार में कोसी नदी पर एक बहुद्देशीय बांध का निर्माण किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार रवि यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य का कोशी प्रमंडल वर्षा एवं कोशी नदी के भीषण बाढ़ से प्रत्येक वर्ष ग्रसित हो जाता है जिससे जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है तथा यातायात की ओर असुविधा हो जाती है। इतना ही नहीं कोशी नदी की बाढ़ की विभीषिका से सम्पूर्ण उत्तरी बिहार भी प्रभावित हो जाता है। लाखों घर, हजारों मवेशी, हजारों किलोमीटर पक्की सड़क, लाखों एकड़ जमीन में लगी फसल एवं हजारों लोगों की जानें भी प्रभावित हो जाती हैं। उक्त नदी की भयावह बाढ़ के कारण बिहार सरकार को प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। कोशी नदी की बाढ़ से बचाव के लिए उत्तरी बिहार के लोगों ने वर्ष 1987 में कोशी नदी पर बहुद्देशीय डैम निर्माण करवाने के लिए आन्दोलन किया था, लेकिन आज तक कोशी डैम नहीं बना। मैं केन्द्र सरकार से अतिशीघ्र नेपाल सरकार से वार्ता कर बिहार राज्य के कोशी नदी पर बहुद्देशीय डैम निर्माण करवाने की मांग करता हूं।

(तीन) बिहार में दूरसंचार नेटवर्क पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाने की मांग

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है। पिछले 43 वर्षों में अन्य राज्यों की तुलना में बिहार का विकास बहुत ही कम हुआ है। दूर-संचार उद्योग में तो यह और भी पीछे है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस उद्योग में 9,000 (नौ हजार करोड़ रु०) रुपया सारे देश में लगाया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 19,000 करोड़ रुपया लगाने का प्रावधान है। दूर-संचार विभाग ने देश के प्राय: हर राज्य में अपना कारखाना खोला है। खासकर उत्तर-प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली तो इसमें बहुत आगे हैं। पर, बिहार और उड़ीसा अभी तक इस उद्योग से वंचित है। दोनों राज्यों के पिछड़ापन एवं बेरोजगारी को देखते हुए बिहार एवं उड़ीसा में दूर-संचार उद्योग लगाने का प्रावधान आठवीं पंचवर्षीय योजना में किया जाये। खासकर बिहार में इस उद्योग से सम्बन्धित बहुत से प्रशिक्षण केन्द्र एवं महाविद्यालय भी चल रहे हैं।

अत: योजना आयोग से अनुरोध है कि बिहार में दूर-संचार उद्योग खोलने का प्रावधान किया जाये।

(चार) राना घाट और बोंगांव सेक्शन के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण किए जाने की मांग

[अनुवाद]

डा० असीम बाला (नवद्वीप) : महोदय, रानाघाट बोंगाव सेक्शन की लम्बाई 33 किमी० है। इस सेक्शन पर रेल सेवा ही परिवहन का एकमात्र साधन है। इस सेक्शन पर पुराने डीजल इंजन चलते हैं जिसे रेल सेवाओं में बाधा पड़ती है। इसके फलस्वरूप रोज हजारों यात्रियों को कठिनाई होती है तथा वे अपने-अपने स्थान पर समय पर नहीं आ सकते हैं। रेल अधिकारियों ने यात्रियों को खतरे में डालकर अतिग्रस्त तथा बेकार सवारी डिब्बों का उपयोग करने की आदत अपनाई हुई है। इसके अलावा इस सेक्शन पर कोई शेड अथवा उपरि-पुल नहीं है तथा कुछ स्टेशनों पर प्लेटफार्म भी नहीं हैं।

लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस सेक्शन का विद्युतीकरण शीघ्र किए जाने की

आवश्यकता है। स्थानीय रेल प्राधिकारियों (सियालदह) ने सिफारिश की थी कि इस सेक्शन का विद्युतीकरण किया जाना जनहित में है किन्तु रेल बोर्ड ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

इसलिए, मैं इस सेक्शन की पुरानी मांगों को पूरा करने के लिए रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं।

(पांच) बिहार के जहानाबाद और गया जिलों में पेयजल की समस्या दूर करने हेतु नल कूप लगाने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में पानी की कमी के कारण आदमी और पशुओं की मौत हो रही है। राज्य सरकार इसको समाधान करने में असफल रही है। खासकर जहानाबाद जिले एवं गया जिले के सैकड़ों गांवों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इन सब गांवों में बोरिंग से पानी नहीं निकलता है, अन्दर पहाड़ है। मखदुमपुर प्रखंड के महादेव बिगहा, दौलतपुर, अकबरपुर, मकपा, परसौना, लोहगढ़, घोसी प्रखंड के ठिकरोर पर, अहहिट कुसमा, गया जिला के खिजर सराय प्रखंड के नादरा, जगदिहा, सुरजूबिगहा, बेंजना, बालचन बिगहा, विहटा, सतामस खोखाबिगहा इत्यादि इन सब गांव में पानी के बिना बच्चों एवं पशुओं की मृत्यु तेजी से हो रही है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि राज्य सरकार को विशेष योजना में काफी मात्रा में धन देकर इन गांवों में बड़े ट्यूबवेल लगाने के आदेश दें, जिससे पानी उपलब्ध हो सके।

(छः) मध्य प्रदेश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गैस पर आधारित परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (ग्वालियर) : मध्य प्रदेश के भविष्य में आठवीं योजना के दौरान गंभीर विद्युत सकट का सामना पड़ेगा। बिजली की वर्तमान अनुमानित आवश्यकता 2500 मेगावाट है जबकि वर्तमान आपूर्ति केवल 2115 मेगावाट है अर्थात 17 प्रतिशत की कमी है। तीव्र औद्योगिकीकरण तथा कृषि की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए कुछ वर्षों में यह कमी और अधिक बढ़ने की संभावना है। यह आवश्यक है कि 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की मांग को पूरा करने के लिये उत्पादन क्षमता बढ़ायी जाये। इसके अतिरिक्त अधिकतर विद्युत स्रोत ताप पर आधारित है और अधिकतर पूर्वी मध्य प्रदेश में स्थित है जिसके परिणामस्वरूप उत्तरी भाग में विद्युत की आपूर्ति करते समय भारी नुकसान होता है।

मेरे भारी पूरक प्रश्नों के उत्तर में लोकसभा में 10 अप्रैल को ऊर्जा मंत्री ने कहा और मैं कार्यवाही में से उद्धरित करता हूं कि :

> "मैंने यह मामला अपने साथी श्री गुरुपदस्वामी के साथ उठाया था और वह भी इससे काफी हद तक सहमत हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में जो भी अतिरिक्त गैस उपलब्ध हो उसमे गैस पर आधारित विद्युत परियोजनायें स्थापित किये जाने के लिये प्राथमिकता दी जाये।"

मध्य प्रदेश सरकार ने 450 मेगावाट गैस पर आधारित चार परियोजनायें लगाने का प्रस्ताव भेजा है इसमें से एक परियोजना ग्वालियर/दतिया जिले में लगाने का प्रस्ताव है जिसे एच० बी० जे०

गैस पाईप लाईन जो कि इस क्षेत्र से निकलती है, से चलाया जायेगा। चूंकि यह परियोजना मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में है जहां पर कोयला उपलब्ध न होने के कारण ताप विद्युत उत्पादन संभव नहीं है, इसलिए इस परियोजना को शीघ्र मंजूरी देना जरूरी है। क्योंकि इन परियोजनाओं को केन्द्र तथा राज्य सरकार से स्वीकृति मिल गयी है तथा पर्यावरण मंत्रालय ने भी स्वीकृति दे दी है मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ग्वालियर/दतिया जिले के लिये इस परियोजना को यथाशीघ्र मंजूरी प्रदान की जाये ताकि मध्य प्रदेश विशेषकर इसके उत्तरी भाग की बढ़ती हुई बिजली की मांग को पूरा किया जा सके।

(सात) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जनपद में मजखाली में रंगीन फोटो फिल्म परियोजना स्थापित किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : लम्बे समय पूर्व उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जनपद में मजखाली नामक स्थान पर कलर फोटो फिल्म प्रोजेक्ट स्थापित किये जाने की घोषणा हुई थी। यह बात इस सदन में कही गई थी। उद्योग मंत्रालय द्वारा इस हेतु एक आशय पत्र उत्तर प्रदेश सरकार की एक संस्था पिकअप को लम्बे समय पूर्व दिया गया था। इस संस्थान द्वारा एक उद्योगपति से सहयोग का करार भी हुआ था, परन्तु दुर्भाग्यवश अभी तक इस उद्योग की स्थापना की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है।

मेरा उद्योग मंत्रालय से आग्रह है कि इस उद्योग को यथाशीघ्र स्थापित करें अन्यथा यह आशय पत्र हिन्दुस्तान फोटो फिल्म को देकर उनसे कहा जाये कि वे इसे मजखाली नामक स्थान पर स्थापित करें।

———

12.26 म० प०

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक

—(जारी)

राज्य सभा द्वारा यथापारित

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम संविधान अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित को आगे चर्चा के लिए लेते हैं। श्री राम विलास पासवान अपने भाषण को जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष जी, मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं, शुक्रवार को जब मैंने बोलना शुरू किया था तो मैं सोच रहा था कि उसी दिन इसको समाप्त कर दूंगा, लेकिन वह नहीं हो पाया। इसलिए मैं पांच मिनट में समाप्त करता हूं। यह बहुत ही सीधा-सादा विधेयक संसद के सामने है और आप जानते हैं यह वर्ष बाबा साहब

[श्री राम विलास पासवान]

अम्बेडकर की जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इस वर्ष को हम सामाजिक न्याय वर्ष के रूप में मनायेंगे उसके लिए एक संवैधानिक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है और प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस सामाजिक न्याय वर्ष में सामाजिक और आर्थिक विषमतायें हैं उनको खत्म कर दिया जाये और जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं उनको देश की मुख्य धारा में लाया जाये। यह बिल इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 में धर्म परिवर्तन किया था, जो सामाजिक व्यवस्था थी उससे क्षुब्ध होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। उनके साथ उनके लाखों अनुयायियों ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। जब से बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 में धर्म परिवर्तन किया उसके पहले और उसके बाद उनकी यही इच्छा थी कि जिस उद्देश्य से हमने धर्म परिवर्तन किया है जो दलित लोग हैं, अछूत लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा कराना भी मेरा काम है और इसके लिए उन्होंने बराबर प्रयास किया।

जो बौद्ध में न्यू बौद्धिस्ट हैं, जो कंवर्टिड हैं जिन्होंने अनुसूचित जाति से धर्म परिवर्तन किया उनको सारी सुविधायें दी जायें जोकि अनुसूचित जाती को मिलती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित जाति की सुविधायें उनको दे रखी हैं, लेकिन भारत सरकार द्वारा उनको अभी तक ये सुविधायें नहीं दी गई। 19‹6 में संसद में संशोधन विधेयक पारित किया गया था जिसमें पहले के संविधान के तहत हिन्दू के अलावा और किसी दूसरे धर्मावलम्बी के लिए अनुसूचित जाति का अधिकार पाने का अधिकार नहीं है। इसमें सिख धर्म के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी प्रावधान किया गया था। अब यह विधेयक आपके सामने है उसमें इतना ही है कि जिन लोगों ने अनुसूचित जाति से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है उनको भी वे सुविधायें दी जायें। जो शेड्यूल्ड कॉस्ट को सुविधायें मिलती हैं और मैं समझता हूं कि इसलिए जो बुद्ध पूर्णिमा 9 मई को थी, राज्य सभा में 8 तारीख को ही इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। मैं आज बहुत ही शुक्रगुजार हूं और सब पक्ष के लोगों को धन्यवाद देता हूं और खासकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और साथियों को एवं विशेषकर साठे साहब को धन्यवाद देता हूं कि उस दिन उन्होंने कहा था कि जहां तक शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राईब्स का सवाल है, हम सब लोग एक साथ हैं और इनके अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। मैं समझता हूं कि यहां जो बिल आया है, यह नानकंट्रोवर्शियल है, इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और इसे निर्विवाद माना जा सकता है, इस ओर माननीय सदस्य सरकार का ध्यान निश्चित रूप से आकर्षित करेंगे और इस बिल के माध्यम से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राईब्स की समस्याओं को उजागर करेंगे। मैं यह भी जानता हूं कि हमारे साथी यह भी कहेंगे कि और भी धर्म के लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाये लेकिन मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार यह चाहती है कि इसमें किसी भी प्रकार से राजनीति न लायी जाये और राजनीति से ऊपर उठकर इन सारी समस्याओं को हल किया जाये। अभी तक इस पर जैसाकि आम सहमति बनी हुई है, और उसी के आधार पर इस विधेयक को आपके सामने लाया गया है। और जैसाकि मैंने पहले भी कहा कि राज्य सभा में यह विधेयक पारित हो चुका है, इसलिए चाहूंगा कि यह विधेयक लोक सभा में भी सर्वसम्मति से आज ही जितना कम समय में हो, उतना कम समय लेकर इसको पास करने का काम किया जाये। यह हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और इस सदन के लिए भी उतना ही आवश्यक उपलब्धि होगी। बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म शताब्दी का वर्ष चल रहा है, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी यदि इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पर विचार किया जाये।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सभा को सूचित कर रहे थे कि कांग्रेसी नेता इस विधेयक में सहयोग कर रहे हैं। इस बारे में कोई इन्कार नहीं है। बहुत सी बातों से मैं समझता हूं कि युवा मंत्री श्री राम विलास पासवान इस देश में अभागे हरिजनों के अधिकारों की रक्षा करने या उनको बचाने के लिए निर्भीक होना चाहते हैं। प्रारम्भ में, जब अनुसूची में आरक्षण को जोड़ा गया था, तो आरक्षण का आधार केवल उनका आर्थिक तथा सामाजिक स्तर था। यदि केवल आर्थिक स्तर होता तो देश में ऐसे बहुत लोग थे जिन्हें इसमें शामिल किया जाना चाहिए था। गरीबी, हीन भावना तथा पीढ़ियों से जिस बरबादी का वे शिकार रहे थे तथा गांधी जी द्वारा उन दिनों में किए गए उपायों को ध्यान में रखते हुए मूल रूप से हरिजनों को गरीब माना गया था और उन्हें इस अनुसूची में शामिल किया गया था। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्या कुछ अन्य जातियों को भी इसमें शामिल किया जाता है तो उनमें से बहुत से हरिजनों की बात करते हैं। लेकिन बाद में, यह कहा गया कि उनके द्वारा इसाई धर्म या बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने या बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने पर उन लोगों को उनके धर्म में अछूत नहीं माना जाता था इसलिए उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मुझे इसमें कोई औचित्य नजर नहीं आता। जबकि मैं बौद्धों को इस विधेयक में शामिल किए जाने के लिए माननीय मंत्री महोदय की प्रशंसा करता हूं परन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि वह इस पर मंत्रिमण्डल में चर्चा क्यों नहीं कर पाये अथवा वह इसाइयों जिनकी स्थिति भी इतनी ही दयनीय है, को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री को क्यों नहीं राजी कर सके। जब हम संसद में चर्चा करते हैं अथवा जब हम प्रबुद्ध नागरिकों से चर्चा करते हैं तो इस बात का पता नहीं चलेगा; परन्तु जनता के प्रतिनिधियों के रूप में जब हम ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ जाते हैं और जब हम हरिजन मतदाताओं के पास जाते हैं तो हम समाज में हरिजन इसाई तथा हरिजन हिन्दुओं की पहचान नहीं कर पाते। केवल अब कागजों पर ही हम यह चर्चा कर रहे हैं कि क्या यह हिन्दू हरिजन होना चाहिए या इसाई हरिजन और क्या इसे माना जाना चाहिए अथवा नहीं।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : इसाईयों में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है।

(व्यवधान)

श्री के० एस० राव : जब हम अपने इलाकों अपने वार्डों का दौरा करते हैं, जिन्हें मुख्य गांव से अलग कर दिया गया है। तो हमारे लिए यह पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसाई हरिजन कौन है और हिन्दू हरिजन कौन है। समाज में भी उन्हें हरिजनों के नाम से पुकारा जाता है और उनसे हरिजनों जैसा ही व्यवहार किया जाता है। हिन्दू हरिजन तथा इसाई हरिजन में कोई अन्तर नहीं है। यह बात केवल रिकार्ड में आती है कि जब वह स्कूल या कालेज मे प्रवेश लेने के लिए जाता है तो इसाई या हिन्दू लिखा जाता है। परन्तु आप किसी हरिजन वार्ड में जाते हैं तो सभी को हरिजन माना जाता है चाहे वे हिन्दू हरिजन हों, इसाई हरिजन हों या बौद्ध हरिजन हों।

नव-बौद्धों को इस क्षेत्राधिकार में लाने के उनके प्रयास की प्रशंसा करते हुए मैं अपने साथियों तथा मंत्री जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि वह इसाइयों को इसमें शामिल करने के लिए सरकार को अथवा सभा को अथवा प्रधानमंत्री को राजी करने की बात क्यों नहीं सोच पाये जिनकी हरिजन जैसी दयनीय हालत है। किसी तरह यदि माननीय मंत्री और मेरे साथियों की यह राय है कि कुछ इसाइयों का आर्थिक या सामाजिक स्तर बेहतर हो

[श्री के० एस० राव]

गया है तो निश्चित रूप से ऐसे हरिजन भी हैं जिनकी हालत बेहतर है। पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी को आरक्षण के इन विशेषाधिकारों से प्राप्त लाभ के कारण उनमें से कुछेक गरीबी के स्थिति से उबर आए होंगे, उनमें से कुछ अमीर बन सकते हैं, कुछ लोक नौकरशाही अथवा रोजगार या सामाजिक स्तर या सम्पत्ति के सम्बन्ध में समाज में आत्म निर्भर या अच्छा स्थान रख सकते हैं। यदि सभा बे इस बात पर विचार किया होता कि ऐसे लोगों को ये विशेषाधिकार देना बन्द कर दिया जाए या इस अनुसूची से निकाल दिया जाए तो हरिजन इसाइयों को उसमें शामिल करने में, जो बहुत गरीब हैं जिनका आर्थिक तथा सामाजिक स्तर वैसा ही है बुद्धिमता और बहादुरी होती। और उन हरिजनों को अनुसूची से निकालने में बहादुरी होती जिनका समाज में बेहतर स्तर है या अच्छी सम्पत्ति है। इसका कारण तो मेरी समझ में आता है। माननीय मन्त्री जी ने सभा में ऐसा कहने तथा इस संबंध में संशोधन लाने का साहस होना चाहिए।

मैं उन हरिजन इसाइयों के बारे में अपना अनुभव बताता हूं जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं। जब भी मैं हरिजन वार्ड, चाहे वह हरिजन इसाई है या हरिजन हिन्दू हैं, मैं जाता हूं, तो एक घर, एक कमरे में, थोड़े से बड़े कमरे में चार-चार परिवार रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके ध्यान में यह लाता हूं कि मुझे आपके दल के वक्ताओं की लम्बी सूची दी गई है यदि आप अपना भाषण 5 मिनट में पूरा नहीं करते, तो मैं कुछ और को समय नहीं दे पाऊंगा।

श्री एस० के० राव : महोदय, मुख्य बात जिसका मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता था वह यह है···

कुमारी उमा भारती : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। मेरा विचार है कि ईसाइयों को हरिजन ईसाई तथा सवर्ण-ईसाई में बांटने के लिए माननीय सदस्य महोदय को जान पोप पाल की अनुमति मांगनी पड़ेगी। वह ईसाइयों को हरिजन-ईसाई तथा सवर्ण-ईसाई में नहीं बांटते हैं। ईसाई धर्म के अनुसार उनमें कोई हरिजन अथवा सवर्ण नहीं है। सब बराबर हैं। माननीय सदस्य महोदय जो कह रहे हैं वह ईसाई धर्म के विरुद्ध है। वह ईसाई धर्म का अपमान कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) **:** क्या सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे सीमा पार से आदेश प्राप्त करें ? (व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : क्या आप बाइबिल के अस्तित्व से इन्कार करते हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न नहीं है। आपस में बातचीत न करें।

श्री के० एस० राव : हम अहंकार से अपनी डींग मारते हैं। हम सब कहते हैं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जब यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो क्या किसी हरिजन का ईसाई धर्म अपनाना इस देश में अपराध है ? ईसाई धर्म अपनाने के कारण क्या उसे उन विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया जाना चाहिए जो उसे तब मिले हुए थे जब वह हिन्दू अथवा बौद्ध था ? माननीय मंत्री महोदय ने किस आधार पर नव-बौद्धों को आरक्षण की सूची में शामिल किया है ? उसी सिद्धान्त के अनुसार विश्वास अथवा धर्म मात्र बदल लेने से एक निर्धन व्यक्ति अथवा हरिजन को एक अच्छी स्थिति में

जाने के लिए दिए गए विशेषाधिकारों, जिनका वह पहले हकदार था, से वंचित करने अथवा रोकने का कारण नहीं होना चाहिए। यदि इस विधेयक को पारित करने के लिए उस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया था तो उसी सिद्धान्त के अनुसार हरिजन ईसाइयों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। मैं यह नहीं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय हरिजन ईसाइयों तथा हरिजन बौद्धों अथवा हरिजन हिन्दुओं के बीच भेदभाव करके हमारी धर्मनिरपेक्षता की नीति का उपहास बनायें। मैं चाहता हूं कि इसको ध्यान में रखा जाए तथा मैं माननीय मंत्री महोदय से हरिजन ईसाइयों तथा हरिजन मुसलमानों को इस श्रेणी में शामिल करने तथा यह देखने का अनुरोध करता हूं कि उनके साथ धर्म बदलने के कारण भेदभाव न किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० राम गणेश कापसे, आपके दल को 18 मिनट का समय मिला है। मेरे सामने तीन नाम हैं। तीन सदस्यों को 18 मिनट अर्थात् प्रत्येक को छ:, छः मिनट।

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : क्या मुझे 18 मिनट बोलने की अनुमति है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल के तीन सदस्यों के लिए 18 मिनट का समय है।

श्री के० एस० राव : हम समय देने के लिए आपके आभारी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि क्या अन्य सभी सदस्य भी ऐसा ही करेंगे। मैं हर समय आपके साथ झगड़ा नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

प्रो० राम गणेश कापसे : बाबा साहिब अम्बेडकर की जन्मशताब्दी के इस वर्ष में और महात्मा फुले जी के पुण्यस्मृति के एक सौ वर्ष जब समाप्त होते हैं उस वर्ष में अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 1990 इस शासन की ओर से यहां प्रस्तुत किया जा रहा है, इसका मैं स्वागत करता हूं। यह तो सच है कि कितनी देर हो गई। यह होना चाहिए था 1956 में, लेकिन जो बात 1956 में कांग्रेस के नेताओं ने समझ-बूझकर टाल दी, वह आज लाने की कोशिश हम लोग कर कर रहे हैं, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद, इसीलिए मैं स्वागत करता हूं। कांग्रेस वालों ने 1956 में क्या किया, यह बताना चाहता हूं। 14 अक्तूबर, 1956 के दिन, विजयदशमी के दिन डा० बाबा साहिब अम्बेडकर जी ने नागपुर में पांच लाख दलितों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उसके कुछ दिन पहले 25 सितम्बर, 1956 को एक आदेश निकाला गया जिसमें यह लिखा हुआ था कि इस आर्डर का जो फायदा है वह केवल हिन्दू और सिक्ख धर्मों में जो हरिजन हैं, उन्हें ही दिया जाएगा। जो बौद्ध धर्म मानने वाले हैं, उनको इसका फायदा नहीं दिया जाएगा। क्या यह बौद्ध धर्म अपनाने वालों के प्रति कांग्रेस का न्याय था ? क्या इस तरह से आप न्याय करना चाहते थे ? आज आप कह रहे हैं कि यह न्याय पहले ही होना चाहिए था। जो नहीं किया गया। कारण आप है, दूसरा कोई नहीं है और इसलिए इस सदन में आपको क्षमा मांगनी चाहिए। कांग्रेस वालों को यहां क्षमा मांगनी चाहिए, यह मेरी पहली मांग है। आपने पाप किया है, हम दुरुस्त कर रहे हैं। इसके लिए आप हमें धन्यवाद दीजिए। आपने यह क्यों किया ? जब दलितों में से आधे लोग महाराष्ट्र में बौद्ध बन गए, उस समय न कोई उनको प्रलोभन था, न कोई जुल्म था, विश्वभर में कितना शांतिपूर्ण और अभूतपूर्व वह धर्मान्तरण था, जो न पहले कभी हुआ है और न कभी होना सम्भव है यह शांतिपूर्ण धर्मान्तर है। क्रिश्चियन और मुसलमान लोगों को यह सुविधा न देने का केवल एक कारण यह है कि वह धर्मान्तर शांतिपूर्ण नहीं है।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : यह कोई मुद्दा नहीं है ।

प्रो॰ राम गणेश कापसे : मैं इसी मुद्दे पर बल देना चाहता हूं ।

[हिन्दी]

इस धर्मान्तर से दलितों को क्या फायदा हुआ ? दलितों की सब रियायतें जारी रहीं और बौद्धों की बन्द हो गयीं । केवल इस धर्मान्तिर के कारण लोकसभा की पांच सीटें कम हुयीं, लाभ तो छोड़ो, नुकसान हुआ । एक महाराष्ट्र राज्य में आठ में से पांच सीटें कम हुयीं लोकसभा में, विधान सभा की तो और भी ज्यादा सीटें कम हुयीं । फिर भी वे बहादुर थे, सत्ता के लालच के लिए चुनाव नहीं लड़ते थे इसलिए उन्होंने इस धर्मान्तर का निर्णय नहीं बदला । ऐसा क्रिश्चियन और मुसलमानों के बारे में हुआ है और आप यहां बोल रहे हैं । वह धर्मान्तिर या तो लालच से या जुल्म जबरदस्ती से हुआ है, सत्ता के कारण हुआ है । हिन्दू धर्म में जो अस्पृश्यता की बुराई है उसके खिलाफ जरूर हुआ होगा । लेकिन बाद में हजारों बरस तक वह बुराई चलती रही तो फिर वहां क्यों रुके रहे, वापिस हिन्दू धर्म में आ जाएं हम स्वागत करते हैं । आप वहां पर सत्ता की लालच में गए जुल्म जबरदस्ती के कारण और आज यह बात मान रहे हैं आप जान लीजिए कि बौद्धों का धर्मान्तर और क्रिश्चियन, मुसलमानों का धर्मान्तिर एक तरह का धर्मान्तिर नहीं है । एक प्रलोभन के कारण वे आए, एक जुल्म जबरदस्ती के कारण वे आए, एक सत्ता के कारण वे आए । लेकिन आप लोगों ने केवल कुछ दिन पहले अम्बेडकर जी के अनुयायी बौद्ध न हों, इसलिए जो पाप किया इसके कारण इतने बरस उनको कष्ट भुगतना पड़ा । आज जनता दल की सरकार आने के बाद और बी॰ जे॰ पी॰ और साम्यवादी सपोर्ट करने के बाद आज यह बात आ रही है, आपके कारण नहीं आ रही है । बहुत पहले सरदार बल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त हुई थी और हिन्दू किसे माना जाए, किन्हें आरक्षण दिया जाए, इस विषय में कुछ बात तय हुई थी । हिन्दू धर्म यानि जो बौद्ध है, सिख है, जैन है, वह सब हिन्दू हैं, बौद्ध होने के बाद कानून नहीं बदला । लेकिन मुसलमानों का कायदा अलग है, समान कायदे की मांग हम कर रहे हैं । वह बात आप नहीं करेंगे । केवल हजारों बरस पूर्व जो बात हुई, उनमें से दलित कौन थे और कौन नहीं थे, इसका फैसला आप किस तरह से करेंगे, यह आप कहने के लिए तैयार नहीं हैं । आपको केवल वोट बैंक की चिंता है बाकी बातों की चिंता नहीं है, न्याय देने की चिंता नहीं है, इसलिए बात कर रहे हैं । डा॰ अम्बेडकर का धर्मान्तिर एक अलग तरह का धर्मान्तिर है । उन्होंने पहले ही कहा था कि करोड़ों-करोड़ों मुसलमानों के धर्म में आने के लिए जो हैदराबाद के निजाम ने तय किया था मैंने नहीं स्वीकार किया, मैं क्रिश्चियन नहीं हुआ, मैं मुसलमान नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वह इस भूमि का धर्म नहीं है । बौद्ध धर्म इस भूमि का धर्म है, दूसरी दिशा में देखकर नमाज पढ़ने वाला वह धर्म नहीं है, इसलिए उन्होंने इस भूमि का धर्म स्वीकार किया । यह बात भी आप सोचो । आप अभी इकोनमिकली बैकवर्ड की बात कर रहे हो । आप क्या चाहते हैं ?

दलितों पर जो सामाजिक अन्याय हुआ है और वह अन्याय जो उन्हें भुगतना पड़ा, उसका परिमार्जन आप नहीं करना चाहते हैं, उस परिमार्जन मे आप विश्वास ही नहीं रखते हैं । हम मानते हैं कि हिन्दू धर्म की एक बुराई अस्पृश्यता थी । हम चाहते हैं कि आगे चलकर एक समता के राष्ट्र का निर्माण हो इसलिए आप साथ में आ जायें, मैं स्वागत करने के लिए तैयार रहूंगा । मैं केवल इतना ही आखिर में कहना चाहता हूं कि हिन्दू धर्म में जो बुराई थी, उसका विरोध करने के लिए डा॰ अम्बेडकर

ने एक बात कही कि हिन्दू धर्म में जन्म लिया है, लेकिन उसमें मृत्यु नहीं स्वीकार करूंगा, वह बौद्ध हुए और अन्याय का विरोध किया। सेंट्रल हाल में उनकी एक तस्वीर लगनी चाहिए थी, वह तस्वीर लगाने के लिए जनता दल का शासन आया, इससे पहले आपको उनकी वह तस्वीर लगाने की याद नहीं आयी और न ही उन्हें "भारत रत्न" की उपाधि देने की बात याद आयी। आज आप न्याय के लिए बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं सब ** है, यह इतिहास कहेगा, इसलिए आप इसमें शामिल हों या न हों, हम यह करना चाहते हैं, यह आप मान लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : '...' वर्ड रिकार्ड में नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : आप इस विधेयक केवल इसलिए समर्थन करेंगे क्योंकि... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : राव साहब, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरा विचार है कि सभा के सभी सदस्य इस विधेयक के प्रावधानों से सहमत हैं। इसलिए, मेरा विचार है कि लम्बे वक्तव्य देना आवश्यक नहीं है। चर्चा करने के लिए और विषय हैं। मैं आशा करता हूं कि सदस्य सहयोग देंगे। अब श्री चांद राम।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : हमें समय सीमा का पालन करना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने सदस्यों को ऐसा करने के लिए कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करौल बाग) उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी चिन्ता का विषय है। इस पर अच्छा डिसकशन होना चाहिए। इसकी दिशा गलत जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका अलग प्वाइंट है तो जरूर बोलिये।

श्री कालका दास : मेरा नाम इस विषय पर बोलने के लिए गया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का समय दूंगा।

श्री चांद राम (हरदोई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत पुरानी मांग को स्वीकार किया है और संविधान में संशोधन लाने का एक सामान्य प्रयास किया है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस देश के लिए और खासतौर पर हिन्दू जाति के लिए यह एक अभिशाप है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी पिछड़ी जातियों के ऊपर अत्याचार होते हैं। 1932 में डाक्टर अम्बेडकर के साथ पूना पैक्ट हुआ उसमें सारे हिन्दुस्तान के हिन्दू लीडरों ने आश्वासन दिया कि दस साल के अन्दर हम शेड्यूल्ड-कास्ट्स के लोगों का एक समावेश कर देंगे लेकिन अफसोस की बात है कि यह काम अभी तक नहीं हो सका है। डा० अम्बेडकर ने एक किताब "ए नेशन आफ कास्ट्स" 1935 में लिखी। मेरे से पहले बोलने वाले साथी ने कहा कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं अनुसूचित जाति या हिन्दू के घर में जन्मा यह मेरे वश की बात नहीं है, लेकिन यह मेरे बस की बात है कि मैं इस असमानता को दूर करने के लिए हिन्दू धर्म में रहकर लड़ूं। उन्होंने वह किताब

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री चांद राम]

लिखने के बाद पूरे बीस साल तक इन्तजार किया। मुझे मालूम है कि यह भाषण उन्होंने जात-पात तोड़क मंडल की सभा में जो लाहौर में हुई, संत राम जो कि पिछले दिनों गुजर गये, वह उसके अध्यक्ष थे और हिन्दू महासभा में भाई परमानन्द हिन्दू महासभा के लीडर थे, उनको भी उसमें बुलाया था लेकिन बाद में वह इनविटेशन कैंसिल कर दिया... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इतने लम्बे भाषण के लिए टाइम नहीं है, आप जरूरी बात कहें।

श्री चांद राम : मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मैं कोई गैरजरूरी बात नहीं कहूंगा मगर मैं यह अफसोस जाहिर कर रहा हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स का आदमी किसी भी मजहब में चला जाए मगर यह जाति वहां भी उसके साथ ही चली जाती है, चाहे ईसाइयों में हो। मजहब जाति-पांति, ऊंच-नीच नहीं मानता लेकिन मुसलमानों में भी अगर जायेंगे तो जुलाहे गये तो पंसारी कह दिया और दूसरे गये तो मोमन कह दिया, तीसरे चौथे में कबीर सिख कह दिया, यह कुछ ऐसा नमक हिन्दुस्तान की सरजमीं में है, यहां का पानी कुछ ऐसा है कि जाति-पांति रहती ही है। डा० अम्बेडकर जो विधान के निर्माता थे उन्होंने 1936 में कहा कि जाति पांति का विनाश हो, वह चाहते थे कि हिन्दू कोड एमेण्डमेंट बिल बने और जाति-पांति का विनाश किसी तरह से हो मगर क्या मैं इस देश की पार्लियामेंट से यह उम्मीद कर सकता हूं, इस पार्लियामेंट के जरिये से इस हिन्दुस्तान के लोगों से यह उम्मीद कर सकता हूं, चाहे आज हम संविधान में आरक्षण कर रहे हैं लेकिन इससे क्या होगा, इससे अब यह होगा कि जो बौद्ध प्रोफेस करते हैं, शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग, उनको यह सुविधाएं मिलेंगी। मुझे तो खुशी है कि यहां कम से कम नवबौद्ध का शब्द लिया है वरना बाहर जब हम तकरीरें करते हैं तो हम कहते हैं कि नवबौद्धों को हम आरक्षण दे रहे हैं, यह तो अच्छी बात है कि सिर्फ इतना ही कह दिया कि जो सिख है चूंकि जैसा उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने चार जातियां मानी थी. सिखों में भी कोई शैड्यूल्ड कास्ट्स नहीं मानता था, जाति-पांति नहीं मानता था, अछूतपन के खिलाफ बगावत की थी, गुरु नानक देव जी ने यह कहा था कि अछूतपन यहां नहीं होगा लेकिन उस पर अफसोस यह हुआ कि कबीरपंथी, रामदासिया, मजहबी और सिकलीगर, चार सिख जातियों को शामिल किया गया। आज यह बौद्ध मजहब कि हिसाब से यह शामिल किया जा रहा है तो मैं यह आशा करता हूं कि 10 साल का रिजर्वेशन तो बढ़ा लेकिन क्या कोई ऐसा समय आयेगा जब इस कास्ट का सत्यानाश होगा, इसका विनाश होगा? मैंने एक बार एक चिट्ठी पण्डित नेहरू को लिखी थी कि इण्टर कास्ट, इण्टर स्टेट, इण्टर रिलीजन मैरिज की जायें और उनको नौकरी दी जाए। मेरे पास उनका जवाब आया और मैंने यह भी लिखा था कि जहां यह किया जाए वहां द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पण्डित, ठाकुर वगैरह यह कास्ट भी खत्म की जायें। मुझे अफसोस हुआ कि पण्डित जी ने उस वक्त भी यह बात नहीं मानी, उन्होंने कहा कि इससे तो आदमी पहचाना नहीं जायेगा और इण्टर मैरिजेज होना तो मर्जी की बात है, हिन्दुस्तान में अरेंज्ड मैरिजेज होती हैं, प्रबन्ध करके होती हैं, मां-बाप की मर्जी से होती हैं, अगर कास्ट से बाहर जाता है तो उसके लिए इस समाज में बेअमनी पैदा होती है, खासकर दूसरी जातियों में तो मैं, मैं यह आशा करता हूं कि कानून में ऐसा कोई समावेश किया जाए, मैंने कई बार प्रयत्न किया कि एक सैपरेट मिनिस्ट्री कायम करके एक कार्यक्रम बनाकर शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों में ऐसा किया जाए कि वे लोग स्वयं यह कह दें कि हमको अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। इससे होगा क्या कि बौद्ध कहेगा कि बौद्धों में भी इलैक्शन लड़ूंगा, जैसे अभी जो सिख प्रोफेस करता था या हिन्दू करते थे, वह सिखों में लड़ते थे, जैसा उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 5 सीटों में से 2 सीटें

होंगी, वहां शेड्यूल्ड कास्ट्स का रिजर्वेशन किया गया था, चूंकि बौद्ध हो गये थे लेकिन गिनती में नहीं आये अब चूंकि गिनती बढ़ेगी तो शायद बढ़ाना पड़ेगा लेकिन साथ में मैं यह समझता हूं कि इस बात का क्या करेंगे कि जो लोग कल को मांग करेंगे, चाहे वह क्रिश्चियंस से मांग हो, दूसरे लोगों से भी मांग उठेगी तो मैं यह समझता हूं कि इसका कोई न कोई समाधान होना चाहिए, इस बात पर इस देश के लोगों को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलीरो (मारमागाओ) : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। हमने ये सब भाषण सुन लिए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं लगभग 1977 से हर आने वाली सरकार से यह अनुरोध करता आ रहा हूं कि बौद्ध और अन्य धर्मों के लोगों को इन उपबन्धों की परिधि में लाया जाये। अतः नवबौद्धों को ये लाभ दिए जाने की मुझे बहुत खुशी है। किन्तु मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इससे मुस्लिम और ईसाइयों को अलग छोड़ दिया गया है और इससे बहुत कठिनाइयां पैदा होंगी। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि यदि हम इसे स्वीकार कर लें, तो बहुत सी समस्याएं हल हो जायेंगी और मेरे आसपास जो मेरे फासिस्ट दोस्त हैं, उन्हें कोई तर्क नहीं मिलेगा···

प्रो० राम गणेश कापसे : महोदय, हम फासिस्ट नहीं हैं (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फलीरो : वे खड़े क्यों हुए? मैंने उनका उल्लेख नहीं किया है।

प्रो० राम गणेश कापसे : हम फासिस्ट नहीं हैं। यहां फासिस्ट कौन है? कांग्रेसी फासिस्ट हैं।

श्री एडुआर्डो फलीरो : मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। मुझे नहीं पता कि कहां तक इसे लिया जायेगा। किन्तु मेरी धारणा यही है। यदि आप सभी सहमत हों कि भारत के सभी लोग मूलतः प्राथमिक रूप से हिन्दू हैं, तो यही मेरी धारणा है और मैं इसी में विश्वास करता हूं।

1.00 म० प०

जहां तक दर्शन और सिद्धांतों का संबंध है, हमारे नाम या भाषायें कुछ भी हों, इस बारे में मेरा यही दृष्टिकोण है···(व्यवधान) आप द्वारा इसका स्वागत करना आवश्यक नहीं है। मैं आपके लिए यह नहीं कर रहा हूं। यह आपके और मेरे, दोनों के लिए चिंता का विषय है। हम मूलतः सभी भली-बुरी बातों के भागीदार हैं। हैरानी की बात है कि हमारे देश में ऐसी मूलभूत सच्चाइयों को स्वीकार क्यों नहीं करते। यदि इस सच्चाई को स्वीकार कर लें तो बहुत सी समस्यायें हल हो सकती हैं। हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि इससे अनुचित भेदभाव होता है और जहां तक मुस्लिमों और ईसाइयों का संबंध है, इससे तनाव बढ़ता है। समय सीमित है। अपने शब्दों का उपयोग करने की बजाय हमें दूसरे शब्दों का उपयोग करना चाहिए जिन्हें इस सभा में हर कोई स्वीकार करेगा। एक अत्यन्त सुविख्यात व्यक्ति ने कहा था :

> "केवल धर्मान्तरण से ही किसी व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक हैसियत में बदलाव नहीं आ जाता। अतः बौद्ध, ईसाई आदि धर्मों को ग्रहण करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जातियों का ही समझा जाना चाहिए।"

ये सुविख्यात व्यक्ति है प्रो० दण्डवते, वित्त मंत्री। उन्होंने कहा था कि ईसाइयों को अनुसूचित जातियों का माना जाना चाहिए। उन्होंने अपनी सरकार और उसके सम्बद्ध दलों द्वारा गठित मण्डल आयोग की रिपोर्ट में ऐसा कहा है।

श्री कमलका दास : यह उनकी निजी राय है ।

श्री एदुआर्डो फलीरो : एक क्षण बाद में उनके गैरजाती दृष्टिकोण की भी बात करूंगा। उन्होंने पैरा 10.36 में यह बात कही है । आइए देखें कि मण्डल आयोग के क्या विचार हैं, जोकि व्यक्तिगत नहीं हैं। पैरा 12.11 में कहा गया है :

> "इसमें कोई संदेह नहीं कि गैर हिन्दू समुदायों में शैक्षिक पिछड़ापन न्यूनाधिक लगभग उतना ही है जितना कि हिन्दू समुदायों में । हालांकि वर्ण व्यवस्था हिन्दू समाज की अनूठी विशेषता है, फिर भी व्यवहार में भारत में गैर हिन्दू समुदायों में भी यह कहीं कम, तो कहीं अधिक मात्रा में विद्यमान है । इसके दो मुख्य कारण हैं : एक, वर्ण व्यवस्था का विचारधारा बनाने में बहुत हाथ है और यह व्यक्ति की सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक मानदण्डों पर अमिट निशान छोड़ देती है । परिणामत: धर्मान्तिरण के बाद भी भूतपूर्व हिन्दू सामाजिक वर्णक्रम और वर्ण आधारित सामाजिक स्तरों संबंधी अपने गहरे जड़ जमाये विचारों को छोड़ नहीं पाता । इसका नतीजा यह हुआ कि जिन हिन्दुओं ने धर्म परिवर्तन किया है वे अत्यन्त समानतावादी धर्मों, जैसे इस्लाम, ईसाई, सिख आदि धर्मों में भी अनायास ही वर्ण व्यवस्था के दिखावटी चोले के रूप में व्यवहार करते हैं। दूसरे, प्रधानत: हिन्दुओं के भारत के निवासी गैर हिन्दू अल्पसंख्यक इसके प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों से मुक्त नहीं हो सकते। इस प्रकार अन्दर और बाहर, दोनों ओर से गैर हिन्दू समुदायों में वर्ण व्यवस्था को निरन्तर बल और प्रेरणा मिलती रही है ।"

मण्डल आयोग और प्रो० मधु दण्डवते ने यही कहा है। अब हम डा० अम्बेडकर की शपथ लें। ऐसा करके उनकी जन्म शताब्दि को मनाया जा सकता है । मैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित 'डा० अम्बेडकर के भाषण और लेख', भाग-पांच, धर्म परिवर्तनकर्ताओं की परिस्थितियों संबंधी अध्याय में से उद्धरण दे रहा हूं । डा० अम्बेडकर कहते हैं :

> "क्या ईसाई धर्म, धर्म परिवर्तन करने वालों को उन कष्टों और अपमानों से बचा सका है जो अछूत के रूप में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति को दुर्भाग्यवश सहने पड़ते हैं ? क्या ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद कोई अछूत सार्वजनिक कुएं से पानी भर सकता है ? क्या उसके बच्चों को पब्लिक स्कूल में भर्ती किया जाता है ? वह ऐसे होटल या सराय में ठहर सकता है जो पहले उसके लिए खुले न थे ? क्या वह किसी दुकान में जाकर अन्दर से वस्तुएं खरीद सकता है ? क्या नाई उसके बाल काटेगा ? क्या धोबी उसके कपड़े धोयेगा ? क्या वह बस में यात्रा कर सकता है ? क्या उसे बिना जलील हुए सरकारी कार्यालयों में जाने दिया जायेगा ? क्या उसे गांव के सवर्णों के साथ रहने दिया जायेगा ? क्या हिन्दू उसके हाथों का जल लेंगे ? क्या वे उसके साथ भोजन करेंगे ? यदि वह किसी हिन्दू को छू ले, तो क्या वह स्नान नहीं करेगा ? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नकारात्मक ही होगा । दूसरे शब्दों में धर्म परिवर्तन से अछूत धर्म परिवर्तनकर्ता की सामाजिक हैसियत में कोई बदलाव नहीं आया है । आप हिन्दू लोगों के लिए वह अछूत अछूत ही रहेगा, भले ही वह ईसाई बन जायें ।"

डा० अम्बेडकर ने इस मुद्दे पर यही कहा है। मुख्य बात यह है कि मैं यह संशोधन लेकर आया हूं और मैं जो कुछ कह रहा हूं, उसका इस मुद्दे का अध्ययन कर चुका हर व्यक्ति समर्थन करता है। कुमारापिल्ले आयोग, इलायापेरुमल आयोग, सतनाथन आयोग और विद्म्बरम रिपोर्ट इस बिन्दु पर सहमत हैं। इससे रोजगार के रूप में लाभ दिया गया है। अत: मैं मुसलमानों और ईसाइयों को इस विधेयक में शामिल करने के लिए यह संशोधन लेकर आया हूं। रोजगार के बारे में मैं यह अवश्य कह दूं कि मैं ईसाई अथवा मुसलमान, किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं हूं। मैं हमेशा न्याय के लिए लड़ता हूं और जहां तक संसद का संबंध है मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा और हम में से प्रत्येक से यही आशा की जाती है।

जहां तक भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का संबंध है, 1981 की जनगणना के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों की संख्या, असम को छोड़कर, भारत की जनसंख्या का लगभग 16.46 प्रतिशत बैठती है और इसके आंकड़े इस प्रकार हैं : मुस्लिम—11.35 प्रतिशत; ईसाई—2.43 प्रतिशत; सिख—1.96 प्रतिशत; बौद्ध—0.71 प्रतिशत; पारसी—0.01 प्रतिशत। अब रोजगार की दृष्टि से दृष्टिपात करें तो, विशेष रूप से मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है।

मैं यहां इस वर्ष आए पिछली रक्षा सेवा परीक्षा के परिणामों का जिक्र करता हूं। उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की कुल संख्या 272 है और उसमें से मुसलमान 2, इसका अर्थ है 0.74 प्रतिशत जबकि जनसंख्या 11 प्रतिशत है; ईसाई 3, 1.1 प्रतिशत और सिख 31, अर्थात् 11.4 प्रतिशत है। रक्षा सेवाओं की बात छोड़िए। हम इस वर्ष घोषित भारतीय प्रशासनिक सेवा और सम्बद्ध सेवाओं के परिणामों की बात करते हैं। उसमें घोषित उत्तीर्ण हुए 835 उम्मीदवारों में से 17 मुसलमान हैं, यद्यपि उनकी जनसंख्या 11 प्रतिशत है और उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की संख्या मात्र 2 प्रतिशत है।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता; मैं मात्र आज के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में 'रूट्स आफ कश्मीरस एलिनिएशन' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक प्रसिद्ध स्तम्भ-लेखक श्री प्रेमशंकर झा के विचारों को उद्धृत करूंगा। हम वहां मुस्लिम अलगाववाद की जड़ों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। स्तम्भ में उन्होंने ये विचार व्यक्त किए हैं :—

> "कश्मीर में उग्रवाद गरीबी अथवा आर्थिक पिछड़ेपन के कारण पैदा नहीं हुआ बल्कि नौजवान लोगों के, जो मध्यम वर्ग के हैं, छोटे और चुनिंदा समूहों में व्याप्त निराशा के कारण पैदा हुआ है।"

इसके बाद रोजगार की बात की जाए। उन्होंने कहा है कि वहां रोजगार अवसरों का अभाव है। वह कहते हैं···

> "हर कोई सफल उद्यमी नहीं बन सकता है। इस प्रकार, रोजगार तलाश करने वालों का एक वर्ग बन गया है, जो वेतनभोगी रोजगार की तलाश में है।"

इसके अतिरिक्त वे यह भी कहते हैं···

> "विशेषत: शिक्षित मुसलमानों के असंतोष का कारण यह है कि कश्मीर में बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में कश्मीर से बाहर के लोग और कश्मीरी पण्डित अधिसंख्या में कार्यरत हैं। कश्मीरी मुसलमानों को भी रोजगार मिला है, परन्तु उनका वेतन बहुत कम होता है। भारतीय उपनिवेशवाद को इस रोजगार ढांचे का मूल कारण बताया जाता है।"

[श्री एडुआर्डो फलीरो]

मूल समस्या रोजगार की है। कृपया न्याय कीजिए। यह समस्या प्रत्येक भारतीय की है; मैं इस बात को जानता हूं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार के अवसरों की कमी है; हमें इस बात को समझना चाहिए। परन्तु अल्पसंख्यक समुदायों विशेष रूप से कुछ अल्पसंख्यक समुदायों के लिए रोजगार के अवसरों की विशेष कमी है।

जब मैं बैंकिंग क्षेत्र में था तो मैं इस बात से बहुत खुश था कि हम कुछ कर सकते थे। मैंने कुछ नहीं किया था, मेरे अधिकारियों ने वह काम किया था। यह इसलिए हुआ था क्योंकि मैं अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन को कश्मीर ले गया था और हमने एक बैठक की थी। मुझे यह कहना चाहिए कि समुदायगत भावनाओं से ऊपर उठकर भारत के सभी लोग भेदभाव के खिलाफ हैं। क्योंकि हम सब ने खुद भेदभाव के कारण नुकसान उठाया है। उपनिवेशिक शासन में हम में से चाहे वह ईसाई, हिन्दू अथवा कोई अन्य समुदाय है किसी को भी उपनिवेशवादियों के समान अवसर नहीं दिए गए थे। हमें उपनिवेशवादियों ने दबा रखा था। हम किसी के भी खिलाफ भेदभाव के विरुद्ध हैं।

इस बात को देखते हुए यह विधेयक अलग-अलग भागों में तो अच्छा है लेकिन इससे समस्याएं सुलझने की बजाय अधिक समस्याएं पैदा होंगी। क्योंकि जहां तक मुसलमानों तथा हिन्दुओं का संबंध है इसमें भेदभाव बरता गया है। इसमें अनुपयुक्त भेदभाव किया गया है। मुझे आशा है कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 16 और अन्य उपबंधों को समाप्त कर देगा क्योंकि यह अनुपयुक्त है।

इन शब्दों के साथ मेरा सरकार से आग्रह है और मैं यह मांग करता हूं कि न्याय किया जाए। सस्ती लोकप्रियता का काम मत बनिए, यहां-वहां वोट बैंक प्राप्त करने का प्रयास मत कीजिए। न्याय कीजिए, सिद्धान्तों के अनुसार कार्य कीजिए, जो आप नहीं कर रहे हैं। अत: मैं अपने आपको इस विधेयक से दूर रखूंगा। मैं कहता हूं कि नवबौद्धों को रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए, परन्तु जब तक आप मुसलमानों और ईसाइयों को रोजगार के अवसर नहीं देते हैं तब तक मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं करूंगा, तब तक, वस्तुत:, सरकार मेरा संशोधन स्वीकार नहीं कर लेती है, जिसे, यदि वे निष्पक्ष हैं तो वे ऐसा करेंगे अथवा अपना खुद का संशोधन लायेंगे।

एक माननीय सदस्य : इसका अर्थ यह हुआ कि आपका समर्थन सशर्त है।

श्री एडुआर्डो फलीरो : मेरा समर्थन सशर्त नहीं है। मैं अपने आपको इस विधेयक से दूर रख रहा हूं; मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर रहा हूं; मैं तब तक अपने आपको इस विधेयक से दूर रखूंगा जब तक वे मुसलमानों और ईसाइयों को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोलबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 1990 का पूरे हृदय से समर्थन करता हूं और इसके साथ ही श्री रामविलास पासवान का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिसकी आवश्यकता बहुत दिन पहले थी, आज यह संशोधन यहां पर उनके प्रयत्नों से आया है।

हे उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सुविधायें अनुसूचित जातियों को दी जाती हैं, जो उसका अंग है, उसके बदले में हैं, जिस छूआछूत के कारण सदियों से हिन्दू धर्म में रह कर वे अपमानित होते रहे हैं और तो उनके विकास का रास्ता रुक गया था। इसके लिए बाबा साहेब डा० अम्बेडकर ने उनको

रास्ता दिखाया। 1935 में उन्होंने ये घोषणा की थी कि, "यह उनके हाथ की बात नहीं है कि वे हिन्दू पैदा हुए, लेकिन हिन्दू मरेंगे नहीं, यह, उनके हाथ की बात है।" 1956 में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, नागपुर के दीक्षान्त ग्राउण्ड में अपने पांच लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि आज तक इतना बड़ा धर्म परिवर्तन सारी दुनिया में इस तरह शांति से कहीं नहीं हो पाया, सारी दुनिया में स्वय ही दिन में शांति से जो यह धर्म परिवर्तन हुआ है, इस शांति से पांच लाख लोग एक दिन में धर्म परिवर्तन करें, बाबा साहिब का यह एक ऐतिहासिक कदम था। दूसरे, जो पहले मुस्लिम लोग बने, कुछ क्रिश्चन लोग बने, जो क्रिश्चन और मुसलमान बने, जो मेमुसलमान बने वह अन्याय से बने और कुछ क्रिश्चन लोग जो बने वह सरकार के प्रलोभन से बने और उनको वहां पर सुविधायें दी गईं, लेकिन जो अनुसूचित जाति के लोग हिन्दू धर्म में रहे, वे नव बौद्ध आज भी उतने ही उत्पीड़ित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि सब मुसलमान और ईसाई लोग, वे भी ऐसे हो हैं। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन क्रिश्चन अपने गिरजाघर में जाते हैं और पोप उनको अपना समर्थन देते हैं, उपदेश देते हैं, क्या वहां पर कोई छूआछूत होती है ? मैं उन मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि जब वे दरगाह में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं तो वहां छूआछात होती है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलीरो : महोदय, मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा। प्रत्येक ईसाई, चाहे वह इस सभा में मौजूद है अथवा कहीं और किसी न किसी जाति का है। जाति अभी विद्यमान है और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : उपाध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि यह तो छुआछूत के कारण ही कंवेंसेशन उन्हें मिल रहा है मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जो दलीलें वह इस पर दे रहे हैं, जो यह कहते हैं कि मुसलमानों और क्रिश्चनों को भी ये सुविधायें दी जायें, वे एक ओर इस अनुसूचित जाति के खिलाफ काम कर रहे हैं, अभी तक वे इस अनुसूचित जाति के खिलाफ काम करते रहे और अब वे इसे एक नयी दिशा दे रहे हैं, इन शब्दों से जो सुविधाएं उन्हें मिल रही है उन्हें मोड़ना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि अगर ये सुविधायें उनको दे दीं जो कान्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, आज जो संगठित हैं। वे लोग आज जिनको बराबर की सुविधायें मिली हुई हैं अगर जो पढ़े-लिखे हैं उनको भी ये सुविधायें दे दी गई तो वे सुविधाएं जो अनुसूचित जातियों को, जो बौद्ध धर्म में परिवर्तन के लिये दी जा रही है, मैं समझता हूं कि उन पर कुठाराघात होगा। इससे अनुसूचित जाति के लोगों का अहित होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने बौद्ध धर्म अख्तियार किया उन्होंने कुछ पाया नहीं है, उन्होंने कुछ त्याग किया है और आज तक उनका त्याग चलता रहा है। अनुसूचित जातियों की पीड़ायें तो दूर हो गईं, लेकिन उनको जो पहले सुविधायें मिलती थीं वह भी अब उनको मिलनी बन्द हो गई हैं। उन लोगों के लिए कान्वेन्ट स्कूलों में कोई जगह नहीं है, उनको बौद्ध धर्म में ऐसी कोई सहायता नहीं दी गई, जिससे उनका विकास हो पाये इसलिए इस बिल का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वह यह है कि वे नये बौद्ध तो बने लेकिन वहां उनको कोई सुविधायें नहीं दी गई उनका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर ज्यों का त्यों रहा। मैं तो यह समझता हूं कि उनकी भावना यह है कि जो लोग आज भी विकास नहीं कर पा रहे हैं,

[श्री कालका दास]

जिनको आज भी सुविधायें नहीं दी जा रही हैं, उनको सुविधाएं दी जायें। इस मुद्दे को लिए यह बिल बनाया है और लोग यह कहते हैं कि इसको दूसरी तरफ फेंक दिया जाये, वे लोग इन लोगों का अहित कर रहे हैं, इनके साथ अन्याय कर रहे हैं क्योंकि अगर यह सुविधायें कहीं उनको दे दी गई तो मुझे डर है कि वे पढ़े-लिखे क्रिश्चयन और मुसलमान जो वहां समान वातावरण में पल रहे हैं, जिनको पूरी शिक्षा मिली हुई है, जो ये सारी सुविधायें उनको मिलती है, उनको ये खींच लेंगे और ये लोग जो अनुसूचित जाति में हैं या नव बौद्ध बने हैं ज्यों के त्यों रह जायेंगे, उनका अहित होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे कि उन्होंने कुछ खोया है, लेकिन हिन्दू धर्म में आज भी मैं यह जानता हूं कि यह इस दिशा में भी अच्छा है, क्योंकि आज भी जो हिन्दू, अनुसूचित जाति जो हिन्दू धर्म है, उनके साथ आज भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है। उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। अगर कोई बौद्ध धर्म अपनाता है तो बौद्ध धर्म भी हिन्दू धर्म का अंग ही है। गौतम बुद्ध एक हिन्दू राजा थे, उन्होंने हिन्दू धर्म में जो कुरीतियां थीं, रूढ़िवाद था, अन्ध-विश्वास था, उसको दूर किया और एक रेफार्मड् हिन्दू धर्म की स्थापना की। मैं समझता हूं कि यह हमारे देश का धर्म है। बाबा साहेब डा० अम्बेडकर जी ने जब धर्म परिवर्तन किया था तब उन्होंने बताया था कि मैंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया उन्होंने एक पुस्तक में भी लिखा है और भाषणों में भी बताया है कि मैंने बौद्ध धर्म इसलिए अख्तियार किया क्योंकि यह इस देश का धर्म है। क्रिश्चयन उनके पास गए, मुसलमान उनके पास गए, निजाम हैदराबाद ने तो उनको यहां तक कहा कि मैं आपके समाज के विकास के लिए 8 करोड़ रुपए दूंगा, यदि आप मुसलमान बन जाएं, लेकिन कहा कि यह रुपयों की बात है, राष्ट्रीयता की बात है, इस देश की बात है। मैं वह धर्म अख्तियार करूंगा जो इस देश में पैदा हुआ हो, जिसकी जड़े इस देश में हों। बाबा साहेब डा० अम्बेडकर का अनुमान, उनकी भावना तभी पूरी होगी जब नव बौद्धों को वे सुविधायें दी जायेंगी। अगर उन्होंने बौद्ध धर्म का महत्व न समझा होता, इस देश का धर्म न समझा होता, हिन्दू धर्म का अंग न समझा होता तो वे मुसलमान भी बन सकते थे, क्रिश्चयन भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई विदेशी धर्म अख्तियार नहीं किया। हम भी यहां पर पैदा हुए, यह धर्म भी भारत में पैदा हुआ, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अख्तियार किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है, यह बिल्कुल उचित है और नव बौद्धों को सारी सुविधायें दी जायें। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो स्वप्न था, उनकी जो इच्छा थी, जो उनकी भावना थी, यह बिल उसके अनुकूल है। इसलिए इसमें किसी प्रकार का संशोधन करना ठीक नहीं होगा यह इस धर्म के साथ अन्याय होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं कि इसमें यह किया जाना चाहिए, वह किया जाना चाहिए, मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इन लोगों की बात उसी तरह की है कि :

वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता,
हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।

इन्होंने कत्ल किया, लेकिन ये अपनी बात नहीं बताते, यहां की जनता को बहकाते रहे, एक वर्ग को बहकाते रहें, लेकिन अपनी बातों का चर्चा न करते हुए इस बिल में संशोधन करने की बात

कह रहे हैं और संशोधनों की बात करके हमको बदनाम करना चाहते हैं, इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का अपनी ओर से, अपने दल की ओर से पूर्ण और हार्दिक समर्थन करता हूं और इस बात को फिर कहता हूं कि अगर इसको दूसरी दिशा में ले जायेंगे, जिस तरह के संशोधनों की बात कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कंडीशंस लगा रहे हैं, उनको नहीं माना जाना चाहिए। इन लोगों को जनता में जाकर जवाब देना होगा, जिनकी वजह से लोग कुर्सी पर बैठते रहे, आज जब कुर्सी चली गई तो इस तरह की बातें करने लगे, इनको जनता में जाकर जवाब देना होगा। मैं फिर इस बात को कहूंगा कि इस बिल को बिल्कुल इधर-उधर न किया जाए, अगर इधर-उधर किया गया तो नव-बौद्धों और अनुसूचित जाति के लोगों पर कुठाराघात होगा, उनके हितों की हानि होगी।

इतना कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

कुमारी मायावती (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान, अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 1990 का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव आपके समक्ष रखना चाहती हूं।

जैसाकि मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने यह कहा कि बाबा साहेब डा० अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन से पहले, कई साल पहले यह कहा था कि मैं हिन्दू धर्म में पैदा जरूर हुं, लेकिन मरूंगा नहीं। यह बात जब बाबा साहेब डा० अम्बेडकर ने कई साल पहले कहीं, तो कहने के बाद तुरन्त ही वे धर्म परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यह महसूस किया कि धर्म परिवर्तन से पहले मुझे तमाम धर्मों का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने यह महसूस किया कि मैं जिन लोगों का नेतृत्व कर रहा हूं, उनको जब मैं धर्म परिवर्तन के मामले में दिशा दूंगा, वह दिशा सही होनी चाहिए। उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी धर्मों का अध्ययन किया और विभिन्न धर्मों के बढ़ावा देने वालों ने, प्रचारकों ने उनको कई किस्म के लालच भी दिए, लेकिन बाबा साहेब डा० अम्बेडकर उनकी बातों में नहीं आए और 14 अक्तूबर, 1956 को नागपुर की दीक्षाभूमि में कई लाख लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उन्होंने महसूस किया कि यह धर्म भारत की उत्पत्ति है। यह धर्म विदेश से नहीं आया है। मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहती हूं, क्योंकि अभी हमारे भाई कालका दास जी ने यह कहा कि बुद्ध धर्म हिन्दू धर्म का अंग है, मैं इसका विरोध करती हूं। शायद इन्होंने बौद्ध धर्म का गहराई से अध्ययन नहीं किया है। यदि बौद्ध धर्म हिन्दू धर्म का अंग होता तो बाबा साहिब अम्बेडकर को धर्म परिवर्तन न करना पड़ता। मेरा एक सुझाव है, इस बिल के मामले में, क्योंकि जब मैंने बिल को पढ़ा, बिल का जो मकसद दिया गया है उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहती हूं कि अनुसूचित जाति के जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया 14 अक्तूबर, 1956 को और उसके बाद, तो उन्हें नव-बौद्ध की संज्ञा दी गयी। मैं यह बताना चाहती हूं बौद्ध धर्म की अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए भारत में ही नहीं विदेशों में भी बौद्ध धर्म का फैलाव हुआ है। यदि बौद्ध धर्म से पहले "नव" लगा देते हैं तो विदेशों में जब नव बौद्धों की बात जाएगी तो वे पूछेंगे कि ये नव-बुद्धिस्ट कौन हैं। तो उन्हें बताना पड़ेगा कि जो लोग अनुसूचित जाति के थे, जो दबे कुचले लोग थे, जिनको नीच माना जाता था, ये वे लोग हैं। तो स्वाभाविक है कि जातिवाद आज इस मुल्क में ही पूरी दुनिया के अन्दर तेजी से बढ़ता जा रहा है। मैं समझती हूं कि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, मनुवाद को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए इसमें से "नव" शब्द को हटाया जाए और केवल बुद्धिस्ट को ही महत्व दिया जाए। यह सुझाव मैंने आपके सामने रखा।

[कुमारी मायावती]

दूसरा, मुझसे पूर्व कई वक्ता बोले, मैं एक बात बताना चाहती हूं, जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जो कांग्रेस की सरकार ने बहुत पहले कर देना चाहिए था वह अब राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने किया है। मैं राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का समर्थन करती हूं, लेकिन जो इन्होंने कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस सरकार ने नहीं किया और आपने कर दिया है। इससे आप समझते हैं कि दबे कुचले लोग आपके बहकावे में आ जायेंगे ? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को बताना चाहती हूं कि इस कार्य के लिए मैं और मेरी पार्टी आपका स्वागत करती है और हम विधेयक का समर्थन करते हैं, लेकिन दबे कुचले लोग आज उठकर खड़े हो गए हैं, हिन्दू धर्म के ठेकेदारों को आज घबराहट है कि यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति से कंवर्टिड लोगों को सहूलियतें नहीं मिली तो कहीं ये क्रिश्चयन या मुसलमान न बन जाएं। आप लोग अपने हिन्दू धर्म को बचाने के लालच के कारण ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि अब अनुसूचित जाति के लोग बहुत बड़े पैमाने पर उठ कर खड़े हो गए हैं और दबे कुचले लोगों ने इस देश में तीसरी राजनीतिक ताकत बनायी है। बहुजन समाज के लोग तीसरी ताकत बनकर मुल्क में उभर चुके हैं। उनकी ताकत को देखकर आपको झुकना पड़ा है। आपको डर है कि यदि इन लोगों को ज्यादा सताया तो कहीं ये मुसलमान या ईसाई न बन जायें मैंने कुछ बातें आपके सामने रखीं, मैं समझती हूं कि जो सुझाव मैंने रखे हैं, उनपर जरूर ध्यान दिया जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं और मेरी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय यह विधेयक एक बहुत ही युक्तिसंगत सिद्धांत को स्पष्ट करता है, अर्थात् किसी व्यक्ति द्वारा केवल धर्म परिवर्तन कर लेने मात्र से रातों-रात उसकी सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक स्थिति और हैसियत में परिवर्तन नहीं होता है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का कथन में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि ऐसे धर्मांतरण धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों की सामाजिक, शैक्षिक आदि हैसियत में परिवर्तन करने में असफल रहे हैं। अतएव, इस विधेयक में अनुसूचित जाति के हिन्दुओं तथा सिखों द्वारा उपयोग किए जा रहे आरक्षण तथा रियायतें धर्म परिवर्तन करके बौद्ध बने अनुसूचित जाति के लोगों को भी देने की मांग की गई है। इसलिए, जैसाकि मैंने कहा है, यह विधेयक अत्यन्त युक्तिसंगत सिद्धांतों पर आधारित है।

मुझे सिद्धांत की युक्तिसंगतता के बारे में यह बता देना चाहिए कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि माननीय मन्त्री महोदय इस कार्य पथ से विचलित हो गए हैं और उसी तरीके से प्रभावित सभी वर्गों के लोगों के साथ न्याय करने में असफल रहे हैं अतएव मैं कहना चाहूंगा कि यह विधेयक बे मन से तथा अनिच्छा से किया गया उपाय है। हम सभी यह कामना करते हैं कि माननीय मन्त्री महोदय अपने रास्ते से न हटकर लोगों के साथ न्याय किया होता और उन सिद्धांतों पर चले होते जो विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं।

मैं माननीय मन्त्री महोदय तथा इस सभा का ध्यान गांधी जी के विचारों की ओर दिलाना चाहता हूं। गांधी जी ने दिनांक 26-12-1936 के 'हरिजन' में इस प्रकार लिखा था :

"कोई हरिजन, चाहे वह सामान्य तौर पर ईसाई, मुसलमान अथवा हिन्दू और अब सिख है, अभी भी हरिजन है। वह तथाकथित हिन्दुत्व से उत्तराधिकार में प्राप्त संस्कारों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। वह अपनी वेशभूषा बदल सकता है और अपने आपको कैथोलिक हरिजन, अथवा मुसलमान हरिजन अथवा नव मुस्लिम अथवा नव-सिख कहला सकता है, परन्तु उसका अछूत होना जिन्दगी भर उसका पीछा करता रहेगा।"

अतएव हम यह देखते हैं कि यह एक तथ्य है कि मात्र धर्म परिवर्तन करने से ही किसी व्यक्ति को सामाजिक, शैक्षिक अथवा आर्थिक हैसियत में रातों-रात कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतएव सरकार से यह कहने के पीछे यह तर्क है कि वह यह सुनिश्चित करें कि ये सुविधाएं अथवा आरक्षण अथवा अन्य सुविधायें अनुसूचित जाति के सभी लोगों को उनके धर्म-परिवर्तन पर ध्यान दिए बिना दी जाती हैं। एक जोरदार दलील यह दी गयी है कि ईसाई बनने वाले अनुसूचित जाति के लोगों और इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को भी वही लाभ दिए जाने चाहिए। मैं भी सभा के समक्ष एक उचित संशोधन रख रहा हूं और मैंने भी एक दलील दी है कि ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को आज उन पर जो अन्याय किया गया है उसको देखते हुए इस विधेयक की परिधि में शामिल किया जाना चाहिए।

प्रो० काण्डे प्रसाद राव द्वारा 'फ्रीडम आफ रिलिजन फार हरिजन्स इन इण्डिया' शीर्षक में लिखित एक रोचक पुस्तक छपी है। उन्होंने इस सम्बन्ध में काफी कार्य किया है उन्होंने इस पुस्तक के पृष्ठ 8 पर यह लिखा है :

"इस समय लागू कानून के अनुसार किसी हरिजन की हैसियत उसके द्वारा अपनाए गए धर्म के अनुसार भिन्न-भिन्न है। हिन्दू अथवा सिख धर्म अपनाने वाले हरिजन को अधिकतम लाभ मिलता है; बौद्ध धर्म अपनाने वाले हरिजन को उससे कम लाभ मिलता है और ईसाई धर्म अपनाने वाले हरिजन को कोई लाभ नहीं मिलता है।"

मुसलमान के बारे में भी यही बात सच है। अत: मैंने यह जोरदार दलील दी है कि अनुसूचित जाति के उन लोगों को जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई तथा इस्लाम धर्म अपना लेते हैं, इस विधेयक की परिधि में लाया जाना चाहिए और उन्हें अनुसूचित जातियों के लिए उपलब्ध आरक्षण तथा सुविधाओं के लिए भी अधिकृत किया जाना चाहिए।

मैं यहां बता देना चाहता हूं कि कानून में अनुसूचित जनजाति के मुसलमानों को स्वीकार किया गया है। अनुसूचित जनजातियों में मुसलमान हो सकते हैं और मुसलमान हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी इस कानून विशेष को मान्यता दी है। इस तथ्य के कई निर्णय मौजूद हैं समय कम है। अत: मैं उनको उद्धृत नहीं कर रहा हूं।

श्री कालका दास : यदि वह मुसलमान बन जाता है तो क्या वे उसे अछूत मानेंगे ?

श्री बी० एम० बनातवाला : यह व्यवधान पैदा किया गया है और माननीय सदस्य की बात समझ रहा हूं। माननीय सदस्य की बात को रिकार्ड किया जाए और मैं उस मुद्दे का उत्तर दूंगा जो उन्होंने इस आशा से उठाया है कि उनमें सद्बुद्धि आएगी यद्यपि मैं जानता हूं कि उनकी यह आशा पूरी नहीं होगी। इस तथ्य के बारे में कोई सन्देह नहीं है कि इस्लाम में किसी भी जाति को मान्यता नहीं दी है गई है। कोई भी ईसाई अपने धर्म की बात करेगा। मैं उसकी बातों को सुनूंगा। जैसाकि मैं समझता हूं ईसाई धर्म में भी जाति को स्वीकारा नहीं गया है अथवा मान्यता नहीं दी गई है।

[श्री जी० एम० बनातवाला]

प्रश्न यह नहीं है कि क्या इस्लाम अथवा ईसाई अथवा बौद्ध अथवा सिख जैसे धर्मों में जाति को स्वीकारा गया है अथवा नहीं प्रश्न वह नहीं है तथ्य यह है कि अनुसूचित जाति के इन धर्मों को अपनाने वाले लोग अस्पृश्यता मानने वाले लोगों के गुस्से का शिकार होते रहते हैं। जो लोग अस्पृश्यता मानते हैं वे अनुसूचित जातियों के लोगों को उत्पीड़ित तथा उनका दमन करना और उनके साथ बुरा व्यवहार करना जारी रखते हैं भले ही उन्होंने कोई अन्य धर्म परिवर्तित कर लिया हो। उनका जीवन धर्म परिवर्तन के बावजूद असह्य बना दिया जाता है।

श्री एडुआर्डो फलीरो : वह सभी धर्मों का उत्पीड़िक हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : मूल अनुसूचित जाति के आदमी को उसके धर्म परिवर्तन करने बावजूद अस्पृश्यता को मानने वाले लोगों द्वारा उनका उत्पीड़न और उनका दमन जारी रहता है। वे उसका जीवन मुश्किल बना देते हैं। वह मुसलमान हो सकता है परन्तु मूल रूप से वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति था। जो लोग अस्पृश्यता को मानते हैं वे उसे उत्पीड़ित करते हैं और उसका दमन करते हैं। यह जीवन का एक सत्य है जिसे समझा जाना है। यहां हमें अपनी आंखें बन्द नहीं करनी चाहिए; हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग को सामाजिक न्याय दिया जाए।

मुझे यह भी कहना है कि माननीय मन्त्री महोदय को अनुसूचित जाति का आरक्षण और अन्य सुविधाएं ईसाईयों, बौद्धों, मुसलमानों इत्यादि को प्रदान करते समय उन विभिन्न अन्य असंगतियों को भी ठीक करना चाहिए जिन्हें अनुसूचित जाति के लोग आज भोग रहे हैं। मेरे और अधिक बोलने के लिए समय नहीं है। मैं माननीय प्रोफेसर द्वारा लिखित एक पुस्तक का उल्लेख पहले ही कर चुका हूं। मैंने यहां उनको उद्धृत किया है। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों का प्रश्न लीजिए। उस हरिजन महिला का बच्चा जो सवर्ण हिन्दू से शादी करती है—अब इस तथ्य के बावजूद कि अनुसूचित जाति की कोई महिला किसी सवर्ण हिन्दू से शादी करती है और इस तथ्य के बावजूद कि वह सवर्ण हिन्दू के माहौल में चली जाती है फिर भी उसे अनुसूचित जाति का सदस्य माना जाता रहता है परन्तु उसके बाद उसके बच्चों का प्रश्न खड़ा होता है।

कार्यपालिका के आदेशों में मनमाना भेदभाव किया गया है एक यह कि यदि ऐसी महिला के शिशु को सवर्ण समाज में स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे अनुसूचित जाति का नहीं समझा जायेगा किन्तु यदि किसी शिशु को अस्वीकार कर दिया जाता रहा, तो उसे समझा जाएगा। ये सभी बड़े मनमाने किस्म के भेदभाव हैं और इसमें एक अभिभावकों के और दो शिशुओं के बीच भेदभाव किया गया है। इस प्रकार के भेदभाव समाप्त होने चाहिएं।

इससे पहले कि मैं समाहार करूं, मैं यह अवश्य कहूंगा कि ऐसे अनेक बहुत सारे लोग हैं, खासकर खुद अनुसूचित जाति के भी जो स्वयं को हरिजन कहना पसन्द नहीं करते। वे 'हरिजन' शब्द को अपमानजनक मानते हैं। हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना ही चाहिए और उनके लिए 'हरिजन' शब्द के प्रयोग का परिहार किया जाए और हमें उनके लिए 'अनुसूचित जाति' का ही सदा प्रयोग करना चाहिए।

मुझे यह बताना लाजिमी होगा कि संभवत: 1967 अथवा 1968 में भारत सरकार ने स्वयं

अनेक आदेश जारी करके विभागों को 'हरिजन' शब्द का प्रयोग न करने के अनुदेश दिये थे। इसी व्यवस्था का अनुसरण किया जाए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यह बात नहीं, बल्कि जो हरिजन शब्द है, वह असंसदीय है, यह कहा गया था और जो शब्द उपयुक्त है, वह अनुसूचित जाति या 'शेड्यूल्ड कास्ट' है।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, किन्तु इस तथ्य के बावजूद 'हरिजन' शब्द का निरन्तर प्रयोग किया जा रहा है।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि संसद में भी कार्यवाही वृत्तान्त में इस शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दी जाये और उपयुक्त शब्द 'अनुसूचित जाति' का प्रयोग किया जाए। मैं आपको प्रेस काउंसिल आफ इण्डिया के निर्णय जो अक्तूबर 1989 के "द प्रेस काउंसिल आफ इण्डिया : रिव्यू" के पृष्ठ 145 में छपा था, का हवाला देता हूं। इसमें प्रेस काउंसिल ने कहा था ;

" 'हरिजन' शब्द के प्रयोग से परिहार करें।"

महोदय, अब आप बहुत अधीर हो रहे हैं और इसलिए मैं अभी बात समाप्त करूंगा। मैं केवल यह कह कर इस बात का उल्लेख करूंगा कि एक माननीय सदस्य ने अपने भाषण में खतरनाक साम्प्रदायिक ढंग की बातें सभा में कही है, उनका ऐसा उपयुक्त समझना बहुत खेदपूर्ण और दुर्भाग्य-पूर्ण है। वे बौद्ध और इस्लाम में धर्मान्तरण करने वालों के बीच भेदभाव किया है और मनमाने और निराधार आरोप लगाये हैं कि जोर डालकर मुसलमान आदि बनाए गए हैं। यदि ये हालत होती, तो मुसलमानों ने इस देश पर हजार वर्ष राज किया है और आज हजार साल बाद मुसलमान अल्पसंख्यक न होते, जैसे कि वे आज हैं। (व्यवधान)

महोदय, कृपया उन्हें रोकिए। मैंने उनकी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है और अब उन्हें भी मेरी बात सुननी होगी। उन्हें भी तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह हमारे देश में साम्प्रदायिकता ने सिर उठाया है। (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फलेरो ; महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहा हूं। मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : तलवार के बल पर कन्वर्ट किए जाते थे··· (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है।··· (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : हिम्मत है तो सुनिए।

श्री कालका दास : हम गलत बात नहीं सुनेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा : मेरा आग्रह है कि यहां पर हम सबों को अपने-अपने विचार देने की स्वतन्त्रता है और अपने विचार के मुताबिक हम देते भी हैं। मगर दुर्भाग्य से उनको··· (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : हमने उनको सुना, वे हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं···
(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री कालका दास : उपाध्यक्ष जी, इस देश का इतिहास इस बात का साक्षी है कि औरंगजेब के जमाने में, अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में इस देश के हिन्दुओं को जबर्दस्ती तलवार के बल पर कंवर्ट किया गया। (व्यवधान)

श्री रतीलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष जी, यह सरासर हमारा अपमान है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष जी, ये ** है, इसीलिए ऐसी बात कर रहे हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : तुममें सुनने की हिम्मत नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने केवल भोगेन्द्र झा को अनुमति दी है। अन्य व्यवधानस्वरूप बातें कार्यवाही वृत्तान्त में दर्ज नहीं होंगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भोगेंद्र झा : उपाध्यक्ष जी मेरा व्यवस्था प्रश्न है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ (मन्जेरी) : किसी केन्द्री बनातवाला को '····' कहा था। इसे कार्यवाही वृत्तान्त से हटा दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही उसे हटा चुका हूं। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : उपाध्यक्ष जी, औरंगजेब के जमाने में तो जबर्दस्ती हिन्दुओं को कन्वर्ट किया गया है, ये इस बात को भूल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : हिन्दुस्तान में अरबों रुपया बाहर के मुल्कों से आ रहा है, उसे कैसे प्रयोग किया जा रहा है, क्या इन्हें पता है। उस पैसे से लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, इस प्रकार से उत्तेजित होकर चर्चा मत कीजिए कि इधर से माननीय सदस्य कुछ कहें, फिर उधर से भी कुछ माननीय सदस्य कहें, यह ठीक है कि दोनों को अपने-अपने विचार रखने का हक है परन्तु किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, इस आशय से न इधर के लोगों

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

को कुछ कहना चाहिए और न उधर के लोगों को कहना चाहिए। बनातवाला जी अपनी बात रख रहे थे, उत्तर दे रहे थे, उन्हें भी अपनी बात कहने का अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : ये जवाब नहीं दे रहे थे, उत्तेजना फैला रहे थे। (व्यवधान)

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : यदि किसी ने कोई ओब्जेक्शनेबल शब्द कहें हैं तो उसे कार्यवाही से निकाल देना चाहिए, इसमें क्या है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, इस तरह दूसरों को बोलने का चांस मिल जाता है। एक बार सदन में शान्ति प्रस्थापित हो जाने के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं व्यवस्था के प्रश्न के अन्तर्गत यह कहना चाहता था कि सदन में अपने-अपने विचार रखने की आजादी सबको है। सबके अलग-अलग विचार हो सकते हैं और होने भी चाहिएं, इसमें कोई गलत बात नहीं है और सबके विचार लेकर ही हम किसी राय पर पहुंचते हैं, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें इस सदन में नहीं कहा जाना चाहिए, जो हमारे संविधान के मुताबिक नहीं है, या सदन की मर्यादाओं के मुताबिक नहीं है, वे सदन में नहीं कही जानी चाहिएं। ऐसी कुछ बातें इधर से भी आयी हैं और उधर से भी आयी हैं। (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : कौन-सी बात इधर से आयी है, बताइए।

श्री भोगेन्द्र झा : मैंने कहा कि दोनों तरफ से आयी हैं, यदि आप जोर देंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन दोनों तरफ से आयी हैं। इधर से भी आयी हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बनातवाला जी आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसकी गहराई में मत जाइए। यहां पर जो कुछ हुआ है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, मैंने जो कुछ कहना था, वह कह दिया है। अब आप इस बहस को ज्यादा लम्बा मत कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब नहीं झा साहब, बस। आप कृपया बैठ जाइए।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, आपत्तिजनक टिप्पणी को हटा देने के लिए मैं आभारी हूं। किन्तु ऐसी टिप्पणी यहां पहली बार नहीं की गई। दो दिन पहले भी यहां ऐसी ही टिप्पणी की गई थी और तब माननीय आडवाणी जी ने स्वयं उठकर क्षमा मांगी थी। आपके इस सभा के संरक्षक होने के नाते, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि ऐसी टिप्पणियों को निकाल देना भर ही काफी नहीं है बल्कि ऐसी टिप्पणियां करने वाले सदस्य की अध्यक्षपीठ द्वारा भर्त्सना भी की जानी चाहिए··· (व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरी जानकारी के अनुसार आपने इस वाद-विवाद में से कुछ भी नहीं हटाया या निकाला है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उसे निकाल दिया है।

श्री राम नाईक : किस टिप्पणी को ?

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ आपत्तिजनक बातों का उल्लेख।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : मेरा निवेदन यह है कि सदस्य महोदय ने कहा है कि अपमान उनका होता है, जिनका मान हो, जैसे यहां किसी का मान ही नहीं है। इससे घटिया और हलकी बात और क्या हो सकती है ? आप इसको भी रिकार्ड से निकालें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस हाउस के अन्दर हम सब लोग इस प्रकार से अपने विचार रखें जिनकी वजह से किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और आपका आर्गूमेंट जो है ज्यादा परिणामकारक तब होता है जब आप किसी ऐसी भाषा का उपयोग न करें जिसकी वजह से दूसरों की भावना को ठेस पहुंचे। उसके सिवाय भी वह आप कर सकते हैं और यहां के सारे सदस्यों में वह क्षमता है। अब मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा इसको नहीं बढ़ाना चाहिए। मैंने कह दिया है कि जो आब्जेक्शनेबल है उसको रिकार्ड से निकाल दिया गया है। अब श्री बनातवाला जी थोड़े समय में अपनी बात समाप्त करें।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला : यह दुर्भाग्यजनक है कि इतिहास का साम्प्रदायिक लाभ उठा रहे हैं। किन्तु मैं आपके निर्णय का पालन करूंगा और इस असत्य पर विचार नहीं करूंगा जिसको लोग कोशिश कर रहे थे···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह बात कह चुके हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : उपाध्यक्ष महोदय, अब ये फिर वही बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसका खंडन करना उनका अधिकार है।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सिवाय श्री बनातवाला के भाषण के कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

प्लीज आप बैठ जाइए। देखिए, जब-जब आप वहां से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तब-तब गड़बड़ी होती है वह काम यहां पर बैठने वाले पर छोड़ दीजिए, वह अच्छी तरह से हो जाएगा। क्योंकि आप एक बोलेंगे तो 4 यहां से उत्तर देते हैं, जब आप उसका जवाब देते हैं, तो उधर से

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

वे उत्तर देते हैं। इसलिए जो यहां चेयर में बैठे हुए हैं उन पर छोड़ दीजिए। सारा मामला ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। सिर्फ बनातवाला साहब बोलेंगे।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : सभी सदस्यों ने अपना नामांकन पत्र भरने से पहले राष्ट्रीय एकता की शपथ ली है। परन्तु इस सभा का सदस्य बनने के बाद ये लोग साम्प्रदायिक स्वर में बोल रहे हैं। अत: सभा का कर्त्तव्य है कि वह ऐसा इन्हें करने से रोके। किसी को भी हमारे धर्म-निरपेक्ष संविधान का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। अत: जो साम्प्रदायिक स्वर में बोलेगा, उसे ऐसा करने से रोका जाना चाहिए तथा उसके भाषण को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सबसे पहले आप इस चर्चा को अधिक लम्बा नहीं खींचेंगे। यदि आप इधर-उधर की बातों पर चर्चा को लम्बा खींचेंगे तो मुख्य बात पर चर्चा नहीं हो पाएगी। अत: मैं सभी माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं कि वे व्यवस्था के और अधिक प्रश्न न उठायें तथा इधर-उधर की बातों पर चर्चा का विषय न उठायें। अब आपके बयान में जो भावना निहित है, उससे समूची सभा सहमत होगी। सभी सदस्य इस तरह से बोलें कि सदस्यों की भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचे और ऐसी स्थिति भी उत्पन्न न हो जिसमें एकता पर भी आंच आए। यह सभी सदस्यों पर लागू होता है। साथ ही साथ जानबूझकर या अन्जाने में यदि कोई सदस्य ऐसी कोई बात कहता है तो अच्छा यह है कि वह उसको वापस ले ले। यदि वह इसको वापस नहीं लेता है तो हम इसका ध्यान रखेंगे। बहुत से मामलों में यह अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे मामलों पर अत्यधिक जोर दिया जाए। परन्तु आपके वक्तव्य में जो भावना है सभा उससे सहमत है। अब इधर-उधर के मामले पर और अधिक चर्चा न हो। श्री जी० एम० बनातवाला अपने भाषण को जारी रखें।

श्री जी० एम० बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात पर अत्यधिक जोर देते हुए कि जो लोग अनुसूचित जाति से मुसलमान या इसाई बन गये हैं उनको भी इस विधेयक की परिधि में लाया जाए। मैं यह भी कहूंगा कि इस बात का कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। कि अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण के मामले पर कोई नुकसान होगा। यहां पर इस बात का डर पैदा किया गया है कि अनुसूचित जाति के जो लोग मुसलमान या इसाई बन गए हैं यदि उनको इस विधेयक की परिधि में लाया गया तो वर्तमान अनुसूचित जाति के हिन्दू तथा सिख लोगों के आरक्षण और अन्य सुविधाओं पर प्रभाव पड़ेगा इनको भड़काने का प्रयास किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे प्रयास बेकार जायेंगे। हमारे पास सदैव ऐसी योजनायें हैं जिससे इस तथ्य का ध्यान रखा जाएगा कि विधेयक का क्षेत्र बढ़ाए जाने से आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा जिसका कि समाज के कुछ वर्ग लाभ उठा रहे हैं। विस्तृत योजनाओं को सदैव ही बनाया जा सकता है हम यहां पर इस सिद्धान्त पर चर्चा कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत समस्त मामले की जांच की जानी चाहिए और माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त, जैसाकि मैंने अपने भाषण के शुरू में कहा था, स्वस्थ सिद्धान्त है। परन्तु उनके समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। निस्सन्देह मेरा अपना संशोधन है, जिसे मैं उचित समय पर पेश करूंगा और मुझे आशा है कि सरकार तथा सभा उसको अनुमोदित करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगपाल सिंह ।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : महोदय, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आप श्री प्रेम प्रदीप को क्यों नहीं बुला रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह कैसे मान लिया कि मैं उनको नहीं बुला रहा हूं? आप यह कैसे कहते हैं ? मैं उनको तब बुलाऊंगा जब उनकी बारी आयेगी। कृपया बैठ जायें। चिन्ता न करें, मैं उनको बुलाऊंगा ।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : दलीय संख्या के अनुसार चौथा स्थान है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। मैं उनको बुलाऊंगा। यह अनावश्यक वक्तव्य न दें।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : बी० एस० पी० और मुस्लिम लीग को आपने पहले बुलाया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, वे भी सदस्य हैं। आपको इस पर आपत्ति नहीं हो सकती।

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल 1990, जो उन हरिजनों और अनुसूचित जातियों के लिए लाया गया है जो आज से 26-27 साल पहले बुद्धिस्ट हो गए, का कुछ संशोधनों और सुझावों के साथ समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और पासवान जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मांग पूरे देश के अन्दर वर्षों-वर्षों से चल रही थी कि नव-बौद्धों को वही सुविधायें दी जानी चाहिए जो हिन्दू हरिजनों को दी जाती है, वह लाकर उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। इस बिल को लाने से एक बात साफ हो गई है और वह बात के लिए मैं खास तौर से बी० एस० पी० के लोगों को सम्बोधित करना चाहता हूं कि हिन्दू सभा की जो विशेषता है, वह सिर्फ कास्टिज्म और अनटेचेबिल्टी ही है। यही कारण है कि हमारे मुल्क में क्रिश्चियनिटी आई, इस्लाम आया और उसमें भी कास्टिज्म और अनटेचेबिल्टी चली गई।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ : मुस्लिम धर्म में ऐसा कुछ नहीं है।

श्री जगपाल सिंह : मैं आपको उदाहरण देकर बता दूंगा। चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, वह इससे अछूते नहीं रह सकते। हमारे हिन्दू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता कास्टिज्म और अनटेचेबिल्टी है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप बिना इण्टरपशन के भाषण करना चाहते हैं तो चेयर को एड्रेस करें।

श्री जगपाल सिंह : हमारे समाज में कई हजारों सालों से एक बुराई चल रही है। मायावती बैठी हुई हैं। मैं बी० एस० पी० के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बिल को लाने से एक बात साफ हो गई है कि कास्टिज्म और अनटेचेबिल्टी का हल धर्म परिवर्तन नहीं रहा। आज आर्थिक और सामाजिक विकास को लाने के लिए कनवर्जन उसका हल नहीं रह गया है। इस बिल को लाने के बाद बी० एस० पी० जैसी पार्टी इसका समर्थन करे तो उससे यह बात साफ हो जाती है कि धर्मान्तर से

हरिजनों की आर्थिक और सामाजिक हालत नहीं सुधारी जा सकती है। वैसे तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन पासवान जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि वह भी हिन्दू धर्म का एक हिस्सा हैं, आपका हिन्दुत्व इस बिल को लाने से बिल्कुल साफ दिखायी दे रहा है। जो बुद्धिस्ट हरिजन हो गये हैं, उनके खून से प्यार है, लेकिन जो हरिजन हो गये हैं, क्रिश्चियन हो गए हैं, उनसे कोई मोहब्बत नहीं रही या जो मुसलमान हो गये हैं, उनसे कोई मोहब्बत नहीं रही। आपको यह कांस्टी॰ ट्यूशन अमेंडमेंट बिल पहले लाना चाहिए था। इसके एक अनुच्छेद में कहा गया है कि हिन्दू धर्म के मायने सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म माना जायेगा, किसी और को नहीं माना जायेगा। पूरे देश के हरिजनों को चाहे वह इसाई हो गये हैं, चाहे इस्लाम में चले गये हैं, चाहे बुद्धिस्ट हो गए हैं, आज उन सबको बराबर समान दर्जा देने का काम आपको करना चाहिए था वरना आपका बिल मीनिंगलैस होगा।

नव-बौद्धों ने एक आन्दोलन चलाया कि हमको हरिजनों और अनुसूचित जातियों के समान सुविधायें मिलनी चाहिए। हमारे साउथ इण्डियन हरिजन जो इसाई हो गए हैं और नार्थ-ईस्टर्न जोन में तो हमारे हरिजन इसाई हो गये हैं, 25-30 साल से वह भी आन्दोलन चला रहे हैं कि हम लोगों को भी वह सुविधायें मिलनी चाहिए। रोजमर्रा इस हादसे की खबरें अखबारों में आती हैं कि क्रिश्चियन हरिजनों ने मांग की है। जब बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद भी उनकी सामाजिक और आर्थिक हालत नहीं बदली तो क्या गारन्टी है कि अब उनकी हालत सुधर जाएगी। जात-पात और छुआछूत जो कि इस देश में अब तक चल रहा है, उसको खत्म करने के लिए इस बिल के अन्दर कोई प्रावीजन नहीं है।

2.00 म०प०

उन हरिजनों को चंद सुविधायें देने के बाद क्या यह गारन्टी है कि नव-बौद्धों के सामाजिक और आर्थिक विकास का स्तर आप हिन्दुस्तान के दूसरे समाज के लोगों के बराबर ले आयेंगे। इस बिल में आपने ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है। मैं मांग करता हूं कि नव-बौद्धों को वही सुविधाएं देने के बाद आपने गारन्टी दी है, मैं आपसे एक और अनुरोध करता हूं कि लाखों करोड़ों बुद्धिस्ट हिन्दू धर्म की वही सुविधायें प्राप्त करेंगे तो आप हरिजनों के आरक्षण को बढ़ाने पर भी विचार करिए वरना हरिजनों को आरक्षण की सुविधा देने के बाद वह कम पड़ेगा। पासवान जी, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस बिल को लाने के बाद उनके विकास की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। आज हम लोग 12-12 और 18-18 घंटे काम करने के बावजूद भी, फटे कपड़े पहनने के बावजूद भी, भूखे पेट सोने के बावजूद भी इस देश में सम्मान नहीं पाते, आज सम्मान की जरूरत है और सम्मान आप तब दिला पाएंगे जब 22 करोड़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आप आर्थिक और सामाजिक विकास की तरफ ले जाएंगे। आज खास तौर से किसी व्यक्ति विशेष में नहीं लेकिन हिन्दू धर्म में हरिजनों के प्रति एक नफरत है, चाहे वह ईसाई हो, चाहे वह बौद्ध हो, चाहे वह हिन्दू हो, सवर्ण जाति के लोगों के खून में नफरत पैदा हो गई है। पासवान जी, मैं एक महीने से पी॰ उपेन्द्र जी को एक शिव कुमार, जो ए॰ आई॰ आर॰ के अन्दर डिप्टी डायरेक्टर हैं, वह हार्ट अटैक के मरीज हैं, चार दिन पहले वह बस से गिर गये, उनको चोट लग गई, ईलाज हुआ लेकिन उपेन्द्र जी ने उनका ट्रांसफर नहीं रोका और 4 ट्रांसफर उपेन्द्र जी खुद रोक चुके हैं ऐसे लोगों के जिनको डायरेक्टर प्रमोट किया गया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब जी बढ़ रही है, हम मिनि-स्टरों को कहते हैं कि हरिजन के साथ यह ज्यादती हो रही है तो आपके मिनिस्टर सुनने को तैयार

[श्री जगपाल सिंह]

नहीं है···(व्यवधान) ···जरूरत इस बात की है कि हम इन लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास करें।

मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। आज भी इस देश के अन्दर सामन्तवाद का शोषण चल रहा है और सामन्तवाद का सबसे बड़ा असर हमारे वीकर संक्शन के लोगों पर, हरिजनों पर पड़ता है। आज फ्यूडल एक्सप्लायटेशन को रोकने के लिए सरकार कदम उठाए, इस बात की जरूरत है। देहात के अन्दर लोगों को उनकी पूरी मजदूरी दिलवाने की गारन्टी दे, भूमि सुधार लाए, इन्हीं से हमारा सामाजिक और आर्थिक विकास हो पायेगा, सिर्फ इस बिल को लाने से नहीं होगा इसलिए मैं पासवान जी से अनुरोध करता हूं कि हरिजन हरिजन है, चाहे वह हरिजन ईसाई हो, चाहे वह हरिजन मुसलमान हो, चाहे वह हरिजन हिन्दू हो, आज आप उन सब हरिजनों को बराबर समानता के दर्जे पर लाने की कोशिश करिए···

[अनुवाद]

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ : उपाध्यक्ष महोदय, हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए; यह असंसदीय है तथा इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। इनको अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति कहा जाना चाहिए। माननीय सदस्य 'हरिजन' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं खुद इस राय का हूं कि हरिजन शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और अगर मैंने किया है तो गलत है, वह एक्सपंज हो जाना चाहिए।

श्री कालका दास : उसको वापस लेकर शेड्यूल्ड कास्ट कह दो।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। जगपाल सिंह जी, आप भाषण करने वाले हैं या उनका जवाब देने वाले हैं ? आप अपना भाषण दीजिए।

श्री जगपाल सिंह : अन्त में मैं यह मांग करके बैठ जाता हूं कि हरिजन हरिजन है चाहे वह हरिजन ईसाई हो गया हो, चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग मुसलमान हो गए हों या हिन्दू हों, उन सबको बराबर की सुविधाएं दिलाने के लिए आपको बिल लाना चाहिए और इतनी जल्दबाजी में इस बिल को आप पास मत कराइए। इस बिल को आप वापस ले जायें और दोबारा आप इस पर विचार करें। सब अनुसूचित जाति के लोगों को बराबर का दर्जा और बराबर का स्थान मिलना चाहिए।

दूसरी मांग मेरी यह है कि आप करोड़ों बौद्धों को सब सुविधायें दिलाने जा रहे हैं, उनको अगर आप ये सुविधायें देते हैं तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के आरक्षण को भी बढ़ाने के बारे में आप विचार करें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

कुमारी मायावती : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात भाई जगपाल सिंह जी को कहना चाहती हूं शायद वे हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी को नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा है कि मायावती ने तो

इस बिल का समर्थन किया है, मुझे आश्चर्य है कि बी० एस० पी० जैसी पार्टी इसका समर्थन करे। मैं उनको बताना चाहती हूं कि इस बिल में बुराई क्या है, इस बिल में दलित, शोषित समाज के लोगों का भला है। जहां तक मुसलमान और ईसाईयों की बात है, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। उनको आरक्षण मिलता है तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पहले वे उसका समर्थन करेगी। हम उसके खिलाफ नहीं हैं। बहुजन समाज पार्टी में सिक्ख, मुसलमान, पारसी, ईसाई और बौद्ध बढ़-चढ़कर काम कर रहे। आप क्या इस प्रकार गुमराह कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के लोगों को ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं हो सकता है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : मैंने आपका नाम इसलिए लिया, इस बिल को लाने के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि धर्म परिवर्तन से हरिजनों की आर्थिक और सामाजिक उत्थान नहीं है (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसको कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है। इस प्रकार से चर्चा नहीं कर सकते हैं।

[अनुवाद]

सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.00 म० प० तक के लिए स्थगित होती है तथा मध्याह्न भोजन के बाद श्री प्रेम प्रदीप बोलेंगे।

2.07 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

3.04 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.04 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं]

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक

(जारी)

[हिन्दी]

श्री प्रेम प्रदीप (नवादा) : माननीय सभानेत्री जी, मैं संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रेम प्रदीप]

(संशोधन) विधेयक 1990 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बिल नव-बौद्धों के संबंध में प्रस्तुत किया गया है और इस पर बहस चल रही है। इससे पहले मैं डा० अम्बेडकर जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

डा० भीमराव अम्बेडकर बड़े ही विद्वान, कानूनविद व्यक्ति थे। महान विचारक थे और जिस धर्म में वे पैदा हुए उस धर्म में उनको बहुत प्रताड़नाओं को सहन करना पड़ा, अत्याचारों को सहन करना पड़ा, उनके साथ भेदभाव हुआ। शिक्षा के समय में भी उनको क्लास से बाहर द्वार पर बैठ कर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी। यही नहीं जब वे वकालत करने के लिए गए, वहां भी उनका घोर विरोध हुआ, धर्मावलम्बियों के समूह में भी उनका घोर विरोध हुआ, लेकिन उनकी विद्वता और उनकी जानकारी की धाक उस समय जम गई जब पीछे बैठ कर बोलते हुए भी उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जिस तथ्य को वे रख रहे थे, सभी का ध्यान उस ओर गया, डा० अम्बेडकर की ओर गया।

आज जिसको हम अनुसूचित जाति या जनजाति कहते हैं, यह यहां की आदिवासी जाति है, ये ही यहां के मूल निवासी हैं, लेकिन आज उनकी गणना अनुसूचित जाति और जनजाति में होती है। अनुसूचित जाति के बारे में, उसकी डेफीनेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूं। यह जाना-माना तथ्य है कि हिन्दुओं के अन्दर, समाज के अन्दर अनुसूचित जातियों को समानता का दर्जा नहीं मिला हुआ था, उनके प्रति छुआछूत और घृणा की भावना हिन्दू समाज में फैली हुई थी। इसके 2-3 कारण थे। जैसा मैंने कहा कि वे यहां के मूल निवासी थे, जब मूल निवासी थे तो राज भी उन्हीं का रहा होगा, वे ही कबीलों में रहे होंगे, लेकिन दूसरे लोग यहां पर आए तब कुछ लोग तो जंगलों में चले गए, जो आज आदिवासी कहे जाते हैं और जो रह गए, वे अनुसूचित जाति के कहे जाते हैं। इनको किसी न किसी रूप में दास बनाकर रख लिया गया और उनसे जिस तरह का काम करवाया गया, उससे आप सब लोग परिचित हैं। पाखाना तो बड़ी जाति के लोग भी करते हैं, उसको सिर पर उठाकर कौन ले जाता है, आज तक यह भेदभाव बना हुआ है।

कहा जाता है कि धर्म परिवर्तन तलवार के जोर से होता है, चाहे इस्लाम धर्म हो या कोई धर्म हो। उस वक्त इस्लाम धर्म नया था, उसमें नई स्प्रिट थी, अनुसूचित जाति का व्यक्ति जब धर्म परिवर्तन कर लिया करता था तो उसको समान सामाजिक दर्जा मिल जाता था। वह एक साथ जाकर नमाज पढ़ सकता था, एक साथ टाट पर बैठ सकता था, जिस कुएं से वह पानी नहीं भर सकता था, धर्म परिवर्तन के बाद ही वह उस कुएं से पानी भर सकता था। इस तरह से जो सदियों से दबे-कुचले लोग थे, जिनके पास आर्थिक साधन नहीं थे, शिक्षा नहीं थी, कोई सामाजिक मान्यता नहीं थी, उस समय के संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया और डा० अम्बेडकर जैसा मैंने कहा कि इस चीज से बहुत विचलित थे।

जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो हरिजनों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था की गयी थी। लेकिन 43 वर्ष की आजादी के बाद भी उसका कोई सार नहीं निकल सका। 43 वर्षों के अन्दर उनकी काया-कल्प हो जानी चाहिए। आज भी न उनके पास भूमि है, न ही वे शिक्षित हैं और सामाजिक दृष्टिकोण से भी वे बहुत पीछे हैं। यह सच्चाई है। एक हरिजन मन्दिर में चला गया, हम नाम नहीं लेना चाहते, मन्दिर को पवित्र करने के

लिए बोया गया। इससे क्या साबित होता है ? अभी हम इस बदलती हुई परिस्थितियों में, इस नये परिप्रेक्ष्य में नव-बौद्धों को सारी सहूलियतें संविधान में संशोधन करके देने के पक्ष में यह बिल लाए हैं, विधेयक लाए हैं। हम इस बिल का समर्थन तो करेंगे ही परन्तु इस संदर्भ में जितने वाद-विवाद उभर कर आए हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत से तर्क आए हैं, सवाल उठे हैं, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा भी नहीं है कि बाबा साहिब अम्बेडकर ने एकाएक धर्म परिवर्तन कर लिया और बौद्ध हो गए। जिस समय वे संविधान बना रहे थे उस समय उनके दिमाग में बात आई होगी। लेकिन बाद में 1956 में विशेष परिस्थितियों में उन्होंने अपना धर्म-परिवर्तन किया। लेकिन यह भी सच है कि धर्म परिवर्तन के बारे में जितना वाद-विवाद हुआ उसका निचोड़ यही निकलता है कि हरिजनों के धर्म परिवर्तन करने से या न करने से उनकी रक्षा नहीं हुई है।

आज हम लोग इस हाऊस के अन्दर कई तरह के तर्क देते हैं, जैसे कोई अपर-क्लास का लड़का हरिजन लड़की से ब्याह कर ले तो उसका लड़का भी अनुसूचित जाति का माना जाएगा। आगे चल कर भेद मिटाने की बात हो सकती है जिससे इन जातियों का सम्मिश्रण हो। लेकिन एक बात और है, जिस पर मैं समझता हूं प्रश्न नहीं उठाया गया है। हर राज्य में एक ही तरह की जातियों की अनुसूचित जाति में गणना नहीं की गयी है। बंगाल में कुछ विशेष जातियों को यह दर्जा दिया गया है, बिहार में कुछ विशेष जातियों को लिया गया है और यू०पी० में भी कुछ विशेष जातियों को लिया गया है। यानी यह सवाल है कि उस राज्य में उनकी हैसियत क्या है, उसका सामाजिक स्टेटस क्या है, उनके पास भूमि है या नहीं है, उनकी आर्थिक हालत कैसी है। तो यह सवाल भी खड़ा होता है। मेरे पास बहुत से धर्मावलम्बियों की ओर से पत्र आए हैं, जिसमें लिखा है यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मैं समझता हूं कि सिर्फ मेरे पास ही नहीं, हमारे पार्लियामेंट के सभी मेम्बरों के पास ऐसे पत्र आए होंगे। उन्होंने गुहार की है कि हमें भी वहीं सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए जो अभी बौद्ध धर्मावलम्बियों के संदर्भ में नया संविधान संशोधन बिल लाया जा रहा है, उसमें हैं। उन्होंने लिखा है कि आप पार्लियामेंट में इस बात को रखें। उन्होंने यह अपील की कि इसकी आवाज को उठाएं। अभी हम बात कर रहे हैं कि उस विधेयक को मान्यता देनी है। जो अभी नव-बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए हैं और डा० अम्बेडकर के समय से होते चले आए हैं, इस तरह से जो विचार अभी सदन में आया, उसे हम नजरअन्दाज नहीं करना चाहते। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि विधेयक जो आया हुआ है, उसे सदन में क्यों रोकें वे सुविधाएं मिलनी चाहिए। हम संविधान संशोधन के पक्ष में हैं और हम चाहते हैं कि हाऊस के सभी लोग उसको सर्वसम्मत से पास करें। जब दूसरी तरफ से और धर्मावलम्बियों की तरफ से ऐसा बिल आया तो वह सरकारी हो या गैर-सरकारी हो, उस पर हम लोग विचार करेंगे और इस पर विचार करेंगे कि उसे कहां तक हम संविधान के अन्दर जोड़ सकते हैं अथवा नहीं जोड़ सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप दो मिनट में खत्म कीजिए।

श्री प्रेम प्रदीप : इस सदन में सभी सदस्यों को अपने विचार रखने की आजादी है। हम यह कह रहे थे कि वह सवाल आयेगा, जैसे हम इस पर विचार कर रहे हैं। यह भी बड़ी हैरानी बात है कि 1956 में डा० अम्बेडकर के साथ-साथ पांच लाख बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। डा० अम्बेडकर ने संविधान की रचना की है, जिनके बारे में उन्होंने डेफीनेशन भी दी है तो हम समझते हैं कि उस संदर्भ में नव-बौद्ध धर्मावलम्बी आते हैं। हम इस विधेयक का पूरा-पूरा समर्थन करते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम० सेल्वारासू (नागापट्टिनम) : सभापति महोदय, मैं संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1990 का हार्दिक स्वागत और समर्थन करता हूं। मैं इस विधेयक को ठीक समय पर लाने के लिए सरकार तथा मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं।

1956 में दलित और शोषित अनुसूचित जातियों ने बालासाहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनको नव-बौद्ध कहा गया। ये नव-बौद्ध यद्यपि हरिजन कहलाने के सामाजिक निषेध से मुक्त हो गये किन्तु वे आर्थिक पिछड़ेपन से मुक्त न हो सके। यह आर्थिक पिछड़ापन उनके सामाजिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है और इसलिए मन्त्री महोदय उनको अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए इस विधेयक को ठीक ही लाये हैं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

ईसाई धर्म अपनाने वाली अनुसूचित जातियों की भी यही शिकायत है। अनुसूचित जातियों के ईसाई बने इन लोगों को भी अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों के ईसाई बने लोग अभी भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। उनकी स्थिति में तभी सुधार हो सकता है यदि उनको रियायतें दी जायें। इसलिए, मैं सरकार से दृढ़तापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह अनुसूचित जातियों के ईसाई बने लोगों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए इस विधेयक में संशोधन करने वाला प्रस्ताव लाए।

तमिलनाडु में बड़ी संख्या में नरी कुरावस दयनीय स्थिति में हैं। नरी कुरावस खानाबदोश जीवन जीते हैं। उनकी स्थिति में तभी सुधार किया जा सकता है यदि उनको अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाये।

धोबी और नाई भी समाज के पददलित वर्ग में आते हैं। कुछ राज्यों में धोबियों और नाइयों पर अत्याचार किए जाते हैं तथा उनका अपमान किया जाता है। गांवों में उनको कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता है; उनको उन सड़कों पर चलने भी नहीं दिया जाता है जहां सवर्ण लोग रहते हैं। ग्राम पंचायतें, जिनमें सवर्ण लोगों का प्रभुत्व है, इन निर्धन लोगों को मामूली गलतियों के लिए कठोर दण्ड देती है। इसलिए, मैं मन्त्री महोदय से इन जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किये जाने का अनुरोध करता हू।

श्री पी० पेंचालिया (नेल्लोर) : क्या नाइयों और धोबियों के साथ छुआछूत का क्या व्यवहार किया जाता है ?

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री एम० सेल्वारासू : महोदय, मैं लुहारों की ओर से भी एक अनुरोध करना चाहता हूं। गांवों में लुहार, समाज के सबसे कमजोर वर्ग से हैं। उन्हें विशेष रियायतें देकर उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

महोदय, हमने अनुसूचित जातियों पर अत्याचार रोकने के बारे में बहुत से कानून पारित किए हैं। किन्तु इन कानूनों का समुचित रूप से पालन नहीं किया जाता है। मैं सरकार से इन कानूनों के पालन पर निगरानी रखने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष निगरानी कक्ष स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

हमें बहुत गर्व है कि इस सरकार ने अनुसूचित जातियों पर होने वाले अपराधों संबंधी मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की है। मैं सरकार से प्रत्येक राज्य में विशेष न्यायालयों के कार्यकरण की तिमाही पुनरीक्षा रिपोर्ट सभा-पटल पर रखने का अनुरोध करता हूं। इससे हमको सदा जानकारी मिलती रहेगी तथा हम इस मामले में सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं।

हमें यह भी देखना चाहिए कि हम राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक स्थानों, सरकारी भवनों— राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकार के—सड़कों आदि का नामकरण करते समय किसी भी स्थिति में नाम के साथ जाति का उल्लेख न करें। सरकारी आदेश जारी करके सड़कों, सार्वजनिक स्थानों तथा स्मारकों के नामों में से जातियों के वर्तमान नामों को निकाल दिया जाना चाहिए।

इतना ही नहीं अनुसूचित जातियों के कल्याण संबंधी विशेष कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उनको लागू करने हेतु राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए उनको विशेष सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि राज्य योजना आवंटन का एक निर्धारित प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर अनिवार्य रूप से खर्च किया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हुक्म देव नारायण (सीतामढ़ी) : महोदया, मैं रामविलास पासवान को इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा हूं कि बिल तो बहुत छोटा है, लेकिन इस विधेयक पर हो रही बहस में जो बातें सदन में उठकर आ रही हैं वह बड़ी भारी और गम्भीर हैं।

"सत सैयां के दोहरे ज्यों नाविक के तीर,
देखन में छोटन लागे घाव करें गम्भीर।"

यह विधेयक गम्भीर घाव कर रहा है। कहने का मतलब यह कि अनुसूचित जाति और जन-जाति कहीं भी चले गये अपने धर्म को बदल लिया परन्तु वहां भी उनको अनुसूचित जति और जनजाति माना जाये।

मैं किन्हीं के ऊपर आक्षेप नहीं करूंगा क्योंकि धर्म का मतलब हम जानते ही नहीं हैं। मैं तो मानता ही नहीं कि धर्म पर विश्वास रखने वाला जो होगा, उसके मन में कहीं विषमता, द्वैत या विभद होगा। हम तो साम्प्रदायिक हैं और सम्प्रदाय में फंसे हुए हैं, इसलिए हम सभी लोगों को सभी जगह द्वैत दिखाई पड़ रहा है और अपना अस्तित्व संकट में दिखाई पड़ रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर कोई विश्वास के साथ किसी धर्म को कबूल करता है तो फिर वह किसी भी विशेष चीज की आकांक्षा नहीं रखता है क्योंकि यह विश्वास का प्रश्न है और यदि वह किसी लोभ, भय वासना, कामना अर्थात् लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा—इन तीनों ऐषणाओं के वशीभूत होकर अपने धर्म का अन्तर करता है, धर्मान्तर करता है तो फिर उसके गिरने का, पतित होने का भय हमेशा लगा रहता है और विश्वास के आधार पर अगर वह धर्म को ग्रहण करता है तो उसके पतित होने या उसके गिरने का भय नहीं रहता है और उत्तरोत्तर वह चढ़र्ध्व की ओर बढ़ता है। धर्म के मायने जब सेतु है तो मानव-मानव को जोड़ने का काम है और यह विषमता मिटाने का काम है। जब विषमता मिटाने के लिए समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो आज झगड़ा कहां है। कुछी इस बात की है कि बनातवाला साहब हों या फलीरियो साहब हों, वे भी इस बात को उठाते हैं तथा मांग करते हैं कि इस्लाम और

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

क्रिश्चियन में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग चले गये तो उनको भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का मानकर वही विशेष अवसर मिलना चाहिए। अब यह स्थिति आ गयी। किस कारण से ? चूंकि सरकार, संविधान, सदन, नियम और कानून के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किसी न किसी तरह से विशेष अवसर उपलब्ध हो गया और आज इस बात का कम्पीटीशन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कौन शामिल होने की इच्छा जाहिर करता है।

आज बिहार में इस प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत बहुत सी दरख्वास्तें आ रही हैं कि मुझे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शुमार कर दिया जाये, क्यों ? संविधान के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विशेष अवसर दिए गए हैं, इसलिए ? इसलिए कि समाज के अन्दर जो सत्ताधारी वर्ग बना, उनके हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग है और एक्सीलेटर पर उनका पैर है। उनको पूरी स्वतन्त्रता है कि वह अपना स्टीयरिंग जिधर चाहे, उधर घुमा सकता है और एक्सीलेटर का जितनी चाहे, ताकत से उसको दबा सकता है। उनकी गाड़ी की स्पीड की कोई लिमिट नहीं है और समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसकी गाड़ी में न स्टीयरिंग है और न एक्सीलेटर को दबाने के लिए पैर में ताकत है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि रामविलास जो जो विशेष अवसर देने की बात करते हैं, वे तो इस बात के लिए प्रयास करें कि इस विषमता का अन्त होना चाहिए, एक समतामूलक समाज का निर्माण होना चाहिए। समाज के अन्दर जो लोग हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों से राजनीति, सत्ता, जमीन, प्रशासन और शासन का स्वच्छन्द भाव से उपभोग करते रहे हैं, उनकी इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए रेखा खींची जाए और समाज के अन्दर जो दबे हुए, नीचे के तबके हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए गतिशील बनाया जाये। जब उनकी गति की सीमा पर नियंत्रण होगा और हमारी गति की सीमा बढ़ाई जाएगी तब कहीं न कहीं जाकर समतामूलक समाज का निर्माण होगा। अगर वह भी अपनी गति को नियंत्रित बनाए रखें और हम अपनी गति को बढ़ायें तब तो 50 कि० मी० से जो रेस स्टार्ट करेगा और जो जीरो से रेस स्टार्ट करेगा दोनों की गति में अगर समानता ही कर दो तब भी विषमता बनी ही रहेगी। इसलिए ऊपर वाले की गति को नियंत्रित कर नीचे की गति को गतिशील बनाना होगा, तब कहीं जाकर समतामूलक समाज का निर्माण होगा जिसको हम कहते हैं—क्लासलैस एण्ड कास्टलैस सोसाइटी। हमारे संविधान का उद्देश्य था क्लासलैस व कास्टलैस समाज का निर्माण करना। हम उस दिशा में कदम नहीं उठा रहे हैं। हमारे कदम केवल बढ़ रहे हैं कि समाज के दबे, कुचले वर्गों को लवणचूस दे दें या चाकलेट दे दें। लवणचूस कुछ कम दाम का है और चाकलेट कुछ बढ़िया दाम का है लेकिन उससे उसको स्वाद तो आएगा पर पेट नहीं भरेगा। वह तो केवल मीठा स्वाद हो ले पाएगा, भूख तो उसकी मिटेगी नहीं। मुंह में मीठे स्वाद का अनुभव हो सकता है।

मेरी विनम्र प्रार्थना होगी कि आज इतने से ही काम नहीं चलेगा, हमें समाज के अन्दर ऐसा कानून बनाना होगा, सदन के माध्यम से साहस के साथ कहना होगा। हम अपने मिथ्याचरण को बाहर निकालें। समाज में जो लोग दुखी हैं, भूखों को रोटी, नंगों को वस्त्र, प्यासे को पानी, अनपढ़ों को शिक्षा बीमारों को दवाई और बेघरों को घर देने का यदि वास्तव में हमारे मन में संकल्प है, और हम चाहते हैं, तो सच्चे दिल से आज संविधान को उस दिशा की ओर बढ़ाने का काम करना चाहिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि बौद्ध तो बन गये, जब हम अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान रखते हैं, लेकिन मैं यह भी कह देना चाहता हूं, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जो

सत्य है, सत्य को तो कहना ही चाहिए, जिस तरह से धार्मिक साम्प्रदायवादी धर्महीन होकर अल्लाह का, ईश्वर का, अवतार का, धार्मिक पुरुषों का नाम लेकर इस देश में व्यापार कर रहे हैं, उसी तरह से राजनीतिक दल आदर्शहीन, सिद्धांतहीन और मूल्यहीन बनकर केवल राजनीतिक पुरुषों के नाम से यहां व्यापार कर रहे हैं। एक तरफ यदि देश में धार्मिक साम्प्रदायवादी बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ देश में राजनैतिक सम्प्रदायवाद का निर्माण हो रहा है। कोई भी सम्प्रदाय किसी अन्य सम्प्रदाय का अन्त नहीं चाहेगा। हमेशा एक सम्प्रदायवादी दूसरे सम्प्रदायवादी को बना हुआ देखना चाहता है क्योंकि वह नकारात्मक रूप से बढ़ता है। वह चाहता है कि दूसरे सम्प्रदाय भी बने रहें ताकि उसे अपना सम्प्रदाय बढ़ाते रहने का अवसर मिलता रहे। इसीलिए कोई सम्प्रदायवादी किसी दूसरे सम्प्रदायवादी का अन्त नहीं चाहता। धार्मिक सम्प्रदायवादी और राजनैतिक सम्प्रदायवादी दोनों मिलकर आज देश में जो विषमता है, उस विषमता की खाई को मिटाने का प्रयत्न नहीं करते, बल्कि उसे बनाए रखने की दिशा में कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं।

मेरी मांग है कि इस देश में पूर्ण रूप से ऐसा कानून बनना चाहिए, ऐसा आचार बनना चाहिए कि हिन्दुस्तान का जातियों के कारण अब तक जितना नाश हुआ है, अभी हमारे चांदराम जी बोल रहे थे, उन्होंने भी यही कहा, और आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के नजदीक जब हम सब लोग मिल कर बैठते थे, बातचीत करते थे, हम सब लोग चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में काम करते थे, उन दिनों चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि उन्होंने एक पत्र पण्डित जवाहर लाल नेहरू को लिखा था और दर्द से व्याकुल होकर कहते थे कि हुक्मदेव नारायण, मेरे उस पत्र में दिए गए सुझाव को नहीं माना गया। उसका कारण क्या है, जरा आप सोचिए और हमें बताइए कि हुक्मदेव नारायण हों, चान्दराम हों, रामविलास पासवान हों मुफ्ती मोहम्मद सईद हों या आरिफ मोहम्मद खां हों, हिन्दुस्तान में अगर इस वर्ग से कोई नेता निकलता है तो कहा जाता है कि डा० अम्बेडकर यहां हरिजनों के एक महान नेता पैदा हुए, डा० अम्बेडकर जैसा विद्वान, तेजस्वी, प्रतिभाशाली नेता पैदा होगा तो उसे हरिजनों का नेता कहा जायेगा, चौधरी चरण सिंह जैसा नेता पैदा होगा तो उसे जाटों का नेता कहा जायेगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसा कोई नेता पैदा होगा तो वह ठाकुरों के नेता कहलायेंगे, हुक्मदेव नारायण जैसा कोई नेता पैदा होगा तो वह यादवों का नेता कहा जायेगा परन्तु इस देश में राष्ट्रीय नेता कहलाने के लिए कुछ वंश को ही अधिकार प्राप्त है, उसी वंश का व्यक्ति राष्ट्रीय नेता हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। हम तो राष्ट्रीय स्तर के नेता कभी कहे ही नहीं जा सकते, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कभी हो नहीं सकता, यदि हम नेता कभी बनेंगे तो हमारी प्रतिभा जाति के नाम पर चली जायेगी, जाति के नाम पर हमारी प्रतिभा को दबाने का काम होता रहेगा, शोषण होता रहेगा, यदि वास्तव में हम इस देश को इस शोषण से मुक्त करना चाहते हैं तो जाति और योनी के दोनों कटघरे में जो भारत की प्रतिभा कैद है, जाति और योनी के कटघरे में इस देश की विद्वता कैद है, ज्ञान कैद है, तेज कैद है, प्रतिभा कैद है, ये सब जिस कटघरे में कैद कर दिए गए हैं, जब तक उस कटघरे को नहीं तोड़ा जायेगा तब तक हम यहां नये समाज का निर्माण नहीं कर सकते, हिन्दुस्तान के अन्दर हम इस विषमता का अन्त नहीं कर सकते। आखिर यह कितने दिन और चलता रहेगा।

जब मैं 1977 में इस सदन में आया था, मैंने उस समय भी कहा था और आज फिर से कहता हूं कि यह भारत का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद जब से हम यहां आरक्षण देते आ रहे हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि इन जातियों ने आज तक कोई ऐसा नेता पैदा नहीं किया जो पण्डित जवाहर लाल नेहरू से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह तक की कैबिनेट में, कैबिनेट स्तर का मन्त्री बन सकता हो। अगर

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ, आरक्षण के बावजूद भी, तो हमें नई दिशा में सोचना होगा कि आखिर आरक्षण होते हुए भी, इन लोगों की प्रतिभा जहां तक उभर कर सामने आनी चाहिए थी, उसे कहां पर रोक लगी है···(व्यवधान)···यही मैं कह रहा हूं। प्रश्न है कि अपराधी कौन है।

सभापति महोदय : यादव जी, आप खत्म कीजिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : बस, मैं खत्म ही कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पापी कौन है :

पापी कौन मनुज से उसका न्याय चुराने वाला,
या कि न्याय को खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला।

पापी कौन है, यह फैसला करना पड़ेगा इस देश को। हमारे लिए दुर्भाग्य है कि नहीं। फिर कहते हो आरक्षण दे दो। रामविलास पासवान जी जनता दल की सरकार है, आरक्षण का सवाल केवल इन छोटी-मोटी नौकरियों तक ही सीमित क्यों रहेगा? अनुसूचित जाति, जनजातियों को अगर आप आरक्षण देते हैं, जहां कानून है वहां तो आप पूरा नहीं दे पाते हो और दूसरी तरफ जहां कानून नहीं है, वहां तो आप उनके लिए कोई उदारता नहीं बरतते हो? राज्य सभा में विधान परिषद में जहां नियम नहीं है वहां बताओ कि उनको आरक्षण के मुताबिक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए किसी दल में उदारता है? जो हम सवर्ण जाति के हैं, हम योग्यता के ठेकेदार हैं और उनको हम मानते हैं कि वे राज्य सभा और विधान परिषद में जाने के लायक नहीं है। इस तरह से उनको क्या मिलेगा? दूसरी तरफ सरकार के विभिन्न महकमों में कमेटियां बनती हैं और उन कमेटियों में अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वहां अगर आरक्षण नहीं है, तो उन कमेटियों में अनुसूचित जाति जनजाति को अध्यक्ष का पद, सदस्य का पद नहीं दिया जाता है, तो इस आरक्षण का क्या फायदा है?

सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नेता के चारों तरफ, जिस समाज में नेता जन्मता है, जिस समाज में बढ़ता है, जिस समाज में आगे उठता है, जहां उसके संस्कार बनते हैं, उनके ऊपर जन्मगत, जातिगत, वर्णगत और वर्गगत संस्कार पड़ जाता है। यह संस्कार उसको कुर्सी तक खदेड़ता रहता है और फिर उसकी छवि को व्यापक नहीं बनने देता है। इसलिए हमें उन कुसंस्कारों से भारत को मुक्त करना होगा और नए संस्कार सम्पूर्ण भारत में उत्पन्न करने होंगे, तब कहीं जाकर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस विधेयक के साथ-साथ ऐसा विधेयक भी लाओ जिससे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को केवल लोक सभा, विधान सभा और सरकारी नौकरियों में ही आरक्षण नहीं मिलेगा बल्कि मन्त्रिमण्डल और कैबिनेट में भी आरक्षण मिलेगा। किसी जाति-विशेष के 5-5 और 10-10 आदमी मन्त्री बन सकते हैं, लेकिन हरिजन आदिवासी के दो मन्त्री नहीं बन सकते हैं अनुसूचित जनजाति का एक कैबिनेट मन्त्री नहीं बन सकता है। मैं समाप्त करते हुए इस सरकार से कहना चाहता हूं कि नीति-निर्धारण करने वाली समितियां हों तथा रिक्रूटिंग एजेंसी कहते हैं, जो नियुक्ति करने वाली संस्थाएं हैं, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन है, जहां-जहां से नौकरियां मिलती हैं, रेलवे बोर्ड है, यानी नौकरी देने वाली संस्थाओं में और नीति-निर्धारण करने वाली संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए अगर विशेष अवसर नहीं देंगे, तो यह देश चलने वाला नहीं है। हम छोटे-छोटे कानून बनाकर भले ही उनकी पीठ सहलाते रहें, उनकी पीठ पर कोड़े मारते रहें और फिर मलहम लगाकर तसल्ली देते रहें।

हमारे बाप-दादा भले ही तसल्ली में भूल गए हों, लेकिन नई पीढ़ी का जो संस्कारी युवक है, उस तसल्ली को जानता है। हम जानना चाहते हैं कि अगर नीयत साफ होगी, तो हमको कानून की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नीयत में खोट होगा, तो कोई कानून भी हमको अधिकार नहीं दे सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उन वर्गों में से नेतृत्व पैदा करो, नेतृत्व की जगह पर आओ। क्षमा चाहता हूं—सदन में अब यहां से लेकर घूम कर देखता हूं, तो अगली पंक्ति में गिन लीजिए, अगली पंक्ति पर बैठे हुए लोगों को देख लीजिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, कमजोर वर्गों तुम कहां हो ? अब नेता ही तुम नहीं बनोगे तो तुमको कौन पूछने वाला है ? तुमको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए नेतृत्व की कुर्सी या तो स्वेच्छा से दो, नहीं तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक और महिलाओं में से ऐसे निकलेंगे जो नेतृत्व की कुर्सी को कैपचर कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

[अनुवाद]

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : सभापति महोदया, मैं हमारे प्रगतिशील माननीय श्रम तथा कल्याण मन्त्री, श्री राम विलास पासवान द्वारा पेश किए गए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1990 के बारे में दो बातें कहना चाहता हूं।

विभिन्न धर्मों की कुछेक पिछड़ी जातियां हैं जो सदियों से वंचित तथा आर्थिक रूप से जिनका कम विकास हुआ है। उड़ीसा राज्य में गंजम, कोरापुट तथा फूलबनी जिलों में इनकी संख्या तीन लाख से अधिक है।

इसके अलावा, उड़ीसा राज्य के गंजम जिले के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों की एक अन्य जाति है जिसकी अधिकतर आबादी गोपालपुर तथा छतरपुर विधान सभा क्षेत्र में है। ये निर्धन तथा दलित मछुआरे मछली पकड़ कर अपनी आजीविका चलाते हैं। परन्तु इन मछुआरों को उन बड़े औद्योगिक घरानों के कारण बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जिन्होंने मछली पकड़ने को बड़े व्यवसाय के रूप में अपना लिया है और वे गहरे समुद्र में ट्रालरों से मछलियां पकड़ते हैं। ये अभागे मछुआरे जिनके पास अपनी छोटी-छोटी देसी किश्तियां हैं, उन बड़े उद्योगपतियों के सामने नहीं ठहर सकते और इस प्रकार अपनी आजीविका के लिए वे निरन्तर दमन का शिकार हो रहे हैं।

इन पिछड़े वर्गों तथा मछुआरों को अछूत माना जाता है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। यहां तक कि अब भी उनको सार्वजनिक स्थानों जैसे होटलों, स्कूलों, दुकानों, नदियों, तालाबों आदि पर अपमानित किया जाता है। उन्हें मूलभूत आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं नौकरियां, बिजली, जलापूर्ति तथा अन्य सामाजिक सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं। इस प्रकार उन्हें समानता और सामाजिक न्याय से वंचित कर दिया गया है। आज तक, वे भूमिहीन, बंधुआ मजदूर हैं जिसके फलस्वरूप उनकी आशाएं, आकांक्षाएं, कौशल तथा क्षमताएं धूम-धूसरित हो गयी हैं।

यह देखा जा सकता है कि अब तक, कोई भी धर्म, दल या सरकार पिछड़े वर्गों तथा मछुआरों को आर्थिक अक्षमता से मुक्त नहीं करा पायी है और उनका सामाजिक-आर्थिक उत्थान नहीं कर पायी है। इन पिछड़े वर्गों के आर्थिक पुनर्वास के लिए कार्यक्रम तथा योजनाएं बनायी जानी चाहिए। छुआछूत विरोधी कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए ताकि समाज का यह वंचित वर्ग सामान्य मानवों की तरह रह सके।

[श्री गोपीनाथ गजपति]

अतः, सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह विशेष रूप से बाबा साहेब अम्बेडकर जी के इस जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान आर्थिक रूप से कम विकसित पिछड़े वर्गों तथा गरीबों, उड़ीसा राज्य के दलित मछुआरों को मान्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक कानून बनाए।

श्री एस० बेंजामिन (बपतला) : काफी लम्बे समय से मैं यह देख रहा हूं कि इस सभा में हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों के लोगों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में क्षोभ तथा चिन्ता व्यक्त की जा रही है और मैं उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अनुसूचित जातियों के लोगों के कल्याणार्थ चिन्ता व्यक्त की है जोकि हिमालय से केप केमोरिन तक फैले हुए हैं। इतिहास में यह बताने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि किन कारणों से अस्पृश्यता उभर कर सामने आयी। वास्तव में हमें ऐसा बोलने का अधिकार नहीं दिया गया है। हम इस देश के मूल निवासी हैं जैसाकि एक माननीय सदस्य ने कहा है। अनेक लोग इस देश में आये तथा उन पर हमला किया। शायद अधिक संख्या में लोग हिन्दू कुश की ओर से आये थे जिन्होंने अपने को इस देश के बहुसंख्यक वर्ग का समझा था। परन्तु हम इस देश के मूल निवासी हैं तथा देशभक्त हैं। जहां तक हमारी देशभक्ति का सवाल है हमारी वफादारी में कोई शक नहीं है।

हुआ यह है कि हमें अपनी भूमि तथा मूल निवास स्थान से खदेड़ दिया गया। हम लोगों को जो व्यवसाय दिया गया था उससे आज तक भी हम ऐसे बन गये हैं जैसे कि हम लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। हमें जो व्यवसाय दिया गया है वह अत्यधिक दयनीय है। हमें श्मशान भूमि की रक्षा करनी पड़ती है। हमें मृत लोगों के अवशेष हटाने पड़ते हैं। हमें रात्रि की भूमि से मिट्टी को हटाना पड़ता है। यह व्यवसाय हमको यह समझकर दिए गए हैं जैसे कि हम पर अत्यधिक दया की जा रही है। इन परिस्थितियों में ऐसा हुआ कि हमें राज्य का भिखारी बना दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में एक सवाल उठता है: "यदि धर्म को आधार माना जाता है, तो सबसे पहले भेदभाव को रोका जाना चाहिए।" राज्य के भिखारी के रूप में हम मन्दिरों में गये थे, हम मस्जिदों में गये थे तथा हम गिरजाघरों में गये थे परन्तु इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं कहूंगा कि जो साम्प्रदायिक भेदभाव दिखाया है भेदभाव जो हमारे साथ दिखाया गया है वह अब इन सब बातों के लिए जिम्मेदार है। अत: मन्दिर जाने के लिए भी हमारे साथ भेदभाव किया गया है। परन्तु शताब्दियों पहले मैं कहूंगा कि एक हजार वर्ष से हमारे साथ भेदभाव किया गया है तथा अस्पृश्यता का व्यवहार किया जा रहा है। जब तक अस्पृश्यता का व्यवहार होता रहेगा, उस समय तक यह बात विचारणीय नहीं होगी कि मैं किस समुदाय का हूं। परन्तु सौभाग्यवश सरकार विधेयक लायी है जिसके उद्देश्य एवं कारण स्पष्ट रूप से दिए गए है जोकि विचार करने के लिए, एक पूर्व धारणा है। यह धारणा क्या है? दबे हुए वर्गों तथा अछूतों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने में धर्म कहीं भी नहीं आता है। शायद इस धारणा पर पुन: विचार किया जाये तथा इस पर फिर से विचार हो।

सही स्वरूप अथवा धार्मिक अवधारणा सामाजिक तथा आर्थिक नहीं है, बल्कि कुछ और है और वे ईश्वर के साथ सार्थक है सचेतन विकास तथा सृष्टा के बारे में ज्ञात ही धर्म कहलाता है। अतः धर्म के द्वारा हम आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं न कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। धर्म तथा धर्म के उद्देश्य का मानदण्ड जीवन का रूपान्तरण करना है। जीवन का रूपान्तरण

धर्म में ही निहित है। इसी कारण इस उत्थान के लिए धर्म को उद्देश्य मानना अच्छा नहीं है क्योंकि काफी समय पूर्व यह उत्थान मनु द्वारा किया गया था। यह स्तर मनु के समय से पूर्व भी विद्यमान था। उसके बाद इस उत्थान के कारण, जोकि हमारे मामले में लागू किया गया हम इतने अधिक अछूत और गरीब हो गये हैं कि हम सबके पास भीख मांगने आते हैं—क्योंकि व्यवसाय में एक ऐसी भूख है जोकि इस बात के लिए जिम्मेवार है। मैं भूखा हूं; मैं इस व्यक्ति से मांगता हूं तथा जो कोई भी मिलता है उससे मांगता हूं। आपको गिरजाघरों, मन्दिरों तथा मस्जिदों में भिखारी मिलेंगे क्या आप विशेष धर्म के आधार पर जिसको मैं नहीं मानता, भेदभाव करेंगे। क्या आप भीख नहीं देंगे। यह मैं पूछ रहा हूं। धर्मनिरपेक्ष संविधान के अन्तर्गत धर्म पर विचार किया गया है। (व्यवधान)

अब मैं व्यावहारिक बात पर आता हूं तथा सैद्धान्तिक बात पर नहीं। मैं इन पर आधारित तथ्यों को बता रहा हूं। मैं कहता हूं कि दृष्टिकोण एकपक्षीय है। यहां तक कि संविधान व्यवस्था को भी नहीं माना गया था। इसको न्यायालय द्वारा भी अवैध करार दिया गया था। मैं हरिजन हूं तथा मेरे पिताजी भी हरिजन हैं मैं हरिजन ईसाई हूं। मेरे पिताजी को लाभ प्राप्त है जबकि मुझे लाभ प्राप्त नहीं है। मेरे तथा मेरे पिताजी में क्या अन्तर है? क्या मेरा खून भी वैसा नहीं है। क्या मेरी शिक्षा इस कृषि मजदूर के पसीने से नहीं हुई है। अन्यथा मुझे यह शिक्षा किसने दी है? क्या यह पाप है कि मैं हरिजन या अनुसूचित जाति में पैदा हुआ हूं।

दुर्भाग्यवश न्यायालय ने भी भिन्न निर्णय दिया है। जैसे कि धर्म परिवर्तन केवल एक ही समुदाय की सम्पत्ति है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं देवराजन बनाम अम्बेडकर का मुकद्दमा।

सभापति महोदय : अब आपको अपना भाषण समाप्त करना होगा।

श्री एस० बेंजामिन : महोदया, यह पहला मौका है जब मैं बोल रहा हूं। मेरे दल द्वारा चर्चा में भाग लेने के लिए दिए गए पहले के अवसरों को मैंने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए मुझे और समय दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

मैं सैद्धान्तिक पहलू पर चर्चा नहीं करूंगा। आप जानते हैं कि पहले बुद्ध को अवतार माना गया अतः संविधान के नाम पर धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया गया है।

आजकल बौद्ध धर्म के नाम पर उसी प्रक्रिया को स्वीकार तथा अपनाया गया है। मन्त्री महोदय जानते हैं कि हर समस्या के लिए सर्वसम्मत दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस मामले में भी हमें अम्बेडकर, गांधी जी, वित्त मंत्री तथा अन्य अनेक लोगों, जिन्होंने अनुसूचित जाति हरिजनों के बारे में विचार व्यक्त किए हैं, से स्पष्ट संकेत मिले हैं। क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि उचित विचार करने के बाद सर्वसम्मत राय बनायी जायेगी। वामपंथियों द्वारा अल्पसंख्यकों तथा गरीब लोगों के हितों पर काफी पहले ही विचार किया जाना चाहिए था।

[अनुवाद]

परन्तु दुर्भाग्यवश आपने हमें हतोत्साहित किया है और हमारी समस्याओं को नहीं उठाया गया है। इसलिए साम्प्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता एक साथ नहीं चल सकते परन्तु हिन्दुत्व के प्रचार के लिए धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठाया जाता है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपना भाषण समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री एस० बेंजामिन : बौद्ध धर्म भी हिन्दू धर्म का एक भाग है क्योंकि हिन्दुओं ने बुद्ध को एक अवतार माना है। पहले आपने संविधान के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन किया, अब आप बौद्ध धर्म के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए अब कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं है बल्कि साम्प्रदायिकता है। विविधताओं के बावजूद हमारे देश में एकता है, यही कारण है कि हमारे यहां विविधता में एकता है और उस एकता को बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। अन्यथा देश में साम्प्रदायिकता फैल जाएगी। यह संविधान की धारणा नहीं है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता प्रतिबिम्बित होती है। राष्ट्र के गौरव और धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखने के लिए आपको उन अल्पसंख्यकों को अन्य जातियों के समान रखना होगा। अन्यथा यह माना जाएगा कि आपने हमें देश की सेवा के लिए सिर्फ अतिथि ही समझते हैं न कि देशभक्त या इस देश का निवासी। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एस० बेंजामिन : हम देशभक्त हैं और इस देश के नागरिक हैं। हम इस देश को प्यार करते हैं, इस देश में जीते हैं इस देश में मरते हैं, हमारी किसी दूसरे राष्ट्र के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। आपको हमें अन्य लोगों के समतुल्य मानना होगा।

सभापति महोदय : श्री फलीरो, मैं समझती हूं कि आप समर्थन करते हैं। अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एस० बेंजामिन : हम इस विकासशील राष्ट्र के नागरिक विश्व के अन्य राष्ट्रों तथा विश्व बैंक किन्हीं अन्य कारणों से सहायता नहीं मांग रहे हैं क्योंकि यही कारण है कि मैं आपसे उन अल्पसंख्यकों को अन्य लोगों के समतुल्य मानने का अनुरोध करता हूं जिन्हें सदियों से अन्य लोगों के समकक्ष लाने से वंचित रखा गया है। आपने सदियों से हमारे साथ भेदभाव किया है। अब भी हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। आप क्यों हमारे साथ भेदभाव करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता बरकरार रहे आप चाहते हैं कि साम्प्रदायिकता फैले। अन्यथा आप इन लोगों को इस संशोधन में शामिल करते। देश की एकता और अखण्डता के लिए देश में हो रहे विकास के लाभ इन लोगों को दिलाने में आपको मदद करनी चाहिए।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : सभापति महोदया, मेरा प्रस्ताव है कि इस संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1990 पर बहस यहीं रोक दें। इस पर मंत्री जी का उत्तर और वोटिंग कल हो जाएगा।

इसके बाद हम लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित संविधान (अड़सठवां संशोधन) विधेयक, 1990 पर बहस शुरू करें, जो कि 5.30 बजे तक चले।

इसके बाद नियम 193 के अधीन आन्ध्र प्रदेश में आए साइक्लोन पर बहस हो। जो माननीय सदस्य पार्टियों के इस पर बोलने के लिए रह गए हैं, सब्जेक्ट लगभग एक है, व्यापक है, वे बोल सकते हैं।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मैं आपसे सहमत हूं। परन्तु हम लोगों के लिए समस्या है। हमारी ओर से दो या तीन वक्ता हैं जो बोलना चाहते हैं।

सभापति महोदय : आपको मेरी अनुमति लेनी होगी। यह सरकार द्वारा रखा गया एक प्रस्ताव है। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूं, उसके बाद हम इसे समाप्त करेंगे।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : इसे नहीं रोकना चाहिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हमारी समस्या यही है। अन्यथा हमारी कोई दूसरी समस्या नहीं है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से सहमत हूं। परन्तु हमारे तीन वक्ता हैं जिसमें प्रत्येक वक्ता सिर्फ दो-तीन मिनट का समय लेंगे। या तो उन्हें आज अनुमति दी जानी चाहिए या फिर उन्हें कल मन्त्री द्वारा उत्तर देने के पहले बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसी शर्त पर हम मन्त्री महोदय से सहमत होंगे।

4.00 म० प०

सभापति महोदय : सरकार ने यह प्रस्ताव नहीं दिया है कि चर्चा खत्म कर देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल मलिक : डिस्कशन यहां रोक दें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सदस्यगण कृपया प्रस्ताव को समझें। चर्चा को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी अनेक वक्ता हैं। सभी को नहीं तो कुछ को तो निसन्देह बोलने की अनुमति दी जा सकती है।

[हिन्दी]

श्रम और कल्याण मन्त्री (श्री राम विलास पासवान) : सभापति महोदया, आप रूलिंग दें, उसके पहले हम एक आग्रह करना चाहते हैं कि हम तो यह चाहते थे कि इस विषय पर आज ही चर्चा करके आज ही पास कर दिया जाए लेकिन विपक्ष के साथियों ने सब लोगों ने बैठकर के एक राय दी कि चूंकि कल इस पर वोटिंग होनी है, इसलिए आज इस पर डिस्कशन साढ़े तीन बजे तक खत्म कर दिया जाए और साढ़े तीन बजे के बाद हमें दूसरा आईटम ले लें जोकि शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन पर है, उस पर डिस्कशन स्टार्ट करके उस पर भी डिस्कशन आज खत्म कर दें और कल दोनों पर एक साथ वोटिंग हो जाए। कल साढ़े तीन बजे तक का इसके लिए समय निर्धारित किया गया था। हम लोगों को कोई आब्जेक्शन नहीं है लेकिन सदन के पास समय नहीं है इसलिए एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के तहत इसको साढ़े तीन बजे तक खत्म होना था लेकिन बढ़ते-बढ़ते चार बज गये हैं। इसलिए मिनिस्टर की तरफ से और सरकार की तरफ से सुझाव आया है कि इसको यहां पर रोक दिया जाए और एजेंडे को दूसरी आईटम पर हम चलें। इस पर कल जब हम बोलना शुरू कर दें, जवाब देना शुरू कर देंगे, उसके बाद एक-दो मिनट क्लेरिफिकेशन के रूप में कोई सदस्य बोलना चाहेंगे तो चेअर को यह अधिकार रहेगा कि वह समय दे दे। लेकिन डिस्कशन का मामला आज खत्म कर दीजिये। कल वोटिंग का मामला रखा जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : चर्चा के लिए नियत किया गया समय समाप्त हो गया है। इसे बढ़ाया जा सकता है। परन्तु सरकार ने यह अनुरोध किया है कि वह इस समय अपना विधेयक शामिल करना चाहती है, यह भी उसी विषय से संबंधित है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप मुझे अपनी बात पूरी करने भी देंगे या नहीं ? यदि आप इसी प्रकार रोक-टोक करते रहे तो मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सकती। कृपया मेरी बात सुनें। यह सरकार का प्रस्ताव है। मेरा विचार है कि उन दलों के सदस्यों को जिन्होंने भाषण नहीं दिया है कल भाषण देने की अनुमति दी जाएगी। मैं आशा करती हूं कि सभा इस प्रस्ताव से सहमत होगी।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हमारे दल में सिर्फ दो वक्ता बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि उन्हें आज ही बोलने दिया जाए बल्कि कल मंत्री महोदय के उत्तर देने के पहले उन्हें भाषण देने की अनुमति दी जाए।

श्री सत्यपाल मलिक : इस पर हम सहमत हैं।

सभापति महोदय : मैं विश्वास करती हूं कि इस बात से सभी सदस्य सहमत हैं। मैंने पहले ही कहा है कि जिन दल के सदस्य ने भाषण नहीं दिया है उन्हें संक्षेप में भाषण देने का मौका दिया जाएगा।

श्री प्यारे लाल हान्डू (अनंतनाग) : मैं संक्षेप में अपना विचार रखना चाहता हूं। यदि आज किसी को भाषण की अनुमति दी जाती है तो यह उन दलों के सदस्यों को दी जानी चाहिए जो अभी तक नहीं बोले हैं उन दलों के सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो बोल चुके हैं।

सभापति महोदय : आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुना है। यह सरकार का प्रस्ताव है।

श्री सत्य नारायण जटिया : मेरा नाम इसमें है।

सभापति महोदय : इसमें केवल आपका ही नहीं, कई नाम हैं।

श्री सत्य नारायण जटिया : जब कभी मेरा बोलने का अवसर आता है तो वाद-विवाद समाप्त हो जाता है। कृपया मुझे बोलने दीजिए।

श्री राम नाईक (मुम्बई) : महोदया, यह इत्तफाक की बात है कि उनके मामले में हमेशा ऐसा होता है। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि अन्य लोगों की भांति उन्हें और समय दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है। यह पीठासीन सभापति का विशेषाधिकार है पीठासीन सभापति सभी दलों तथा जहां तक सम्भव हो सभी सदस्यों को बोलने के लिए समय देने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैंने आप सबके विचार सुन लिए हैं। कल, जो कोई भी पीठासीन सभापति होगा यथासम्भव सदस्यों को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा।

अब यदि सभा सहमत है तो हम अगले विधेयक पर विचार करेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : सभा की सर्वसम्मति से मैं अब श्री राम विलास पासवान को बुलाती हूं कि वे भारत के संविधान में और संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करें।

———

4.08 म० प०

संविधान (अड़सठवां संशोधन) विधेयक

[हिन्दी]

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

"भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

4.08½ म०प०

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी, पीठासीन हुए]

सभापति जी, बहुत से माननीय सदस्यों ने, पहले जिस विधेयक पर चर्चा चल रही थी, उस पर अपने विचार रखे हैं, कुछ माननीय सदस्यों को कल भी बोलने का मौका मिलेगा। यह जो संविधान संशोधन विधेयक है, यह काफी महत्वपूर्ण विधेयक है। (व्यवधान)

इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि काफी अरसे से अनुसूचित जाति जन-जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने, कांस्टीट्यूशनल पावर्स देने, स्टेचुटरी पावर्स देने की मांग होती रही है और 1978 में भी इस सदन में यह संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से यह विधेयक उस समय पास नहीं हो सका। फिर उसके बाद दोबारा 1979 में यह विधेयक पेश किया गया और 19-7-79 को इस विधेयक पर विचार होना था, लेकिन सरकार के गिरने की वजह से यह फिर रह गया। आज 11 वर्ष के बाद यह संविधान संशोधन विधेयक इस सदन में आया है और मैं माननीय सदस्यों को इतना ही कहना चाहूंगा कि यह सरकार कटिबद्ध है और मैं साफ कहना चाहता हूं कि सभी दलों के माननीय सदस्य, मैं पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करता, सभी दलों के जो माननीय सदस्य और नेता हैं, ऐसे मामलों पर अगर उनका सहयोग प्राप्त होता रहा तो मैं निश्चित रूप से दावे से कह सकता हूं कि उनके जो भी सुझाव आएंगे, अनुसूचित जाति-जनजाति, कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए, उनको लागू करने का काम किया जाएगा। क्योंकि ऐसे मामलों पर, नीतिगत मामलों पर, खासतौर से कमजोर तबके के मामले में हम बहुत विलंब कर चुके हैं। 43 साल का अरसा कोई कम नहीं होता है और इस अरसे के बाद भी लोगों के मन में निराशा की भावना रहे, यह ठीक नहीं है। जो दलित लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको अपने अधिकारों से वंचित रखा जाए, उनके मन में निराशा की भावना पनपे, पिछड़ों के मन में, अल्पसंख्यकों के मन में निराशा की भावना पनपे, मैं समझता हूं यह न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि देश के लिए भी खतरनाक चीज है। इसलिए जब सवेरे बातचीत हो रही थी तो रंगा साहब ने उठकर इस मामले को दूसरे मामले से जोड़ने की कोशिश की तो मुझे लग रहा था कि जो

[श्री राम विलास पासवान]

कांग्रेस की परम्परा रही है, खासकर इन तबके के लोगों के संबंध में रही है, उसमें भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे खुशी हुई।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : हम बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। आपको भी कहने का मौका मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं उसी के लिए धन्यवाद दे रहा हूं। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दे रहा था। सवेरे मुझे यह शंका जरूर हुई, जब इस मामले को दूसरे मामलों के साथ जोड़ने की कोशिश की गयी थी। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि पक्ष और विपक्ष के तमाम सदस्य ऐसे मामलों पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों के मामले पर एक मत हैं। इसलिए मैंने कहा कि यदि आपका सहयोग रहा, हमारे पास दो तिहाई बहुमत नहीं है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन ऐसे मामलों पर आपका सहयोग रहा तो जो भी वायदे हमने जनता के सामने किए हैं या तो वायदे नहीं किए हैं, शायद आपने ऐसे वायदे किए हों, हम ऐसे सवालों को लाकर सदन में पास कराने का काम करेंगे। दो चीजें हैं, हमारे बहुत से साथी कहते हैं, एक तो वह जिसके सम्बन्ध में कानून नहीं बना हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि कानून बनाया जाए। दूसरा वह है जो कानून बना हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो उसको लागू किया जाए। तीसरा, जो समाज के दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है, जिसके सम्बन्ध में हमारे साथियों ने कहा कि कानून बना देने से समस्या का हल नहीं होता है, बल्कि हमारा सामाजिक नजरिया बदलना चाहिए। यह जो अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का सवाल है यह केवल हितों का सवाल नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की समस्या है, समाज पर कलंक है और ऐसी समस्याओं को उसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए।

हम लोगों ने अपने घोषणा-पत्र में वायदा किया था कि यदि हम सत्ता में आयेंगे तो अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देंगे, स्टैच्यूटरी पावर्स देंगे। जब पहली बार इस सदन में 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ाने का मामला आया, मैंने उस समय भी कहा था कि सरकार इसके लिए संकल्पित है। मैं कह सकता हूं कि हमारे पास चाहे पांच साल का समय हो या एक साल का समय हो, मैं चाहता हूं कल्याण मन्त्री की हैसियत से, श्रम मन्त्री की हैसियत से, भारत सरकार के अंग की हैसियत से कि जो-जो हमने जनता के सामने वायदे किए हैं उन वायदों को हम एक साल में पूरा करें। मैं एक-एक करके इन्हें गिना सकता हूं। हमने कहा कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन की अवधि बढ़ायी जाए, आप सब लोगों की सपोर्ट से बढ़ गई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रीवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट हेतु हमने लॉ-मिनिस्टरी से राय मांगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों का कोई प्रतिबन्ध आपके ऊपर नहीं है, आप इसका नोटीफिकेशन कर सकते हैं। 30 जनवरी को हमने नोटीफिकेशन जारी कर दिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। वह बिल हम पार्लियामेंट में ले आए हैं, यदि सबका सहयोग होगा तो उसको पास करेंगे। बहुत से साथियों का कहना है कि रिजर्वेशन का कोटा इसलिए पूरा नहीं होता

है, इस 43 साल की अवधि में, क्योंकि किसी अफसर को इसके लिए डर नहीं है, भय नहीं है। आप कहते हैं कि उसका कद 5 फुट 6 इंच होना चाहिए, 5 फुट 10 इंच का लड़का उपलब्ध होता है, 32 इंच सीना होना चाहिए, 36 इंच छाती है, आप कहते हैं कि मैट्रिक पास होना चाहिए, वह एम० ए० पास मिलता है। उसके बाद भी कहा जाता है कि सूटेबल नहीं है। यह भी कहा जाता है कि रिलाय-एबल नहीं है और योग्य नहीं है।

[अनुवाद]

यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते तो उस रिक्ति को अनारक्षित माना जाएगा।

[हिन्दी]

हमने सुबह भी कहा था कि डा० अम्बेडकर साहब की जन्म शताब्दी इस वर्ष मना रहे हैं। उसमें हमने संकल्प किया है कि 14 अप्रैल तक कोई भी श्रेणी या कैटेगिरी नहीं बचेगी। जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोटा है उसको पूरा कर लिया जाएगा। हम यहां पर एक विधेयक ला रहे हैं कि जहां जो उम्मीदवार होगा उसको डीरिजर्व करने की कोशिश की जाएगी तो वैसे ही उस अफसर को दंड दिया जाएगा। लैंड रिफार्म सम्बन्धी जो काम है उसको नौवीं सूची में डाला जाए। जिस गरीब को जमीन मिल जाती है उस जमीन पर उसका अधिकार नहीं होता। उसके लिए यह विधेयक ला या जा रहा है कि संविधान में संशोधन करके नौवीं सूची मे डाला जायेगा। उस दिन आप समझ जाएंगे कि भूमि-पति के सम्बन्ध में कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं होगा। उसके बाद जमीन का पट्टा मिलेगा और गरीब को मिलेगा और वह मालिक बनेगा। उस सम्बन्ध में जो दिक्कत आएगी उसको भी हम देख लेंगे।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : मेरा सुझाव यह है कि पट्टा देने के बाद केस लड़ने की जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : उसको देख लेंगे। जो भी अच्छा सुझाव होगा उस पर गौर करेंगे। उसको भी इम्पलीमेंट करेंगे और गौर करेंगे। प्रिवेन्शन आफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत 12500 जिलों के बारे में हमने राज्य सरकारों को लिखा है कि जिलों में स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए और जहां भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर जो अत्याचार होगा, उसके लिए भी कोर्ट हो। राजस्थान में 30 परसेन्ट जो जिले बचे हैं उनको 15 जून के अन्दर वहां भी गठन करवा देंगे। हम जानना चाहते हैं कि कौन-सा जिला है और उसका नाम क्या है, यह हम करने जा रहे हैं।

डा० अम्बेडकर साहब को भारत रत्न की उपाधी दी गई। इससे सरकार का दर्जा बढ़ गया। जिन्होंने संविधान को बनाया तो 43 साल के बाद भी भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई। जो पहले काम करना चाहिए था, उसको करने का काम किया है। डा० अम्बेडकर साहब की तस्वीर सेन्ट्रल हाल में लग चुकी है। अपने भाषण या वक्तव्य में जो भी सुझाव आप देंगे, उन सुझाव को मानने का काम करेंगे। जो सफाई मजदूर हैं जिनको गाली के नाम से भंगी के नाम से कहा जाता है। उनको आज तक सफाई मजदूर का दर्जा नहीं दिया गया। जो 3900 शहर हैं उनमें भी सिर पर सफाई मजदूर पैखाने ढोने का काम करते हैं। हमने 43 साल के बाद संकल्प किया है कि हम अगले तीन सालों में सफाई मजदूरों को दूसरे काम में लगायेंगे। और उसके बाद जो खराब काम है उसको बन्द करेंगे

[श्री राम विलास पासवान]

उसकी जगह फ्लश लैट्रिन और सुलभ शौचालय की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जिस कारण वे अछूत बने थे वह कारण ही न रहे। आपको मालूम है, करोल बाग में आप चले जायें तो देखेंगे कि वहां जो जूता बनता है उसकी कीमत 25 रुपये होती है। मजदूर को मजदूरी मिलती है बारह रुपये और लैदर की कीमत आती है बारह रुपये, पच्चीस रुपये का जूता बाजार में 150 रुपये में मिलता है। यह सवा सौ रुपये कौन बीच में कमा रहा है इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि को-आपरेटिव सोसाइटी बनायेंगे और सीधे वहां से उसका माल लेकर उसको पैसा देंगे और जो फायदा होगा वह गरीब को सीधे होगा और इससे लोगों को भी कम दामों पर जूता मिलेगा।

इसी तरह से हजारों, लाखों लोग काटेज इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, लेकिन वे वहां मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं, मालिक के रूप में नहीं। सरकार की नीयत इस सम्बन्ध में साफ है, हमने जो वायदे किए थे जनता से हम चाहते तो 6 महीने में एक वादा पूरा करते और कहते कि 6 महीने में एक काम हो गया और अब दूसरा काम अगले 6 महीने में करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम जनता के सामने किए गए वायदों को पूरा करें। इसीलिए हमने एक साथ तीन-तीन विधेयक यहां रखे हैं, एक तो बौद्धिस्ट का, उससे बाद अनुसूचित जाति और जनजाति का उसके बाद भूमि-सुधार का। ये तीनों विधेयक समाज के उन वर्गों के लिए हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति तथा दुर्बल वर्ग के लोग हैं। जिनको हजारों सालों से दबाकर रखा गया, जिनके पांव और हाथ में बेड़ियां बांध दी गईं, जिनकी आवाज को कुचला गया और जो काम करने वाले लोग थे और जिनकी डिग्निटी आफ लेबर होनी चाहिए, लेकिन उनको सबसे नीचा समझकर रखा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उनके साथ-साथ भारत देश भी नीचे जाता रहा। इसलिए हमने सकल्प लिया है कि हम इनको डिग्निटी आफ लेबर देंगे। जो समाज का असली नारा है कि कमाने वाला कमाएगा लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा, इसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपके सामने यह संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात है।

मैंने गत दिसम्बर में भी इसी सदन में भी कहा था। अभी दो चीजें चल रही हैं एक तो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग और दूसरे अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त का आफिस। लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है, रिपोर्टिंग का काम तो ईमानदारी के साथ होता है, लेकिन संसद को समय पर रिपोर्ट नहीं दी जाती है, अगर रिपोर्ट सदन में पेश हो जाती है तो उस पर बहस नहीं होती है, अगर बहस हो जाती है तो कोई पावर नहीं है। जैसे चोर चोरी करने जाता है तो अपने साथ रोटी ले जाता है, अगर कहीं से आवाज आये तो कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डाल देता है, जिससे चोर चोरी करता रहे और कुत्ता रोटी खाता रहे। पांचवीं योजना में एक हजार करोड़ रुपये खर्च किए, छठी योजना में पांच हजार करोड़ रुपये खर्च किए और सातवीं योजना में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिए, लेकिन इन सोलह करोड़ रुपयों के खर्च करने के बावजूद भी हम अभी तक सोलह लाख आदिवासियों को गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठा सके। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि जो भी आदिवासी लोगों के विकास पर खर्चा किया जाएगा सीधे आदिवासी को इसका लाभ मिलेगा, यह नहीं कि नेशनल हाई-वे बन रहा है उसमें उसका हिस्सा तो हो लेकिन वास्तव में उसको उससे अलग कर दिया जाए, बिजली दी गई आदिवासी के नाम पर, लेकिन उसके गांव में पोल तक नहीं लगे और दूसरे गांव में बिजली दे दी जाती है नाम आदिवासी का रहता है।

इस देश में नेताओं और नीति की कमी नहीं है, सबसे बड़ी कमी है नीयत की। जब तक नीयत साफ नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए जितने भी मेरे साथी बोले हैं वे आकर हमसे कहें कि सरकार ने यह-यह काम किये हैं और आपको यह-यह काम करने चाहिए तो हमें इस पर प्रसन्नता होगी। इसी को दृष्टि में रखते हुए हम अनुसूचित जाति और जनजाति के आयोग को आपके सामने लेकर आये हैं औ उसको पावरफुल बनाना चाहते हैं। हमने इसके अध्यक्ष को केबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है जबकि पहले रैंक सचिव स्तर का था, इसके उपाध्यक्ष को भी हमने भारत सरकार के राज्य मंत्री के बराबर दर्जा दिया है।

वह आकर न सिर्फ जांच का काम करेगा, इन्वेस्टीगेशन का काम करेगा। बल्कि एग्जामिन भी करेगा वह सम्मन कर सकता है राज्य और केन्द्र का जो प्लान बनेगा, योजना आयोग के साथ बैठकर विचार-विमर्श करेगा हमने पहले ही इस सदन में कहा था कि आदिवासियों के इन्ट्रेस्ट की रक्षा के लिए जो प्लानिंग बनेगी, जो भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे आदिवासियों के साथ बैठकर उस बारे में पहले निर्णय लेकर साफ करना पड़ेगा। यह नहीं कि प्रोजेक्ट बन गया धनबाद में, प्रोजेक्ट बन गया हजारी बाग में और आदिवासियों को वहां से उजाड़ दिया गया, न मुआवजा मिला और न नौकरी मिली और जिसकी जमीन गयी, वे-वे घरबार हो गये। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट उसके लिए अभिशाप बन रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि हमारा कमीशन इन सारी चीजों में जायेगा। जहां-जहां एट्रोसिटीज का मामला हो, जहां कहीं भी रिजर्वेशन का कोई मामला हो, जहां जुल्म अत्याचार का मामला हो, इन सारी की सारी चीजों में कमीशन को अधिकार दिया है और जो कुछ अधिकार छूट गये हैं, हमने उसको लिख दिया है कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो समय-समय पर राष्ट्रपति अपनी···

श्री सी० के० जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर) : जो कुछ भी आप अधिकार दे रहे हैं, उससे हमें खुशी है लेकिन एक बात जोड़ना चाहते हैं कि कांफिडियंशल रिपोर्ट को उनको लिखने का अधिकार दिया जायें ताकि वे और अच्छा काम कर सकें।

श्री राम विलास पासवान : ठीक है। आपने सही बात कही है और आपके आने के पहले हमने कहा। इसके साथ-साथ हम पहली बार दण्ड विधान में रखने जा रहे हैं और दण्ड विधान के साथ प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल की एक कमेटी बना दी गयी है और सैक्रेट्री को भी एक अलग से कमिटी बना दी गयी है जो प्रत्येक तीन महीने की सारी चीजें मानिटर करेगा और उसके साथ हम यह नहीं चाहते कि 14 अप्रैल, 1991 जिस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर की 100वीं जयन्ती है, उस दिन एक भी सीट रिजर्व्ड नहीं रहनी चाहिये। एक भी बैकलाग नहीं रहना चाहिए, इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इसलिए भी कर रहे हैं कि चूंकि आपने देखा था कि प्रिवियस गवर्नमेंट ने कहा था कि तीन महीने में रिजर्वेशन का कोटा पूरा कर देंगे। जब तीन महीनों में बैकलाग पूरा हो सकता था तो 43 साल में पूरा क्यों नहीं हुआ ? हमारे सामने यह नहीं कि आपकी नियत पर कोई शंका है। मेरा काम है कि जो काम 43 साल में नहीं हुआ था, वह 3 महीने में किया जा सकता है। इसलिए हमारा हौसला बढ़ा है कि जब आपने तीन महीने का लक्ष्य रखा तो हमने कहा कि एक साल के अन्दर में प्रत्येक तीन महीने के अन्तर्गत क्लास-I, क्लास-II और क्लास-III के कितने टोटल कर्मचारी हैं, उसमें अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, उसके अनुपात में जो संख्या होगा, वही बैकलाग माना जायेगा इसी लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं।

हमने यह भी फैसला लिया है कि ऐसी बहुत सी जातियां है जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं है। आप जानते हैं कि पहले जो कानून बना था, वह राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से एक बार कानून

[श्री राम विलास पासवान]

बनता है कि अमुक स्टेट में अमुक जाति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की है। दूसरी बार जब उसको कुछ संशोधन करना होता है, बढ़ाना या घटाना होता है तो यह अधिकार पार्लियामेंट को होता है। पिछली सरकार ने पार्लियामेंट में जो किसी कारणवश निर्णय लिया था कि इसकी आवश्यकता नहीं है, हमने मन्त्री पद संभाला तो प्रत्येक स्टेट से बहुत सी एप्लीकेशन आयी हैं कि हमारे यहां अमुक जाति की हालत अनुसूचित जाति से भी बदतर है या उनके साथ जातिगत आधार पर भेदभाव होता है वह जाति अनुसूचित जनजाति में हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं रखी गयी है। बहुत जगहों पर लोगों ने बतलाया कि एक ही जिले में शेड्यूल्ड कास्ट है तो दूसरे में वह शेड्यूल्ड कास्ट नहीं है। इसी प्रकार एक जिले में शेड्यूल्ड ट्राईब्स है तो दूसरे में शेड्यूल्ड ट्राईब्ज नहीं है। स्टेट सरकारों ने बहुत सारी जगहों पर रिकेमेंडेशन्ज किये हैं और जो भी रजिस्ट्रार जनरल ने अनुमोदित कर दी हैं, हमने ऐसे मामले पर दुबारा से विचार करना शुरू कर दिया है और हम सूचियां बना रहे हैं और उन सूचियों को फाईनल करने से पहले राज्यों से आये हुए माननीय सदस्यों से अपील करना चाहते हैं कि हमने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को लिखा है कि आप दुबारा एग्जामिन करके जो जातियां छूट गयी है, उनको भेजने का काम कीजिये जिससे हमें सहूलियत हो सके। इसके अलावा यदि माननीय सदस्यों को कोई जानकारी हो या नालेज हो कि आपके राज्य में कोई जाति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लायक हो तो उनके नाम भी भेजने का काम कीजिए। निश्चित रूप से हम उसे देखने का काम करेंगे। साथियों से मैंने पहले ही कह दिया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : क्या आपका लक्ष्य इस काम को एक वर्ष में पूरा कर देने का है।

श्री राम विलास पासवान : हमारा लक्ष्य तो इस साल दिसम्बर तक ही पूरा कर देने का है, लेकिन आपके सुझाव भी तो हमें मिलें, तभी कुछ हो सकता है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : सारा शासनतंत्र, सारी मशीनरी आपके पास है, मैं चाहता हूं कि आप इसे समयबद्ध कीजिए। (व्यवधान)

श्री हरभजन लाखा (फिल्लौर) : इन लोगों के सामने एक आम दिक्कत यह आ रही है कि इनकी कान्फीडेंशियल रिपोर्ट कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति लिखता है और वह कभी इन लोगों की रिपोर्ट को सही नहीं लिखता। मेरा सुझाव है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की कान्फीडेंशियल रिपोर्ट कोई दूसरी जाति का व्यक्ति न लिखने पाये, इसकी व्यवस्था भी आप इस बिल में कर दें।

श्री राम विलास पासवान : उसके लिए तो हमने पहले ही फैसला लिया हुआ है कि जहां कहीं नीति विषयक मामला हो, जहां अप्वाइंटमैंट होता है, जहां इन लोगों का प्रोमोशन होता है, जहां नीति तय की जाती है, उन तमाम जगहों पर समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। यह फैसला हमने पहले ही ले लिया है। फिर भी, यह हमारा अन्तिम निर्णय नहीं है, अभी तो मैं सदन के विचारार्थ यह बिल रख रहा हूं। इस पर अभी बहस होनी है। यदि माननीय सदस्य अभी एक एक शंका पूछते रहेंगे और मैं जवाब देता रहूंगा तो इसका कहीं अन्त नहीं हो सकता। इस बिल पर आप सभी दलों के माननीय सदस्य बोलेंगे, अपने-अपने विचार रखेंगे। आपके जो सुझाव यहां आयेंगे, उनका उत्तर मैं अन्त में दूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वाद-विवाद का उत्तर भी देना है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अभी तो मैं सिर्फ इस बिल को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री छविराम अर्गल (मुरैना) : सभापति जी, आज स्थिति यह है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को न तो राज्य सभा विधान परिषद विधान सभाओं में जनगणना के अनुपात में कहीं रिजर्वेशन मिल रहा है और न यहां, आपके नीचे लोक सभा सचिवालय में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण का कोटा पूरा किया जा रहा है। यहां तक कि राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय प्रधान मन्त्री सचिवालय और स्वयं आपके सचिवालय में आरक्षण की पूरी व्यवस्था नहीं है। दिल्ली राजधानी में पालीटीकल आरक्षण की उचित व्यवस्था नहीं है, फिर आप दूसरी जगह सारे देश में नौकरियों में कैसे आरक्षण दिला पायेंगे। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, अभी कुछ कांग्रेस के सदस्यों ने भी कहा, हुकमदेव नारायण जी ने भी कहा और इसमें कोई दो मत नहीं है कि यह सदन सर्वोपरि है और सभी माननीय सदस्य जब अपने-अपने दलों के बीच बैठकर बातचीत करेंगे और तय करेंगे, उसे मानने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। आप जानते हैं कि जब हम कुछ निर्णय लेकर उसे आगे बढ़ाते हैं तो हमारे बीच उस विषय पर सर्वसम्मति होती है। यदि मैं ऐसे कहूं कि हमें रन भी बनाने पड़ते है और अपनी विकेट भी बचानी पड़ती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमें किसी तरह की आपत्ति नहीं है। यहां जितने राजनैतिक दलों के हमारे माननीय साथी है, वे अपने-अपने दल में इस बात को तय कर लें, सरकार को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अर्गल साहब, यदि सरकार की तरफ से कोई प्रोपोजल या बिल आयेगा तो उसमें हम विधिवत् उन्हीं चीजों को शामिल कर सकते हैं जिस पर तमाम पक्ष के लोगों की एक राय होगी, जिस पर कांग्रेस पार्टी, आपकी पार्टी, लैफ्टिस्ट पार्टीज, सभी लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए चाहे राज्यसभा में रिजर्वेशन का मामला हो, विधान परिषदों में रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में रिजर्वेशन का मामला हो, बल्कि हम तो चाहते हैं कि प्राइवेट सैक्टर में भी इन जातियों के लोगों को आरक्षण मिले क्योंकि जहां जहां सरकार पैसा देती है, जहां जहां सरकार का पैसा जाता है, वहां सब जगह रिजर्वेशन का सिस्टम लागू होना चाहिये, परन्तु ये सारी की सारी चीजें तभी तय होंगी जब तमाम साथियों के बीच आम-सहमति हो जाये।

श्री छविराम अर्गल : सभापति जी, माननीय मन्त्री जी सदन में जो घोषणाएं कर रहे हैं, उनका कोई आधार प्रतीत नहीं होता क्योंकि यहां राज्य सभा में भी आरक्षण नहीं है, कई जगहों पर आरक्षण नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको बैठना चाहिए। मैं खड़ा हूं आप बैठ जाइये। इसमें और व्यवधान नहीं होना चाहिए। आप वाद-विवाद का उत्तर भी देंगे। यदि सभी प्रश्नों का अभी उत्तर दिया जाता है तो फिर वाद-विवाद का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होगी क्या आप इस तरह की बातें चाहते हैं? अब से लेकर उनका भाषण समाप्त होने तक कोई सदस्य बीच में न बोले। उसके बाद सदस्य बोलेंगे, बहुत से सवाल होंगे और मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री छविराम अर्गल : मैं सिर्फ एक प्वाइंट जानना चाहता हूं।

सभापति महोदय : नो, यू प्लीज सिट डाउन। ऐसे नहीं।

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को कद्र करता हूं। उनकी एक्सपैक्टेशन्स बहुत अधिक है और होनी भी चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि लम्बे समय से चली आ रही कमी को एक ही समय में पूरा कर दें, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी हमारी सरकार को सत्ता में आये 6 महीने ही हुए हैं, क्या आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम सब कुछ कर दें। इस सम्बन्ध में आपके जो सुझाव आयेंगे, कुछ प्रस्ताव हमारे पास पहले से विचाराधीन हैं, इसके अलावा सभी पोलिटिकल पार्टीज बातचीत करके, जो भी सुझाव हमें देंगे, मैंने पहले ही कहा है कि सरकार ओपन दिमाग से, जो चीज है, वह करने जा रही है, हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में, मैनीफेस्टो में जो वायदे किये हैं, उनको एक-एक करके हम पूरा करने जा रहे हैं और एक वायदे की पूर्ति के बाद ऐसा नहीं होता कि हम दूसरी किसी चीज पर विचार ही नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज जो मैंने इस विषय का थोड़ा-सा विस्तार कर दिया है, इसको दृष्टि में रखते हुए, यह जो विधेयक है, यह बहुत ही छोटा विधेयक है। इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को सांविधानिक दर्जा दिया जाए, उसको स्टेटयूटरी पावर्स दी जायें जिससे कमीशन अधिक से अधिक सशक्त हो सके और कमीशन सक्षम तरीके से काम कर सके, इसके लिए यह आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ, मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस पर सुझाव दें और कंस्ट्रक्टिव सुझाव दें और इस संविधान संशोधन को जो दूसरी बार नए रूप में आया है, पारित करें। सन् 1978 में यह पहली बार आया था, तब पारित नहीं हो सका। बारह वर्ष के वनवास के बाद अब फिर यह विधेयक आया है। इसलिए मैं समझता हूं कि सभी पक्ष के साथी इसका स्वागत करेंगे और इसको पारित करने का काम करेंगे। मैं आपके विचारार्थ इसको रखता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव का एक संशोधन है। क्या वे अपना संशोधन पेश कर रहे हैं?

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) **: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :**

"कि विधेयक पर 31 अगस्त, 1990 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।"

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) **:** सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अपने भाषण के शुरू में ही कोई जिक्र किया था। मुझे लगता है कि वे किसी गलतफहमी में थे। इससे यह न समझें कि हम इन विधेयकों, पिछले या मौजदा, के विरोध में हैं। हम कार्यक्रम में परिवर्तन के विरोधी हैं। समावसान

पिछले शुक्रवार को हो जाना चाहिए था। हमें इसके विस्तार के लिए सरकार से सहमत होना पड़ा ताकि इन विधेयकों पर विचार किया जा सके और उन्हें पारित किया जा सके। उन पर पहले ही विचार कर लिया जाना और पारित कर दिया जाना चाहिए था और ऐसा नहीं किया जा सका। तब वे और वक्त मांगने लगे और हमें उनसे सहमत होना पड़ा। हमने उनसे कहा कि उन पत्रों को सभा-पटल पर रख दो और हम सभी के लिए सभा के कारोबार को इन विधेयकों पर विचार करने और पारित करने के लिए बढ़ाने के लिए सहयोग देने हेतु सरकार से सहमत होना पड़ा। हमसे यह अपेक्षित नहीं किया जा सकता कि हम इन विधेयकों के विरुद्ध हैं, पक्ष में उनका ऐसा कहना अनुचित है।

श्री राम विलास पासवान : मैंने ऐसा नहीं कहा।

प्रो० एन० जी० रंगा : जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है हम सामान्यतया उनके पक्ष में हैं। इसीलिए हम उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। किन्तु यह निर्दिष्ट अवधि से अधिक सभा को बढ़ाने का मुद्दा है। इसीलिए हमने यह विशेष शर्त रख दी। यह शर्त कोई नई नहीं है। पहले भी हम ये मांगें करते आए हैं। हमारी मांग थी कि सभी पत्र सभा-पटल पर रखे जायें। सरकार ने कहा 'संगत पत्र' हम बोले 'नहीं', तो वे बोले कुल कागज लापता है। ठीक, तो जो भी कागजात हैं, उन्हें पूरा कर दो। किन्तु कृपया भगवान के लिए वही सारा ढेर सभा-पटल पर ला रखिए। वे अब भी ऐसा कर सकते हैं। अन्यथा आप हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे और हमारे लिए भी इसे नामुमकिन बना देंगे, हम नहीं जानते मगर हम उन्हें पहले आगाह कर चुके हैं। ये खास बात है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे माननीय मित्र अथवा सभा इस भ्रम में रहे, यही भ्रम पाले रहे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों आदि इत्यादि को दिए जाने हेतु सरकार वांछित विभिन्न विशेषाधिकारों की अवधि बढ़ाने के विरुद्ध है।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, हम इसके पक्ष में हैं। खेद की बात है कि इतना भर कहने में उन्होंने इतना समय बर्बाद कर दिया। अब तक पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी आयोग का सदस्य कौन निर्वाचित होता आया है? उनमें से अधिकांश सदस्य पिछड़े वर्गों, हरिजनों और अनुसूचित जातियों के हैं। अन्य लोगों को दूर रखा गया या वे स्वयं ही इससे बचते रहे। किन्तु इसके बावजूद आयोग के पास पर्याप्त शक्तियां नहीं थी। इसीलिए हालांकि वे इस बात को लेकर अनेक बहुत उपयोग अध्ययन कर रहे थे कि वे सब स्थान तथा वे सब घटनाओं का ब्योरा क्या है जिनमें इन अभागों से दुर्व्यवहार किया गया, जहां इन रिपोर्टों और सर्वेक्षणों के बावजूद जोकि सरकार को प्रस्तुत किये जा चुके हैं, हमारी करोड़ों की आबादी, साथ ही आदिवासियों और हरिजनों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इस आयोग की सिफारिशों पर न तो किसी राज्य सरकार ने, और न ही भारत सरकार ने सन्तोषजनक ढंग से अमल करने हेतु आवश्यक कदम उठाए। इसीलिए मेरे माननीय मित्र—जिनमें अनेक इस ओर और अनेक उस ओर बैठे हैं -- इस बात को लेकर शोर शराबा कर रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि इस आयोग को आवश्यक शक्तियों से सम्पन्न कर एक सांविधिक निकाय का दर्जा दिया जाए और अधिकांश मामलों में राज्य सरकारों के सहयोग से, और यदि जरूरत हुई तो कतिपय मांगों में वे शिकायतों को दूर करने के लिए और हमारे इन करोड़ों अभागे देशवासियों की कठिनाइयां कम करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकेंगे। हमसे मांग करते आए हैं किन्तु किसी फिर भी किसी-न-किसी कारणवश हमारे हरिजन विधायक, हमारे आदिवासी विधायक और हमारे विभिन्न राजनीतिक दल अपने सर्वोत्तम इरादों के बावजूद साथ ही सभा के कार्य

[प्रो० एन० जी० रंगा]

की अधिकता के कारण निर्णय लेने अथवा पहल करने में असमर्थ रहे हैं। अब सारा श्रेय श्री पासवान को जाता है। वे पहले इस ओर विपक्ष की ओर बैठा करते थे। मैं इन लोगों के हितों के लिए उनकी जबर्दस्त हिमायत की सराहना किया करता था और मुझे खुशी है कि उन्हें सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पद मिल गया है। वे इस विधेयक को लाये हैं। हम सभी इस विधेयक के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि यह पारित हो जाए, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि हम इन अभागों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और जरूरी संरक्षण देने के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान हैं। केवल जनमानस में क्रांतिकारी परिवर्तन, प्रशासनीय परिवर्तन होने पर ही उनकी स्थिति सुधारी जा सकती है। हमें यह रचनात्मक कार्य गांधीवादी कार्य करना है। हम भी गांधीवादी हैं, वे भी गांधीवादी होने का दावा करते हैं। किन्तु हम गांधी जी के तरीके से, अनेक उत्साह और तत्परता से इन लोगों के उत्थान के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं।

और भी अधिक दुर्भाग्य की बात यह है कि आदिवासी और हरिजन समुदाय के शिक्षित लोग भी अपने समुदाय के उत्थान के लिए हमें पीछा छोड़ना तो दूर, हमारे साथ चलने के लिये, हमारे साथ स्पर्धा करने योग्य नहीं हो पाये हैं। उनमें अम्बेडकर अथवा जगजीवन राम जैसे और नहीं हुए। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमें आशा है कि भविष्य में ऐसे अनेक व्यक्ति होंगे और इस आयोग के जो लोग सदस्य नियुक्त किए जायेंगे, संसद द्वारा आयोग को संविधान संशोधन द्वारा सांविधिक दर्जा देने के पश्चात वे डा० अम्बेडकर श्री जगजीवन राम अथवा हमारे अनेक जनहित के प्रति जागरूक हरिजन और आदिवासी नेताओं का अनुसरण कर सकेंगे। एक श्री जयपाल सिंह थे जो जनजातिय लोगों को नेतृत्व प्रदान करते थे। हम इस आशा में है कि अन्य समुदायों के लोग भी हमारे समाज और हमारे इतिहास के इस धब्बे को धो सकेंगे। हम दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की निन्दा करते हैं। हमारे अपने ही गांवों में नस्ल भेद है। इन लोगों के बहुत समय से तिरस्कृत किया जाता रहा है और हमें इस समस्या से निपटना है। महात्मा गांधी ने हमारे देश की जनचेतना को सर्वाधिक प्रभावी ढंग से जागृत किया। डा० अम्बेडकर, स्वामी विवेकानन्द, ब्रह्म समाजियों, आर्य समाजियों और हमारे अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने ऐसा किया। किन्तु महात्मागांधी ने ही इन लोगों की मुक्ति और उत्थान को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में प्रस्तुत किया और तो और उन्होंने स्वराज की प्राप्ति के लिए इसके हल को एक पूर्वशर्त माना। उन दिनों अधिकांश कांग्रेस के पक्के समर्थक इस मामले के सम्बन्ध में महात्मा गांधी के रवैये से नाखुश रहा करते थे। इन सबके बावजूद आज भी ऐसे क्षेत्र मौजूद हैं जहां न केवल इन हरिजनों तथा आदिवासी लोगों के साथ बल्कि पिछड़ी जाति के लोगों के साथ भी बुरा व्यवहार किया जा रहा है और उनसे घृणा की जाती है। हमें इन सब बातों से ऊपर उठना है। इसके लिए सामाजिक तथा आर्थिक क्रान्ति और राजनीतिक क्रान्ति लाने की भी आवश्यकता है। आज प्रातः कोई कह रहा था "यदि आप इन लोगों की स्थिति में शीघ्र सुधार नहीं लाएंगे तो वे स्वयं अपनी स्थिति में सुधार लाएंगे।" ऐसा समय आयेगा जब न केवल एक, दो अथवा तीन पासवान अथवा अम्बेडकर अथवा जगजीवनराम जैसे लोग केन्द्र में आगे वाले बेंचों पर बैठे होंगे बल्कि वे लोग खुद दूसरे लोगों को पीछे करके आगे वाले बेंचों पर बैठेंगे।

मैं उसका स्वागत करूंगा परन्तु बशर्ते कि यह अहिंसक तरीके से किया जाए। यह कार्य एक संस्थागत तरीके, अहिंसक तरीके से केवल इस प्रकार के क्रान्तिकारी तथा विकासवादी विधान तथा संघर्ष के माध्यम से किया जा सकता है। केवल कानून बनाना ही काफी नहीं है। हमारे संविधान के

अनुसार उनके इस सभा का सदस्य बनने तथा मंत्री बनने पर कोई रोक नहीं है। इन सबके बावजूद उनके हालात अभी तक उतने ही असन्तोषजनक बने हुए हैं जितने एक काफी लम्बे समय पहले थे। अतएव लोगों का दिमाग, हमारे लोगों की धारणा अभी बदली जानी है और संसद तथा जनता और उनके नेताओं द्वारा बदली जा सकती है और बदली जानी चाहिए।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से मंत्री महोदय से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं···(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब नियमित चर्चा जारी रहेगी। श्री संतोष भारतीय।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : चूंकि मेरा नाम पुकारा गया है, अतः कृपया मुझे बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : मैंने आपको पुकारा था। परन्तु मैंने आपके स्थान पर प्रो० रंगा को बोलने दिया है। धन्यवाद।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : उन्होंने कुछ टिप्पणियां की हैं। मैंने चर्चा प्रारम्भ की है। आपको मुझे बोलने की अनुमति देनी चाहिए।

सभापति महोदय : क्या वे आपके दल के नहीं हैं ? कृपया बैठ जाइए। आपको यह बात समझनी चाहिए। कृपया इस बात को समझिए।

[हिन्दी]

श्री सन्तोष भारतीय (फर्रुखाबाद) : माननीय सभापति महोदय, महाभारत में भीष्म का जो दुख था, भीष्म की जो पीड़ा थी, भीष्म का जो अन्तर्विरोध था, वह अन्तर्विरोध आज फिर एक बार इस लोक सभा में जब माननीय रंगा जी बोल रहे थे तो मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया कि वह दर्द, वह पीड़ा वह अन्तर्विरोध क्या होता है और खाया हुआ अन्न किस तरह से किसी अपराध को, खाया हुआ अन्न किस तरह से किसी पुराने पाप के पक्ष में एक ईमानदार, निस्वार्थ, आजादी की लड़ाई के सिपाही को खड़ा कर देता है, उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मुझे अभी देखने को मिला और वह इसलिए कि काफी दिनों तक आदरणीय रंगा जी सत्ता पक्ष में नहीं थे, किसी अलग पार्टी में थे लेकिन जब से वह सत्ता पक्ष में आए, उन्होंने 40, 41, 42, यह तेतालीसवां साल चल रहा है, उन्होंने आजादी के बाद के सारे सालों में अनुसूचित जनजाति के लिए जो कुछ पिछली सरकारों ने किया, उन सबके समर्थन में एक काफी कुशल वकील की यही भूमिका निबाही। हालत यह है हिन्दुस्तान की, शायद इनके गांव में भी जब कोई सवर्ण गुजरता होगा तो हरिजन और जनजाति के लोग चारपाई पर बैठ नहीं पाते होंगे, शायद इनके गांव या इनके आसपास के गांवों में जहां पर पीने के पानी के कुएं से हरिजन, माफ कीजिएगा, मेरे मुंह से निकल गया, अनुसूचित जाति के लोग उस कुएं से वहीं पानी नहीं ले पाते होंगे, इनके दल के लोगों के जो गांव हैं, क्योंकि, हम सारे लोगों के गांव भी वैसे ही हैं, चाय की दुकान पर चाय पीने के बाद, उनका चाय पीने का बरतन अलग होता है और पैसा देने के बावजूद भी उस बरतन की सफाई खुद करनी पड़ती है। शायद इनके गांव में या इनके आसपास के

[श्री सन्तोष भारतीय]

जिस समाज में आप बड़े हुए हैं और आदरणीय रंगा जी जैसे लोगों ने जो समाज हम लड़कों को दिया है, उस समाज में अनूसूचित जनजाति की औरतों का शोषण खुले आम होता है।

माननीय, जो समाज आदरणीय रंगा जी जैसे लोगों ने हमको दिया है, हम आज भी रोज अखबार उठाते हैं तो हमको कहीं-न-कहीं निर्बल वर्गों पर अत्याचार के समाचार पढ़ने को मिलते हैं और जब हम उसकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि जब उस अत्याचार का विरोध करने के लिए रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो जो समाज और शासन व्यवस्था इन्होंने हमको दी है, उसमें कहीं पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, जो रिपोर्ट लिखाने जाता है, हरिजन और कमजोर वर्ग का आदमी, अनुसूचित जनजाति का आदमी, उसी को चोर बनाकर बन्द कर दिया जाता है। यह सरकार शायद बता पाएगी और शायद आप लोग भी बता पाएंगे कि इस देश की जेलों में एक बड़ा तबका बिना किसी अपराध के सिर्फ इसीलिए हर बार ले जाया जाता है ताकि वह वहां का मैला साफ कर सके। ऐसा समाज पिछले 42 सालों में हमको मिला है जिसकी तारीफ हमारे आदरणीय बुजुर्ग अभी तक करते रहे हैं कि हमको बहुत आशा नहीं है, आशा कहां से होगी। सवर्णों ने अपने मनोरंजन के लिए इन कमजोर वर्गों के लोगों का किस तरह से शोषण किया है, यह कहने के लिए बहुत उदाहरण गिनाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा पिछले 41 सालों में केन्द्र से जो पैसा-हरिजनों, सवर्णों या कमजोर वर्गों के लोगों के काम के लिए केन्द्र से गया, वह पैसा आज कहीं नजर नहीं आता है कि वह रकम कहां है, किसको कितना फायदा मिला, किसको मिली है स्कालरशिप, किसको मिलती है शिक्षा, किसको मिलता है रोजगार, इसका हिसाब कभी कोई देगा या नहीं देगा। इस पाप की गठरी को लेकर लोग जायेंगे आखिर कहां पर, लेकिन इस सवाल का जवाब कभी तो हम लोगों को देना पड़ेगा। आज यह वक्त है कि इस सवाल का जवाब तलाशें और इसीलिए जब मैं ऐसे बुजुर्ग के मुंह से किन्हीं चीजों की तारीफ सुनता हूं तो मेरा मन काफी तकलीफ से और दर्द से कराहता है कि हम किस सभा में बैठे हैं, कहीं यह कौरव सभा तो नहीं है, किस तरह की बात वह बुजुर्ग कर रहे हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, इसके लिए मेरा यह दर्द है। हो सकता है आपको कुछ बात कड़वी लगे लेकिन मैं आपके माध्यम से अपनी बात सिर्फ इनके पास तक पहुंचाना चाहता हूं कि पेयजल, सड़कें, अस्पताल, यह जो सामान्य जिन्दगी जीने के लिए जरूरी चीजें हैं, यह कहीं पर भी कमजोर और निर्बल वर्गों के आसपास से, दूर से भी गुजरी नहीं हैं, उनको उसकी हवा भी नहीं लगी है....।

उनके पर घर नहीं है, शायद 99 प्रतिशत लोगों के सिर पर छत के नाम पर सिर्फ आसमान है। कौन इसके अपराधी है, कौन इसके जिम्मेदार है? आज जिस पार्टी में हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे हमारे आदरणीय हैं और जो व्यवस्था चल रही है उसके सिम्बल हैं, आज भी इस देश में सिर के ऊपर मैले की टोकरी लेकर चलने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था से लड़ने का काम जो अब तक सत्ता में थे, उन्होंने नहीं किया। औरतें अभी टट्टी की टोकरा लेकर चलती हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? कमजोर और निर्बल वर्ग के बहुत सारे हिस्सों में शादी में बाजा और घोड़ी लेकर चल ही नहीं सकते हैं और अगर शादी ठीक-ठाक हो भी जाए तो बहुत सारे हिस्से हैं जहां पर कि औरत सुहागरात अपने पति के साथ पहले नहीं मना पाती है। मैं पूछता हूं, इन सारी चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है? समाज में जो कोढ़ फैला हुआ है और पिछले चालीस सालों में सामाजिक अन्याय के जितने भी आन्दोलन चले हैं, क्या कोई है अब तक, जो सत्ता में रहे, उनमें से हाथ उठाकर कहे कि हम बताते हैं कि हमने कितने आन्दोलनों को समर्थन दिया? जितने भी सामाजिक

अन्याय के आन्दोलन चले हैं, जिनमें से एक को 'ी इन लोगों ने समर्थन किया हो ?

मान्यवर, जमीन छीन ली गई। जमीन का पट्टा या पट्टे के नाम पर जो जमीन मिली निर्बल और कमजोर वर्ग के लोगों को, हरिजन जाति के लोगों को, उनसे जमीनें छीन ली गई। इसके खिलाफ जहां उन्होंने आवाज उठाई, वहीं उन्होंने मार खाई। इतना ही नहीं अगर उन्होंने थोड़ा-सा कहीं पर भी रजिस्ट करने की कोशिश की, तो सामूहिक नरसंहार हो गया। गांव के गांव जला दिए गए और पुलिस का इस्तेमाल किया गया उनके ऊपर दबाव डालने के लिए। यह समाज हमको किसने दिया है ? मैं यह मानता हूं कि यह शोषण व्यवस्था सदियों से चली आ रही है, सामाजिक अन्याय की, लेकिन आजादी के बाद जो लड़ाई शुरू होनी चाहिए थी, वह लड़ाई नहीं शुरू नहीं हुई, बल्कि उसको और पुख्ता करने का पाप जिन लोगों ने किया वे लोग आज खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें इसमें कोई आशा नहीं नजर आती है। यह सदियों पुराना जो क्रोध है कि हम ऊपर है और वे नीचे है, यह भावना और इस तरह की भाषा बोलने के लिए उकसाती है। मैं आपको यह भी बता दूं कि बन्धुआ मजदूर आदिवासियों और हरिजन जाति तथा निर्बल वर्ग में से ही आते हैं, कहो और ऊपर से नहीं आते हैं, ठाकुर और ब्राह्मणों में से। मैं ज्यादा बोलूंगा तो तल्ख हो जाऊंगा। हमको इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ रहा है, जो पाप पिछले चालीस सालों में दूसरों ने किया। आज इस संविधान संशोधन के माध्यम से हम सदियों पुरानी उस मानसिकता के खिलाफ अपना हाथ खड़ा कर रहे है, हम उसके विरोध में अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, जिसे चालीस सालों में इन्होंने पुख्ता किया, जिसके लिए लड़ाई लड़ी जा सकती थी, जिसके लिए मानसिकता बनाई जा सकती थी और जिसके लिए बार-बार अपने भाषण में माननीय रंगाजी ने कहा लिए हमको सामाजिक क्रान्ति करनी होगी। बुजुर्ग हो गए और जिन्दगी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए हैं, मैं पूछता हूं इन चालीस सालों में क्यों आपने सामाजिक क्रान्ति शुरू नहीं की ? आप किसको बता रहे हैं, मैं अपनी बात म ह ' हा हूं, मैं मानूंगा कि मैं पूरे तथ्य नहीं कह रहा हूं अगर किसी को चोट नहीं लगती है, मुझे खुशी है कि भजन लाल जी जैसे आदमी को चोट लगी। ये सारे लोग कमजोर, दलित और जो सताए हुए हैं, जो पीड़ित हैं, इन सबके ऊपर जुल्म करने का अगर किसके ऊपर जिम्मा आता है तो इन सारे लोगों पर आता है। यह कमीशन इन्कलाब नहीं लाएगा, लेकिन यह कमीशन बेजुबान के मुंह में जुबान देगा। यह कमीशन हो सकता है चारों तरफ आकाश में चांद और सूरज नए न पैदा करे, लेकिन टिमटिमाते हुए सितारे जरूर दिखलाएगा, ताकि वह कमजोर और निर्बल आदमी खड़े होकर खुद रास्ता टटोलने के लिए अपने अन्दर कम-से-कम हिम्मत महसूस करे।

इसके साथ ही मुझे बहुत दुःख हुआ सवेरे, जिसकी शुरू में इन्होंने सफाई दी। आप किस चीज की सफाई दे रहे हैं। हरिजनों के सवाल को ब्लैकमेल का सवाल बना रहे हैं। मैं यह मान सकता हूं, आप यह कहें कि इस चीज से हम सहमत नहीं हैं। यह कागज हमको चाहिए, नहीं तो यह सदन हम चलने नहीं देंगे, आपकी बात में ईमानदारी नजर आती है। आप सदन मत चलने दीजिए, आप विपक्ष में हैं और यह आपका हक है कि आप जितने भी कागज मांगिए और सदन को मत चलने दीजिए, लेकिन जब आप इस चीज को हरिजनों के लिए संविधान में संशोधन के सवाल के साथ जोड़ते हैं।

5.00 म० प०

गरीबों और निर्बलों को दिये जाने वाले अधिकार के साथ आप यह शर्त लगाएं तो इसका मतलब है कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। न केवल ब्लैकमेल कर रहे है बल्कि बहुत घटिया और वाहि-

[श्री सन्तोष भारतीय]

यात ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुल्क के साथ जो आपने 40 साल में किया वही चीज आप आज भी जारी रखना चाहते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि सारे हिन्दुस्तान में सारे अखबार वालों ने, सारे सम्मानीय सदन ने देखा कि किस तरीके से सौदेबाजी की जा रही है। ब्लैकमेल भारतीय संविधान में अपराध है। लेकिन इस सदन में खुलेआम आप कहेंगे, इंगित करेंगे कि आप यह नहीं करेंगे तो हम यह नहीं करेंगे और वह भी हरिजनों के सवाल पर तो मान्यवर मुझे दुःख होता है।

मैं अपनी बात इस आस्था के साथ समाप्त करता हूं कि जिन बुजुर्ग को उस व्यवस्था का, उस सिस्टम का सिम्बल बनाया है, मैं उन्हें आदरणीय मानता हूं। वे आजादी की लड़ाई में अग्रगण्य नेता थे। उन्होंने इस विषय में जिस तरह की बातें कीं, और जिस तरह से समर्थन किया, माफ कीजिए कि अगली लोक सभा में आप हों या न हों अगली लोक सभा में मैं आऊं या न आऊं लेकिन आज एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से प्रार्थना कर रही है, आशा कर रही है कि कम-से-कम कुछ अवसरों पर सारी चीजों को छोड़कर केवल हम सच का सहारा लें। सच इस पक्ष का या उस पक्ष का नहीं होता, सच सबका होता है। इसलिए इस संविधान संशोधन विधेयक को पास करने में आप शर्त लगाएं और जिन लोगों ने यह शर्त लगायी है, कांग्रेस के सम्मानित सदस्यों ने जो शर्त लगायी है उन्होंने यह गलत किया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों की मानसिकता के खिलाफ, निर्बल वर्गों के लिए आप खड़े होकर के बिना झिझक इस संविधान संशोधन विधेयक को समर्थन दें। यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और उनसे क्षमा चाहता हूं जिनको मैंने सिम्बोलाईज किया है, अगर उनको तकलीफ हुई हो।

श्री रेशम लाल जांगड़े (बिलासपुर) : सभापति महोदय, 1950 से संविधान चालू हुआ है। डा० अम्बेडकर ने उस समय इसे स्पोन्सर किया था। शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दस साल के लिए आरक्षण की नीति बनायी गयी थी। दस-दस वर्ष होते-होते आज चालीस साल बीत गए हैं और दस साल में जो होना था वह आज तक नहीं हुआ है। इस देश में बीस हजार करोड़ रुपया हरिजन और आदिवासियों के ऊपर खर्च किया गया। उसमें से मैं समझता हूं कि एक हजार करोड़ रुपया भी हरिजन और आदिवासियों को नहीं मिला। यही कारण है कि बस्तर, सरगुजा, पलामू, कालाहांडी, बोलनगीर ये जो जिले हैं ये हमें आज भी पुराने जमाने की याद दिला रहे हैं। वहां आज

5·03 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

भी लोग नंगे रहते हैं। उन्हीं की कमाई पर देश उनका शोषण कर रहा है। देहातों से आज पलायन हो रहा है। जो लोग आज शहरों में पलायन करते हैं उनमें अधिकांश लोग हरिजन और आदिवासी शहरों में पलायन करते हैं। वे शहरों की चमचमाती सड़कों के पीछे की गंदी झोंपड़ियों में रहते हैं उन्हें वहां हजारों बंधुआ मजदूर हरिजन और आदिवासी मिल जाएंगे। उनके साथ श्रम मंत्रालय आंख मिचौली कर रहा है। उनके दुःख-दर्द की कहानी हमारे सामने नहीं आने देता। हम उनके दुःख-दर्द को सुन नहीं पाते। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में छत्तीसगढ़ के हजारों हरिजन और आदिवासी बंधुआ-मजदूर नारकीय जीवन बिता रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि हम हरिजन और आदिवासियों की बात जरूर करते हैं लेकिन तीन-चार साल बीत जाने के बाद शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट आती है। इस

40 सालों में इस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद भी किसी विधान सभा में इस पर चर्चा नहीं हुई। विधान सभा की बात छोड़ दीजिए इस लोक सभा में शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट पर 1950 से आज तक चर्चा नहीं हुई। मुझे इस बात को दु:ख के साथ कहना पड़ता है। 1950 से 1962 तक मैं इसी सदन में कांग्रेस पार्टी का सांसद था। उन दिनों भी इस कमीशन की रिपोर्ट पर कोई चर्चा नहीं की गयी। गृह मंत्रालय हमारे ऊपर अत्याचारों, उत्पीड़न और दमन को रोकने का आश्वासन देता है लेकिन वह भी राज्य सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी डाल देता है। राज्य सरकारें हमारी अवमानना करती हैं। इसलिए भी दमन और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि पुरानी बातों को दोहराया जाए। कुछ नयी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हरिजन घटक योजना और आदिवासी उपयोजना, इसके लिए करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है, जिसके लिए आधे से ज्यादा रकम केन्द्र सरकार देती है, क्या उन रुपयों का सही उपयोग आज राज्य शासन के हरिजन विशेषांक योजना में, हरिजन घटक योजना में या आदिवासी योजना में होता है, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया है। क्या आज तक शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने इस बात पर कोई प्रतिवेदन दिया है कि हरिजन विशेषांक योजना में जो उस पर खर्च किया जाता है, उस पैसे का क्या हुआ है? क्या कारण है कि हर वर्ष हर राज्य सरकारों में करोड़ों रुपया डायवर्ट होता है, लेट होता है, लैप्स होता है? जैसा कि माननीय पासवान साहब ने कहा, मैं उनसे कहता हूं कि वह अम्बेडकर की दूसरी प्रतिमा के रूप में आए हैं और मैं समझता हूं कि इससे आपका सितारा बुलन्द होगा और आप अम्बेडकर से ज्यादा नाम कमायेंगे, इस बात की मैं आशा रखता हूं। ऐसे समय पर मैं यह जानता हूं कि हरिजन विशेषांक योजना और हरिजन उपयोजना में खास तौर से सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाबदारी होना चाहिए। शेड्यूल्ड कास्ट के नाते, राज्य शासन के भरोसे, चाहे जनता सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, हम राज्य सरकारों का इस सम्बन्ध में कोई भरोसा नहीं कर सकते। हम 40 सालों से देखते आ रहे हैं कि इसमें केन्द्र सरकार की जवाबदेही नहीं होती है जहां पर केन्द्रीय शासन का पैसा जाता है, वह हरिजन घटक योजना में, हरिजन विशेषांक योजना में और आदिवासी योजना में, वहां पर हम केन्द्रीय सरकार की जवाबदेही मानेंगे और इस सदन में हरेक सांसद को यह अधिकार होना चाहिए, चाहे वह राज्य का विषय हो या केन्द्र का विषय हो। हरिजनों के सम्बन्ध में जो खर्च किया जा रहा है या आदिवासियों के सम्बन्ध में जो खर्चा किया गया हो, उसके सम्बन्ध में प्रश्न संसद में उठाने का अधिकार होना चाहिए।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि वाटर शेड डेवेलपमेंट का आज तक इस देश के किसी भी जिले में जल धारा योजना का अभी तक कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। कई करोड़ रुपए खत्म हो गए, लेकिन किसी ने भी अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। इसी प्रकार से हरिजनों के सैकड़ों गांवों में ऐसे खेतों में पानी नहीं पहुंचा। हरिजन समूहों के गांवों में एक किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी है, इसके लिए केन्द्र सरकार जो पैसा देता है, वह पैसा उनके पास नहीं पहुंचता है। इस संबंध में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप सख्ती से इस ओर कोई कदम उठायें। शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर रिपोर्ट से ही काम नहीं चलेगा, आपको इसके लिए कोई विशेष हल ढूंढना पड़ेगा तभी हरिजन आदिवासियों का उद्धार हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि आज केवल आरक्षण से ही हमारी गरीबी दूर होने वाली नहीं है।

शहरों की ओर पलायन अभी भी जारी है। बड़े-बड़े अरबपतियों के हाथों में सारे धन्धों को एक साथ एकत्र किया जाना और उनकी मनोपली होना, यह हमारे हरिजन, आदिवासियों का क्या

[श्री रेशम लाल जांगड़े]

घोटने वाला है, इस पर आप क्या कार्यवाही करने वाले हैं। जब तक हमारे देश के हरिजन आदिवासी उद्योगों पर, चाहे निजी उद्योग हों या सार्वजनिक उद्योग हों, का आरक्षण नहीं होगा, तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। इनके लिए इस प्रकार का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि इनकी गरीबी दूर हो सके। हरिजन को हरिजन खाता है और जनरल का जनरल शोषण करता है। आज इस देश में केवट, धीमर आदि ऐसी अनेक जातियां हैं जो हरिजन और आदिवासियों में आती हैं उनके मां-बाप कौन हैं, बैकवर्ड क्लास में जो ऊंचे पद पर होगा, वह बैकवर्ड क्लास के नाम से दिया हुआ सारा पैसा खा जाएगा। हरिजन और आदिवासियों के नाम से ऐसी अनेक जातियां हैं जिनकी हालत आजदी के 40 साल के बाद भी पहले जैसी ही है, पहले की तरह ही वह आज भी गुलाम हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि हरिजन और बैकवर्ड क्लास में जो गिरे हुए लोग हैं उनकी देखभाल शेड्यूल्ड कास्ट का आयोग करे, तब हम बराबर समाजवाद के रास्ते की ओर जा सकते हैं अन्यथा ऐसे हरिजनों का भी कोई उत्थान नहीं हो सकेगा।

मैं कहना चाहता हूं कि एट्रोसिटी के सम्बन्ध में, अत्याचार के दमन के सम्बन्ध में शेड्यूल्ड कास्ट कमिशनर को कमीशन आफ इंक्वायरी एक्ट का अधिकार मिलना चाहिए। उसको एवीडेंस लेने का, उसकी जांच करने का, अपना प्रतिवेदन शासन को पेश करने का अधिकार होना चाहिए और होम मिनिस्ट्री को पहल एवं समन्वय करना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक अलग मंत्रालय बने या न बने, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, पर इसके सारे विशेषांक और इसके आर्थिक विकास और उन पर जो अत्याचार होते हैं, उन अत्याचारों को दूर करने के लिए कड़ा रूख अपनाना चाहिए। हमारा अलग मंत्रालय बना दिया और होम मिनिस्ट्री अलग बना दी, इस तरह से यह काम चलने वाला नहीं है, इन दोनों में समन्वय होना चाहिए। इसके बाद मैं यह कहना चाहूंगा कि विशेष एरिया बस्तर, कोरापुट, मंडला, सरगुजा, पलामू, कालाहांडी आदि ऐसे अनेक जिले हैं जो सदियों से पिछड़े हुए हैं, इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई विशेष प्रावधान होना चाहिए, चाहे केन्द्र शासित क्षेत्र न हो, मगर केन्द्रीय शासन उस ओर विशेष ध्यान दे, अन्यथा वे देश सदियों से पिछड़ा रहेगा, हम स्वर्ग में जायेंगे, वे नर्क में जायेंगे। आज चाहे जितना डेवलपमेंट हो जाए, जो आदमी मेहनत करता है वह मेहनत ही करता रहेगा, दबता ही रहेगा, पिछड़ता रहेगा और जो विकसित लोग हैं, वे और विकसित होते जाएंगे।

इसके सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहूंगा कि इस आयोग की रिपोर्ट संसद में और विधानसभाओं में प्रतिवर्ष रखना अनिवार्य किया जाना चाहिए। शासन जो भी जानकारी या सूचना मांगता है, रिपोर्ट मांगता है, आवश्यक जानकारी मांगता है, वह जानकारी एक टाइमबाउण्ड प्रोग्राम के तहत मिलनी चाहिए। आज स्थिति यह है कि 3-4 साल तक राज्य सरकारें सूचनाएं नहीं देती हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इसका प्रावधान किया जाना चाहिए कि आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी राज्य सरकारों द्वारा संवैधानिक रूप से अनिवार्य होना चाहिए, अभी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। इसको आब्लीगेटरी करना चाहिए। दूसरी बात यह होनी चाहिए कि प्रतिवर्ष रिपोर्ट आनी चाहिए और उस पर बहस होनी चाहिए। 1990-91 की रिपोर्ट पर 1991-92 में बहस हो जानी चाहिए। बासी चीज की तरह से 4 साल बाद रिपोर्ट पेश की जाए और उस पर बहस की जाए, इससे कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है।

एक बात और कहना चाहूंगा, आरक्षण के बारे में जो बातें कही गई, इसमें बहुत सी खामियां

है। आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इंटरव्यू होने के 4 दिन के बाद मिलता है। इसी तरह से और भी कई बीमारियां हैं। प्रमोशन के संबंध में हरिजन-आदिवासियों की सी आर बिना कारण खराब कर दी जाती है, ताकि उनको प्रमोशन न मिल सके। हरिजन आदिवासियों को लूप-लाइन में भेजा जाता है और स्ट्रीम लाइन में दूसरे लोगों को भेजा जाता है, इन सारी चीजों का जवाबदार कौन होगा ? राज्य सरकारें अपना दायित्व नहीं समझती हैं, राज्य सरकारें तो इसको अपना सिर-दर्द समझती हैं। यहां पर भाषण देना अलग बात है और उस चीज को व्यवहार में लाना अलग बात है। आज कितने सांसद या विधायक हैं जिन्होंने अपनी ओर से पहल करके छुआछूत का प्रकरण दर्ज कराया है और चालान करवाया है। किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। ऐसा करने से वे समझते हैं कि हमको जनरल केटेगरी के लोगों का वोट नहीं मिलेगा, आम आदमी हमको वोट नहीं देगा, इसलिए कोई यह पहल करने को तैयार नहीं है। यदि उनमें हिम्मत है तो वे पहल करें और छुआछूत प्रकरणों की रिपोर्ट दर्ज कराएं, चालान करवाएं और ऐसे लोगों का मुकाबला करें। ऐसा करने वाले बहुत कम सांसद होंगे। राजनीति में आ जाना और लेक्चर देना अलग बात है, व्यवहार में चीजों को लाना अलग बात है। मेरी सारे सांसदों से अपील है कि वे इस मामले में पहल करें। मैं जानना चाहता हूं कि 40 वर्ष की आजादी के बाद कितने ऐसे प्रकरण दर्ज किए गए, एक भी स्थान ऐसा नहीं होगा जहां पर छुआछूत न हो। जब तक राजनैतिक लोग, नेता लोग अपनी ओर से पहल नहीं करेंगे, वोट कैचिंग, वोट मेकिंग की राजनीति चलती रहेगी, तब तक कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब तक आप कमजोर वर्गों के दिल और दिमाग को जीतने के लिए पहल नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं होगा और अगले 40 सालों तक आरक्षण नीति को बढ़ाने से भी कोई लाभ नहीं होगा। आरक्षण की अवधि बढ़ती जाएगी और हम इसी तरह से झूंझ बढ़ते रहेंगे, आक्रमण-प्रत्याक्रमण होते रहेंगे और देश बरबाद होता जाएगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री मतिलाल हंसदा (झाड़ग्राम) : महोदय, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कल्याण के लिए मन्त्री महोदय श्री रामविलास पासवान द्वारा लाए गए इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। इसका समर्थन करते हुए मैं इस सभा के समक्ष कुछ बातें कहना चाहूंगा। पूरे देश के समग्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विकास के हित में हमारे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की हालत में प्रगति तथा सुधार अत्यावश्यक है। हमारे देश की जनता का एक वर्ग इन अभागे लोगों को पददलित करके आगे आने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु यह सम्भव नहीं है। कवि टैगोर की भाषा में मैं यह कहूंगा, "जिसे आपने नीचे फेंक दिया है, वह भी आपको नीचे खींच रहा है; और जिसे आपने पिछड़ा रखा है वह भी आपको पीछे खींच रहा है। आप को कोई भी प्रगति करने से रोक रहा है। देश की उन्नति का अर्थ उसमें रहने वाले सभी लोगों की उन्नति है। इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज के ऊंचे वर्ग के कुछ लोगों, जिन्होंने सभी लाभों पर पहले ही एकाधिकार कर रखा है, द्वारा सभी प्रकार के लाभों के उपयोग में वृद्धि करना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूं कि कई राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अमानवीय अत्याचार किए

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री मतिलाल हंसदा]

गए हैं और उन पर अभी भी घोर अत्याचार किए जा रहे हैं। 1989 में सारे देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों पर पाशविक अत्याचारों की संख्या क्रमश: 12687 और 3404 थी। अधिकांशतया अत्याचार सवर्ण हिन्दुओं द्वारा किए गए थे। असामाजिक तत्व उनके खिलाफ कई जघन्य अपराध कर बैठे थे और अमीर भूस्वामियों के उकसाने पर उनकी महिलाओं की इज्जत तथा सतीत्व भी लूट लिया था। इन गरीब लोगों के घर जला दिए गए थे और जो कुछ थोड़ी-सी जमीन उनके पास थी उन्हें उससे बेदखल कर दिया गया था। ऐसी हृदय दहलाने वाली घटनाएं इस सभा के सभी माननीय सदस्यों की जानकारी में हैं। जब कभी इन समाज-विरोधी तत्वों जिनको कांग्रेस आदि जैसे कुछ राजनीतिक दलों का गुप्त समर्थन प्राप्त था, के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्यवाही करने की मांग की गई तो इन राजनीतिक दलों द्वारा इन मामलों को रफा-दफा करने के प्रयास किए गए हैं। यह बहुत ही घृणित बात है। मैं ऐसे कार्यों की दृढ़ता से निन्दा करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति को कांग्रेस तथा उनके राजनीतिक दलों की ऐसी दो-मुंही नीति की निन्दा करनी चाहिए।

महोदय, आदिवासियों, जनजातियों, तथाकथित निचली जाति के लोगों ने अपनी बलि चढ़ा कर ब्रिटिश साम्राज्य वादियों के खिलाफ लगातार निरन्तर संघर्ष किया था। उनके शौर्य की गाथाएं सारे देश में सुनी जाती हैं। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इन असहाय लोगों को कुछ नहीं मिला है। उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनके बलिदान के पुरस्कार के रूप में उन्हें केवल निराशा, शोषण, प्रताड़ना और घृणा ही मिली है। भारत सरकार ने अस्पृश्यता की प्रथा के खिलाफ कुछ कानून बनाए हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत अस्पृश्यता पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। अस्पृश्यता को व्यावहारिक रूप देने वाले को दण्ड दिया जाएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में पारित किया गया था। उसमें 1976 में संशोधन किया गया था। निस्सन्देह वह उद्देश्य प्रशंसनीय था। परन्तु कानून केवल एक अच्छे इरादे का प्रतीक होते हैं। इन कानूनों को कार्यान्वित तथा लागू करने के लिए जिम्मेदार राज्यों समेत सभी राज्यों में उत्साह तथा नेक इरादे की स्पष्ट कमी पाई गई है। उदाहरण के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पारित किया गया था परन्तु उसके बावजूद अधिकांश लोग अपनी पुत्रियों को अपनी सम्पत्ति का हिस्सा देने में संकोच करते हैं। इसी प्रकार कानून लागू करने वाली कई एजेंसियों ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए किसी कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं किया है।

अत: आवश्यकता प्रशासनिक वचनबद्धता की है और प्रशासनिक वचनबद्धता राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा ही निर्मित हो सकती है। एक आदिवासी के रूप में मैंने पश्चिम बंगाल में एक ज्वलंत उदाहरण पाया है। सभी लोगों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि पश्चिम बंगाल की जनता राजनीतिक रूप है। वहां वामपंथी मोर्चे के नेतृत्व में जनता, जाति, सम्प्रदाय, धर्म, भाषा इत्यादि के आधार पर अपने बीच रुकावटें पैदा नहीं करती है। वे हरेक आदमी को एक मानव के रूप में देखते हैं। ऐसे वचनबद्ध राजनीतिक नेतृत्व के फलस्वरूप वहां प्रशासनिक जिम्मेदारियों से जुड़े सरकारी अधिकारियों को कानून के संरक्षकों के रूप में काम करना पड़ता है न कि इसके विध्वंसकों के रूप में। परन्तु हमें पहले बिहार और देश के अन्य भागों में ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिले हैं। जब कभी वहां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार किए गए थे, सरकारी अधिकारियों ने अत्याचार के शिकार लोगों की कीमत पर ऐसे अपराध करने वालों के साथ सौदा किया था। अत: मेरा विश्वास है कि केवल सामाजिक रूप से सचेत, दृढ़ इच्छाशक्ति और राजनीति रूप से

नेक इरादे वाला नेतृत्व ही समाज में सामाजिक, राजनीतिक संस्कृति पैदा कर सकता है जिसके द्वारा भाग्यहीन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों का उत्थान किया जा सकता है तथा वास्तविक प्रगति की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में तथाकथित ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति अलगाव की भावना नहीं है। उन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता है। ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए शिक्षा तथा सामाजिक और आर्थिक चेतना की आवश्यकता है।

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इन लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार करने और सामाजिक तथा राजनीतिक संस्कृति पैदा करने के लिए प्रयास करें, अन्यथा केवल कानून बनाने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए 1989 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम बनाने के बाद भी देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार हो रहे हैं। कुछ दिन ही पहले उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के परिवार पर आक्रमण किया गया था और कुछ लोगों को मार दिया गया था। माननीय प्रधानमन्त्री उस दिन यह कह रहे थे कि 1989 में लोकसभा चुनाव के दिन अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति उनके चुनाव क्षेत्र में एक बूथ का पोलिंग एजेंट था। परन्तु उससे अगले दिन ही उसे मार दिया गया था। पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को इस प्रकार का दुर्भाग्य नहीं देखना पड़ता है। वहां न केवल पुरुष आदिवासी ही गांव के प्रधान तथा पंचायत समीतियों के चेयरमैन हैं बल्कि महिला आदिवासी भी गांव की प्रधान पाई जाती हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ उन पर होने वाले अत्याचारों में कमी आएगी और केवल इतना ही नहीं वे खुद अपने अधिकारों तथा आजादी के बारे में अधिक सचेत होंगे। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण तथा उत्थान के लिए पांचवर्षीय योजनाओं में केन्द्र द्वारा राज्यों को दी गई निधियां अधिकांश राज्यों द्वारा इस उद्देश्य के लिए पूर्णतया खर्च नहीं की गई हैं। जब विकासशील कार्य की प्रक्रिया में धन की कमी कठिनाई पैदा करती है तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि उपलब्ध निधियां खर्च क्यों नहीं की जाती हैं। इसका कारण यह है कि या तो राज्यों के पास इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त तंत्र उपलब्ध नहीं है अथवा उनमें इन कमजोर वर्गों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के नेक इरादे की कमी है। अतः मैं एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने का समर्थन करता हूं जैसी कि संविधान (68वां संशोधन) विधेयक 1990 में व्यवस्था की गई है। मैं आशा करता हूं कि यह आयोग इस बात की देखरेख कर सकेगा कि राज्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए उन्हें प्रदान की गई निधियों को उचित ढंग से खर्च कर रहे हैं। तथापि आयोग के सदस्य इस योग्य होने चाहिएं कि वे कल्याण सम्बन्धी उपायों को अधिक कारगर बनाने के लिए इस क्षेत्र में अपने व्यवहारिक अनुभव को देखते हुए नए सुझाव दे सकें।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के वास्तविक कल्याण के लिए उन्हें जमीन का वास्तविक अधिकार दिया जाना है। अधिकार से सम्पन्न की गई सारी जमीन के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन लोगों को उस जमीन पर पूर्ण अधिकार तथा नियंत्रण बहाल करना होगा। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे पश्चिमी बंगाल की उपलब्धियों पर दृष्टिपात करें। महोदय, पश्चिमी बंगाल में भूमिहीन गरीबों को बांटी गई जमीन की मात्रा पूरे देश में बांटी गई कुल जमीन की आधी है। अन्य राज्य सरकारों में केवल केरल और त्रिपुरा ने ही अधिकार से सम्पन्न जमीन के वितरण में कुछ प्रगति दिखाई है। अन्य राज्य पीछे रह गए हैं। इसका

[श्री मतिलाल हंसदा]

कारण उनकी ओर से नेक इरादे तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे राज्य सरकारों पर केन्द्र द्वारा सख्ती से निगरानी करने की व्यवस्था करें। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने संविधान में संशोधन करके भूमि सुधार लाकर अपना नेक इरादा व्यक्त किया है। मैं इससे बहुत खुश हूं। मैं मांग करता हूं कि इस कार्य में तेजी लाई जाए।

प्रस्तावित राष्ट्रीय आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न राज्यों में दिहाड़ी मजदूरों के रूप में काम करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को न्यायोचित तथा अधिकतम मजदूरी मिलती है। कामगार खुद इस मामले में अधिक सावधान तथा सचेत नहीं हैं। आयोग को उनकी सहायता करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में आदिवासी और भूमिहीन श्रमिक आंदोलन के माध्यम से कुछ अधिक मजदूरी के लिए सौदेबाजी करने मे समर्थ हो गए हैं। परन्तु अन्य राज्यों में ऐसे आंदोलन बहुत मजबूत नहीं होते हैं और कई स्थानों में इस समय ऐसे आंदोलन बिल्कुल नहीं किए जाते हैं। अत: राष्ट्रीय आयोग को यह निगरानी रखनी चाहिए कि उन स्थानों में बेहतर मजदूरी के लिए ऐसे आंदोलन शुरू करने से उनको बेरहमी से पीड़ित नहीं किया जाए जैसा कि हम बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में पाते है। सतर्कता, अधिकारों की स्थापना और संरक्षण की कुंजी है। भारत सरकार को कृषि और निर्माण कार्य आदि, जहां अधिकांशत: अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग नियोजित है, में लगे मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी घोषित करनी चाहिए।

आदिवासी लोग पीढ़ियों से वनों में रहते आ रहे हैं और वे वनोत्पादों से ही आजीविका प्राप्त करते हैं। अनेक मामलों में उन्हें वनों से होने वाली आय से वंचित रखा गया है। कई जगह उनकी जमीन भी हड़प ली गई है। बेईमान लोगों ने धोखाधड़ी से उनकी जमीन खरीद ली है। सरकार को विचार करना चाहिए कि विशेष कानून आदि बनाकर किस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उनकी जमीन वापस दिलाई जा सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां देने जैसे प्रावधान हैं। किन्तु इसके साथ ही उनकी प्राथमिक शिक्षा को भी अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इन लोगों में कई अंधविश्वास हैं। इन्हें हटाना चाहिए। उन्हें अंधविश्वासों से मुक्ति देने के लिए समर्पित और निष्ठावान शिक्षकों की जरूरत है। एक अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई निरक्षर न रह जाये। हमारे संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धान्तों में 14 वर्ष तक की आयु के बालकों और बालिकाओं के लिए शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार को इस मामले में सांविधानिक प्रावधानों का अनुसरण करना चाहिए और सभी स्तरों के लोगों की शिक्षा का प्रबन्ध करने का प्रयास करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में सफलता के लिए प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक जोर दिया जाये।

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के मामले में उनकी कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण की भावना, सामाजिक मूल्यों के प्रति सम्मान और समाज की प्रगति के प्रति उनकी निष्ठा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्हें केवल किसी राजनीतिक दल के समर्थन के कारण ही यह महत्वपूर्ण पद नहीं दे दिया जाना चाहिए। वस्तुत: विधेयक में ही इस आशय का उल्लेख किया जाना चाहिए था। फिर भी नियुक्ति के मामले में इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

मैं पुन: इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इसके साथ ही अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम सजीवन, आपकी पार्टी को चार मिनट का समय मिला है।

श्री राम सजीवन (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए चार मिनट का समय दिया। मन्त्री जी ने जो संविधान संशोधन विधेयक रखा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए, हम उसका समर्थन करते हैं। चार मिनट में तो यही कहा जा सकता है, लेकिन कुछ बातें भी हैं जैसे अनुसूचित जातियों के विकास के लिए जो कानून बनाये गये हैं वह तो ठीक है, लेकिन मुख्य समस्या है कि उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, लागू नहीं किया गया है। आप अभी जो कानून बनाने जा रहे हैं इसको भी पूर्ण रूप से लागू कराया जायेगा, इसमें हमें सन्देह दिखाई देता है। फिर भी जिस तेजी से मन्त्री जी ने भाषण किया है कि नया जमाना आयेगा, हो सकता है इसको लागू करें। इस विश्वास के साथ हमको चलना है और इसका समर्थन करना है और हम करते भी हैं। लेकिन इसमें और तेजी दिखाने की जरूरत है। उनके आरक्षण का कोटा पूरा नहीं होता है। आप कहते हैं कि हम साल भर में करायेंगे, बहुत अच्छी बात है। चालीस साल तक ये लोग नहीं करा सके, आप करायेंगे हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन भूमि सुधार के जो नियम हैं पट्टा मिलता है, कब्जा नहीं मिलता है, कब्जा मिल गया तो उसकी खड़ी फसल उजाड़ दी जाती है और घर के लिए जमीन मिल जाती है तो उसे घर से भगा दिया जाता है ये तमाम अत्याचार उन पर होते हैं, उनके लिए भी सख्ती से आपको काम करना होगा और मुझे आशा है कि आप सख्ती दिखायेंगे। इस समाज में आज भी बहुत से शक्तिशाली वर्ग मौजूद हैं जो हरिजनों के विकास और उत्थान मे बाधक या रोड़े बने हुए हैं, उनसे आपको संघर्ष करना होगा। क्योंकि मुख्य समस्या यही है। इसलिए आपको और आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। अभी सदन मे चर्चा हुई राजदूतों के बारे में। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने लोगों को राजदूत या राज्यपाल बनाया है। आप कानून बनायें, हम उसका समर्थन करेंगे और उसमें व्यवस्था करें कि 20-25 प्रतिशत आरक्षण इन लोगों के लिए होगा, यदि आप मे दम है और नया जमाना लाना चाहते हैं। आपने यूनिवर्सिटीज में कितने वाईस चांसलर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दिये हैं ? इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग जोर लगायेंगे तो बात बनेगी। हमारे समाज में ऐसे पढ़े-लिखे नौजवान हैं जो ईमानदार हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। आज पासवान कर सकते हैं, संविधान के जरिये, कानून के जरिये कर सकते हैं, उसका हम समर्थन करते हैं लेकिन आप नया जमाना लाइए। छोटे-मोटे संशोधनों से नहीं, क्रान्तिकारी संशोधन लाइए, क्रांतिकारी कदम उठायें।

श्री राम विलास पासवान : आप बतलाइये।

श्री राम सजीवन : आप राजदूत बनाइये, वाईस चांसलर बनाइये, गवर्नर बनाइये और साथ ही तमाम पद जो बड़े-बड़े हैं, वहां पर बनाइये, राज्यसभा मे और विधानपरिषद में बनाइये। यदि आप में हिम्मत है तो करिये ये सब काम। हम सब समर्थन करेंगे, सी॰ पी॰ आई॰ उसका समर्थन करेगी लेकिन आप लाइये तो ये सब कदम नहीं तो मजबूर होकर पोल पट्टी खोलेंगे। इसलिए हिम्मत के साथ लाइये। आपके यहां भी बहुत से बैठे हुए हैं जो इस चीज को पीछे ढकेलना चाहते हैं, आपके बगल में बैठे हुए हैं, वे इसको ध्वस्त करना चाहते हैं और इसे मिटाने पर आमादा हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत सख्ती के साथ और क्रांतिकारी तरीके से आगे बढ़ना होगा तब जाकर हरिजनों को कुछ न्याय मिलेगा। ये 42 वर्ष में कुछ नहीं कर पाये और आप एक

[श्री राम संजीवन]

साल में करने का दम भर रहे हैं कि आप सब कर लेंगे ? देखते हैं कि आपसे भी यह हो सकता है या नहीं ? अच्छा है आप करें या अगले पांच साल में कर लेंगे, हम समर्थन करते रहेंगे, आपको गिरने नहीं देंगे । हमें यह भी देखना पड़ेगा कि आप कब तक कर पाते हैं ? केवल लफ्जों की बात नहीं चलती है, मैं यही आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार कुछ कड़े कदम उठाये । राज्यों में हरिजनों पर अत्याचार होते हैं । आप राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगते हैं । उनके यहां का दरोगा लीपा-पोती रिपोर्ट राज्य सरकार के जरिए से आपके पास पहुंचवा देता है, उस पर आप क्या कर पाते हैं ?

श्री राम विलास पासवान : कानून ऐसे बनाए हुए हैं ।

श्री राम संजीवन : कानून बनाये हैं तो आप केन्द्र सरकार में किसलिए बैठे हुए हैं ? यही मैं कह रहा हूं कि कानून का उल्लंघन होता है ।

श्री राम विलास पासवान : बसु साहब से पूछिये ।

श्री राम संजीवन : आप तैयार हों, सारा सदन तैयार होगा और पूरा बहुमत आपके साथ है लेकिन हिम्मत के साथ आगे बढ़िये, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं और इसका समर्थन करता हूं ।

————

5.33 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान से उत्पन्न स्थिति तथा केन्द्रीय सरकार और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की सरकारों द्वारा किए गए राहत कार्य

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात से उत्पन्न स्थिति और केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किये गये राहत के कार्यों के सम्बन्ध में नियम 193 के अधीन चर्चा आरम्भ करेगी ।

श्री पी० सी० थामस : उपस्थित नहीं हैं ।

श्री के० एस० राव ।

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : उपाध्यक्ष महोदय मेरे विचार से आंध्र प्रदेश में गम्भीर विनाश होने के 20 दिन बाद—यह इस महीने की 9 तारीख को हुआ था—यह सभा इस मामले पर चर्चा के लिए समय दे सकी है । (**व्यवधान**) हम 20 दिन बाद इस पर चर्चा कर रहे हैं । चार दिन पहले मैं इस मामले पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करने का आग्रह कर रहा था । वस्तुत: आंध्र प्रदेश के सभी सदस्य इस बात से दुखी थे कि इस मामले पर 20 दिन बाद चर्चा नहीं की जा सकती । एक कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं, मां उसे दूध नहीं देती । हम इस महीने की 10 तारीख से नोटिस देते आ रहे हैं । किन्तु इसकी ओर न तो कार्य मंत्रणा समिति, और न ही सरकार का ध्यान गया कि इस मामले पर सभा में चर्चा के लिए अनुमति दे दी जाये । सरकार को इस ओर ध्यान नहीं

देना चाहिए कि कांग्रेस में आंध्र प्रदेश के कितने सदस्य हैं, सरकार को आंध्र प्रदेश की जनता की भावनाओं को ही ध्यान में रखना चाहिए। यदि मन्त्री जी ने आंध्र प्रदेश में हुए विनाश की ओर गम्भीरता से ध्यान दिया होता, तो उन्होंने स्वय ही कल दिए गए अपने ट्विगण में इस बात को व्यक्त कर दिया होता — मुझे विश्वास है कि सभा का हर सदस्य इस मामले की गम्भीरता को समझ चुका होगा।

मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। यदि अखबारों और सरकार को मृतकों की संख्या देनी थी, तो उन्होंने 30 से गिनती शुरू की, फिर 40, 50 और अब 1000 तक पहुंच गए हैं। 70 दिनों बाद स्पष्टत: हम यह समझ सकते हैं कि अब भी कुछ ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां के मृतकों की आज तक गिनती नहीं की जा सकी है। वहां चक्रवात केवल एक दिन के लिए आया था। यदि यह कुछ दिन और रहता तो मृतकों की संख्या बढ़ती ही चली जाती। यदि ऐसी रिपोर्टें आती रहती हैं, तो इसका कोई अर्थ भी है। किन्तु वहां चक्रवात केवल एक रहा और मौतों के समाचार आज भी आ रहे हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतपुर) : यह राज्य सरकार का काम है।

श्री के० एस० राव : स्थिति की गम्भीरता और जनता की दयनीय स्थिति का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि अब भी कई क्षेत्र दुर्गम बने हुए हैं। इसीलिए हम कल सभा में शोर-शराबा कर रहे थे। अत: मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे हमें गलत न समझें।

मैं स्वयं माननीय मन्त्री जी द्वारा दिये गये आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहता। इससे एक करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग सभी तटवर्ती जिलों पर पूर्ण रूप से असर पड़ा है और समुद्र तट के 1000 कि० मी० क्षेत्र की जनता इससे प्रभावित हुई है।

सम्पत्ति इतनी बर्बाद हुई है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है और सरकार के अनुमान के अनुसार भी यह हानि काफी अधिक हुई है, सम्भवत: ऐसी बर्बादी देश के इतिहास में कभी नहीं हुई। सम्पत्ति की बर्बादी बहुत ही दुखदायी है।

समुद्र तट पर रहने वाले लोग तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे विशेषकर गरीब और किसान समुदाय के लोग। गरीबों ने सब कुछ खो दिया अपने घर का सामान बर्तन आदि। पता नहीं उन्हें इन छोटी-छोटी चीजों को खरीदने में कितना समय लगेगा। जब सरकार तूफान से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के बारे में सोचे तो उसे केवल पैसे की ही दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए चाहे वह बर्तनों के बारे में हो या शरण देने के बारे में या किसी और बारे में हो क्योंकि इसकी पूर्ति करने में लोगों को महीनों और वर्षों लग सकते हैं।

जैसाकि श्री लोकनाथ चौधरी ने कहा निस्सन्देह यह राज्य सरकार का कर्तव्य है। जब परिस्थिति को देखकर स्वयं प्रधानमन्त्री से मेरे चुनाव क्षेत्र मछलीपटनम की स्थिति को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि बर्बादी को देखते हुए मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई विपदा हो सकती है जिसे राष्ट्रीय विपदा कहा जाए। इसलिए हमें इस बात पर बल नहीं देना है कि यह राष्ट्रीय विपदा है और इस बात को स्वयं प्रधानमन्त्री ने स्वीकार किया है और बर्बादी पूरी तरह से हुई है। इस बात का कोई शक नहीं है कि राज्य सरकार को इन सभी लोगों की ओर ध्यान देना होगा। हम सब यह जानते हैं कि जब अपने राज्य अपने चुनाव क्षेत्र की बात आती है तो सहायता के लिए हम केन्द्र सरकार के पास आते है और हम कहेंगे कि भारत सरकार को इन लोगों की सहायता

[श्री के० एस० राव]

करनी चाहिए। परन्तु हम लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति इस बात से भी सहमत होगा कि बर्बादी इतनी अधिक हुई है कि अकेले राज्य सरकार के लिए सारे लोगों को सहायता प्रदान करना सम्भव नहीं होगा और केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह हर तरह से मदद करे जिसमें राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करना भी शामिल है।

निश्चय ही हम प्रधानमन्त्री के आभारी हैं कि उन्होंने 86 करोड़ रु० की राहत की घोषणा की है। परन्तु हम यह बताना चाहते हैं कि यह आंकड़े नवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार है। नवें वित्त आयोग ने यह सिफारिश अपने प्रतिवेदन में की थी। परन्तु यह व्यवस्था राष्ट्रीय विपदा को देखते हुए नहीं की गई है बल्कि साधारण तूफान बाढ़ या सूखा पड़ने पर ऐसी राहत दी जाती है। परन्तु ऐसी सहायता सिर्फ वित्त आयोग की सिफारिश तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रधानमन्त्री को लोगों को राहत के तौर पर दी गई सहायता के लिए धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। हम सुझाव देते हैं कि सभा को तूफान से प्रभावित लोगों की सहायता तथा जरूरी सामान प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए। हम सब इन गरीब लोगों की दयनीय स्थिति के बारे में जानते हैं।

किसानों के बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। समुद्रतट के किसानों का समुदाय अभी भी सभ्य समाज से दूर है। उनमें से कुछ भागों में अब तक भी सड़क सम्पर्क नहीं है। वे अधिकांश अलग-थलग ही रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भाषण देने के लिए कितना समय चाहिए ? आपके दल को छः मिनट का समय मिला है। मेरे पास आपके दल के दस वक्ताओं की सूची है। आपने आठ मिनट का समय ले लिया है।

श्री के० एस० राव : मैं थोड़ा और समय लूंगा। किसानों ने वहां विशेषकर मेरे क्षेत्र के किसानों ने सब कुछ खो दिया है। वहां धान की दो फसलें उगायी जाती हैं। खेत में पहली फसल का ढेर पड़ा है और दूसरी फसल तैयार है। इसके पहले कि वे खेत से धान की फसल उठाते, तूफान आ चुका था। उन्होंने दोनों फसलें खो दी। कुछ भाग में कटाई के बाद धान बुरी स्थिति में पड़ा था जिसे भारतीय खाद्य निगम या मिल वालों को ले जाना था। चूंकि भारतीय खाद्य निगम किसानों का धान खरीदने के लिए नहीं आ सका, किसान अपना धान नहीं बेच सके। उनके पास पर्याप्त समय भी नहीं था। इसलिए उन्हें अपनी दोनों फसलों से हाथ धोना पड़ा। उस क्षेत्र में किसानों की स्थिति यह है कि यदि आपको 30 बोरी धान या दो टन धान खरीदना हो तो डेढ़ टन खर्चे में जाएगा और किसानों को कुल उपज का एक तिहाई ही बचता है अर्थात् एक फसल बर्बाद होती है तो उसे दो फसल का नुकसान होता है। एक साल में यदि उसे दो फसलों का नुकसान होता है तो नुकसान पूरा करने के लिए चार साल लगेंगे। इस पहलू पर भी ध्यान देना है। उनके साथ व्यापारी या उद्योगपति जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसानों को भली-भांति समझना चाहिए। उन्हें समुचित फसल बीमा नहीं मिल रहा है। फसल बीमा भी तभी लगता है जब फसल खराब होती है, फसल बीमा में ऐसी आपदाओं का कोई प्रावधान नहीं है। फसल बीमा अधिनियम में इस प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए जिससे कि आपदाओं की स्थिति में लोगों को फसल हानि होने पर मुआवजा दिया जा सके। हमने भारतीय खाद्य निगम से अनुरोध किया है कि वे ऐसे धान की खरीद के लिए तत्काल स्थानीय केन्द्र खोले जिसका रंग

उड़ गया हो, गीला हो गया हो और उसमें अंकुर भी निकल गये हों। उन्होंने अपने खेत में धान अभी भी इस उम्मीद पर रख छोड़ा है कि भारतीय खाद्य निगम उनका धान खरीदेगा। भारतीय खाद्य निगम ने वादा किया है परन्तु पूरा वादा नहीं किया है। जैसाकि मैंने पिछली बार कहा किसानों को सिर्फ वादों से सहायता नहीं मिलेगी।

मुर्गीपालन करने वालों की भी वही स्थिति है। 60 लाख मुर्गियां मर गई और बीमा कर्मचारी वहां नहीं गये। मुर्गीपालक इस भय से मरी हुई मुर्गियों को रखे हुए हैं कि यदि उन्हें बीमा कर्मचारियों को नहीं दिखाया गया तो वे पैसा नहीं देंगे। इस कारण संक्रामक रोग हो रहा है, वहां भयानक दुर्गन्ध है। कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश मृत पशुओं को हटा दिया गया। लेकिन इन्हें अभी भी वहीं छोड़ा गया है इसलिए मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय बीमा कम्पनियों को इन व्यक्तियों के बचाव के लिए भेजें और तत्काल सर्वेक्षण करें।

मैं स्वानियोजित व्यक्तियों के बारे में उसी बात पर फिर कुछ कहने नहीं जा रहा हूं।

आज गांवों में पेयजल उपलब्ध नहीं है। यह प्रदूषित है। उनके पास पानी नहीं है, मीलों दूर से पानी लाया जा रहा है। इसलिए यदि दूसरे कार्य के लिए नहीं तो कम-से-कम पीने के लिए भूमिगत जल की तत्काल व्यवस्था की जाए।

मैं कुछ स्थायी उपायों का सुझाव देना चाहता हूं जिन्हें तत्काल लागू किया जाए ताकि इस समस्या को सुलझाया जा सके। सरकार यह पता लगाये कि लगातार तूफान आने के क्या कारण हैं, विशेषकर तटीय क्षेत्रों में लगभग हर वर्ष तूफान आता है। यह पिछले कई वर्षों का अनुभव है, विशेष कर पिछले दस वर्षों का।

मानव जीवन को बचाने के लिए प्रत्येक गांव में तीन-चार तूफान आश्रयस्थल बनाने चाहिए ताकि ऐसी स्थिति से मानवीय जीवन को बचाया जा सके।

एक बात और है। यदि समुद्र से लगे हुए 300 से 400 मीटर क्षेत्र में लम्बे-लम्बे पेड़ लगाये जायें तो तूफान से, जोकि 250 कि० मी० प्रति घंटे की गति से आता है, होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

इसी प्रकार भारत सरकार का तटीय सड़कों का निर्माण करने का प्रस्ताव भी है। यह तटीय सड़कें लाभप्रद तब सिद्ध होंगी, यदि उनको 6 से 10 मीटर ऊंचाई पर बनाया जाये जोकि समुद्री लहरों अथवा समुद्री पानी को ग्रामीण इलाकों में आने से रोक सकें। यद्यपि हम तूफान को नहीं रोक सकते हैं परन्तु यदि ये स्थायी उपाय किया जाये तो कम से कम मानव जीवन, सम्पत्ति तथा मवेशियों तथा अन्य चीजों की रक्षा कर सकते हैं। अतः इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं एक बार फिर मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा, उन्होंने मुझसे निजी रूप में कहा है परन्तु अधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया है, कि इसको तुरन्त एक राष्ट्रीय विपदा घोषित किया जाए तथा इसको राष्ट्रीय विपदा मानकर राज्य को तुरन्त सहायता प्रदान की जाए ताकि लोगों को तुरन्त सहायता मिल सके।

चूंकि मेरे बहुत से साथियों को अन्य बातें कहनी हैं, मैं केवल यह कहकर समाप्त करता हूं कि एक "हम रेडियो" है जिसने विपदा को कम करने में काफी सहायता की है। यह व्यावसायिक रेडियो है तथा सरकारी संगठन नहीं है जोकि लगभग निशुल्क सेवा कर रहा है। यह कोई मूल्य नहीं ले रहा है। परन्तु "हम रेडियो" द्वारा की जा रही सेवाएं अत्यधिक हैं। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस

[श्री के० एस० राव]

बात की बारीकी से अध्ययन करे तथा "हम रेडियो" की सहायता करें यह वह व्यवसायी है जो इन विपदाओं में स्वेच्छा से कार्य करते हैं वह गांव-गांव जाते हैं, तथा वायरलैस तथा अन्य माध्यमों से सभी गांवों को चेतावनी देते हैं।

*श्री भू० विजय कुमार राजू (नरसापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस महीने के 9 तथा 10 तारीख के तूफान से आंध्र प्रदेश राज्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है तथा तमिलनाडु तथा उड़ीसा राज्य भी कुछ हद तक प्रभावित हुए हैं।

आरम्भ में, मैं प्रधानमन्त्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस महीने की 12 तारीख को तथा फिर 19 तारीख को स्थिति का निजी रूप से जायजा लेने के लिए आंध्र प्रदेश के तूफान प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने तुरन्त 84 करोड़ रुपये की राहत राशि तुरन्त देने की घोषणा की। उन्होंने प्रधानमन्त्री राहत कोष से 2 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। हैजे की दवाई तथा ब्लीचिंग पाऊडर आदि समय से दिया गया था राज्य के लोगों उनके द्वारा दिखायी गयी सहानुभूति तथा समझ के लिए उनके सदा आभारी रहेंगे। उन्होंने राहत तथा बचाव कार्यों में व्यक्तिगत रुचि दिखायी है।

मैं भारतीय मौसम विभाग द्वारा समय पर दी गई चेतावनी के प्रति भी उसका आभार व्यक्त करता हूं जिससे जान और माल की हानि होने से बच गयी। इसी प्रकार सेना वायुसेना, तथा नौसेना के जवानों ने अपनी जान की परवाह किये बिना फंसे हुए लोगों को निकालने में सहायता की तथा उन तक खाद्य सामग्री तथा पेयजल पहुंचाया। इसके लिए मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। माननीय कृषि राज्य मन्त्री ने हानि का ब्योरा दिया है। मैं इसको दोहराकर सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। अत्यधिक हानि को देखते हुए सरकार को लोगों के बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए :

1. सभी बीमे तथा विस्तृत फसल बीमे के दावों को तुरन्त निपटाया जाना चाहिए।

2. समुद्र से 20-25 किमी की दूरी तक का क्षेत्र पानी में डूब गया है। समुद्री लहरों ने जोकि 6-10 फीट की ऊंचाई तक उठी हैं, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। बहुत नुकसान हुआ है। आज भी यह सारा क्षेत्र एक से दो फीट की गहराई तक खारे पानी में डूबा है। तूफानी पानी ने खारी खेतों में खारी परतें फैला दी है जोकि भूमि की उर्वरकता के लिए हानिकारक है। सरकार को खारेपन को दूर लिए किसानों की सहायता करनी चाहिए।

3. हजारों एकड़ में धान की फसल अब भी एक से दो फिट पानी में डूबी हुई है। धान लगातार वर्षा से पूरी तरह डूब गये हैं। सरकार को इस धान तथा चावल को भारतीय खाद्य निगम के मार्फत तथा आंध्र प्रदेश चावल फेडरेशन के मार्फत मानदंडों में छूट देकर खरीद लेना चाहिए। जैसाकि उन्होंने पहले पंजाब के मामले में किया था।

4. जिन लोगों के घर हाल के तूफान में तबाह हो गये हैं उनके लिए पक्के घर बनवाने

* मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

चाहिए जिसके लिए कुछ पैसा अनुदान के रूप में तथा कुछ पैसा राष्ट्रीय आवास बैंक से ऋण के रूप में दिया जाना चाहिए।

5. (क) बकाया फसल ऋणों को माफ कर दिया जाना चाहिए। (ख) आने वाले खरीफ के मौसम के लिये नये ऋण स्वीकृत किये जाने चाहिए।

6. पाल्ट्री फार्मों के सम्बन्ध में वर्तमान ऋणों को लम्बी अवधि के ऋणों में बदल दिया जाना चाहिए तथा ढांचे की मरम्मत आदि के लिये नये ऋण स्वीकृत किये जाने चाहिये।

7. पीने के पानी को टैंकरों द्वारा वितरित किये जाने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिये बचे हुये मवेशियों के लिये चारे के वितरित किये जाने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिए। सारी जिम्मेदारी अकेले राज्य सरकार पर नहीं डाली जानी चाहिए।

महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हू जो भविष्य में होने वाले हादसों को रोकने में सहायक होंगे। विशेषज्ञों ने यह भविष्यवाणी की है कि आने वाले तीन या चार दशकों में समुद्र का स्तर तीन या चार फीट ऊपर उठ जायेगा। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण क्षेत्र समुद्र के पानी में डूब जायेगा। साथ लगा हुआ कृषि क्षेत्र अपना उपजाऊपन खो देगा। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ेगा। उन सबका पुनर्वास करना पड़ेगा। इस पर होने वाले अत्यधिक खर्चे का अन्दाजा लगाया जा सकता है। अतः सम्पूर्ण मामले को विस्तृत जांच करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाना चाहिये भविष्य में होने वाली विपदा से बचने के लिए उचित कदम उठाये जाने चाहिए। निम्नलिखित कदमों से भविष्य के खतरे से बचा जा सकता है।

कोलेरू एक विश्व विख्यात झील है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी कृत्रिम झीलें बनायी गयी हैं। इसके चारों ओर नयी सड़कें बनायी गयी हैं। बहुत से खेत बने हैं। वास्तव में कोलेरू वह कोलेरू नहीं रह गयी है जो पहले कभी हुआ करती थी। परिणामस्वरूप, जो पानी जमा हो जाता है वह बाहर की ओर नहीं बह पाता है जिससे आस-पास के क्षेत्रों में पानी भर जाता है। कृष्णा और गोदावरी जिलों में इस कारण बाढ़ आ रही है।

अतः कृष्णा और गोदावरी जिलों को इस खतरे से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि पेरन्ताला कनमु नहर को खोदा जायें जिससे कि पानी को तेजी के साथ उप्पुतेरू ले जाया जाये। एक रेग्युलेटर भी बनाया जाये जिससे कि समुद्री पानी को आने से रोका जाये। भारी वर्षा तथा बाढ़ के कारण पानी भर जाने को रोकने के लिए सरकार को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए।

(क) बुडमेरु को इलुरु की ओर ले जाया जाये।

(ख) कोव्वाडा नहर को गोदावरी की ओर ले जाया जाये तथा उस पर जल भण्डार बनाया जाये।

(ग) एर्रा कलुवा को गोदावरी की ओर ले जाया जाये।

(घ) यम्मोनेरू सुरक्षित बांध को ऊंचा उठाया जाये तथा मजबूत किया जाये।

(ङ) एनामादुरु नाले के साथ-साथ एक समान्तर नाला खोदा जाये। गोंग्नेरू नाले के पुराने रास्ते की तुरन्त मरम्मत की जाये ताकि बेकार पानी को समुद्र में डाला जाये। वर्ना समुद्री पानी वापस जमा हो जायेगा तथा सम्पूर्ण क्षेत्र को नुकसान पहुंचायेगा।

[श्री मू० विजयकुमार राजू]

महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि उपरोक्त दिए गए कार्य राज्य सरकार द्वारा किये जाने चाहिए। चूंकि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है इसलिए वह इस कार्य को अनिश्चित काल के लिए टालती आ रही है। डेल्टा क्षेत्र के पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी तथा कृष्णा जिले हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं और वहां काफी नुकसान हो रहा है। अतः मैं केन्द्र सरकार से अपील करता हूं कि बाढ़ की रोकथाम करने के लिए उपरोक्त कदम उठायें जायें। बुडडामेरू सुरक्षित बांध को भी ऊपर उठाया जाए तथा मजबूत किया जाये। गुण्डेरू तथा बट्टीप्रोब नालों को कृष्णा नदी की ओर ले जाया जाये।

डेल्टा क्षेत्र के सभी बड़े, मध्यम तथा छोटे नालों को चौड़ा तथा गहरा किया जाये। बंडो को मजबूत किया जाए तथा चौड़ा किया जाये ताकि इनका तटीय सड़कों के रूप में प्रयोग किया जाये। उचित संख्या में रेग्यूलेटरों का निर्माण किया जाए ताकि समुद्री पानी को खेतों में आने से रोका जा सके।

महोदय, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार दोनों को उपयुक्त निर्माण कार्य को हाथ में लेने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। हम, इस क्षेत्र के किसान भी इस विशाल कार्य को सम्पादित करने के लिए हरसम्भव सहयोग देने के लिए तैयार है यदि आवश्यक हुआ तो हम विकास कर का भुगतान करने के लिए तैयार हैं केवल उपर्युक्त उपाय करन से ही हम आगामी शताब्दियों मे इन जमीनों को समुद्री पानी के आप्लावन से बचा पायेंगे।

मैं आशा करता हू कि माननीय मन्त्री महोदय मेरे सुझाव पर गम्भीरता से विचार करेंगे। मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस महीने की 7, 8 और 9 तारीख को तटीय जिलों को मार करने वाला चक्रवात इस शताब्दी का अपनी किस्म का पहला चक्रवात था क्योंकि मुझे पिछले चक्रवातों से हुए नुकसान को देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब 1977 मे चक्रवात तथा ज्वार भाटे की लहरो ने दिविसीमा को आहत किया था तो उस समय चक्रवात से ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने वाला मैं पहला संसद सदस्य था। जानें अधिक गयी थीं परन्तु इस चक्रवात से 1977 के चक्रवात की तुलना में कुल हानि बहुत अधिक हुई थी। वास्तव में राज्य सरकार ने इस बार कतिपय कदम उठाए थे उनकी वजह से जानें कम गयीं थी हम माननीय प्रधानमन्त्री के भी आभारी हैं जिन्होंने उन स्थानों का व्यक्तिगत रूप से दो बार दौरा करने मे सकारात्मक सद्‌भावना दिखाई है और सहायता की उपयुक्त धनराशि की भी घोषणा की है।

महोदय, मैं समय की कमी के कारण लम्बा भाषण नहीं दूंगा, परन्तु मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा। 1977 में मैंने चक्रवात से नष्ट हुए स्थानों का दौरा किया था और मैंने डा० कोटेसाम की रिपोर्ट भी पढ़ी थी 1955 में प्रस्तुत की गई थी। उस रिपोर्ट में डा० कोटेसाम ने कुछ सिफारिशें की थीं। उन्होंने विशेष रूप से तटीय क्षेत्र पर चक्रवात सुरक्षालयों का निर्माण करने तथा एक हरी पट्टी विकसित करने की भी सिफारिश की थी। उन्होंने जल निकास प्रणाली का विकास करने के बारे मे भी सुझाव दिया था उस समय मैंने इस मामले को उठाया था तथा माननीय मन्त्री महोदय को भी अभ्यावेदन दिया था। उस समय श्री कौशिक मन्त्री थे। सरकार ने इसे गंभीरता से नोट किया था और तटीय

क्षेत्र पर 828 चक्रवात सुरक्षालयों का निर्माण किया गया था। मेरे मित्र ने यह टिप्पणी की थी कि यदि ज्वार-भाटे की लहरें आती हैं तो प्रत्येक गांव में तीन या चार चक्रवात सुरक्षालय लोगों की मदद कर पायेंगे। निश्चित रूप से ऐसा होगा क्योंकि हर समय ज्वार-भाटे की लहरें आती हैं, और उनमें लाखों जानें चली जाती हैं। चक्रवात से आहत क्षेत्रों में 20 दिन बिताने और स्थानीय लोगों—उनमें से अधिकांश तटीय प्रदेश के थे—के साथ चर्चा के बाद मैं कुछ बातों का पता लगा सका था। सरकार को दो महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। एक यह है कि चक्रवातों से ग्रस्त क्षेत्रों में उन्होंने तटों के साथ-साथ सड़क का निर्माण करना है; दूसरा हरी पट्टी खड़ी करना है और उस तरह से हवा की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। ज्वार-भाटे से ग्रस्त क्षेत्रों में सरकार को प्रत्येक परिवार के लिए सुसज्जित चक्रवात सुरक्षालय का निर्माण करने के लिए कदम उठाने हैं—महोदय, मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि प्रत्येक परिवार के लिए आवास पंक्ति भवन (टेरेस्ड बिल्डिंग) के रूप में सुसज्जित चक्रवात सुरक्षालय का निर्माण किया जाए क्योंकि गांव के सभी लोगों को एक या दो चक्रवात सुरक्षालयों में ठहराया नहीं जा सकता है। मैंने समुद्री तट के पास के एक स्थान का दौरा किया था जहां हजारों परिवार रहते थे। वहां केवल एक चक्रवात सुरक्षालय बनाया गया था जिसमें लगभग चार सौ लोग ठहराए गए थे। यदि वहां ज्वार भाटे की लहरें आ जाती तो लगभग दो हजार लोग बह गए होते। मेरे चुनाव क्षेत्र में समस्त तटीय प्रदेश में लाखों लोग रहते हैं। अतः थोड़े-से चक्रवात सुरक्षालयों से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। जब आप एक आवास पंक्ति भवन के रूप में सुसज्जित चक्रवात सुरक्षालयों की व्यवस्था कर देते हैं, तो इनसे न केवल मनुष्यों की ही रक्षा नहीं होगी परन्तु हमें राहत के रूप में आवास का पुनर्निर्माण करने के लिए करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्ततः हम करोड़ रुपए बचा सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है और सरकार को इसे नोट करना चाहिए और उन्हें राज्य सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। इसे सामान्य रूप से राज्य का विषय नहीं माना जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि प्रधानमन्त्री महोदय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और इसे राष्ट्रीय आपदा माना है। दूसरा समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वहां के लोगों के लिए सड़कों की व्यवस्था की जाए''' (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : अब 6 बज गए हैं। सभा की क्या इच्छा है? क्या हम चर्चा जारी रखें अथवा इसे कल शुरू करें?

एक माननीय सदस्य : महोदय, कल।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, इसे आज ही समाप्त कर लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम 7 बजे तक चर्चा जारी रखेंगे।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय, सरकारी बैंचों की तरफ से कोई अनुरोध नहीं किया गया है। कम से कम मन्त्री महोदय को तो अनुरोध करना चाहिए।

[हिन्दी]

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : आज ही लिया जाए, हम लोग इसके लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : यदि माननीय मन्त्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि इसे कल शुरू किया जाए, तो ठीक है, अन्यथा हम चर्चा आज भी जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : हम लोग तो तैयार हैं, यह आप पर निर्भर करता है। हम आज ही इसको पूरा कर सकते है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम सात बजे तक चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि कल चर्चा करने के लिए बहुत सारे अन्य मामले है।

[हिन्दी]

श्री गोपाल सिंह मनकासर (बीकानेर) : अगर समस्या गंभीर है तो उसको लेना चाहिए।

6.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आइये हम इस पर इस प्रकार चर्चा करें कि इसका कोई निष्कर्ष निकल सके। यह सच है कि इस क्षेत्र में चक्रवात आया है और लोगों को कष्ट हुआ है। इस बारे में कोई विवाद नही है। कुछ काम ऐसे हैं जो राज्य सरकार द्वारा किये जाते हैं और राज्य सरकार को उनके लिए कुछ सहायता की जरूरत पड़ती है। आइये हम इसका विश्लेषण करें और इस पर चर्चा करे। जो और माननीय सदस्य बोल चुके है, उसे ही दोहराते जाना व्यर्थ है। चर्चा से कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : महोदय, मैं वहां की स्थिति का वर्णन करने की बजाय सुझाव दूंगा। महोदय पिछली बार जब चक्रवात आया था, उस समय मैंने मछलीपत्तनम में रडार लगाने का अनुरोध किया था और सरकार ने लगा दिया था। वह लगा दिया गया, किन्तु इस चक्रवात में वह पूर्णत. नष्ट हो गया है। चक्रवातों का हमारा अनुभव यह बताता है कि चक्रवात आने की चेतावनी देने के लिए एक रडार ही काफी नही होगा। इसलिए वहां दो और रडार लगाए जाने चाहिए। मछलीपत्तनम में एक रडार के अतिरिक्त, एक काकीनाडा में और दूसरा अमालापुरम में लगाया जाना जाना चाहिए और मसुलिपत्तनम में राडार की मरम्मत की जानी चाहिए क्योंकि इस चक्रवात में वह बुरी तरह टूट फूट गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है कि सम्पूर्ण पूर्वी तट के क्षेत्र में भू-उपग्रह के माध्यम से चक्रवात की चेतावनी देने की व्यवस्था है। यह काम अन्तरिक्ष विभाग द्वारा किया जाता है।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : महोदय, इसके अलावा, इस बार संचार व्यवस्था पूर्ण तरह खराब हो गई। बेतार प्रणाली को पुनः लगाने और उसमे सुधार करने से तटवर्ती क्षेत्रों की जनता को विशेषकर चक्रवात के दौरान बहुत सहायता मिलेगी।

महोदय, किसान अपना सब कुछ खो बैठे हैं और केन्द्रीय सरकार ने वहां भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों से खराब हो गए धान की खरीद के मामले मे छूट दी है। भारतीय खाद्य निगम की सहायता करने के लिए राज्य सरकार ने सभी संभव प्रबन्ध किये हैं और जिला प्रशासन ने भी बड़े पैमाने पर काम किया है। महोदय मैं वहां लगभग 20 दिन रहा और मैंने वहां किसानों की समस्याओं

को स्वयं देखा है भारतीय खाद्य निगम उनसे खरीद करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस मामले को बहुत गंभीरता से लें। इस तथ्य के बावजूद कि सरकार ने छूट दी है, भारतीय खाद्य निगम ने किसानों की सहायता करने में दिलचस्पी नहीं ली है और वे सदा ही अपने मानदण्डों पर वही जोर देते हैं और लेकिन मानदण्डों पर अमल नहीं करते। ये किसानों के हितों को देखने की बजाय अपने ही हित साधन की कोशिश में हैं। यह एक अनूठी स्थिति है अत: मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह शीघ्र भारतीय खाद्य निगम को किसानों से धान की खरीद करने के लिए अनुदेश जारी करे। सहायता के बारे में मैं यह कहूंगा कि केन्द्र सरकार द्वारा नकदी रूप से सहायता की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है। आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमन्त्री ने विश्व बैंक के साथ अपने हाल के साक्षात्कार में यह स्पष्ट किया था कि केन्द्र सरकार की 86 करोड़ रु० की सहायता दो जिलों में भोजन और उचित आश्रय प्रदान करने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए केन्द्र को अधिक सहायता देनी चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह हाल ही में चक्रवात के कारण हुए कुल नुकसान का कम से कम 50% वहन करे। इसके अलावा बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर आई बड़ी-बड़ी दरारों के कारण सहायता नहीं पहुंच पाई है। आज भी अधिकांश प्रभावित क्षेत्रों में जाया नहीं जा सकता है और सड़कों पर काफी दरारें हैं। यहां तक कि मुझे भी मुख्य भूमि पर पहुंचने में बीस दिन लग गए। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अन्य सड़कों की मरम्मत की जानी चाहिए और विशेषकर तटीय क्षेत्रों में उन्हें तत्काल ठीक किया जाना चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करता रहा हूं कि वाडा और इचापुरम के बीच तटीय सड़क का निर्माण किया जाए और यह निर्माण कार्य ईमानदारी से शुरू किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो यह कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया जाना चाहिए। इससे प्रभावित क्षेत्रों को काफी सहायता मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही 10 मिनट बोल चुके हैं।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : अपना भाषण समाप्त करने से पहले, मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश को छिन्न-भिन्न अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है। दूसरी बात, विद्युत की बहुत अधिक कटौती के कारण औद्योगिक प्रगति रुक गई है। इन दोनों कारणों से उसे इस समय बहुत अधिक सहायता की जरूरत है अत: इन सभी कारणों को देखते हुए सरकार को उदारता से विचार करते हुए बहुत अधिक मात्रा में सहायता देनी चाहिए जिससे आंध्र प्रदेश के लोगों के दुखों से राहत दिलाने में अवश्य ही मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन यादव (गोड्डा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मई को जो बंगाल की खाड़ी में वहां से तूफान चला उसने आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक प्रभाव डाला इसलिए आंध्र प्रदेश में उसने जनजीवन को ठप्प किया और बहुत बर्बाद किया। इसी के साथ-साथ बंगाल के जो समुद्रतटीय जिले हैं उनमें भी साइक्लोन का प्रभाव बहुत जोरों का था। वहां के और बंगाल से सटे बिहार के जिलों को किसी प्रकार की केन्द्रीय सहायता नहीं मिली है। इस तूफान के चलते बिहार के दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुर आदि जिलों में बहुत बरसात हुई। इन इलाकों में गांव वालों के जो मिट्टी के घर थे वे घर बह गए हैं। इस चिलचिलाती धूप में उनके पास रहने का कोई दूसरा साधन नहीं है। केन्द्रीय सरकार द्वारा उन गरीबों के बारे में कोई विचार नहीं हुआ है।

[श्री जनार्दन यादव]

हम बिहार से आते हैं। बिहार बाढ़ के तांडव से सबसे अधिक ग्रस्त होता है। इस तूफान के बाद उसे सबसे अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ जब वहां खत्म हो जाती है तो वहां बीमारियों का सिलसिला शुरू होता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार, बंगाल, पांडिचेरी, मद्रास राज्यों को अधिक-से-अधिक केन्द्रीय सहायता दी जाए। इन राज्यों के किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है उसके लिए उनको ऋण दिए जाएं। साथ-ही-साथ बाढ़ के बाद जो बीमारियां फैलती हैं उनकी रोकथाम के उपाय किए जाएं। वहां पीने के पानी की भी व्यवस्था की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : पीने के पानी की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट को करनी होगी, यह सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती।

श्री जनार्दन यादव : मैं साईक्लोन पर बोलते हुए कहता हूं कि साईक्लोन से जो लोग पीड़ित हैं उनको अधिक-से-अधिक सहायता दी जाए और उनकी आर्थिक क्षति को पूरा किया जाए।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी क्षेत्र विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में आया चक्रवात 'प्रलय' की तरह है। यह शायद भारत में चक्रवातों के इतिहास में सबसे भयानक चक्रवात है। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं उस राज्य से हूं जहां हर तीन वर्षों में अपरिहार्य रूप से चक्रवात आता रहता है और जिसमें हवा की गति 240 कि०मी० प्रति घंटा से कम नहीं रही। तो, 240 कि०मी० गति का क्या अर्थ है? जो लोग इस चक्रवात की लपेट में आए हैं उन्होंने ही इसे महसूस किया होगा। इसलिए महोदय, जैसाकि बताया गया है यह चक्रवात कुछ अलग ही है। यदि आप 19वीं शताब्दी, अठारवीं शताब्दी और इस शताब्दी के चक्रवात के इतिहास को देखें तो आप यह पायेंगे कि अब यह और अधिक बार आने लगा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था। प्राकृतिक प्रक्रिया में ही कुछ परिवर्तन आ गया है। इसलिए, इसमें चक्रवात का आना लगभग एक नियमित सी बात हो गई है। आन्ध्र प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ है। इस स्थिति से निपटना किसी राज्य के बूते की बात नहीं है। अगली फसल आने तक लोगों का भरण-पोषण किया जाना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की उपजाऊ जमीन में खारा पानी भर गया है। यह भूमि उपजाऊ नहीं रहेगी और उस पर पांच वर्ष तक खेती के लायक नहीं रहेगी और वहां पेयजल उपलब्ध नहीं होगा। मैं उड़ीसा में अपने अनुभव के आधार पर यह सब कह रहा हूं। इसलिए, अगली फसल आने तक सरकार को लोगों का भरण-पोषण करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सरकार को जमीन के लिए भी कुछ-न-कुछ करना चाहिए ताकि इस पर खेती हो सके और लोग अपनी फसलें उगा सकें। इस पर बहुत अधिक लागत आएगी। कोई भी राज्य सरकार इस स्थिति से नहीं निपट सकती। प्रधान मंत्री जी स्वयं यह बात कह चुके हैं कि यदि यह राष्ट्रीय आपदा नहीं है तो राष्ट्रीय आपदा और क्या होगी? यदि आप इसे राष्ट्रीय आपदा मानते हैं तो क्या इससे निपटना केवल राज्य सरकार की जिम्मेदारी है? वित्त आयोग के राष्ट्रीय आपदा अनुदान में से भारत सरकार ने केवल 32 करोड़ रु० दिए हैं। क्या इस स्थिति से निपटने के लिए यह राशि पर्याप्त होगी? अत:, ऐसे मामलों में जहां इस तरह का विनाश हो और मानवीय कष्ट इस हद तक हों तो सबसे पहले यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सहायता के लिए आगे आए। इसे यह नहीं करना चाहिए कि वहां कोई और सरकार

है और हमारी सरकार उससे अलग है। इस देश में इस तरह की परम्पराएं स्थापित की गई हैं। राष्ट्रीय आपदा को राष्ट्रीय आपदा मानकर उसमें सभी दलों का सहयोग लिया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि आन्ध्र प्रदेश की जनता की कठिनाईयों को कम किया जाए और भारत सरकार की यह मूल जिम्मेदारी है कि वह इसे राष्ट्रीय आपदा मानकर आन्ध्र प्रदेश सरकार की इसलिए मदद करे क्योंकि राज्य सरकार के पास उतने स्रोत नहीं हैं जो इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

उड़ीसा में भी, हमें हर तीन साल में समुद्री तूफान आने की आशंका बनी रहती है। जो तूफान आन्ध्र प्रदेश में आया था उसकी गति से कुछ पता चलता है जब कम दबाव हो जाता है तो हमें यह देखना चाहिए कि क्या हम हवा की गति को रोक सकते हैं। अमेरिका में भी यही तरीका अपनाया जा रहा है। बार-बार समुद्री तूफान से पूर्वी तट पर तबाही हो रही है और इससे वहां का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। इसलिए, भारत सरकार को हवा की गति को सीमित करके इसे रोकने के बारे में विचार करना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु, अमेरिका तथा अन्य देशों में अपनाए जा रहे तरीकों का यहां भी परीक्षण किया जाना चाहिए। इसे रोकने के लिए तटों पर सड़क एवं बांध होना जरूरी है। उड़ीसा में जब हजारों लोग मर गए थे, तो श्री बीजू पटनायक, जो उस समय योजना बोर्ड के चेयरमैन थे, ने एक विख्यात इंजिनीयर डा० खोसला के नेतृत्व में एक आयोग बनाया था। उस आयोग का यह कहना था कि यदि समुद्र तट के साथ-साथ राजमार्ग हो तो इस तूफान को रोका जा सकता है। यह मार्ग पूर्वी तट पर हल्दिया से तमिलनाडु में रामेश्वरम तक बनाया जाना चाहिए। चक्रवात को रोकने के लिए यह स्थायी उपाय किया जाना चाहिए। कार्यवाही करने का यह उचित समय है जबकि आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान के कारण काफी हानि हुई है। सरकार ने एक हजार करोड़ रु० का नुकसान होने का अनुमान लगाया है। इस तरह के नुकसान को रोकने के लिए निवारक उपाय किए जाने चाहिए।

एक अन्य बात यह है कि तट के साथ-साथ हरित पट्टी होनी चाहिए और चक्रवात आने वाले इलाके में बार-बार चेतावनियां दी जानी चाहिए चेतावनियों के कारण ही लोगों को बचाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश में, 1977 में आए पिछले चक्रवात में 10,000 लोग मारे गए थे। इस साल 1,000 लोगों की जानें गई और बहुत से लोगों को बचाया जा सका। इसलिए बार-बार चेतावनी दी जानी चाहिए। अग्रिम चेतावनी सिगनल राडार लगाए जाने चाहिए और बड़े पैमाने पर आश्रय स्थल बनाए जाने चाहिए। अब यह सरकार का काम है कि वह इस काम को करे। न केवल आन्ध्र प्रदेश का बल्कि तमिलनाडु, पांडिचेरी, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल का भी ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि इसके बाद हर साल यह तबाही न हो और हमारे देश की अर्थव्यवस्था बरबाद न हो।

इसके साथ ही, मेरा निवेदन है कि चक्रवात को रोकने के लिए स्थायी उपाय करते समय सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और आन्ध्र प्रदेश के लोगों के कष्टों को कम करने, ऐसे लोगों जिनको नुकसान हुआ है, के भरण-पोषण की तब तक जिम्मेदारी ले, जब तक अगली फसल नहीं आ जाती, और उनकी हर तरह से मदद भी करे ताकि वे अपनी फसल पैदा कर सकें और सम्मान के साथ जी सकें।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों द्वारा आज दिये गये भाषणों के प्रत्येक शब्द का समर्थन करता हूं और उनके भाषण बहुत रचनात्मक रहे। मैं इस सप्ताह के लिए

[प्रो० एन० जी० रंगा]

आपको धन्यवाद करता हूं कि हम तूफान से हुए विनाश के विवरण को दोहराते चले जाने की बजाय सभा में अपने विचार रखें।

मुझे खुशी है कि मेरे उड़ीसा के मित्र ने इस मुद्दे को इस स्तर पर उठाया है कि यह तूफान पूर्वी तट के एक छोर से दूसरे छोर तक आया। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार इस मौके पर उठ खड़ी हुई है और यहां से प्रधानमंत्री, वहां के मुख्य मंत्री तथा हमारे संसद सदस्य भी वहां की जनता के सभी दुखों को देखकर लौट आये हैं। उन्होंने जो कुछ बताया है, मैं उसी में कुछ और जोड़ना चाहता हूं। मैं उन लाखों हरिजनों, बुनकरों, पिछड़े वर्ग के लोगों और किसानों को, इस विपदा का सामना करने के उनके साहसिक प्रयासों और फिर से अपनी सामाजिक अर्थव्यवस्था और फसलों को बिना किसी सहायता के आने की प्रतीक्षा किये, स्वयं अपने प्रयासों से खड़ा करने के लिए किए जा रही कोशिशों की सराहना करता हूं।

ऐसा कहने के उपरान्त मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात को देखते हुए कि यह तूफान कुछ समय बाद आते रहते हैं, सरकार इस दिशा में एक नियमित नीति तैयार करने की दृष्टि से विचार करे—तूफान रोकने के लिए नहीं, अपितु तूफान से हो रहे, अथवा होने वाली क्षति में कमी करने के लिये। अतः वह विशेषज्ञों को ऐसे विभिन्न साधन एवं उपायों का अध्ययन करने के लिए कहे जिनसे तूफान से होने वाले विनाश में कमी की जा सके। दूसरे देशों, जैसे अमरीका को इसका अनुभव है। किन्तु उनका जीवन स्तर बहुत ऊंचा है। किन्तु उनका अनुभव हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। सरकार को इस दिशा में प्रयास करना चाहिये।

आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री डा० चेन्ना रेड्डी द्वारा दिए गए हाल के वक्तव्य में कहा गया था कि कई करोड़ रुपये की क्षति हो गई है और सुरक्षापायों के लिये 1,000 करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि की जरूरत है। ये धन कहां से आयेगा। आप अचानक इसे नहीं पा सकते। मैं अनेक वर्षों से यह सुझाव देता आ रहा हूं कि केन्द्र में स्थाई रूप से प्राकृतिक विपदा सुरक्षा निधि की स्थापना की जानी चाहिए जिसके लिए भारत सरकार वार्षिक अनुदान दे और फिर विशेषकर प्रभावित राज्यों के लिए राज्य स्तर पर भी इसकी स्थापना की जाये। विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर राजस्थान में सूखा पड़ा हुआ है। वहां के लिए भी एक विश्व प्रायोजित निधि होनी चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व विश्व खाद्य संगठन में ऐसी निधि की स्थापना की बात चली थी। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इसका समर्थन करे और उसे सुदृढ़ बनाये। उस समय दुर्भाग्यवश हमारी सरकार इसमें भागीदार बनने की इच्छुक नहीं थी और न ही उसने इन अनुदानों को देने और उनके वितरण में संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप के डर से इस दिशा में कोई पहल की। किन्तु अब वह समय आ गया है जबकि ऐसे संगठन के विश्वस्तर, तदन्तर राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था करने की आवश्यकता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत इसके लिये दिया जाये। जब तक हमारे पास ऐसा कोई वित्तीय तन्त्र नहीं होगा, सरकार पीड़ितों को राहत नहीं दे सकेगी।

इसके बाद ऋण का प्रश्न है। मेरे माननीय मित्र श्री के० एस० राव इसका पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। ऐसे भी ऋण होते हैं जिनकी किसानों को जरूरत होती है, जो किसानों को दिए जाते हैं किन्तु जिन्हें वे लौटा ही नहीं पाते। किसानों को दीर्घावधिक ऋण दिये गये हैं, जिनकी अदायगी किस्तों में करनी होती है अथवा उन्हें माफ करना पड़ता है। अतः दो वर्ष तक किसान इन ऋणों और

करों की अदायगी नहीं कर सकेंगे। उदाहरणार्थ भू-राजस्व माफ करना होगा। और भी बहुत कुछ करना होगा।

मैं चाहता हूं कि इस मामले के प्रभारी मंत्री जी यहां दिये गये भाषणों और सुझावों का नियमित रूप से सारांश तैयार करवायें और उनके अधिकारी उन्हें इस बारे में ब्यौरेवार जरूरी जानकारी दें कि राज्य सरकार को कितनी सहायता दी जानी है। इस बार मैं केन्द्रीय सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उसने पहले वाली विलम्बकारी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है और उसने राज्य सरकार को ऋण दिया है तथा वहां एक अध्ययन दल भेजा है। किन्तु इतना ही काफी नहीं है। उन्हें आज तक जितना ऋण दिया गया है, वह काफी नहीं है। इससे 20 गुना ऋण दिया जाना चाहिए था। कहाँ से, यह अलग बात है। बीमा कम्पनियों से सहायता जारी की जानी चाहिए थी। बैंकों को भी इस कार्य पर लगाना होगा।

यह सब कहने के बाद, वे क्या कर सकते हैं? जैसाकि मैं कह चुका हूं। कम-से-कम अब तो, उन्हें बुनकरों, हरिजनों और वहां के पिछड़े वर्ग के लोगों और निसहाय जनता का इस बात के लिए आभार प्रकट करना चाहिए कि वे अपनी सहायता के लिए खुद लड़े हुए और उन्होंने इस महान विपदा के आघात को साहसपूर्वक सहा और स्वयं को साहसी भारतीय नागरिक सिद्ध किया।

श्री ए० एन० सिंह देव (आस्का) : महोदय, इस मामले पर पूर्ण रूप से चर्चा हो चुकी है, इस लिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा। किन्तु मैं केवल यही बताना चाहता हूं कि यद्यपि तूफान से आन्ध्र राज्य के व्यापक क्षेत्र में क्षति हुई है, किन्तु उड़ीसा के एक बड़ा पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। दुर्भाग्यवश सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और कोई दल गंजम जिले में नहीं भेजा गया। गंजम जिले के जिलाधीश से हाल में मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार इस जिले के जिस एकमात्र भाग पर इसका प्रभाव पड़ा है, वहां फसलों, सरकारी इमारतों, सड़कों, निजी भवनों आदि की लगभग 20 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। आंध्र प्रदेश में आये इस तूफान पर विचार करते समय उड़ीसा के सीमान्त गंजम जिले में हुये विनाश की ओर भी ध्यान दिया जाये और राहत कार्य के लिये उड़ीसा सरकार को पर्याप्त सहायता दी जाये।

इस मौके पर मैं कुछ ऐसे मामलों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा जिनकी ओर तत्काल ध्यान दिये जाने की जरूरत है। जैसाकि आप जानते ही हैं, हमारे मित्र बता चुके हैं कि पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में बहुधा तूफान आते रहते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हमने तूफान की विभीषिका देखी है। 1971 में उड़ीसा में तूफान आया था और उसमें लगभग 15,000 लोग मरे थे। यदि आप तूफानों का आना रोक नहीं सकते, तो कम-से-कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि तूफान से होने वाली क्षति को कम किया जाए। उन दिनों जो अनेक सुझाव दिये गये थे, उनमें एक यह भी था कि प्रत्येक ग्राम में एक उन्नत मंच होना चाहिए जिससे कि तूफान और बाढ़ से पीड़ित लोगों को आश्रय प्रदान किया जा सके। और चाहे तूफान हो या बाढ़ ग्रामीणों को, वे गांव खाली कराकर उन स्थलों पर शरण देनी चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं किया गया है। जैसाकि मेरे मित्र ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार के लिए कभी भी ऐसे उपाय करना सम्भव नहीं है। यही समय है जबकि केन्द्र सरकार समुचित तरीके से योजना बनानी शुरू करे ताकि तूफान से इस बर्बादी को रोका जा सके और साथ ही राज्य सरकारों की मदद कर सके।

[श्री ए० एन० सिंह देव]

एक दूसरा पहलू भी है जिस पर हमने विचार नहीं किया वह पहलू है फसल की बर्बादी का। जब तूफान आता है तो शहर के लोग, अमीर लोग प्रभावित नहीं होते हैं। सिर्फ गरीब तबके, हरिजन, और गांवों में रहने वाले लोग विशेषकर किसान प्रभावित होते हैं। यदि कोई स्थायी फसल बीमा योजना और तूफान या बाढ़ आता है और उन्हें बीमा योजना से सहायता दी जाती है तो इससे इन लोगों को काफी सहायता मिलेगी। दूसरी बात यह है कि केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष अग्नि सुरक्षा योजना नामक एक योजना शुरू की थी जिसमें आग से प्रभावित गांवों को बीमा क्षतिपूर्ति की जाती है। दुर्भाग्यवश यह योजना सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकी और मेरे राज्य में इस योजना के अंतर्गत एक पैसा भी नहीं दिया गया। परन्तु वहां योजना है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस अग्नि बीमा योजना में तूफान और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को भी शामिल करें ताकि जब कभी भी कोई गांव या घर बह जाए या तूफान में बर्बाद हो जाए तो गरीब व्यक्ति इस अग्नि बीमा योजना की तरह इससे तत्काल क्षतिपूर्ति की राशि पा सके। इसलिए तत्काल ये उपाय किए जाने चाहिए। अन्यथा आपको यह भी पता नहीं लगेगा कि अगले वर्ष कब और कहां तूफान आयेगा तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। पूरा पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र तूफान प्रवण क्षेत्र है।

इन सुझावों के साथ मैं पुन: सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह गंजम जिले में बाढ़ से हुई क्षति पर विचार करे और आवश्यक सहायता प्रदान करे।

श्री गोपी नाथ गजपति (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री नितीश कुमार द्वारा हाल ही में सभा में प्रस्तुत विस्तृत प्रतिवेदन से आंध्र प्रदेश में हुई मनुष्यों, पशुपक्षियों तथा सम्पत्ति की बर्बादी का अनुमान लगाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तथा पांडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र के पीड़ित लोगों को नकद और सामान दोनों प्रकार से उदार सहायता प्रदान करे। माननीय प्रधानमंत्री और श्री राजीव गांधी द्वारा आंध्र प्रदेश के तूफान प्रभावित क्षेत्र का तत्काल दौरा प्रशंसनीय है।

पिछले अनुभवों से हमने यह देखा है कि तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र के भौगोलिक स्वरूप के कारण ये राज्य काफी तूफान प्रवण क्षेत्र हो गये हैं। इसलिए वैसे तूफान शिविर या गोलाकार भवन जो ज्यादा तूफान प्रतिरोधी होते हैं को बनाने पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना ठीक रहेगा। ये शिविर संपूर्ण बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती सीमा पर लगाये जाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त जल निकासी प्रणाली को ठीक-ठाक करने और लोगों की सुरक्षा करने के लिए एक दीर्घावधि योजना लागू की जानी चाहिए और आन्ध्र प्रदेश राज्य के एक हजार किलोमीटर समुद्र तट पर रहने वाले लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए।

विश्वस्त सूत्रों से यह पता चला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 25000 डालर प्रधानमन्त्री सुरक्षा कोष में दिए हैं ताकि आन्ध्र प्रदेश के तूफान पीड़ित जिलों के प्रभावित लोगों को सहायता दी जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका की सूचना सेवा की प्रेस विज्ञप्ति से इस बात का पता चला है। मैं इस उत्कृष्ट मानवीय सद्भावना की प्रशंसा करता हूं। इस अवसर पर मैं विश्व के सभी राष्ट्रों से

अपील करता हूं कि वे पांडीचेरी, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के सभी तूफान पीड़ितों को तत्काल उदार सहायता प्रदान करें।

मैं इकानोमिक टाइम्स के 24 मई, 1990 में प्रकाशित उड़ीसा में जन और धन की बर्बादी की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं उद्धृत करता हूं :

"उड़ीसा के गंजम जिले में हाल की वर्षा से सिंचाई परियोजना, सड़कों और भवनों की काफी बर्बादी हुई है और परिणामस्वरूप आयी बाढ़ से प्राथमिक सरकारी अनुमान के अनुसार लगभग 40 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। 419 गांवों में 756 घर पूरी तरह गिर गए जबकि 7965 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। बिजली का खम्भा गिर जाने से एक व्यक्ति दबकर मर गया। तेजी से आयी बाढ़ के कारण इस जिले के दिगपहण्डी प्रखण्ड के भीष्मगीरी पंचायत के अनेक गांव प्रभावित हुए। रुशीकुल्य, गोदावद, बंशधारा रामनदी और इसकी सहायक नदियों ने काफी तबाही की है। आंकलन से पता चलता है कि गोदावद मध्यम सिंचाई परियोजना को क्षति हुई क्योंकि पानी का स्तर बढ़कर जलाशय के ऊपर आ गया था जबकि नहर के किनारे अनेक जगहों पर दरार पड़ गयी थीं। दिगपहण्डी प्रखण्ड में हजारों एकड़ धान के खेत में रामनदी की बालू भर गई थी। सूत्रों ने बताया कि बाढ़ का पानी पारलखमुंडी और काशीनगर प्रखण्डों के 50 गांवों में फैल गया था जिससे पारलखमुंडी के सबडिविजन के नदी के किनारे के गांवों में बाढ़ से काफी तबाही हुई काशीनगर में बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर था जो शहर के निचले क्षेत्रों में फैल गया, जिससे गरीब हरिजनों के मिट्टी के बने अनेक मकान ढह गये।

यहां पर आने वाली सूचना के अनुसार धान की बुवाई के समय कम-से-कम 500 लघु सिंचाई योजनाओं को काफी क्षति हुई है। दिगपहंडी, शंखमंडी, चिकीती, और छत्रपुर प्रखण्डों में अनेक सिंचाई टैंकों में दरार पड़ गई है।

यद्यपि महलूभाई लघु सिंचाई परियोजना में कोई बड़ी क्षति नहीं पहुंची, इसकी चार कि०मी० लम्बी नहर में कई जगहों पर दरार पड़ गई थी और लगभग एक दर्जन निर्माण गिर गए।"

महोदय, मैंने इस सदन का बहुमूल्य समय विशेषकर माननीय कृषि राज्य मंत्री को विस्तृत जानकारी देने के लिए लिया है। पिछले सप्ताह जब एक व्यक्तिगत चर्चा में मैंने मन्त्री महोदय से उड़ीसा राज्य के गंजम जिलों के बाढ़ ग्रसित व्यक्तियों को तत्काल सहायता देने का अनुरोध किया था तो मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ था कि इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार का सरकारी प्रतिवेदन अभी तक केन्द्र में नहीं पहुंचा था ताकि वह गंजम में बाढ़ ग्रसित लोगों को शीघ्र सहायता प्रदान कर सके।

इस सम्बन्ध में मैंने उड़ीसा के माननीय मुख्यमन्त्री तथा गंजम के जिलाधिकारी को दो बार पत्र लिखा कि वो केन्द्र को सरकारी प्रतिवेदन भेजने की कार्यवाही शीघ्र करें। मैं अपनी पार्टी के नेता श्री राजीव गांधी के इस निर्णय का पालन करते हुये कि सभी कांग्रेस (आई) के संसद सदस्यों को आंध्र प्रदेश में तूफान राहत के लिए एक महीने का वेतन दान करना चाहिए। गंजम जिले के तूफान पीड़ितों

[श्री गोपी नाथ गजपति]

के लिए जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं अपनी ओर से एक तुच्छ भेंट अपने एक महीने का वेतन दान करता हूँ।

मैं इस अवसर पर केन्द्र सरकार से अपील करता हूं कि नकद रुपये तथा सामान दोनों ही तरह से गंजम जिले के तूफान पीड़ितों के लिए इस संकट के समय में अधिकतम सहायता प्रदान करे।

श्री ए० विजयराघवन (पालघाट) : महोदय, प्राकृतिक विपदा के सम्बन्ध में जोकि आंध्र प्रदेश में आई है, माननीय सदस्यों ने पहले ही चर्चा के दौरान किसानों तथा अन्य लोगों द्वारा झेली जा रही समस्याओं तथा उनकी उग्रता का उल्लेख किया है।

मैं भी कुछ ऐसी समस्याओं को बताना चाहता हूं जिनका कि आंध्र प्रदेश के लोगों द्वारा सामना किया जा रहा है केरल के निवासी होने के कारण हम लोगों को चावल की अत्यधिक कमी है। कुल आवश्यकता का केवल एक तिहाई चावल केरल में पैदा होता है और हमें हमेशा चावल आंध्र प्रदेश से मंगवाना पड़ता है। आंध्र प्रदेश में पानी नहीं बरसता है तो हम केरलवासी आंध्र मे वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि जब आंध्र प्रदेश में वर्षा होगी तब केरलवासियों को चावल मिलेगा। इस बार इस विपदा के बारे में सुनने के बाद हम लोग अपनी राज्य के बारे में चिन्तित थे। अत: इस पर चर्चा करते हुए मैं राहत कार्यों में कुछ कमियों के बारे में बताना चाहूंगा। यद्यपि हमको पहले से ही इस प्राकृतिक विपदा का आभास था परन्तु ऐसी रिपोर्ट थी कि प्राकृतिक विपदा के पहले तीन दिनों तक कोई राहत कार्य नहीं हुआ था। इस तरह की स्थिति क्यों थी ? पहले तीन दिन स्थिति बहुत खराब थी। बहुत से गांवों का अन्य स्थानो से सम्पर्क टूट गया था। मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा था कि अप्रभावी राहत कार्यों के कारण चावल के मूल्यो मे 12 रुपए प्रति किलो तथा मिट्टी के तेल के मूल्यों में 8 रुपए प्रति किलो तक की वृद्धि हुई हैं।

सरकार द्वारा राहत प्रदान करने के बारे से 12 मदों का जिक्र किया गया था, परन्तु उसमें मिट्टी का तेल शामिल नहीं था। हमको यह भी अनुमान लगाना चाहिए था कि बिजली की सप्लाई तथा वितरण व्यवस्था तूफान के कारण प्रभावित हो सकती है। प्रभावित लोगों के पास मिट्टी का तेल उपलब्ध होना चाहिए था। मिट्टी के तेल का आवश्यक कोटा नहीं दिया गया था। आकड़ों से पता चलता है कि 1979-90 तक विभिन्न गति के 175 तूफान आये थे जिससे तटीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा था। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अत: इस सम्बन्ध में कुछ स्थायी उपाय किए जाने चाहिये। मैं यह बताना चाहूंगा कि गोदावरी क्षेत्र में खराब जल निकासी व्यवस्था है। गोदावरी सारे देश में चावल उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है। गोदावरी क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था की योजना 200 वर्ष पूर्व बनायी गयी थी। बाढ़ और तूफान के समय खारा पानी खेतों में प्रवेश कर जाता है। समुद्र में उतना पानी नहीं जा पाता है जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ आती है। उस क्षेत्र में अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था होने के कारण लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अत: उस क्षेत्र में उचित तथा पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था होनी चाहिये। इस क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये।

मैं इस क्षेत्र की आवासीय व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। उन्नत देशों मे, जैसे जापान

में, जल्दी-जल्दी भूकम्प आते हैं। वह जो तरीका अपनाते हैं उसका उपयोग यहां भी होना चाहिये। आवास व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिये जो तूफानों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सके। हमें इस पर विचार करना चाहिए तथा विपदाओं का मुकाबला करने के लिए इस आवास व्यवस्था में सुधार करना चाहिये। तथा इस सम्बन्ध में हुडको को पहल करनी चाहिए। प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। श्री के० एस० राव ने लोगों को चावल के आबंटन के बारे में ठीक ही कहा है प्रत्येक प्रभावित परिवार को कम से कम 50 किलो चावल देना चाहिए तथा तभी ये लोग जब तक उन्हें कोई रोजगार मिलता तब तक बच सकते हैं। जहां तक वित्तीय सहायता का सवाल है हम 100 रु० उनको दे रहे हैं परन्तु हमें उनको बर्तन भी देने चाहिये। जहां तक ऋणों को माफ करने का सवाल केन्द्र सरकार ने घोषणा की थी कि वर्ष 1988-89 में 10.000 रुपए तक की ऋण राशि को माफ किया जायेगा परन्तु सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के मामले में 1989-90 के लिए भी ऋण माफी पर विचार किया जाना चाहिए जहां तक हथकरघा बुनकरों का सवाल है हमें उन्हें धागे भी देने चाहिए जैसाकि सरकार ने घोषणा की है। परन्तु हम उन्हें केवल 100 रु० दे रहे हैं। मछुआरों की नावें तथा जाल नष्ट हो गये हैं। अतः केन्द्र सरकार द्वारा उचित सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे लोग अपने जाल तथा अन्य चीजें प्राप्त कर सकें जिससे वे अपनी जीविका चला सकें जहां तक तूफान से बचने के लिए शरण स्थल बनाने का सवाल है हमारे पास पहले ही कुछ तूफान शरण स्थल हैं। परन्तु हमें उस क्षेत्र के प्रत्येक गांव की जनसंख्या की गिनती करनी चाहिए तथा उसके अनुसार एक नयी व्यवस्था शुरू करनी चाहिये जिससे कि तूफान का मुकाबला किया जा सके। आंध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने इस संबंध में स्थायी उपाय के बारे में नये प्रस्ताव रखे हैं। यह विश्व बैंक से ऋण के संबंध में है। मुझे इस संबंध में कुछ आपत्तियां हैं। इस संबंध में उचित मूल्यांकन तथा विचार-विमर्श होना चाहिए क्योंकि हम विश्व बैंक से बड़ी रकम ऋण के रूप में ले रहे हैं। जहां तक तूफान का सवाल है उसमें स्वागत योग्य बात यह है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आपसी टकराव तथा टीका टिप्पणी नहीं है। हम इस बात पर धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि नयी व्यवस्था अर्थात विपदा राहत कोष आरम्भ किया गया है मैं मुख्य-मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा सभी सम्बन्धित राजनीतिक दलों को धन्यवाद देता हूं। मैं केरल का प्रतिनिधित्व करता हूं तथा हमको पिछली सरकार के शासन काल के दौरान एक कड़वा अनुभव हुआ था। जब वहां पर बाढ़ आयी थी तब एक केन्द्रीय मन्त्री वहां पर बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण करने आए थे। लोगों ने अनुमान लगाया था कि मन्त्री महोदय की ओर से कुछ राहत की घोषणा होगी परन्तु हमें कड़वा अनुभव हुआ था। मन्त्री बिना किसी आश्वासन दिए लौट आए थे तथा लोगों को कोई राहत देने की घोषणा नहीं की थी। अगले दिन एक प्रमुख समाचार-पत्र में मन्त्री तथा बाढ़ के बीच में संबंध पर एक समाचार छपा था समाचार पत्र ने लिखा था कि मन्त्री उस दिन पैदा हुए थे जिस दिन बाढ़ आयी थी उनके पिता जी बाढ़ में गिर पड़े थे और वह स्वयं भी बाढ़ में बह गये थे उस समय सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं दी गई थी।

परन्तु इस बार हमारे प्रधानमन्त्री तूफान का मौके पर जायजा लेने के लिए दौरा करने गये थे। उन्होंने सरकार को 86 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की थी। यह बिना किसी औपचारिक निवेदन या ज्ञापन के केन्द्र सरकार ने 32 करोड़ रुपये मौके पर दे दिए थे। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि लोगों की और मदद करने के लिए कदम उठाए जायें।

[हिन्दी]

श्री जे० चोक्का राव (करीमनगर) : डिप्टी स्पीकर सर, साइक्लोन से करोड़ों लोगों को नुकसान हुआ है। अपने देश के साइंटिस्ट्स ने दो-तीन दिन पहले ही इसकी सूचना दे दी, इससे नुकसान में थोड़ी सी कमी हुई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से उन साइंटिस्ट्स को शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छी तरह से लोगों की मदद की, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और यहां पर जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के ऑनरेबल मेम्बर्स बोले, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं उन सुझावों को दोहराने की बजाय दो-तीन सुझाव और देना चाहता हूं। जो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए यहां सुझाव आए हैं, उनको भी सरकार नजर में रखे। प्रधानमन्त्री जी ने वहां का फौरन ही दौरा किया और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी दौरा किया और उन्होंने काफी मदद का प्रामिस भी किया और हमारे आंध्र प्रदेश के आनरेबल मेम्बर्स और वहां के फायनेंस मिनिस्टर भी प्रधानमन्त्री से मिले थे उन्होंने पूरी मदद करने का वायदा किया है। उनका यह भी ख्याल है कि इसमें ज्यादा मदद सेंटर की ओर से आनी चाहिए क्योंकि यह बहुत बड़ा काम है और स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि उनके फायनेंस बहुत लिमिटेड होते हैं और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट आगे नहीं आएगी, तब तक उनकी मदद का काम नहीं हो सकता है। यह तो हर पार्टी वाले ने यहां पर अपने ख्याल का इजहार किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि कंसर्न्ड. मिनिस्टर को आगे आकर सेंट्रल की मदद का पूरा वायदा करना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर सर, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो लोन माफी का सुझाव है, उस बारे में यहां कहा गया है कि उनको माफ कर रहे हैं और कोआपरेटिव लोन को भी सेंटर को माफ करना चाहिए। मेरा कहना यह है कि पहले आंध्र प्रदेश में जो साइक्लोन अफैक्टेड हैं, उनके नुकसान को नजर में रखते हुए फौरन आप उनके लोन को माफ कीजिए और उनको आगे अपना काम चलाने के लिए और लोन दीजिए। इसमें सेंटर और स्टेट का मामला आगे नहीं आने दें और इस काम को फौरन ही करें। जो भी और किसी किस्म के कर्जे हैं, उनको फौरन राइट-आफ करें।

डिप्टी स्पीकर सर, जहां साइक्लोन आया है वहां तीन-चार दिन तक पूरे विलेजज में पानी ही भरा रहा, दरख्त गिरे हुए थे, लेकिन गांव वालों ने सब तकलीफें सहन करते हुए उनको सड़कों से हटाया और जो गरीब लोग खुद भूखे थे उन्होंने उनकी सहायता की। मैं इस सदन के माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए उन गिरे हुए पेड़ों को काट कर रोड्स को साफ किया। इसलिए मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि देहात के लोग मुश्किल और तकलीफ में रहते हुए भी दूसरों की सहायता के लिए हर वक्त आगे आते हैं। अगर हम इस समस्या का परमानेंट साल्यूशन नहीं निकलेंगे, तो ये लोग शहरों में आयेंगे और इस तरह से उनको प्राब्लम्स होंगी। मेरी गुजारिश है कि जो फिशरमैन और वीवर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, जो एग्रीकल्चर मजदूर हैं, इन तमाम लोगों को भी फौरन क्रेडिट मिलना चाहिए। अब तक का जो कर्जा दिया है, उसको माफी दें और आगे गुजारा चलाने के लिए उनको एडवांस देना चाहिए और कोआपरेटिव बैंक हों या दूसरे बैंक हों, जो भी कर्जा उनको दिया जाए, उसकी शरायतों को कम करके कर्जा दिया जाए। यहां पूरा धान पानी में भीग कर खराब हो गया। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो रिलेक्सेशन दिया, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं, टाईमली ऐक्शन उन्होंने लिया। मगर वहां पर और परचेज नहीं कर रहे हैं। यह कोस्टल ऐरिया ही नहीं है हमारी बदकिस्मती है, आंध्र प्रदेश में कोस्टल ऐरिया में साठ लाख लोग इससे अफैक्टेड हुए हैं। साथ-साथ तेलंगाना, खम्माम, वारंगल, नालगौंडा, करीमनगर में भी ज्यादा बारिश होकर कुछ धान

बिक गया है, वहां पर भी रिलैक्सेशन होना चाहिए। बड़े दुख की बात है करीमनगर जो मेरी कांस्टीट्यूएँसी है, वहां पर चालीस रुपये किलो सपोर्ट प्राईस पर धान बेचना पड़ रहा है, कोई मिलर, ट्रेडर खरीद नहीं रहे हैं। फूड कार्पोरेशन ने रबी या सीजन आने पर कुछ सेंटर खोले हैं मगर नीचे के फूड कार्पोरेशन के आफिसर और ट्रेडर्स द्वारा मिलकर किसानों को लूटा जा रहा है। हमारे इतना कहने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्टर साहब बहुत हमदर्द हैं, फूड कार्पोरेशन भी है, लेकिन तेलंगाना ऐरिया में भी लाखों लोग इससे सफर कर रहे हैं। डैल्टा ऐरिया में साठ लाख लोग इससे नुकसान में आए हैं। तेलंगाना ऐरिया में भी सपोर्ट प्राईस से चालीस रु० कम में बिक रहा है, जिसकी वजह से तमाम किसानों को सख्त नुकसान हुआ है, कोआपरेटिव के कर्जे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात न करते हुए इस काम को फौरन करना चाहिए और दस हजार रु० का कर्जा सेंटर को माफ करना चाहिए। आधा मिनट मैं बोलना चाहता हूं। फर्टिलाइजर, सीड्स फ्री देना चाहिए। तूफान की वजह से ज्यादातर जो जमीन खराब हुई है, नेक्स्ट सीजन में काश्त करने के लिए उसको जितनी जरूरत हो, किसानों को 50 प्रतिशत सबसिडी देना चाहिए। यदि अब नहीं देंगे तो आइन्दा वे लोग अपनी काश्त नहीं कर सकते हैं और अगले साल भी उनकी माली हालत पर इसका असर होगा। यह सूचना देते हुए मैं इजाजत लेता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां मन्त्री महोदय।

श्री के० एस० राव : मैंने कुछ ऐसे सदस्यों की सूची दी है जो बोलना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल के 5 वक्ता पहले ही बोल चुके हैं। आपको यह निर्णय लेना चाहिए था कि समय कैसे बांटें। मैं आपको सवेरे से ही सावधान कर रहा था।

श्री के० एस० राव : महोदय यह काफी महत्वपूर्ण विषय है इसलिए वे बोलना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय दूंगा पर कृपया वही बात न दोहराएं। आपने मुझे दस नाम दिये हैं जिनके लिए 40 मिनट का समय बांटना है।

श्री के० एस० राव : महोदय, कृपया क्रोधित न हों।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको दूसरों की समस्या भी समझनी चाहिए। मैं आपको उतना ही समय दे सकता हूं जितना सम्भव है परन्तु पूरी बात को दोहराने की क्या तुक है। हम पहले ही देर तक बैठे रहे हैं।

श्री के० एस० राव : महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : यही कारण है कि हमने समय बढ़ाकर 6.00 से 7.00 कर दिया है। ठीक है अब आप समय बर्बाद न करें।

जी हां, श्री ए० वेंकट रेड्डी।

श्री ए० वेंकट रेड्डी (अनन्तपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात से अवगत हैं कि हाल के तूफान के कारण आंध्र प्रदेश में काफी जन और माल की हानि हुई है। राज्य सरकार ने तत्काल कार्यवाही की और अनेक लोगों को बचाया। कृषि और श्रमिक वर्ग बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए थे और पीड़ितों तथा जरूरतमन्दों को राज्य सरकार सहायता दे रही है। प्रधानमन्त्री ने प्रभावित क्षेत्र का

[श्री ए० वेंकट रेड्डी]

दौरा किया और कुछ राहत राशि की घोषणा की जो कि पर्याप्त नहीं। इसलिए मैं कृषि मन्त्री जो सभा में उपस्थित थे तथा प्रधानमन्त्री से भी अनुरोध करूंगा कि वे उदारतापूर्वक और अधिक राहत स्वीकृति करें क्योंकि उस क्षेत्र में जन और माल की काफी हानि हुई है। मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है कि केन्द्र सरकार इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगी।

मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि तूफान से प्रभावित क्षेत्रों के अतिरिक्त भी ऐसे क्षेत्र हैं जो सूखा और आकाल से प्रभावित हैं। मुझे खुशी है कि राज्य और केन्द्र सरकार तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत कार्य कर रही हैं। राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार सूखा और आकाल से प्रभावित क्षेत्रों पर गम्भीरता से कार्य नहीं कर रही है। सूखा और आकाल में लोग वर्षा, पेयजल और भोजन की कमी से प्रभावित होते हैं। तूफान की तुलना में लोग सूखा या आकाल से ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए मैं राज्य और केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो तत्काल कार्यवाही करें और आकाल दूर करने के स्थायी उपाय करें। मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मामले में आवश्यक कार्यवाही करेगी।

आंध्र प्रदेश में रायलसीमा क्षेत्र है जिसमें अनन्तपुर, कर्नूल, कुडप्पा आदि हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अनन्तपुर जिला तूफान प्रभावित जिला नहीं है।

श्री ए० वेंकट रेड्डी : ये पिछड़े हुए जिले हैं। कृषक तथा श्रमिक वर्गों की स्थिति काफी दयनीय है और वे अधिक गरीब हो रहे हैं। अनन्तपुर जिले में वर्षा बहुत कम होती है। भारत में सबसे कम वर्षा होने वाले स्थानों में अनन्तपुर का दूसरा स्थान हैं। अनन्तपुर जिला आकाल से प्रभावित हो रहा है। अनियमित मानसून के कारण लोग प्रभावित हो रहे हैं। वर्षा की कमी के कारण लोगों को पेयजल नहीं मिल रहा है। भूगर्भ शास्त्रियों ने अनन्तपुर का सर्वेक्षण भी किया है। उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही अनन्तपुर जिला मरूभूमि हो जाएगा और यदि सरकार गंभीरतापूर्वक रूचि न ले तो यह रेगिस्तान हो ही जाएगा।

अनन्तपुर जिला को रेगिस्तान होने से बचाने के लिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अनन्तपुर जिला सूखाग्रस्त क्षेत्र प्राधिकरण गठित करे जैसाकि उसने राजस्थान के जैसलमेर में किया था।

श्री बालगोपाल मिश्र (बोलनगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो अन्य वक्ताओं ने कही हैं।

मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कम-से-कम पिछले दो दशकों से पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में तूफान बराबर आ रहा है। इस तट पर वृक्षारोपण हुआ था जो पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि रामेश्वरम से हल्दिया तक समुद्रतट के साथ-साथ कम-से-कम एक किलो मीटर की हरित पट्टी बनाएं और इस हरित पट्टी को उतनी ही लम्बाई के बांध से मजबूत करें।

7.00 म० प०

जैसाकि आप जानते हैं कि तूफानी लहरों से सम्पूर्ण कृषि भूमि बर्बाद हो जाती है और किसानों

को उस भूमि में दस वर्षों तक फसल नहीं मिल पाती। भूमि का आरावन बढ़ जाता है और इससे उनका जीवन समस्या बन जाता है।

इसी प्रकार जब तूफान आता है तब विद्युत सप्लाई प्रणाली भी खराब हो जाती है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस तूफान प्रवण क्षेत्र में खम्भों पर केबल लगाने के बजाय यह बेहतर होगा कि उस पूरे क्षेत्र में भूमिगत केबल लगाये जायें और मैं समझता हूं कि यह इस समस्या का एक स्थायी समाधान होगा।

मैं प्रधानमन्त्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दो बार तूफान प्रवण क्षेत्रों का दौरा करके अपनी चिन्ता व्यक्त की है; परन्तु दुर्भाग्यवश प्रधानमन्त्री के दौरे के बाद तथा मुख्यमन्त्री द्वारा लोगों की व्यथा पर चिन्ता व्यक्त करने के बाद समाचार पत्रों में ऐसी खबरें छपी हैं कि शुरू किए जाने वाले राहत कार्यों के लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हम लोग आधा घण्टा और बैठ जाते हैं।

श्री बालगोपाल मिश्र : कुछ असामाजिक तत्व तथा गांव के प्रभावशाली लोग स्थिति का फायदा उठा रहे हैं जैसा कि ऐसे संकट के समय सामान्यत: होता है। अत: केन्द्र सरकार को इन सब बातों का परीक्षण करना चाहिए तथा राज्य सरकार से यह अनुरोध करना चाहिए कि वह इन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें ताकि जरूरतमन्द लोगों तक राहत पहुंच सके।

1982-83 में उड़ीसा में जबरदस्त बाढ़ आई थी तथा उसे राहत के रूप में 360 करोड़ रुपये दिये गये थे जिसमें से मुश्किल से 100 करोड़ रुपये उड़ीसा में खर्च किये गये थे तथा बाकी 260 करोड़ रुपये का निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा दुरुपयोग किया गया था।

अन्त में मैं सरकार को सूचित करना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश में आए इस तूफान के दौरान उड़ीसा राज्य का गंजम जिला बुरी तरह प्रभावित हुआ है तथा गंजम जिले के कलक्टर से मिली सूचना के अनुसार वहां इससे 50 करोड़ रुपये से भी अधिक की हानि हुई है। इसका समीपवर्ती कोरापुट जिला भी बाढ़ से प्रभावित हुआ है जिसमें कोरापुट जिले की संचार व्यवस्था पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई है। अत: मैं इस अवसर पर सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बाढ़ से हुई हानि का आकलन करने और उन लोगों को सहायता देने के लिए एक केन्द्रीय दल कोरापुट तथा गंजम को भेजे क्योंकि उड़ीसा का एक भाग 1987 तथा 1988 में सूखे का शिकार हो गया था तथा अब 1990 में यह तूफान से प्रभावित हुआ है। अत: वहां किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। वह भिखारियों से भी बदतर हालत में है। भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इन लोगों को सहायता प्रदान करनी चाहिए।

श्री बासवपुन्नय्या सिंगम (तेनाली) : मैं तेनाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कि तूफान से सीधे प्रभावित हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको पहले बोलना चाहिए था।

श्री बासवपुन्नय्या सिंगम : यह तूफान एदीवमण्डी से शुरू हुआ था जोकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। मैं सभा की जानकारी में यह लाना चाहता हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक स्थान दीवीसीमा में 1977 में 10 000 लोग मरे थे। यद्यपि मैं तूफान से प्रभावित होने वाला पहला व्यक्ति हूं परन्तु आज मैं उस पर बोलने वाला संभवत: आखिरी व्यक्ति हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप नई बातें उठायें तो आप जितना समय लेना चाहें ले सकते हैं।

श्री बामबपुन्नय्या सिवम : खैर, हमारे मित्रों ने अनेक उपायों का सुझाव दिया है। मैं उन सब बातों को यहां दोहराना नहीं चाहूंगा। जहां तक तूफान से हुई तबाही का संबंध है यह सबको पता है तथा सारे देश ने इस ओर ध्यान दिया है तथा प्रधानमन्त्री ने इसे ठीक ही राष्ट्रीय आपदा कहा है। मैं विपक्ष के माननीय नेता को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तथा लोगों की कठिनाइयों में सहभागिता दर्शायी। परन्तु मुझे और अधिक खुशी होती यदि अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते। परन्तु मुझे यह कहकर अफसोस होता है कि इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है तथा सामने की सारी सीटें खाली पड़ी हैं। केवल कांग्रेस की सीटों को छोड़कर जहां पर हमारे नेता श्री एन० जी० रंगा बैठे हैं। ऐसी स्थिति में हमारी भावनाएं क्या होंगी? मैं इस पर आपत्ति नहीं करता परन्तु यदि और अधिक सदस्य उपस्थित होते तो ज्यादा बेहतर होता। इस तरह की विपदा सम्पूर्ण पूर्वी तट के लिए एक लगातार होने वाला खतरा है।

इन परिस्थितियों में मैं सभी वैज्ञानिकों से अपील करता हूं कि इसे एक चुनौती के रूप में लें। (व्यवधान) मैंने पहले ही प्रधानमन्त्री तथा उन अन्य नेताओं को धन्यवाद दे दिया है जिन्होंने तूफान प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। मैं भारतीय वैज्ञानिकों से अपील करता हूं कि इसे एक चुनौती के रूप में लें और यह देखें कि समुद्री तटों को होने वाली तबाही को कम से कम करने के लिए जहां कहीं भी तूफान आता है वह कहीं और कृत्रिम दबाव बनाकर तूफान की दिशा में परिवर्तन कर दें। वह तूफान की गति को भी कम कर सकते हैं। ऐसा करना असंभव हो सकता है परन्तु अनुसंधान के बाद वैज्ञानिक इसका कोई रास्ता निकाल सकते हैं, कि तूफान की गति को कैसे कम किया जा सकता है।

इस प्रकार की विपदा में धनराशि का सामान्य आवंटन पर्याप्त नहीं है। इन परिस्थितियों में मैंने ठीक ही देखा है, कि तूफान से ग्रामीण क्षेत्र के तटीय क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली जैसे शहरों में अमीर लोग भी रहते हैं, आयकर देने वाले लोग भी हैं। अतः मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि तूफान के लिए अतिरिक्त प्रभार लगायें। यह इस धनराशि को आरक्षित निधि में रख सकते हैं। जब कभी भी तूफान आए तो वे तत्काल इस राशि से प्रभावित लोगों के बचाव के लिए आ सकते हैं इससे किसी पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तथा साथ ही सम्पूर्ण आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के सभी जिले तूफान से प्रभावित हुए हैं। आप यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि तूफान के बाद भारी वर्षा होती है। भारी वर्षा के कारण सभी क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ से और अधिक हानि हो रही है, विशेषकर कृष्णा तथा गोदावरी मण्डल के डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ से अधिक नुकसान हुआ है जो कि हराभरा क्षेत्र है। यह क्षेत्र पिछले 100 साल से उपजाऊ क्षेत्र है। परन्तु सरकार ने इस क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था को ठीक नहीं किया। अतः केन्द्र सरकार को इस ओर विशेष रूचि लेनी चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि जल निकासी व्यवस्था की मरम्मत की जाये तथा उसको फिर से पहले जैसी सुरक्षित स्थिति में लाया जाये।

अनेक मित्र इस संबंध में किए जाने वाले उपायों के बारे में बोले हैं। मैं सरकार को यह सुझाव देता हूं कि आवास समिति को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। समिति को उड़ीसा, मद्रास तथा बंगलौर का, जहां इस आपदा की पुनरावृत्ति होती रहती है, अध्ययन करके सरकार को सुझाव दे सकती है कि सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा सकते हैं। विशेषकर आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय क्षेत्र में यह सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा।

भारत सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव विचाराधीन है कि बेहरामपुर से टोडा तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाए। यह मोटर चलाने योग्य सड़क है। जब भी कोई विपदा होती है तो यातायात के साधन न होने के कारण लोगों तक पहुंचना मुश्किल होता है। यदि यह सड़क बन जाती है तो जब भी कोई संकट होगा, लोगों तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। यह प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है तथा भारत सरकार को इस प्रस्ताव की स्वीकृति देने और यह सड़क बनाने के लिए अविलम्ब कार्यवाही करनी है।

भारत सरकार को कुछ स्थानों पर स्थायी हैलीपैड भी बनाने चाहिए। हमारा अनुभव है कि समुद्रतट पर हैलीपैड नहीं था। इसी कारण हैलीकाप्टर दूर-दराज तक जाकर जाने के पैकेट नहीं गिरा सकता था। अत: मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि तटीय क्षेत्र मे एक स्थायी हैलीपैड बनाया जाये। ताकि संकट के समय में लोगों की सहायता करना आसान हो जाये।

मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि सरकार उन किसानों को जो तूफान से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, तुरन्त राहत की घोषणा करें। उनको अगले महीने जून से अपनी खेती फिर से शुरू करनी है। बजाय इस बात का पता लगाने का इन्तजार करके कि उन्होंने जानबूझ कर ऋण की अदायगी की है या नहीं, पिछले ऋणों को बट्टे खाते डाल देना चाहिए तथा नये ऋण फिर से स्वीकृत किए जाने चाहिए। सरकार को किसानों की मदद करने के लिए सामने आना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : आयकर पर अतिरिक्त प्रभार आपका नया मुद्दा था।

श्री पी० नरसा रेड्डी (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जिनका जिक्र माननीय सदस्यों द्वारा किया गया है परन्तु दो या तीन बातों पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक बात यह है कि प्रत्येक परिवार को दिए जाने वाले 25000 के ऋण को कम करके 15000 कर दिया गया है। चूंकि माननीय प्रधानमन्त्री ने दो करोड़ रुपये दिए हैं वह इन 15,000 रुपये में 10,000 और जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि यह 25,000 रुपये है।

मैं सादर यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को इस बात मे कोई भेदभाव नही करना चाहिए कि एक व्यक्ति की मृत्यु दिल्ली में हुई है, तथा एक व्यक्ति की मृत्यु पंजाब मे हुई है। वह सभी लोग जो कि तूफान से प्रभावित हुए है उन्हें फसल से हाथ धोना पड़ा है, अपने घरों को खोना पड़ा है तथा सब कुछ खो दिया है। ये सभी लोग राहत शिविरों मे है तथा इनकी संख्या लगभग 6 लाख है। अत: ऐसा नहीं है कि हम लाखों की मांग कर रहे हैं, यदि सरकार अन्य लोगों की बराबरी पर उचित सहायता प्रदान करती है, तो मैं समझूंगा कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार न्याय कर रही है। यह एक बात है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि प्रधानमन्त्री ने 18 मई को कहा था, कि यह एक राष्ट्रीय विपदा है और इसे इसी प्रकार समझना चाहिए। मैं नातवें वित्त आयोग की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमे कहा गया है।

> "जहां विपदा कभी-कभी होती है, केन्द्र सरकार को संबंधित राज्य को सहायता प्रदान करनी चाहिए चाहे वह आयोग द्वारा सुझायी गयी योजनाओं से अधिक ही क्यों न हो।"

[श्री पी० नरसा रेड्डी]

पहले मार्जिन राशि तथा अग्रिम ऋण केवल 5 प्रतिशत ही दिया जाता था तथा कुल 240 करोड़ रु० की राशि वार्षिक रूप में स्वीकृत की जाती थी। नौवें वित्त आयोग ने कहा है कि इसके अलावा केवल 86 करोड़ रुपये दिए जाने चाहिए। यह आंकड़े पिछले दस वर्षों से तय किए गए हैं जो कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए जाने चाहिए। यह निर्णय लेने का विचित्र तरीका है, क्योंकि वर्ष 1979, 1980 तथा 1988 तक सभी विपदाओं के लिए जैसे—बाढ़, सूखा आदि के लिए सहायता केन्द्र सरकार देती है। इन वर्षों में 1989-90 तक 6140 करोड़ रुपये के स्थान पर केन्द्र सरकार ने केवल 900 करोड़ रु० दिए हैं। अत: इस संदर्भ में बाढ़ के लिए पिछले दस वर्षों में औसतन 86 करोड़ देने का निर्णय लिया गया है चाहे विपदाओं के लिए राज्य सरकार की मांगों पर विचार किया गया हो या नहीं। इन दस वर्षों में विभिन्न वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर सहायता दी जाती थी परन्तु यह अजीब बात है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार नहीं है। न ही यह सातवें वित्त आयोग द्वारा की गई मांग के अनुरूप है।

एक माननीय सदस्य : यह सिफारिश कांग्रेस सदस्य द्वारा दी गई थी।

श्री पी० नरसा रेड्डी : जी हां सातवें वित्त आयोग की सिफारिश कांग्रेस सदस्य द्वारा की गई है आप इसके बारे में उत्सुक न हों।

अत: मैं निवेदन करता हूं कि सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जाये।

दूसरी जिस बात की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि रेलवे तथा सड़क मार्ग को बुरी तरह क्षति पहुंची है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत करने में 98.33 करोड़ रु० खर्च आएगा तथा केन्द्र सरकार को धन प्रदान करना होगा तथा मरम्मत कार्य भी करना होगा। यही स्थिति रेलवे की है। यह अनुमान लगाया जाता है कि रोजाना रेलवे को 40 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है क्योंकि लौह अयस्क विशाखापतनम बन्दरगाह पर नहीं लाया जा रहा है क्योंकि 30 से 40 किलोमीटर का तट बन्ध टूट गया है तथ चार अन्य पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। अत: पूर्वी रेलवे गाड़ियां चलाने में समर्थ नहीं है और दक्षिण की ओर विजयवाड़ा से वाल्टेयर तक रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। जब तक इन रेल लाइनें तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत नहीं की जाती है तथा इन्हें पुन: चालू नहीं किया जाना है जिसके लिए धन की आवश्यकता है तथा केन्द्र सरकार द्वारा धन दिया जाना है उस समय तक सड़क तथा रेल दोनों प्रकार के यातायात को पुन: चालू करना मुश्किल होगा। चावल की सप्लाई का काम भी प्रभावित हुआ है। केन्द्र सरकार को राज्य सरकार को धन तथा सहायता देनी चाहिए ताकि तेजी से यातायात को फिर से चालू किया जाये।

मेरी चौथी बात वह है जो श्री मुरली देवरा ने पहले कही है। 1977 में जब तूफान आया था तब मैं राजस्व मन्त्री था। मैं महाराष्ट्र गया था तथा मुख्यमन्त्री से मिला था तथा अनेक उद्योगपतियों से मिला था। वह केवल धारा 80जी तथा आयकर अधिनियम से संबंधित धाराओं में छूट चाहते थे। बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाओं ने कपड़े बर्तन आदि दिए थे तथा गुजरात और महाराष्ट्र में मकान बनाने के लिए जिंक शीट भी दी थी। पिछले तूफान में उन्होंने करोड़ों रुपये का सामान दिया था। अत: दान की गई वस्तुओं को रेल अथवा हवाई जहाज द्वारा नि:शुल्क भिजवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आयकर में छूट से भी धन इकट्ठा होगा जोकि प्रभावित लोगों की मदद करने में लाभप्रद सिद्ध होगा।

मन्त्री महोदय ने बताया है कि उन्होंने 15,000 टन की फास्फेट उर्वरक भिजवाने की व्यवस्था की है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। परन्तु मन्त्री महोदय ने अपने नोट में हानि से प्रभावित भूमि का जिक्र नहीं किया था। 70,000 हेक्टेयर भूमि खारी हो गई है। राहत आयुक्त ने कहा है कि खारेपन को दूर करने के लिए फास्फेट उर्वरक के अलावा जिप्सम भी दिया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को जिप्सम अधिक संख्या में दिया जाना चाहिए।

अन्य बात जो मन्त्री महोदय ने नहीं बतायी है वह यह है कि 55,000 हेक्टेयर बगीचे की भूमि को नुकसान पहुंचा है। इनमें 33,000 हेक्टेयर आम के बाग हैं, 9,000 हेक्टेयर केले के बाग हैं, तथा 6,000 हेक्टेयर नीबू के बाग हैं, जो कि बिना बीमा की हुई फसलें हैं। आमतौर पर भूस्वामी गरीब लोगों को जमीनें पट्टे पर दे देते हैं। इन गरीब लोगों को नुकसान हुआ है। यदि सामान्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्रावधान है तो हम इन गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं।

सिंचाई नहरों को 42 करोड़ रुपये मूल्य का नुकसान हुआ था। इस लागत का एक तिहाई हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए और दो-तिहाई राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को एक-तिहाई लागत वहन करने के लिए आगे आना चाहिए।

अन्त में, वहां बिजली की भारी कमी है। हमारे यहां दो ताप बिजलीघर हैं। कोट्टागुडम ताप बिजलीघर के लिए कोयले का आबंटन 2.8 लाख मी० टन है और विजयवाड़ा स्थित ताप बिजलीघर के लिए कोयले का आबंटन 2.70 लाख मी० टन है। यह केन्द्र सरकार द्वारा की जाने वाली आबंटित सप्लाई है। कोट्टागुडम ताप बिजलीघर की पूर्ण उत्पादन के लिए 3.6 लाख मी० टन कोयले की आवश्यकता है और विजयवाड़ा ताप बिजलीघर के लिए 4.0 लाख मी० टन कोयले की आवश्यकता है। अतएव, लगभग 2.2 लाख मी० टन कोयले की कमी है। इसलिए उड़ीसा की सिंगरेनी अथवा तलचर कोयला खानों से कोयले की सप्लाई करने के लिए विशेष प्रबन्ध किए जाने चाहिए। मेरे माननीय मित्र श्री चौधरी ने केन्द्र सरकार से इसकी व्यवस्था करने के लिए कहा था। केन्द्र सरकार को तुरन्त कोयले की सप्लाई करनी चाहिए ताकि इस चक्रवात के कारण पैदा हुई बिजली की कमी की कुछ हद तक क्षतिपूर्ति की जा सके।

डा० विश्वनाथम (श्रीकाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल कुछ मिनट ही लूंगा।

बाढ़ तथा चक्रवात साथ-साथ आते हैं। इस मामले में रोकथाम करना बेहतर है। जब तक आपके पास कोई ऐसा उपाय नहीं होगा जो विशेष रूप से चक्रवात ग्रस्त क्षेत्र में सभी नदियों को जोड़ता हो तब तक भगवान भी इसमें मदद नहीं कर सकता है। मान लीजिए किसी एक क्षेत्र को चक्रवात प्रभावित करता है तो दूसरा क्षेत्र भी नदियों में बाढ़ के पानी को ले जाकर तबाही को कम किया जा सकता है। इस बारे में हमारे वैज्ञानिकों ने काफी पहले हमें अपने विचार बताए थे। परन्तु अब तक कुछ नहीं किया गया है। मैं आशा करता हूं कि वर्तमान सरकार मामले की जांच करेगी और तुरन्त कार्यवाही करेगी। वर्तमान सरकार ने हमें यह समझ दी है कि वे ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देंगे। कुल राजस्व का लगभग 50 प्रतिशत ग्रामीण विकास के लिए आबंटित किया जा रहा है। अब आंध्र प्रदेश क्षेत्र का विकास करने के लिए उनके पास अवसर है। कृषि तथा रोजगार, ग्रामीण विकास और ग्रामों में गिरे हुए घरों का पुनर्निर्माण, इन सबको नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। नदी तटों अथवा समुद्र तट पर छोटे-छोटे कोंडे बसाने की बजाए आप केन्द्र में स्थित स्थानों पर काफी संख्या में घरों का निर्माण करा सकते हैं। वे 500 अथवा उससे ज्यादा घरों वाली सक्षम कालोनियां हो सकती हैं

[डा० विश्वनाथम]

जहां प्रत्येक चीज विशेष रूप से सड़कें तथा अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती हैं। वहां आप स्तम्भों पर तीन स्तरीय घरों का निर्माण कर सकते हैं जो बाढ़ तथा ज्वार भाटे की लहरों— दोनों का सामना कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दो अथवा तीन स्तरीय प्रणाली मोजूद है। तूफान के मामले में लोगों को दूर बसे गांवों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि वे सामान्य रूप से केवल एक स्तर से दूसरे स्तर तक ही जा सकते हैं और अपनी जानें बचा सकते हैं। यदि ये उपाय युद्ध-स्तर पर तथा नये तरीकों से किए जाते हैं तो मेरे विचार से बार-बार खर्च किए जा रहे अनुत्पादी व्यय को कम किया जा सकता है।

इसके अलावा किसान विशेष रूप से छोटे तथा सीमान्त किसान प्रभावित होते है। 10,000 रुपये का ऋण केवल कुछ लोग ही ले लेते हैं। परन्तु अन्य लोग जो उसी स्थिति में होते हैं, को निधियों की कमी के कारण ऋण नहीं दिया जाता है। अब सरकार को इस मामले पर नए सिरे से विचार करना चाहिए और जो किसान ऋण लेने के पात्र हैं उन्हें अपना निजी ऋण उतारने के लिए 10,000 रुपये की धनराशि की अतिरिक्त ऋण राहत दी जानी चाहिए और उन्हें इस संकट से उबारना चाहिए इसलिए आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे इस ऋण राहत देने की प्रणाली की उन लोगों को साथ लेकर समीक्षा करें जिनके ऋण समाप्त हो गये हैं, अन्य लोगों जिन्होंने ऋण नहीं लिए हैं को भी 10,000 रुपये के ऋण दिए जाने चाहिए और उनके साथ भी लाभार्थियों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

श्री एम० बेंजामिन (बापतला) : समय पर सहायता देने के लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हू। जिस ढंग से क्षति हुई थी उसे चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

प्रथम, काफी हद तक बाष्प नौकाएं बह गई थीं और एक चुनाव क्षेत्र में झींगा मछली के बीज पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए थे। दूसरे चुनाव क्षेत्र में आम के बागों, धान और चावल की भी मिलों में काफी हद तक पानी घुस गया था। तीसरे चुनाव क्षेत्र में लाखों किलोग्राम मोर्टा किस्म का तम्बाकू पूर्णतया पानी में डूब गया था। इन तीन वस्तुओं के लिए इसके सिवाए कोई चारा नहीं है कि केन्द्र सरकार एक सर्वेक्षण करे और आवश्यक कार्यवाही करे। चौथे चुनाव क्षेत्र में उद्योगों में भी पानी घुस गया था और कई शैक्षिक संस्थानों, जो 16 तारीख से खुलने थे, में भी पानी घुस आया था। इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी सहायता के लिए आगे आना चाहिए। मैं नहीं जानता कि उन्होंने अब तक किस हद तक कार्यवाही की है। सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मेरा अनुरोध है कि वे इन क्षेत्रों की मदद करने के लिए पर्याप्त उपाय के साथ आगे आयें।

सरकार एक बात के लिए आगे आई है और वह है काम का अधिकार। इस समयोचित तरीके से वहां परियोजनाएं चालू की गई जिनमें कामगारों के लिए पर्याप्त काम मौजूद हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे काम देने के लिए आगे आयें।

[हिन्दी]

श्री दलाई चौधरी (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हुई और हमारे देश के लोगों की साईक्लोन से क्षति हुई उसके बारे में हम सब लोग दुःखी हैं। इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले रिलीफ कोड में परिवर्तन करने की जरूरत है। रिलीफ कोड बहुत

पुराना बना हुआ है, उसके बाद इसमें संशोधन नहीं किया गया। आज हमारे देश के जो किसान गांवों में रहते हैं, जिसे हम देश की रीढ़ कहते हैं, उनको बहुत नुकसान होता है। जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो हम उन्हें सहायता नहीं प्रदान कर सकते। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन करें और ज्यादा से ज्यादा सहायता प्रदान करने का प्रावधान करें।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो सर्वेक्षण होते हैं, जो वास्तव में प्रभावित लोग हैं, जो आपदाओं से प्रभावित होते हैं, उन लोगों को लोन नहीं दिया जाता है, सहायता नहीं दी जाती है और जो लोग उन आपदाओं से प्रभावित नहीं होते हैं उनको सहायता मिल जाती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार को एक टीम भेजनी चाहिए जो वहां रह कर 10-15 दिनों तक सर्वेक्षण करे और अपनी रिपोर्ट दे।

तीसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार ने आपदाओं के समय लोन देने के लिए और अनुदान देने के लिए पैसा दिया है वह उपयुक्त नहीं है। वह और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वहां के लोगों को जल्दी से जल्दी सहायता मिल सके और उनके दुःख-दर्द में हम लोग शामिल हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि फसल बीमा के नाम पर इस देश के किसानों का पैसा काटा गया है। जो लोन दिया जाता है उसमें से फसल बीमा के नाम पर किसान का पैसा काट लिया जाता है। लेकिन जब उसकी फसल की बरबादी होती है तो सरकार नकार देती है और कहती है कि फसल बीमा का पैसा हमने नहीं लिया। हो सकता है को-आपरेटिव बैंक के कारण किसान का पैसा बैंक में जमा न होता हो। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से फसल बीमा को लागू करें और जहां साईक्लोन से प्रभावित लोग हैं उनकी फसल का मुआवजा आपको देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, लगभग सब प्वाइंट्स कवर हो चुके हैं केवल एक प्वाइंट के बारे में किसी ने नहीं कहा। फ्लड, ड्राउट और साईक्लोन, ये रेगुलर फिनामिना हो चुका है। जो रिलीफ मैनुअल है, वह बहुत पुराना है। तत्काल रिलीफ के लिए जो भी साधन हमारे इलाके में मिलते हैं वे कम हैं। मैं मन्त्री जी से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वो तत्काल रिलीफ के लिए रिलीफ मैनुअल पर संशोधन लायें ताकि बाढ़, सूखा और साईक्लोन से पीड़ित लोगों को पूरी-पूरी सहायता मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री जी, आपका भाषण होने तक सदन का समय बढ़ाया जा सकता है।

[अनुवाद]

एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि चर्चा काफी अच्छी रही है। काफी अच्छे मुद्दे उठाए गए हैं। मेरे विचार में जो सुझाव दिए गए हैं आप कृपया उनकी जांच करें और उचित कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल 15 मिनट में मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। सबसे पहले जिन माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया है, सरकार की तरफ से मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।

[श्री नीतीश कुमार]

सबसे अच्छी बात इस वाद-विवाद की यह रही कि दलीय भावना से ऊपर उठकर मानवीय धरातल पर हम लोगों ने राष्ट्रीय मुसीबत की घड़ी में चर्चा की और रचनात्मक सुझाव दिए। जब मैंने सरकार की तरफ से वक्तव्य दिया था, इस माननीय सदन में, तो जो नुकसान हुआ है साईक्लोन से, जो क्षति हुई है, उसका मैंने विस्तृत ब्यौरा दे दिया था। आज भी जिन माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया है, उस पक्ष की कोई चर्चा नहीं हुई कि सरकार ने क्षति के विवरण को छिपाया है। जो भी क्षति का विवरण केन्द्र सरकार को प्राप्त हुआ, उसकी जानकारी सदन को दी गई। इस विपत्ति की घड़ी में मदद पहुंचाने का जहां तक सवाल है, केन्द्र सरकार ने बहुत बढ़-चढ़ कर इसमें मदद पहुंचाने का काम किया है। हमारे माननीय प्रधानमन्त्री दो बार गए। एक तो 12 मई को और फिर 19 मई को गए। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया और सड़क मार्ग से जाकर भी पीड़ितों से मुलाकात की, उनके दु:ख और तकलीफ को समझा, उनको जाकर देखा।

कुछ बातें माननीय सदस्यों ने उठाई हैं, उन बातों पर मैं आना चाहता हूं। प्रधानमन्त्री जी जब वहां गए तो वहां से लौटकर आने के बाद उन्होंने कई निर्देश जारी किए। उन निर्देशों का पालन हो रहा है। माननीय सदस्यों ने उन निर्देशों के बाहर कोई चर्चा उठाई है। अधिकांश राहत के संबंध में कहा गया है। मैं परमानेंट सोल्यूशन के बारे में नहीं कह रहा हूं बल्कि राहत के संबंध में प्रधानमन्त्री जी ने जो निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों के बाहर जाकर किसी माननीय सदस्य ने अलग से सुझाव नहीं दिया। जहां तक सवाल है कि इसको राष्ट्रीय विपत्ति घोषित किया जाए। यही मांग आंध्र प्रदेश में भी की गई और यहां वक्तव्य के दिन भी कहा गया और आज भी कहा गया कि उस पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है। माननीय प्रधानमन्त्री को वहां के लोगों ने और वहां की सरकार ने कहा कि इसको राष्ट्रीय विपदा मान लिया जाए या नेशनल कैलेमिटी मान लिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि नौवें वित्त आयोग ने सुझाव दिया और कुछ सिफारिश की है और उन्हीं के सुझाव के आधार पर 25 प्रांतों के लिए एक कैलेमिटी रिलीफ फंड बनाया गया हर राज्य के लिए अलग-अलग। इसमें 75 प्रतिशत केन्द्र का योगदान और 25 प्रतिशत राज्य का योगदान है। पहले जब आपदा होती थी तो केन्द्र की ओर दौड़ा जाता था इसीलिए राज्यों के लिए कैलेमिटी रिलीफ फंड का निर्माण किया गया। नौवें वित्त आयोग के अनुसार आंध्र प्रदेश में इस साल के लिए 86 करोड़ रुपये का फंड रखा गया। पूरे देश में आठ सौ चार करोड़ रुपये 25 राज्यों के लिए फंड है। यह राज्यों के लिए कैलेमिटी रिलीफ फंड बनाए गए हैं। प्रधानमन्त्री जी जब पहली बार वहां गए तो उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के लिए कैलेमिटी रिलीफ फंड में 86 करोड़ रुपये रखे गए हैं वर्ष 1990-91 के लिए केन्द्र सरकार को 64 करोड़ 50 लाख रुपये चार त्रैमासिक किस्तों में देता है किन्तु तूफान के प्रभाव को देखते हुए 64 करोड़ 50 लाख रुपये की आधी राशि 32 करोड़ 50 लाख रिलीज करा दी। इसके खर्च होने के बाद दूसरा हिस्सा केन्द्र की ओर से मिलेगा। पूर्ण रूप से यह धरातल पर नहीं आया है तो सामान्य स्थिति में मांगने पर वेज एण्ड मिन्स एडवांस ही मिलता। मैं बिहार के बारे में कहना चाहता हूं। वहां जो ओलावृष्टि हुई और प्रधानमन्त्री जी वहां गए तो आश्वासन दिया कि आवश्यक राहत देंगे। बिहार प्रांत के दौरे पर एक केन्द्रीय दल गया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार को 54 लाख रुपये वेज एण्ड मीन्स एडवांस के रूप में रिलीज किए गए। इस धनराशि को खर्च करने के बाद यदि बिहार सरकार और सहायता मांगेगी तो कैलेमिटी रिलीफ फंड से केन्द्रीय सरकार के अंशदान की अतिरिक्त राशि रिलीज कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : उपाध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से यह कहा था कि वे उन बातों की पुनरावृत्ति न करें जो अन्य सदस्यों ने कही हैं। आप उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं जो आपने अपने वक्तव्य में कही हैं। हम अब कुछ और बताना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उसी बात पर मैं आ रहा हूं कि किस प्रकार से गंभीरता से लिया है और केन्द्र सरकार ने इसको रिलीज किया। अब सवाल उठता है कि नौवें वित्त आयोग ने कहा है कि बड़े पैमाने पर मफरीग हो तो सरकार विचार कर सकती है और उसको करना चाहिए। प्रधानमन्त्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने 24 मई को एक बैठक बुलाई जिसमें कन्सर्न्ड डिपार्टमेंट्स के लोगों से राय ली गई। उनसे विचार-विमर्श किया गया और राज्य सरकार से राय ली जा रही है कि आंध्र प्रदेश को जरूरत है। जो आज आंध्र प्रदेश में किया जाएगा तो नौवें वित्त आयोग की अनुशंसा के मुताबिक यह परम्परा अन्य राज्यों के लिए भी होगी। इसलिए राष्ट्रीय कैलेमिटी घोषित करने के पहले क्या-क्या परिस्थितियां हो सकती हैं इसके बारे में विचार किया जा रहा है। यह कोई टालने की बात नहीं है, बल्कि व्यावहारिक रूप से ऐसा करना आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार से विस्तृत मेमोरेंडम मांगा गया है। मैं बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार या वहां के लोगों ने या सदन में माननीय सदस्यों ने भी मांग की है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार से इस बाबत मेमोरेंडम प्राप्त नहीं हुआ है। मेमोरेंडम भी इसके लिए जरूरी है। इसके माध्यम से ही केन्द्र काम करेगा। रंगा साहब इसमें चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। अभी किसी प्रकार की घोषणा करने से कोई लाभ नहीं है उसके लिए गंभीरतापूर्वक पहल हो रही है। इसलिए चिन्ता की बात नहीं है। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि घरों का जो नुकसान हुआ है, आग लगने की स्थिति में हरको इंश्योरेंस के अन्तर्गत सरकार ने प्रावधान कर रखा है, लेकिन फ्लड या साइक्लोन में वह नहीं है। इसलिए इसके फलस्वरूप उससे तत्काल लाभ मिलना सम्भव नहीं है, लेकिन विचार-विमर्श चल रहा है कि ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है। जो वित्तीय संस्थान हैं जैसे हुडको है, व्यापारिक बैंक या हाउसिंग बैंक है उनको कहा गया है कि क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए और नये पक्के मकानों को बनाने के लिए उदार शर्तों पर ऋण दीजिये और उसके लिए योजनायें तैयार कीजिए। इस बात के लिए राज्य सरकार से विचार करने के लिए हुडको के चेयरमैन कल हैदराबाद गये हैं। इस बात की हिदायत दी गई है कि कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान बनाए जायें, उनके लिए वित्तीय संस्थान मदद करें।

बीज का प्रबन्ध करने के लिए भी इन्तजाम किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय बीज निगम या अन्य दूसरी ऐसी एजेंसीज जो प्रमाणिक बीज देती हैं उनको कहा गया है कि कितना बीज उपलब्ध है और किस प्रकार के बीज की वहां जरूरत है वह उनको दिया जाये। अभी कहा गया कि सरकार की तरफ से यहां बागवानी या कंटीजेंसी प्लान के लिए मदद की जाये। केन्द्र सरकार बागवानी और कंटीजेंसी प्लान तैयार करने के लिए तैयार है। वह इसके तहत उनको मदद देना चाहती है। राज्य सरकार से कहा गया है कि वह आकस्मिक योजनायें तैयार करे और केन्द्र सरकार इनको कार्यरूप देने की हर सम्भव कोशिश करेगी, यह उनको कम्युनिकेट किया जा चुका है।

जो प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है उसकी चर्चा भी माननीय सदस्यों ने यहां की है, उन्होंने कहा कि जो धान और चावल खराब हो गया है उसमें कुछ छूट देकर उसकी खरीद की जाये। इसके लिए

[श्री नीतीश कुमार]

80 सेंटर्स खोले गए हैं और उनकी खरीद की जा रही है। इस सदन में आने के पहले मुझे जो अप-टू-डेट सूचना प्राप्त हुई है वह यह है कि 4611 मीट्रिक टन धान और 7894 मीट्रिक टन चावल की अब तक खरीद हो चुकी है। राव साहब कहेंगे कि यह कम है, हम स्वयं मानते हैं कि यह कम है। हमारे विभाग के अधिकारी इस पर बराबर मानिटरिंग कर रहे हैं और लगातार उनसे सम्पर्क करके तुरत-फुरत स्थिति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जो रिलेक्सेशन दी गई है उसके आधार पर तेजी से खरीद करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में सरकार बिलकुल सचेत है।

कई लोगों ने सवाल उठाया कि सड़क का नुकसान हुआ, रेल पटरियों का नुकसान हुआ। उसकी बाबत मैं यह बताना मुनासिब समझता हूं कि सामलकोट और विशाखापट्टनम के बीच रेलवे पटरी के टूट जाने से जो यातायात अवरुद्ध हो गया था, आप जानते है कि डाउन लाइन ठीक कर दी गई है और अप लाइन पांच जून तक ठीक कर दिये जाने का लक्ष्य है। गोल्लप्रोलु से रविताम्पट्टु सेक्शन में जो रुकावट आई है उसके 15 जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है। कई सदस्यों ने सवाल उठाया, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वहां बिजली का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जो थर्मल प्लांट हैं बिजली को नुकसान हुआ है, कोयले की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है उसको दूर करने के लिए वेस्टर्न कोल फील्ड से प्रतिदिन दो से तीन रेक मिलता था अब पांच या छ: रेक कोयला पहुंचाया जा रहा है और सिंगरेनी कोलियरी लि० से की जाने वाली कोयले की आपूर्ति 18 मई को 25,727 मीट्रिक टन थी जो 21 मई को बढ़कर 42,042 मीट्रिक टन हो गई और यह पेस बराबर बरकरार रखने का प्रयास किया जा रहा है और अधिक से अधिक कोशिश की जा रही है कि वहां पावर जेनरेशन पर असर नहीं पड़े या कम से कम असर पड़े। टेलीफोन आदि के लिए जो निर्देश प्रधानमन्त्री जी की तरफ से दी गई है, उससे टेलीफोन पुन: ठीक कर दिए गए हैं और लगभग 93 प्रतिशत बहाल कर दिया गया है। राजमार्गों को जो नुकसान हुआ था, उसमें नेशनल हाईवे-5 पर यातायात पूर्ण रूप से चालू कर दिया गया है और नेशनल हाईवे-43 जो आंशिक रूप से प्रभावित था, उसके रिहैबिलिटेशन का काम तेजी पर है और रेस्टोर करने के लिए 50 लाख रुपये की धनराशि रिलीज की जा चुकी है।

कई माननीय सदस्यों ने बैंकों के ऋण के संबंध में चिन्ता जाहिर की है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमन्त्री ने निर्देश दिया है और उसी निर्देश के आलोक में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं:

(1) इसको सस्पेंड किया जाये;

(2) जो लोन है, इसका कन्वर्जन हो जाये; और

(3) इसकी रिशेडलिंग हो।

इसके मुताबिक बैंकों के द्वारा काम किए जायेंगे और इन योजनाओं की समीक्षा करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर जो बैंकिंग सलाहकार समितियां हैं, उनकी नियमित रूप से बैठक होगी। जो लीड बैंक हुआ करेंगे, उनके मार्गदर्शन में यह काम होगा। इस मामले में प्रधानमन्त्री ने जो निर्देश दिये हैं, उनका कड़ाई के साथ पालन किया जाएगा। एक माननीय सदस्य ने ड्रिंकिंग वाटर के बारे में कहा तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि इसमें कई तरह से सुधार लाने की कोशिश की जा रही है और जो सूचना उपलब्ध है, उसके अनुसार 739 जलापूर्ति प्रणालियों क्षतिग्रस्त हुई हैं जिसमें 87 पाईप द्वारा

जलापूर्ति योजनायें शामिल हैं। जलापूर्ति को पुन: चालू करने के लिए राज्य सरकारों ने एक करोड़ 50 लाख रुपया रिलीज किया है। प्रभावित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए 34 टैंकरों को लगाया गया है। इसके अतिरिक्त पानी की आपूर्ति के लिए बैलगाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पानी पहुंच जाये। जलापूर्ति प्रणालियों में हुए नुकसान तथा राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सहायता का अनुमान लगाने के लिए अपर सचिव, आंध्र प्रदेश राज्य के दौरे पर गए हैं, उनको आज वापस लौट आना है और अब यहां चर्चा चल रही है, उसके बाद आगे क्या कार्रवाई करनी है, सरकार इसके बारे में सजग है। कुछ माननीय सदस्यों ने उड़ीसा के गंजम जिला के बारे मे चर्चा की है। हम माननीय सदस्यों के कन्सर्न को शेयर करते हैं सरकार की तरफ से। लेकिन अभी तक उड़ीसा सरकार की तरफ से कोई भी डिमांड हम लोगों के पास नहीं आई है और न ही उनकी तरफ से डैमेज की कोई रिपोर्ट आई है। हालांकि हम इस सदन को बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश के लिए कलैमेटिज रिलीफ फंड 85 करोड़ रुपया का है और उसी प्रकार से उड़ीसा के लिए 47 करोड़ रुपए का कलैमिटीज रिलीफ फंड बना दिया गया है। यदि उड़ीसा सरकार चाहे तो रिलीफ फंड का इस्तेमाल कर सकती है और यदि वह सेन्ट्रल को एप्रोच करेगी तो सेन्ट्रल भी अपने हिस्से की राशि उड़ीसा के लिए रिलीज करने पर विचार कर सकती है। लेकिन वहां से कोई सूचना इस प्रकार की नहीं आई है। जो सूचना प्राप्त हुई है, वह पांडीचेरी के बारे में मिली है कि वहां के बागबानी क्षेत्र का नुकसान हुआ है जिसमें केला प्रमुख है और सौ से ज्यादा हेक्टेयर जमीन पर असर हुआ है और कुछ पशुओं के नुकसान के बारे में है। दो आदमियों की मृत्यु की सूचना है। तामिलनाडु से जो सूचना आई थी, वहां 7 आदमी के मरने की सूचना है, बाद में यह संख्या 13 हो गई है लेकिन विस्तृत बरबादी का ब्यौरा केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर केन्द्रीय सरकार अपने स्तर से कोई कार्रवाई कर सके।

कई माननीय सदस्यों ने पाल्टरी के बारे में यह बात कही है कि उसमें क्या होगा? इसमें यह बताना चाहूंगा कि 10/- प्रति बर्ड के हिसाब से दिया जाता था। बीमा एजेंसी को सख्त हिदायत दी है कि जो पाल्टरी क्षेत्र का नुकसान हुआ है और जो इन्श्योर्ड थे, उनके पास पहुंचकर उनको मदद दें और तेजी से मदद पहुंचे।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : लेकिन यह शीघ्र किया जाना चाहिए अन्यथा वहां महामारी आ जाएगी।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी तक केन्द्रीय सरकार के पास आंध्र प्रदेश की सरकार की तरफ से इस सेक्टर में असिस्टेंस के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हमारे पास अभी तक आंध्र प्रदेश की तरफ से कोई रिक्वैस्ट प्राप्त नहीं हुई है, न कोई अनुरोध इस तरह का प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले में मदद करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट आफ एग्रीकल्चर एण्ड को-आपरेशन में एक कन्टीजेंसी एक्शन प्लान अपने स्तर से तैयार करके रखा है ताकि जैसे ही राज्य सरकार की ओर से सहायता की कोई मांग आवे तो तुरन्त उसे सहायता दी जा सके।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : महोदय, वे अपने बयान का ही खण्डन कर रहे हैं। उन्होंने वक्तव्य में स्वयं कहा है कि 32 लाख पक्षी मरे हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : राव साहब, आपकी बात डैमेज के संबंध है, जो आप कह रहे हैं। उस तरफ भी सरकार का ध्यान जा रहा है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने पहले से एक कन्टीन्जेंसी एक्शन प्लान तैयार करके रखा है और हम हर प्वाइंट को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, पर्टिकूलरली पाउल्ट्री के क्षेत्र में राज्य सरकार हमसे अलग से कुछ कह सकती थी, परन्तु अभी तक हमें कोई ऐसी रिक्वेस्ट प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक नुकसान का ताल्लुक है, मैंने उस दिन भी बताया था कि एक-एक क्षेत्र में हमने विस्तार से जाकर देखा है, असैस किया है, मकानों का, सड़कों का, रेल का और दूसरी चीजों का, जो भी नुकसान का ब्यौरा हमारे पास उपलब्ध है, सदन का समय बचाने के लिए मैं यहां उसे दोहराना नहीं चाहता क्योंकि सभी इस मामले में एकमत हैं, परन्तु मैं सदन से इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि इस भयानक आपदा मे जिस प्रकार सदन में सभी लोगों ने बहस का स्तर ऊंचा बनाये रखा, सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने सदन में बहस का स्तर ऊंचा बनाये रखने में सहयोग दिया, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और यहां केन्द्रीय सरकार का ही प्रश्न नहीं है, राज्य सरकार, और जितने स्वयंसेवी संगठन, संस्थाए वहां पर कार्यरत हैं, उन तमाम लोगों की मदद से इस विपत्ति का मुकाबला किया जा रहा है। माननीय सदस्यों ने यहां बहस में भाग लेते हुए जितने सुझाव दिए हैं, स्वाभाविक है कि जब इस तरह की बहस होती है तो उसमें कुछ अच्छे सुझाव भी सरकार को प्राप्त होते हैं, और किसी भी संवेदनशील सरकार के लिए यह आवश्यक होता है कि वह ऐसे मसलों पर गौर फरमाये तथा अच्छे सुझावों को अंगीकार करने का प्रयत्न करे। जहां तक स्थायी रूप से समस्या के समाधान का संबंध है, यहां दूसरे कई तरह के सुझाव आए हैं, उनमें कई सुझाव रचनात्मक हैं, जिनकी स्पिरिट की मैं बार पुन: प्रशंसा करता हूं। (व्यवधान) जहां तक मुझे जानकारी है, मैं उसी के अनुसार बताना चाहता हूं कि चाहे आंध्र प्रदेश का सवाल हो, तमिलनाडु का सवाल हो, उड़ीसा का सवाल हो, पांडीचेरी का सवाल हो या देश के किसी दूसरे हिस्से में तूफान से पीड़ित लोगों का सवाल हो, उन सबके प्रति हम गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और जिस स्पिरिट के साथ आप माननीय सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लिया, उसे सामने रखते हुए, चूंकि हमारे साधन सीमित हैं, फिर भी उपलब्ध संसाधनों से यह सरकार, और दूसरे लोग, जो अपने स्तर से प्रभावित क्षेत्र मे राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वह काबिले तारीफ है। हमें उम्मीद है कि इस भयानक विपत्ति से जो लोग प्रभावित हुए हैं, निश्चित रूप से यथाशीघ्र उनका पुनर्स्थापन हो सकेगा, उन्हें फिर से रिहैबिलिटेट किया जा सकेगा, नई जिन्दगी की शुरुआत वे कर सकेंगे, इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपका विभाग दीर्घकालीन उपायों पर विचार करेगा ?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : लौंग टर्म मैयर्स के बारे में, मैंने पहले ही कह दिया कि यहां पर माननीय सदस्यों के जो सुझाव आये हैं, उनको यह सरकार ध्यान में रखेगी और निश्चित रूप से ठोस कदम उठाये जायेंगे।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : महोदय, दलगत भावना से ऊपर उठते हुए आंध्र प्रदेश की समस्त जनता

ने 11 तथा 19 तारीख को प्रधानमन्त्री द्वारा राज्य का दौरा करने पर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की है। उनको बहुत आशाएं बंधी थी जब प्रधानमन्त्री जी ने यह उल्लेख किया कि वे इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा मानकर दिल्ली पहुंचते ही अधिकारियों से परामर्श करके इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। अब माननीय मन्त्री का उत्तर राष्ट्रीय आपदा के बारे में प्रधानमन्त्री के वायदे सम्बन्धी उनके वक्तव्य के बिल्कुल उल्टा लगता है। उन्होंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा कि सरकार एक-दो अथवा 10-15 दिन बाद इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेगी। हमारी रुचि केवल उनके वक्तव्य के कार्यान्वयन में है। इसलिए हमारा सरकार से पुनः विनम्र निवेदन है कि वह इससे पीछे न हटे और यह देखे कि यह कार्यान्वित हो।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : माननीय राव साहब का कहना उपयुक्त नहीं है। इसका तो सवाल ही नहीं उठता कि किसी चीज को डाइल्यूट किया जाये। प्रधानमन्त्री जी ने जो कुछ वहां कहा है, उस पर कार्यवाही प्रारम्भ हो गई है। 24 तारीख को प्रिंसीपल सेक्रेटरी ने सभी लोगों को बुलाकर कहा है। सिर्फ कुछ कह देने भर से राहत नहीं पहुंच जाएगी बल्कि व्यापक तरीके से हमें इन्तजाम करके वहां पर पहुंचना होगा। हमारी सरकार कहने में विश्वास नहीं करती, करने में विश्वास करती है। जब उसकी घोषणा करेंगे तो पूरी तैयारी के साथ घोषणा करेंगे। प्रिंसीपल सेक्रेटरी ने बैठक की है, यह मैंने पहले ही बताया है।

[अनुवाद]

श्री भू० विजय कुमार राजू : हाल ही में आए चक्रवात के कारण तीनों डेल्टाओं में समस्त जल निकास तंत्र पूरी तरह बेकार हो गया है। यह हर साल होता है। हर बारिश में नालियां बन्द हो जाती हैं। ये सब बातें रिकार्ड में है।

मेरा यह अनुरोध है कि नालियों आदि की मरम्मत के लिए माननीय मंत्री द्वारा दीर्घावधि कार्यवाही के क्रम में आवश्यक कदम उठाए जाएं। अन्यथा उनसे जल की निकासी नहीं कर पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार द्वारा भी कार्यवाही की जानी होती है। यह दीर्घकालिक उपाय है।

श्री भू० विजय कुमार राजू : जी हां, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को उपाय करने चाहिए। हम इसके लिए सुधार कर देने को भी तैयार है।

[हिन्दी]

श्री बसई चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हमने अभी रिलीफ कोड के बारे में कहा कि माननीय मन्त्री जी जब बिहार विधान सभा के सदस्य थे और जब इनके यहां फ्लड आता था, तो हंगामा करते थे और कहते थे कि रिलीफ कोड को बदलने की जरूरत है। इसमें लोगों को इतनी कम सहायता मिलती है कि उनका कुछ बनता नहीं है। क्या अब भी वे रिलीफ कोड में परिवर्तन महसूस करते हैं या नहीं ?

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने व्यक्तिगत स्तर पर सवाल पूछा है। वस्तुस्थिति यह है कि रिलीफ कोड राज्य सरकारें बनाती हैं और राज्य सरकारों का ही काम है कि रिलीफ किस प्रकार से पहुंचायें। जब मैं बिहार विधान सभा में बोलता था, तो वहां के रिलीफ

[श्री नीतीश कुमार]

कोड के बारे में बोलता था और आज भी मैं महसूस करता हूं कि रिलीफ कोड में संशोधन करना चाहिए और उसको अप टू डेट करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री हुमेंद्र सिंह बनेड़ा (भीलवाड़ा) : राहत संहिता ब्रिटिश काल में बनाई गई थी ? क्या आप इस संहिता में परिवर्तन या संशोधन करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनमें इस बारे में अभी उत्तर देने की अपेक्षा मत कीजिए।

श्री बालगोपाल मिश्र : क्या मन्त्री जी राहत संहिता में परिवर्तन करने पर विचार करेंगे ? क्या सरकार ओलावृष्टि को भी प्राकृतिक आपदा में शामिल करने पर विचार करेगी ? इस समय ओलावृष्टि को राष्ट्रीय आपदा नहीं माना जाता। ओलावृष्टि बाढ़, चक्रवात या सूखे से कम नुकसानदायक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले बताया रिलीफ कोड राज्य सरकारों को उसे अप टू डेट करना चाहिए। वह पुराना बना हुआ है। उसमें समय-समय पर सुधार करना चाहिए और अप टू डेट बनाना चाहिए।

श्री ईश्वर चौधरी (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला है। इसमें मेरे भी दो सुझाव हैं। मंत्री जी ने तत्कालीन और दीर्घकालीन दो उपाय बताए हैं, लेकिन तत्कालीन के बारे में तो मन्त्री जी ने बता दिया कि रिलीफ का काम कर रहे हैं, किन्तु दीर्घकालीन उपाय के बारे में कुछ नहीं बताया है जबकि बड़ी-बड़ी नहर और बड़े-बड़े उपकरण क्षतिग्रस्त हुए हैं। क्या मन्त्री जी के पास कोई दीर्घकालीन योजना नहीं है, यदि है, तो वे कितना अधिक से अधिक धन आवंटित करने जा रहे हैं यह बताएं क्योंकि वह राष्ट्रीय विपत्ति है।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत व्यापक सवाल है और अकेले इसी विभाग से सम्बन्धित नहीं है बल्कि सभी विभागों से सम्बन्धित है। इसलिए अभी इस बारे में कुछ भी कह सकना मेरे लिए सम्भव नहीं होगा।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : सत्ताधारी दल के माननीय सदस्य श्री राजू तथा बहुत से अन्य बहुत से साथियों ने जल निकास तंत्र, नहरों तथा बांधों को हुए नुकसान का उल्लेख किया है। यदि सरकार के पास धन नहीं है, तो क्या वह ऋण लेगी, इसे स्थानीय सरकार को सौंप देगी और यह देखेगी कि जल निकास तंत्र सम्बन्धी निर्माण कार्य शुरू किया जाए ?

और आयकर आदि में छूट सम्बन्धी अन्य सुझाव के बारे हूं, मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र इसे नोट करेंगे तथा इन सुझावों से माननीय वित्त मन्त्री को अवगत कराएंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : माननीय रंगा साहिब ने जो कहा है उसके बारे में मेरा निवेदन है जहां तक धनराशि दिए जाने का सवाल है, हमने एक-मुश्त धनराशि रु० 32 करोड़ 50 लाख केन्द्र सरकार की ओर से दे दिए हैं। उनके खर्च होते ही दूसरी किस्त 32 करोड़ 50 लाख की पुन: मुहैय्या कराएंगे और आपने जो अन्य चीजों के लिए सुझाव दिया है और जो विचारों का आदान-प्रदान हुआ है और जो दूसरे सम्बन्धित मामले हैं तथा जो उत्तम सुझाव हैं, उनको मैं सम्बन्धित विभाग को भेज दूंगा।

श्री जे० चोक्का राव : स्माल फार्मर्स, वीवर्स, फिशरमैन के लोन को राईट-आफ तो करना चाहिए। इनकी तकलीफ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री नीतीश कुमार : यह तो हम अपने भाषण में पहले ही कह चुके हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 म० पू० पर पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

७.55 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 29 मई, 1990/8 ज्येष्ठ, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : दी स्टील स्लेट, मं० कं० (प्रेस विभाग)
अजमेरीगेट, दिल्ली-6